केवल शासकीय प्रयोग हेतु

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश

नगरीय निकाय निर्वाचन

पीठासीन अधिकारियों के लिए पुस्तिका
(इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग हेतु)
निर्देश पुस्तिका–2022

राज्य निर्वाचन आयोग
(पंचायत एवं नगरीय निकाय),
उत्तर प्रदेश
पी0सी0एफ0 भवन, 32–स्टेशन रोड, लखनऊ–226001

विषय सूची

पृष्ठ संख्या

अध्याय–1	प्रस्तावना	
अध्याय–2	मतदान दल का गठन एवं प्रशिक्षण	
अध्याय–3	मतदान मशीन और मतदान सामग्री एकत्रित करना	
अध्याय–4	इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का रैण्डमाइजेशन	
अध्याय–5	मतदान केन्द्र की स्थापना	
अध्याय–6	मतदान केन्द्रों में सुरक्षा व्यवस्था	
अध्याय–7	मतदान अधिकारियों को कर्तव्यो का अभिहस्तांकन	
अध्याय–8	मतदान केन्द्र में प्रवेश करने और बैठने के प्रबन्ध का विनियमन	
अध्याय–9	मतदान के प्रांरभ होने के पूर्व मतदान मशीन को तैयार करना	
अध्याय–10	नियंत्रण यूनिट की तैयारी	
अध्याय–11	दिखावटी मतदान संचालित करना	
अध्याय–12	नियंत्रण यूनिट में ग्रीन पेपर सील का लगाया जाना	
अध्याय–13	नियंत्रण यूनिट को बन्द और सील करना	
अध्याय–14	मतदान का प्रारम्भ	
अध्याय–15	स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए रक्षोपाय	
अध्याय–16	मतदान केन्द्र में और इसके इर्द गिर्द निर्वाचन विधि का प्रवर्तन	
अध्याय–17	चुनौती के मामले में निर्वाचक की पहचान का सत्यापन एवं प्रक्रिया	
अध्याय–18	मतदाता को अपने मत देने के पूर्व अमिट स्याही का लगाया जाना और उसके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लेना	
अध्याय–19	मत डालना और मतदान की प्रक्रिया	
अध्याय–20	मतदाताओं द्वारा मतदान की गोपनीयता बनाये रखना	
अध्याय–21	दृष्टिबाधित और अशक्त मतदाताओं द्वारा मतदान	
अध्याय–22	मतदाता का मत नहीं देने का निश्चय	
अध्याय–23	निविदत्त मत	
अध्याय–24	बलवे, बूथ पर कब्जा इत्यादि के कारण मतदान का स्थगन/रोका जाना	
अध्याय–25	मतदान की समाप्ति	
अध्याय–26	रिकार्ड किये गये मतों का लेखा	
अध्याय–27	मतदान की समाप्ति के पश्चात् मतदान मशीन का मुहर बन्द किया जाना	
अध्याय–28	निर्वाचन से संबंधित कागज पत्रों का मुहरबन्द किया जाना	
अध्याय–29	डायरी तैयार करना और संग्रह केन्द्रों पर मतदान मशीन तथा निर्वाचन सम्बन्ध कागज पत्रों को संग्रहण केन्द्रों पर सुपुर्द करना	
अध्याय–30	पीठासीन अधिकारियों/मतदान अधिकारियों के लिए संक्षिप्त मार्गदर्शन	
उपाबंध–1	नगर निगम अधिनियम, 1959 व नगर पालिका अधिनियम, 1916 से उद्धरण	
उपाबंध–2	उ0प्र0 नगर पालिका (सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन) नियमावली, 2010	

प्ररूप–17 क	मतदाता रजिस्टर
प्ररूप–17 ख	निविदत्त मतों की सूची
प्ररूप–17 ग	रिकार्ड किये गये मतों का लेखा
उपाबंध–3	पीठासीन अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर सम्पन्न किये गये कार्यों की रूपरेखा
उपाबंध–4	पीठासीन अधिकारियों के लिए चेक लिस्ट
उपाबंध–5	किसी मतदान स्थल के लिए मतदान सामग्रियों की सूची जहाँ इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन को उपयोग में लाया जाना है
उपाबंध–6	इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन के लिए माडल मतदान केन्द्र
उपाबंध–6क	इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए आदर्श मतदान केन्द्र समानान्तर निर्वाचन के लिए मतदान केन्द्र का लेआऊट
उपाबंध–7	पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा
उपाबंध–8	आपत्ति शुल्क के लिए रसीद
उपाबंध–9	थाना अधिकारी को शिकायती पत्र
उपाबंध–10	निर्वाचक द्वारा उनकी आयु के सम्बन्ध में घोषणा का प्ररूप
उपाबंध–11	मतदाता द्वारा उनकी आयु के सम्बन्ध में घोषणा का प्ररूप
उपाबंध–12	दृष्टिबाधित या अशक्त निर्वाचक के साथी द्वारा घोषणा
उपाबंध–13	रिकार्ड किये गये मतों का लेखा
उपाबंध–14	पीठासीन अधिकारी की डायरी
उपाबंध–15	पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्वाचन क्षेत्र के पर्यवेक्षकों/रिटर्निंग अधिकारी को सौंपने के लिए प्रपत्र।
उपाबंध–16	दिखावटी मतदान प्रमाणपत्र

अध्याय–1

प्रस्तावना

1. परिचय :

1.1 इस पुस्तिका का उद्देश्य पीठासीन अधिकारी के रूप में निर्वाचन का संचालन करने में आपको निर्देश देना है ताकि आप प्रभावशाली ढंग से अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सकें। आपके प्रभाराधीन मतदान केन्द्र की कार्यवाही को नियंत्रित करने हेतु आपको सम्पूर्ण विधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। मतदान स्थल पर स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना आपका प्रमुख कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व है। इस प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है कि आप स्वयं को विधि एवं प्रक्रिया तथा निर्वाचन के संचालन के सम्बन्ध में आयोग द्वारा जारी किए गए सुसंगत अनुदेशों तथा निर्देशों की जानकारी प्राप्त कर लें तथा किसी भी युक्तिसंगत शिकायत के लिए अवसर न दें।

1.2 आपकी नियुक्ति उ0प्र0 नगर पालिका (सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन) नियमावली, 2010 के नियम 15–(1) के अंतर्गत की गई है। नगरीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों से पार्षदों/सदस्यों के निर्वाचन अब तक मतपत्रों एवं मतपेटियों की परम्परागत पद्धति के अधीन आयोजित होते रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग वैज्ञानिक और तकनीकी अभिवर्धन का लाभ लेकर भारत निर्वाचन आयोग की भाँति निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार करने के लिए प्रयासरत है। आयोग द्वारा इलेक्ट्रॉनिकस कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद से इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीनों का निर्माण कराकर क्रय किया गया है। इस प्रकार निर्मित इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन निर्वाचन के संचालन के लिए बहुविध और विश्वसनीय पद्धति है। मतदान मशीन वर्तमान पद्धति, जिसके अधीन मतपत्र और मतपेटियाँ प्रयुक्त की जाती हैं, को ध्यान में रखकर परिकल्पित की गयी है।

1.3 आप उस मतदान स्थल के लिए पीठासीन अधिकारी हैं जिसमें मतदान मशीनें उपयोग में ली जानी हैं। इसलिए आपको मतदान मशीनों द्वारा मतदान के संचालन के लिए विहित और प्रक्रियाओं की वर्तमान स्थिति से पूर्णतः अवगत होना चाहिए। आपको स्वयं को न केवल मतदान स्थल पर मतदान के संचालन के लिए जाने वाले प्रत्येक कदम बल्कि मतदान मशीन के प्रचालन से भी पूर्णतः परिचित होना चाहिए। एक छोटी सी भूल या गलती या विधि या नियमों का दोषपूर्ण लागू किया जाना या मतदान मशीन की विभिन्न क्रियाओं का अपर्याप्त ज्ञान आपके मतदान स्थल पर मतदान प्रक्रिया में बाधक हो सकता है।

2. मतदान मशीनों का संक्षिप्त परिचय :

2.1 मतदान मशीन भारत सरकार के अंतर्गत उपक्रम इलेक्ट्रॉनिक कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया, हैदराबाद एवं बी0ई0एल0, बंगलौर द्वारा बनाई गई हैं तथा यह दो यूनिटों अर्थात् नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट से मिलकर बनी हैं। जब मतदान मशीन उपयोग में होती है तब ये दोनों यूनिटें एक केबिल के द्वारा, जिसका एक सिरा मतदान मशीन से स्थायी रूप से जुड़ा रहता है, आपस में जुड़ी रहती हैं। इलेक्ट्रॉनिकस कारपोशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिन्होंने इन मशीनों का निर्माण किया है, ने उनके द्वारा निर्मित मशीनों के संचालन के विस्तृत ब्यौरे देते हुए निर्देशिकाएं प्रकाशित की हैं। आपको यह जानना चाहिए कि कौन सी मशीनें, यानि आपके निर्वाचन क्षेत्र और मतदान स्थल पर क्या इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित मशीनें उपयोग में लायी जानी हैं। आपको आपके निर्वाचन क्षेत्र में प्रयुक्त की जाने वाली मशीनों की सुसंगत निर्देशिका का अध्ययन बहुत ध्यान से करना चाहिए।

2.2 मतदान मशीन 6 वोल्ट की बैट्री द्वारा संचालित होती है तथा इसका उपयोग कहीं भी तथा किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। इसका संचालन सुगम है तथा यह गलती रहित होती है। मशीन की दोनों यूनिट दो अलग अलग वहन बाक्सों में दी जाएगी जो आसानी से परिवहनीय है। मशीन में एक बार रिकार्ड की गई जानकारी उसकी स्मृति में रहेगी चाहे बैट्री निकाल दी जाए।

2.3 एक मतदान यूनिट सोलह अभ्यर्थियों तक (नोटा सहित) की सेवा करती है। मतदान यूनिट में निर्वाचन की विशिष्टियाँ, चुनाव प्रत्याशियों के क्रम संख्यांक, नाम और उन्हें आवंटित क्रमशः प्रतीकों से युक्त मतपत्र प्रदर्शित करने की व्यवस्था है। प्रत्येक अभ्यर्थी के नाम के सामने एक बटन है जिसे दबाकर मतदाता उसके लिए अपना मत अंकित कर सकता है। प्रत्येक प्रत्याशी के नाम के सामने लगा नीला बटन दबाने से मतदाता अपना वोट डाल देगा, वोट डालते ही लाल लाइट जलेगी और बीप की आवाज भी सुनाई देगी, ई0वी0एम0 दो यूनिट–कन्ट्रोल यूनिट तथा बैलेट यूनिट से मिलकर बनी होती है। जब ई0वी0एम0 से कार्य किया जाता है तो उसके दोनों यूनिट एक केबिल के माध्यम से जुड़े रहते है जिसका एक सिरा स्थायी रूप से बैलेट यूनिट से लगा होता है।

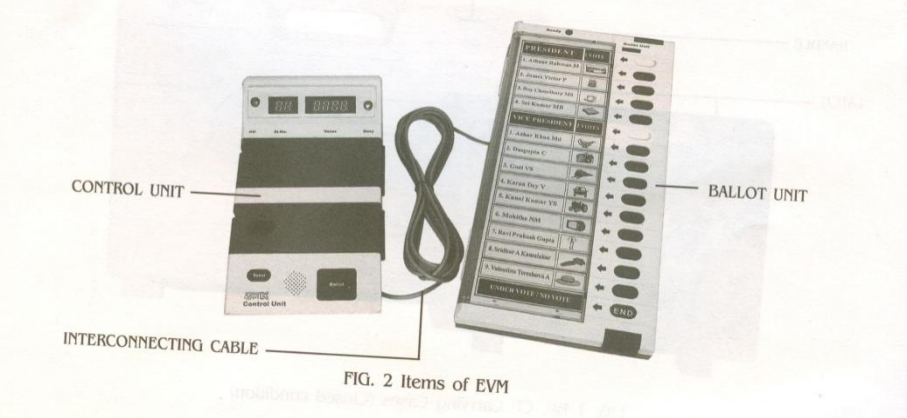

FIG. 2 Items of EVM

2.4 यह मशीन चौसठ अभ्यर्थियों तक (नोटा सहित) की क्षमता वाली चार मतदान यूनिटें साथ मिलकर एक नियंत्रण यूनिट में प्रयुक्त की जा सकती हैं। नियंत्रण यूनिट के सबसे ऊपरी भाग पर विभिन्न जानकारियां और मशीन में रिकार्ड किए गए आंकड़े प्रदर्शित करने की व्यवस्था है जैसे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, डाले गए कुल मतों की संख्या, प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मत इत्यादि। इस भाग को सरल भाषा में नियंत्रण यूनिट का प्रदर्शन भाग कहा जाता है। प्रदर्शन भाग के नीचे बैटरी लगाने के लिए एक कक्ष है जिससे मशीन चलती है। मशीन के नियंत्रण कक्ष के निचले भाग में टोटल लिखा है। 'बैलेट बटन' दबाने से वोट डाला जा सकता है। 'टोटल बटन' दबाने से डाले गये वोटों की संख्या जानी जा सकती है। इस कक्ष के पास दूसरा कक्ष है जिसमें विशिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यथिर्यो की संख्या के लिए मशीन सेट करने के लिए एक बटन है। इस बटन को "कैंड सेट बटन" कहा जाता है और इन कक्षों से मिलकर बने नियंत्रण यूनिट के सम्पूर्ण भाग को "कैंड सेट सेक्शन" कहा जाता है। इस भाग में (i) मतदान बन्द करने का "क्लोज" बटन (ii) संसदीय और विधान सभा निर्वाचनों के पृथकतः परिणाम अभिनिश्चित करने के लिए दो "रिजल्ट" बटन, और (iii) मशीन में रिकार्ड किए गए आकड़ों की जब आवश्यकता न हो तब उन्हें मिटाने के लिए "क्लीयर" बटन होते हैं (किन्तु अभ्यर्थीवार मतों को छोड़कर)। यह भाग नियंत्रण यूनिट के "बैलेट सेक्शन " के रूप में जाना जाता है। इस मशीन मे एक आधुनिक माइक्रो कम्प्यूटर प्रयुक्त होता है। यह बैटरी से कार्य करता है और इसे कहीं पर भी और किन्हीं भी परिस्थितियों में उपयोग में लाया जा सकता है।

मशीन, विशेषतः मतदान यूनिट, इस प्रकार बनायी गई है ताकि इसमें वर्तमान मतदान प्रणाली के समस्त आवश्यक तत्व अविकल रह सकें और परिवर्तन केवल यह है कि मतदाता से अपनी पसंद के प्रतीक पर या उसके निकट मतपत्र पर ऐरोक्रास मार्क रबड़ की मुहर के उपयोग के स्थान पर उसकी पंसद के अभ्यर्थी के नाम और प्रतीक के सामने उपलब्ध बटन को दबाने की अपेक्षा की गयी है। मतपेटियों के साथ छेड़छाड़ और मत की गोपनीयता के भंग के विरूद्ध वर्तमान प्रणाली के अधीन समस्त रक्षोपाय मतदान मशीन में पूर्णतः अनुरक्षित हैं। मतदान मशीन में मतदान की प्रक्रिया बहुत सरल और तीव्र है तथा जनजाति क्षेत्रों सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयोग यह दर्शाते हैं कि निरक्षरों को भी मतदान मशीन के उपयोग द्वारा अपना मत रिकार्ड करने में कोई कठिनाई नहीं होती है।

मतदान कार्मिक को भी मशीन के संचालन में कोई कठिनाई नहीं होगी क्योंकि इसकी यंत्रावली और संचालन बहुत सरल है। मतदान की गति बहुत तेज है और तत्समान मतदाता द्वारा उसके मताधिकार के प्रयोग की सम्पूर्ण क्रिया में लगने वाला समय तुलनात्मक रूप से काफी कम है। मतदान के उपयोग द्वारा मतों की गणना और परिणामों की घोषणा पूर्ण रूप से एक आसान कार्य हो जाएगा क्योंकि किसी मत के सम्बन्ध में कोई सन्देह और विवाद नहीं होगा और किसी मतदान स्थल पर कराए गए मतदान का परिणाम नियंत्रण यूनिट के परिणाम बटन को मात्र दबाने से उपलब्ध हो जाएगा।

3. मतदान के संचालन के सम्बन्ध में वैधानिक उपबन्ध :

वैधानिक उपबन्ध, जिसका सम्बन्ध पीठासीन अधिकारी के रूप में आपके कर्तव्यों से है, उपाबंध I और II में उद्धत किए गए हैं।

4. कर्तव्यों की व्यापक रूप रेखाएं :

यह पुस्तिका आपको वह जानकारी और मार्गदर्शन देने के लिए परिकल्पित की गई है जिसकी आपको पीठासीन अधिकारी के रूप में कर्तव्य पालन हेतु आवश्यकता हो सकेगी। तथापि, यह नोट किया जाए कि इस पुस्तिका को सभी तरह से निःशेष संक्षेप–संग्रह और मतदान के संचालन के दौरान निर्वाचन विधि के विभिन्न उपबन्धों के लिए अनुकल्प निर्देश के रूप में नहीं समझा जा सकता है। आपको, जहाँ आवश्यक हो, उन विधिक उपबन्धों को निर्दिष्ट करना चाहिए जो उपाबंध 1 और 2 में उद्धत हैं। जबकि इस पुस्तिका के विभिन्न अध्यायों में विस्तृत निर्देश और अनुदेश अन्तर्विष्ट हैं, फिर भी आपके मार्गदर्शन के लिए आपके कर्तव्यों के कुछ प्रमुख और महत्वपूर्ण पहलू नीचे दिए गए हैं:–

(1) आपको मतदान मशीनों द्वारा मतदान के संचालन के लिए विहित नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में नवीनतम स्थिति से स्वयं को भलीभांति अवगत कराना चाहिए।

(2) आपको मतदान मशीन के संचालन और उसमें उपलब्ध विभिन्न बटन और स्विचों के कृत्यों से स्वयं को पूरी तरह से परिचित होना चाहिए।

(3) आपको रिटर्निंग अधिकारी के समस्त अनुदशों को अपने पास में रखना होगा।

(4) आपको अपने मतदान केन्द्र की स्थिति और मतदान केन्द्र से आने और जाने की मार्ग निर्देशिका का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए।

(5) आपको समस्त पूर्वाभ्यासों और प्रशिक्षण कक्षाओं में उपस्थित होना चाहिए।

(6) निर्वाचन सामग्री संग्रहित करते समय आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समस्त वस्तुएं आपको सौंप दी गयी हैं। सबसे महत्वपूर्ण वस्तु मतदान मशीन (मतदान यूनिट और नियंत्रण यूनिट), निविदत्त मतपत्र, मतदाताओं का रजिस्टर (प्ररूप 17 क), निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति और नामावली की अतिरिक्त प्रतियाँ, मतदाता पर्ची, ग्रीन पेपर सील, स्ट्रिप सील, स्पेशल टैग, एड्रेस टैग(सी0यू0/बी0यू0) सांविधिक प्ररूप, सीलिंग वैक्स और अमिट स्याही है।

(7) मतदान केन्द्र पर पहुंचने पर आपको समुचित मतदान केन्द्र की स्थापना के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं विशेषतः मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित करने, मतदाताओं की पंक्ति का विनियमन करने, बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त मतदान कार्यवाहियों का संरक्षण इत्यादि का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए।

(8) मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व, उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को सन्तुष्ट करने के लिए मशीन का प्रदर्शन करना होगा कि उसमें पहले से कोई मत रिकार्ड नहीं है। उनको यह भी प्रदर्शित करना होगा कि मशीन एकदम चालू स्थिति में है। इन प्रयोजनों के लिए प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के लिए अचानक कुछ मत रिकार्ड करके एक दिखावटी मतदान आयोजित किया जाएगा और परिणाम की गणना की जाएगी।

(9) यदि दिखावटी मतदान की प्रक्रिया सम्पन्न नहीं की जाती है तो उस केन्द्र पर मतदान नहीं होगा,

(10) दिखावटी मतदान आयोजित करने के पश्चात् ऐसे दिखावटी मतदान में रिकार्ड किए गए मत मतदान मशीन से हटा दिए जाऐंगे ताकि दिखावटी मतदान से सम्बन्धित

कोई भी आंकड़े मशीन की स्मृति में नहीं है। मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट को तब, उसमे उपलब्ध स्थान पर, ग्रीन पेपर सील लगाकर मुहरबन्द और सुरक्षित किया जाए।

(11) मतदान निर्वाचन आयोग द्वारा नियत समय पर प्रारम्भ किया जाना चाहिए। मतदान प्रारम्भ करने से पूर्व, उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं और मतदान अधिकारियों को मत की गोपनीयता बनाए रखने के लिए चेतावनी दी जानी चाहिए और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 के उपबन्ध तथा उ0प्र0 नगर पालिका (सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन) नियमावली, 2010 के नियम 61 के उपबन्ध उनके ध्यान में लाए जाने चाहिए।

(12) मतदान प्रारम्भ होने पर, आपको विहित प्ररूप में, मतदान मशीन के प्रदर्शन, निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति एवं मतदाताओं के रजिस्टर के बारे में उपस्थित चुनाव प्रत्याशियों या उनके मतदान अभिकर्ताओं के समक्ष एक घोषणा करनी होगी और इस पर उनसे हस्ताक्षर करवाया जाएगा।

(13) मतदाता की पहचान प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा उचित रूप से सत्यापित की जाएगी और किसी मतदाता द्वारा लाई गयी अशासकीय पहचान पर्ची नहीं मानी जाएगी।

(14) किसी मतदाता की पहचान करने के पश्चात् निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में मतदाता से सम्बन्धित प्रविष्टि को रेखांकित करना चाहिए। महिला निर्वाचक के मामले में टिक मार्क (✓) भी अंकित करना होगा।

(15) किसी मतदाता की, निर्वाचक नामावली में उसकी प्रविष्टि के सम्बन्ध में, पहचान होने के पश्चात् दूसरे मतदान अधिकारी को उसके बायें हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही चिह्नित करनी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मतदाता की तर्जनी पर लगाया गया अमिट स्याही का चिह्न पूरी तरह से सूख गया है और सुस्पष्ट अमिट स्याही का चिह्न बन गया है, उसकी बांयी तर्जनी की जाँच मतदाता के मतदान केन्द्र छोड़ने के पूर्व दुबारा करनी चाहिए।

(16) मतदाता की क्रम संख्या (नाम नहीं) जो मतदाता सूची की चिह्नित प्रति में, मतदाता रजिस्टर के प्रारूप 17–क में नोट करें।

(17) मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी, उसे मत रिकार्ड करने को अनुज्ञात करने के पूर्व, मतदाता रजिस्टर (प्ररूप 17–क) में अभिप्राप्त करवा लेनी चाहिए। यदि कोई मतदाता, मतदाता रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी देने से इंकार करता है तो उसे मत देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतदान करने की अनुमति नहीं, इस वाक्य को रिमार्क वाले खण्ड (फार्म–17क) में लिखें तथा आप उसके नीचे अपने हस्ताक्षर करें। यदि मतदाता सूची रजिस्टर में लिख लिया गया है और उसने हस्ताक्षर कर दिए हैं या अंगूठे का निशान भी लगा दिया है और फिर भी मत देना नहीं चाहता तो उसके नाम के आगे 'वोट देने से मना किया' लिखें व मतदाता से उस स्थान पर हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगवाएं। ऐसी परिस्थिति में सूची के क्रम में बदलाव आवश्यक नहीं है। यदि कन्ट्रोल यूनिट का बैलेट बटन दबाने के बाद भी कोई मतदाता मतदान करने से मना करता है तो मतदान अधिकारी दूसरे/अगले मतदाता को मतदान के लिए कक्ष में बुलाएं, इसके अतिरिक्त मतदान अधिकारी कन्ट्रोल यूनिट का पॉवर स्विच बन्द कर दें और अगले मतदाता के आने पर पुनः चालू कर लें और बैलेट बटन दबाकर अगले मतदाता को मतदान के लिए बुलाएं।

(18) यदि लाइन में खड़ा अन्तिम मतदाता कन्ट्रोल यूनिट का "बैलेट बटन" चालू रहने की स्थिति में मतदान करने से मना करे तब मतदान अधिकारी कन्ट्रोल यूनिट के "पावर" बटन को बन्द की स्थिति में करके मतदान यूनिट तथा कन्ट्रोल यूनिट के सम्पर्क को विच्छेद कर देंगे, इस विच्छेद के बाद पुनः कन्ट्रोल यूनिट का पावर बटन चालू करें। अब बिजी लैम्प बुझ जाएगा और मतदान समाप्त करने हेतु "क्लोज बटन" चालू हो जाएगा।

(19) मतदाता रजिस्टर में मतदाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लेने के बाद उसके बायें हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही से निशान लगाएं तथा उसे मतदाता पर्ची (निर्धारित प्रपत्र में) दी जाए जिस पर रजिस्टर में अंकित क्रमांक डाला गया हो।

(20) मतदाता को, मतदाता रजिस्टर में प्रविष्ट मतदाता पर्चियों के आधार पर क्रमानुसार मतदान मशीन में उसके मत रिकार्ड करने के लिए बुलाया जाएगा।

(21) यदि आप यह मानते हैं कि कोई व्यक्ति मतदाता की न्यूनतम आयु अर्थात् 18 वर्ष से काफी कम है किन्तु आप उसकी पहचान और निर्वाचक नामावली में उसका नाम सम्मिलित होने के तथ्य से सन्तुष्ट हैं तो आपको उससे उसकी आयु के सम्बन्ध में एक घोषणा उपाबंध–10 के घोषणा प्ररूप में ले लेना चाहिए।

(22) जब कभी सुसंगत घटनाएं घटें, आपको उसी समय उन्हें पीठासीन अधिकारी की डायरी में अभिलिखित करना होगा।

(23) यदि आपको शंका है कि मतदान यूनिट ठीक से कार्य नहीं कर रही है या किसी मतदाता ने उसके साथ छेड़छाड़ की है या किसी वस्तु को उसके अन्दर डाला है या सैलोटेप या माचिस या च्युंगम नीले बटन पर चिपकाया है या मतदाता लम्बे समय तक मतदान कक्ष से बाहर नहीं आया तब मतदान अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह स्वयं मतदान कक्ष में जाकर कार्यवाही करे एवं सुनिश्चित करें कि मशीन के साथ छेड़छाड़ न की जाए व मतदान सुचारू रूप से चलता रहे। परन्तु अधिकारी ध्यान रखें कि वे कक्ष में अकेले न जाऐं। वे साथ में एक या दो मतदान अभिकर्ता ले जाऐं।

(24) यदि मतदान केन्द्र पर कोई अप्रत्याशित घटना घटती है और उसकी सूचना आपके द्वारा न दी जाए और किसी अन्य स्रोत से आयोग की जानकारी में आए तो आयोग आपके विरूद्ध गम्भीर कार्यवाही कर सकता है।

(25) आपको मतदान के शान्तिपूर्वक और निर्बाध संचालन के लिए मतदान केन्द्र की कार्यवाहियों का विनियमन करना होगा। आपको काफी व्यवहार कुशल किन्तु साथ ही स्थिर विचार का और तटस्थ होना चाहिए।

(26) आप समय समय पर डाले गये मतों की कुल संख्या "टोटल बटन" दबाकर जाँचते रहें।

(27) यदि किसी कारण से मतदान देर से प्रारम्भ हुआ हो तो भी आपको निर्वाचन आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियत समय पर मतदान बन्द करना चाहिए। तथापि मतदान की समाप्ति के समय मतदान केन्द्र पर उपस्थित समस्त मतदाताओं को मत डालने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा चाहे मतदान कुछ और समय तक चलता रहे। यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि मतदान समाप्ति के समय के पश्चात् कोई व्यक्ति पंक्ति में नहीं आने पाए। उस प्रयोजन के लिए, आपको पंक्ति में खड़े समस्त मतदाताओं को पर्चियां वितरित की जानी चाहिए, ऐसा वितरण पंक्ति में खड़े अंतिम मतदाता से प्रारम्भ किया जाना चाहिए।

(28) मतदान की समाप्ति पर, आपसे प्ररूप 17 ग के भाग i में "अभिलिखित मतों का लेखा" तैयार करना अपेक्षित है। ऐसे अभिलिखित मतों के लेखे की अभिप्रमाणित प्रतियाँ प्रत्येक प्रत्याशी के प्रतिनिधि को देने की अपेक्षा की जाती है। आपसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि आप आयोग द्वारा विहित प्ररूप में अभ्यर्थियों के अभिकर्ताओं को ऐसी प्रतियाँ देने सम्बन्धी घोषणा करें।

(29) मतदान की समाप्ति पर, मतदान मशीन और समस्त निर्वाचन पत्रादि निर्वाचन आयोग द्वारा विहित रीति से मुहरबन्द और सुरक्षित रखने चाहिए। उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को भी, यदि वे ऐसा करना चाहें, आपकी मुहर के साथ साथ मतदान मशीन और निर्वाचन पत्रों पर उनकी मुहर लगाने के लिए अनुज्ञात करना है। आपको मतदान मशीन और निर्वाचन पत्रों को मुहरबन्द तथा सुरक्षित रखने के बारे में सुसंगत अनुदेशों का ध्यानपूर्वक अनुसरण करना चाहिए।

(30) यह आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि सम्यक् रूप से मुहरबन्द और सुरक्षित मतदान मशीन और समस्त निर्वाचन पत्रादि, उनको एकत्रित करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी को सौंप कर रसीद ले लें।

5. विभिन्न स्तरों पर आपके कर्तव्य आपकी सुविधा के लिए पांच विभिन्न शीर्षकों के अधीन उपाबंध 3 में संक्षेप में दिए गए हैं।

6. चेक मेमो :

यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्वाचन के सम्बन्ध में विभिन्न सांविधिक अपेक्षाओं की आपने पूर्ति कर ली है, निर्वाचन आयोग ने आपके लिए एक चेक मेमो बनाया है जो उपाबंध 4 में दिया गया है। उक्त चेक मेमो आप द्वारा उचित रूप से भरा जाना चाहिए।

अध्याय–2

मतदान दल का गठन तथा प्रशिक्षण

1. मतदान दल :

नगर निकायों के सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों तथा महापौरों के निर्वाचन के समय आपके दल में आपके अलावा दो या तीन मतदान अधिकारी होंगे। जहाँ किसी मतदान स्थल के समनुदिष्ट निर्वाचकों की संख्या बहुत अधिक है अर्थात् 1500 या अधिक, वहाँ आपकी सहायता के लिए एक अतिरिक्त मतदान अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नियुक्त किया जा सकेगा। मतदान दल की नियुक्ति करते समय आपका जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी आपके दल के किसी मतदान अधिकारी को मतदान केन्द्र पर अपरिहार्य कारणों से आपके अनुपस्थित रहने पर, पीठासीन अधिकारी के कर्तव्यों को वहन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। मतदान सम्पन्न कराने हेतु समानान्तर चुनाव के लिये आपके दल में आपके अतिरिक्त पांच मतदान अधिकारी हो सकते हैं।

2. मतदान प्रशिक्षण :

2.1 जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी प्रशिक्षण कक्षाओं का प्रबंध करेंगे। आप ऐसे सभी प्रशिक्षण में उपस्थित रहें ताकि आपको वोटिंग मशीन तथा मतदान प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल सके और चुनाव सम्बन्ध कानूनी जानकारी मिल सके। आप यह भी सुनिश्चित करें कि इस प्रशिक्षण में आयोग द्वारा प्रकाशित पुस्तिका (पीठासीन अधिकारियों के लिये) की प्रति आपको प्राप्त हो। आपको एक एक परिचय पत्र भी दिया जाएगा जिसे आप अपने शरीर पर प्रदर्शित करेंगे।

2.2 आपको अपने साथ प्रशिक्षण में उस मतदान अधिकारी को भी साथ रखना है जो आपकी अनुपस्थिति में आपके कार्य का निर्वाह कर सके। आपको तथा आपके साथी मतदान अधिकारी स्वयं वोटिंग मशीन को संचालित करके देखें, केवल अवलोकन न करें। आप दोनों विभिन्न सीलों (हरी सील व स्ट्रिप सील) तथा टैग (स्पैशल टैग व एड्रेस टैग) को भली भांति समझ लें। मशीन को अनावश्यक रूप से न छेड़ें।

2.3 आप 17–ग पर डाले गए मतों का हिसाब तथा पेपर सील के ब्यौरा का नमूना तैयार करें।

2.4 प्रशिक्षण को गम्भीरता से लें। पूर्व में यद्यपि आप पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके हैं और मशीन का उपयोग भी कर चुके हों तब भी इन प्रशिक्षणों में आप कुछ नए तथ्यों से परिचित होने के लिए उपस्थित रहें क्योंकि मतदान सम्बन्ध कानून तथा प्रक्रिया समय समय पर संशोधित होते रहते हैं। अतः यह आवश्यक है कि आप इन प्रशिक्षणों में आकर नवीनतम नियम, कानून व निर्देशों की जानकारी लें। प्रशिक्षण की समाप्ति पर आप वोटिंग मशीन का संचालन, हरी सील लगाना, स्पेशल टैग लगाना, स्ट्रिप सील तथा सीलिंग प्रक्रिया को पूर्णतः समझ जाऐंगे।

अध्याय–3

मतदान मशीन और मतदान सामग्री एकत्रित करना

1. मतदान सामग्री :

मतदान से एक दिन पूर्व या मतदान केन्द्र के लिए प्रस्थान करने के दिन आपको सम्पूर्ण मतदान सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी जिसकी सूची उपाबंध–5 में दी गयी है। मतदान केन्द्र के लिए प्रस्थान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आपने समस्त मद प्राप्त कर लिए हैं।

2. मतदान मशीन की जाँच :

निम्नलिखित की विशेष रूप से जाँच कर लें :–

(1) कि आपको दी गयी मतदान मशीन की कन्ट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट (यूनिटें) वही है जो आपके मतदान केन्द्र पर उपयोग हेतु बनी है। इसकी, उक्त यूनिटों से संलग्न ऐड्रेस टैग के सन्दर्भ में, जाँच की जानी चाहिए जैसे कि रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रत्येक ऐसे ऐड्रेस टैग पर मतदान केन्द्र की संख्या और नाम उपदर्शित किए जाऐंगे। कन्ट्रोल यूनिट के ऐड्रेस टैग में निम्नलिखित जानकारी होगी।

*पद – महापौर/पार्षद .....
नगर निगम का नाम ..... वार्ड संख्या/नाम .....
कन्ट्रोल यूनिट संख्या .....
मतदान स्थल का नाम व संख्या .....
मतदान का दिनाँक .....

बैलेट यूनिट हेतु पते की पर्ची निम्न प्रकार से लगाई जाएगीः

*पद – महापौर/पार्षद .....
नगर निगम का नाम ..... वार्ड संख्या/नाम .....
बैलेट यूनिट संख्या .....
मतदान स्थल का नाम व संख्या .....
मतदान का दिनाँक .....

(2) कि नियंत्रण यूनिट का ''कैंड सेट सेक्शन'' सम्यक् रूप से मुहरबंद किया गया है और उसके साथ ऐड्रेस टैग मजबूती से संलग्न है।

(3) कि नियंत्रण यूनिट के ''कैंड सेट सेक्शन'' में स्थापित बैटरी पूरी तरह से परिचालनीय है। इसकी, पृष्ठ भाग के कक्ष पर उपलब्ध पावर स्विच को 'आन' स्थिति में डालकर, जाँच की जाएगी। उक्त जाँचके पश्चात् पावर स्विच को 'ऑफ' स्थिति में लाना होगा।

(4) कि आपको अपेक्षित संख्या में 'मतदान यूनिटें' दी गयी हैं और मतपत्र, उनके प्रत्येक के मतपत्र स्क्रीन के अन्दर सम्यक् रूप से लगा दिए गए हैं। आपको दी जाने वाली मतदान यूनिटों की संख्या आपके निर्वाचन क्षेत्र में लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या पर निर्भर करेगी। यदि लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 2 और 16 के बीच की है तो केवल एक मतदान यूनिट दी जाएगी और मतदान यूनिट के दायीं ओर सबसे ऊपर विन्डो से दिखने वाला स्लाइड स्विच रिटर्निंग अधिकारी द्वारा '1' स्थिति में सेट किया जाएगा। यदि लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 17 और 32 के बीच है तो आपको दो मतदान यूनिटें दी जाऐंगी। पहली मतदान यूनिट जिसमें उपर्युक्त उल्लिखित स्लाइड स्विच '1' स्थिति में सेट किया

जाएगा, मतपत्र में क्र.सं. 1 से 16 पर लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में अभ्यर्थियों के नाम होंगे। दूसरी मतदान यूनिट 17 से आगे (और 32 तक) लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नामों से युक्त मतपत्र की दूसरी शीट प्रदर्शित करेगी और उस यूनिट में स्लाइड स्विच '2' स्थिति में सेट किया जाएगा। इसी तरह, तीन मतदान मशीनें दी जाऐंगी यदि लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 33 से 48 के बीच हो और वहाँ ऐसी चार यूनिटें होंगी यदि अभ्यर्थियों की संख्या 48 से अधिक और 64 तक हो। तीसरी मतदान यूनिट में मतपत्र में क्र.सं. 33 से आगे (48 तक) अभ्यर्थियों के नाम होंगे और इसका स्लाइड स्विच '3' स्थिति में सेट किया जाएगा। चौथी मतदान यूनिट, उसमें लगे मतपत्र पर क्रम सं. 49 से आगे के अभ्यर्थियों के नाम प्रदर्शित करेगी और इसका स्लाइड स्विच स्थिति '4' दर्शित करेगा।

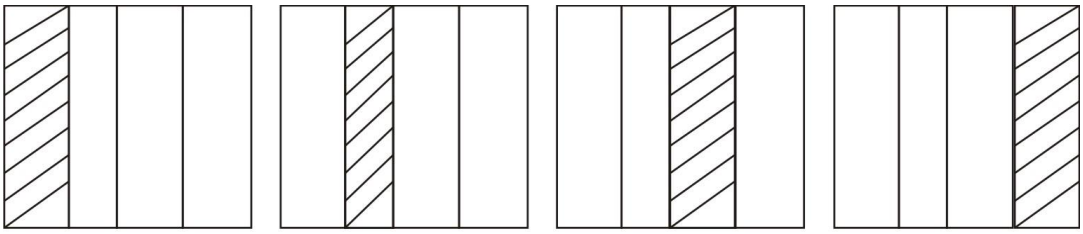

स्थिति 1 स्थिति 2 स्थिति 3 स्थिति 4

(5) कि प्रत्येक मतदान यूनिट पर मतपत्र और स्लाइड स्विच सही तरह से फिक्स/सेट किए गए हैं जैसा पूर्ववर्ती मद में वर्णन किया गया है। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मतदान मशीनों पर लगाए गए मतपत्र उचित तौर से पंक्तिबद्ध कर लिए गए हैं और कि प्रत्येक अभ्यर्थी का नाम और प्रतीक उसके तत्स्थानी लैम्प और बटन के लाइन में है और मतपत्र पर अभ्यर्थियों के पैनल विभाजित करने वाली गहरी रेखाएं मतदान यूनिट पर तत्स्थानी सन्धियों की लाइन में हैं।

(6) कि प्रत्याशियों के बटन, जो मतदान यूनिटों पर दृश्यमान हैं, लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के बराबर हैं और शेष बटन, यदि कोई हों, ढंक दिए गए हैं।

(7) कि प्रत्येक मतदान यूनिट सम्यक् रूप से मुहरबंद कर दी गईं है और दो स्थानों अर्थात् दायीं ओर ऊपर और दायीं ओर के नीचे के भाग रिटर्निंग अधिकारी की मुहर से सुनिश्चित कर दिए गए हैं और कि एड्रेस टैग उसके साथ पक्की तरह से लगा दिए गए हैं।

3. मतदान सामग्री सामग्री की जाँच करना :

यह भी जाँच कर लें :–

(1) कि आपको दी गयी दो शीशियों में, प्रत्येक में, पर्याप्त मात्रा में अमिट स्याही है और स्टाम्प पैड सूखे हुए नहीं हैं।

(2) कि निर्वाचक नामावली के सुसंगत भाग की तीनों प्रतियाँ पूर्ण और सभी तरह से समान हैं और, विशेषतः कि–

(क) आपको दिया गया सुसंगत भाग उसी क्षेत्र का है जिसके लिए मतदान केन्द्र स्थापित किया गया है और यह कि वह उसकी प्रत्येक अनुपूरक सूचियों सहित सभी प्रकार से पूर्ण है;

(ख) अनुपूरक सूचियों के अनुसार सभी प्रतियों में से नाम काट दिए गए हैं और लिपिकीय या अन्य त्रुटियों से सम्बन्धित शुद्धियां सम्यक् रूप से कर दी गईं हैं;

(ग) नामावली की प्रत्येक वर्किंग प्रति के सभी पृष्ठ पाण्डुलिपि के अनुसार क्रम संख्या 1 के अनुक्रम में संख्यांकित हैं;

(घ) मतदाताओं की मुद्रित क्रम संख्या को ठीक नहीं किया गया है और उनके स्थान पर नए क्रम प्रतिस्थापित नहीं किए गए हैं।

(ङ) चिह्नित प्रति पर ''पी.बी.'' या ''सी.एस.वी.'' के अलावा अन्य कोई चिह्न अंकित नहीं होगा। यदि अनुपूरक में कोई निरसन है तो अंतिम प्रकाशन से पूर्व दावे और आपत्तियाँ प्राप्त कर पूरक सूची तथा ड्राफ्ट रोल के बाद संलग्न करें।

(च) सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्वाचक नामावली पर हस्ताक्षर होने चाहिए।

(छ) निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति के मुखपृष्ठ के ऊपर निम्नलिखित प्ररूप में रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है:–

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मतदाता सूची का भाग क्रमांक.....का .....नगरीय निकाय ..... वार्ड संख्या ..... संशोधन तथा विसंगतियां दूर करने के बाद पुनः प्रकाशित किए जाते हैं। इनकी कुल पृष्ठ संख्या.....है।

दिनांक –

हस्ताक्षर व सील

रिटर्निंग ऑफिसर/असि. रिटर्निंग ऑफिसर

या

प्रमाणित किया जाता है कि मतदाता सूची का भाग क्रमांक .....का..... नगरीय निकाय ..... वार्ड संख्या ..... को अन्तिम रूप से प्रकाशित सूची कुल पृष्ठ सं..... है (1 से.....)। यह मतदाता सूची की विश्वसनीय प्रतिलिपि है तथा किसी प्रकार की विसंगति की सम्भावना में भी यह प्रतिलिपि अन्तिम मानी जाएगी।

हस्ताक्षर व सील

रिटर्निंग ऑफिसर/असि. रिटर्निंग ऑफिसर

(3) यह कि निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति के साथ अनुपस्थिति, अन्यत्र स्थानांतरित मतदाता यदि कोई हों, की सूची आपको मतदान केन्द्र पर मतदाताओं को चिह्नित करने में सुविधा की दृष्टि से दी जा रही है।

(4) यदि किसी प्रकार से आप मतदान मशीन या अन्य मतदान सामग्री खराब पाएं तो यह कमी तत्काल मतदान मशीन/मतदान सामग्री वितरण अधिकारी या रिटर्निंग ऑफिसर के ध्यान में तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने हेतु लाएं।

(5) यह भी चेक करें कि चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर तथा मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर के नमूनों की छायाप्रतियाँ आपको दी गई हैं। मतदान केन्द्र पर यह आपको, अभ्यर्थियों/उसके मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति पत्र हेतु हस्ताक्षर की वास्तविकता को सत्यापित करने में सहायक होगा।

अध्याय 4

इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का रैण्डमाइजेशन

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1982 में पहली बार केरल में इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का प्रायोगिक तौर पर उपयोग करने के बाद इस मशीन का प्रयोग शनैः शनैः बढ़ गया एवं इसका प्रयोग सम्पूर्ण देश में होने लगा तथा 2004 में इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन का उपयोग लोक सभा चुनाव में देश के समस्त मतदान केन्द्रों में वास्तविक रूप में होने लगा। नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन, 2011 से नगर निगमों का निर्वाचन इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन से कराया जा रहा है।

ई.वी.एम. की क्षमता की न्यायिक जाँच एवं स्वतंत्र अध्ययन ने मतदाताओं को चुनाव में ई.वी. एम. के उपयोग के बारे में संतुष्टि की पुष्टि की। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर चुनाव में ई.वी.एम. के उपयोग के लिए निर्देश जारी किए जाते रहे हैं। पूर्ण निष्पक्षता के लिये आयोग ने ई. वी.एम. के प्रयोग के लिये निम्नलिखित निर्देशों को अत्यधिक सावधानी से बरतने की हिदायत दी है:–

1. सामान्य नीति के अनुसार सभी उपलब्ध ई.वी.एम. को जिला मुख्यालय में जिला निर्वाचन अधिकारी के अधीन संग्रहित रखा जाएगा। स्टोर करने के लिए स्थान के अभाव में ई.वी.एम. को अकेन्द्रीय क्रम रूप से अलग अलग स्थानों में रखा जाएगा। इन स्थितियों में ई.वी.एम. की प्रथम जाँच एवं तैयारी के लिए सभी मशीनों को जिला मुख्यालय में उचित अनुरक्षक के अधीन लाया जाएगा।

2. पहले निर्देशों के अनुसार प्रथम जाँच बी.ई.एल./ई.सी.आई.एल. इंजीनियरों द्वारा जिला मुख्यालयों में किया जाएगा। सभी कार्यों के संयोजित करने के लिये जिला निर्वाचन अधिकारी एक नोडल अधिकारी अपने स्तर पर नियुक्त करेगा एवं इसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को देगा। प्रथम स्तर की जाँच उपलब्ध निर्देशों एंव कार्य प्रणाली के अनुसार की जाएगी।

3. ई.वी.एम. की प्रथम स्तरीय जाँच मशीन की तैयारी एवं तैनाती को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के उद्देश्य से एक प्रिंटेड स्टीकर बनाया जाएगा एवं प्रयोग के लिए उपलब्ध होगा। इस लेबल का एक नमूना नीचे दिया गया है:–

<table>
<tr><td colspan="5">नगरीय निकाय ..... 2022 : जनपद का नाम</td></tr>
<tr><td colspan="2">सी.यू. क्रमांक</td><td colspan="2">जिला रनिंग क्रमांक</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">करंट आई.डी.</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="3">प्रथम स्तरीय जाँच</td><td colspan="2">सी.यू. रैंडमाइजेशन–1</td></tr>
<tr><td>दिनाँक</td><td>आर.ई.पी.बी.एल.</td><td>आर.ई.पी.
डी.ई.ओ.</td><td>दिनाँक</td><td>आर.ई.पी.डी.ई.ओ./रिट. अधिकारी</td></tr>
<tr><td>रैंडमाइजेशन–2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>दिनाँक</td><td>डिप्लायमेंट स्थिति</td><td>पी.एस.
क्रमांक</td><td></td><td>आर.ओ./ए.आर.ओ.</td></tr>
</table>

4. जैसे ही प्रथम स्तर की जाँच समाप्त हो जाए स्टीकर को सी.यू. के पीछे वाले भाग में चिपकाया जाएगा एवं जाँच इंजीनियर दिनाँक के साथ नियत स्थान पर अपने हस्ताक्षर करेगा। इसका मतलब होगा कि सी.यू. पूर्णतः व्यवस्थित है, सी.यू. का विशिष्ट मशीन क्रमांक भी उचित स्टीकर के स्लाट पर दर्शाया जाएगा, इसके सिवाए एक रनिंग क्रम भी सी.यू. को दिया जाएगा एवम् उचित स्थान पर दर्शाया जाएगा। इसके साथ साथ जिला निर्वाचन अधिकारी का अधिकृत प्रतिनिधि भी अपने हस्ताक्षर नियत स्थान पर करेगा। इसके पश्चात् पूर्ण सावधानी के साथ सी.यू. को स्टोर किया जाएगा। यदि किसी कारणवश सी.यू. में कोई खराबी पाई जाए तो उसे अन्य सी.यू. से अलग रखा जाएगा एवं खराबी को दूर किया जाएगा। उपर्युक्त प्रक्रिया (बी.यू.) बैलेट यूनिट की जाँच के लिए भी लागू होगी (सत्यापन, हस्ताक्षर एवं क्रमांक अंकित करना)।

5. सत्यापित एवं प्रमाणित सी.यू. एवं बी.यू. का डेटा बेस अलग बनाया जाएगा एवं रैण्डमाइजेशन के लिए तैयार रखा जाएगा। यह सी.यू. एवं बी.यू. की जानकारी रखेगा जिसमें मशीन क्रमांक (निर्माता द्वारा दिया गया जैसा धातु प्लेट पर सी.यू./बी.यू. के पीछे लिखा होगा) दर्शाया जाएगा। इन सी.यू./बी.यू. को सुरक्षित कस्टडी में रखा जाएगा।

6. जिला निर्वाचन अधिकारी एक समय सारणी बनाएंगे जो चुनाव कार्यकर्ता के ट्रेनिंग के पहले निश्चित होगा। सी.यू./बी.यू. की तैयारी के लिए नियत दिनाँक की सूचना निकाय क्षेत्र में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों व उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को दे दी जाएगी। नियत दिनाँक पर उपस्थित रहने वाले प्रत्याशियों तथा उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के समक्ष वार्डों को बॉटा जाएगा। मतदान के दिन की जरूरत के अनुसार सी.यू./बी.यू. को एकाएक (रैंडम) चुना जाएगा एवं वार्ड के अनुसार ट्रेनिंग के लिए दिया जाएगा। मदतान कार्मिकों के प्रशिक्षण एवं मतदाताओं की जागरूकता के लिये अलग अलग रंगों में एक एक स्टीकर सी.यू./बी.यू. (प्रशिक्षण हेतु रखे गए) के सामने भाग में लगाया जाएगा जिस पर जनपद में चुनाव का नाम एवं चुनाव का वर्ष दर्शाया जाएगा। ''नगरीय निकाय 2022ः ट्रेनिंग सी.यू./बी.यू.'' के रैण्डमाइजेशन के समय जिला निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक चुनाव क्षेत्र के मतदान केन्द्रों की संख्या का ध्यान रखेंगे।

7. वार्ड अनुसार सी.यू./बी.यू. के ग्रुपिंग के बाद एक तात्कालिक आईडी प्रत्येक सी.यू./बी. यू. को उचित स्थान पर स्टीकर में देगा। तात्कालिक आई.डी. का मतलब होगा कि वार्ड क्रमांक का एक रनिंग सिरियल क्रमांक हैं, जैसे वार्ड नं. 56 में 280 सी.यू./बी.यू. को दिया गया है (क्रमांक 001 से 280) तात्कालिक आई.डी. 56/सी.यू./001 से 56/सी.यू./280 होगा, इसी प्रकार बी.यू. के लिये भी तात्कालिक आई.डी. ''56/BU/001 to 56/BU/280'' पढ़ा जाएगा।

8. प्रत्येक वार्ड को दिए जाने के लिए हर मतदान केन्द्र में उपयोग एवं ई.वी.एम. की ट्रेनिंग के लिए एक सी.यू./बी.यू. की तैयार सूची की अलग से डी.ई.ओ. के प्रतिनिधि एवं रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर से एक सार्वजनिक सूचना निर्गत कर दी जाएगी ताकि उस क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को इसकी जानकारी हो जाए।

9. इसके पश्चात् चुनाव क्षेत्र का रिटर्निंग अधिकारी सी.यू./बी.यू. को अपने चार्ज में ले लेगा। चुनाव में उपयोग के लिए सभी सी.यू./बी.यू. को रिटर्निंग अधिकारी के सुरक्षित कमरे में अति सुरक्षा से ले जाया जाएगा एवं सुरक्षा की जाएगी। ट्रेनिंग ई.वी.एम. को उपयुक्त अधिकारियों को ट्रेनिंग करवाने के लिए बांट दिया जाएगा। स्ट्रांग रूम के मुहरबंद करते समय उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

10. चुनाव में उपयोग के लिए सी.यू./बी.यू. को तैयार करने के लिए जो दिन निश्चित किया जाएगा उस दिन रिटर्निंग अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सी.यू./बी.यू. की तैयारी विशेष तौर पर उम्मीदवार, अभिकर्ता या आधिकारिक प्रतिनिधि एवं पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार की गई है। अब रिटर्निंग अधिकारी निश्चित मतदान स्थलों को देने के लिए सी.यू./बी.यू. की दूसरी रैण्डमाइजेशन करेगा। उसके बाद वह पी. एस. क्रमांक प्रदान किए गए सी.यू./बी.यू. पर नियत स्थान पर लिखेगा। बचे हुए सी0 यू0 मतदान स्थलों (पी0एस0 को नहीं दिए गए} को कभी जरूरत पड़ने पर उपयोग के लिए सुरक्षित रखे जाऐंगे। इन सी.यू./बी.यू. पर मतदान स्थल अंकित करने के स्थान पर आर (रिजर्व) अंकित किया जाएगा।

11. इस स्तर पर चिह्नित सी.यू./बी.यू. को पी.एस. के अनुसार मिलान किया जाएगा एवं एक साथ टैग करके रखे जाऐंगे। कोई उपस्थित उम्मीदवार या अभिकर्ता तैयारी के समय सी.यू./बी.यू. फिर से जाँच के लिए चुन सकेगा एवं मास्टर ट्रेनर/टेक्निकल व्यक्ति से जाँच करवा सकेगा। नकली मतदान के दौरान अपने आपको संतुष्ट करने के लिए कि ई.वी.एम. सही काम कर रहा है. आर.ओ. स्वयं भी सी.यू./बी.यू. पार्ट्स के 10 प्रतिशत को ई.वी.एम. के सही काम करने की स्थिति जानने के लिये सत्यापित कर सकता है।

12. इसके पश्चात् करंट आई.डी. एवं सी.यू./बी.यू. के मशीन क्रमांक दर्शाते हुये एक मतदान स्थलवार सूची तैयार की जाएगी एवं रिटर्निंग अधिकारी उस पर दस्तखत करेंगे। रिटर्निंग अधिकारी सी.यू./बी.यू. की अलग सूची बनाएंगे एवं ''आर'' तथा करंट आई.डी. एवं मशीन नं. लिखेंगे। दोनों सूचियां आर.ओ. द्वारा हस्ताक्षर की जाऐंगी एवं सभी उम्मीदवारों, अभिकर्ताओं एवं प्रतिनिधियों को दी जाऐंगी एवं उनके हस्ताक्षर लिए जाऐंगे।

13. वर्तमान निर्देशों के अनुसार दो प्रकार के ऐड्रेस टैग्स एक सी.यू. में उपयोग करने के लिए दूसरा बी.यू. में अब से टैग में करंट आई.डी. क्रमांक (जैसा स्टीकर पर दिया है पैरा 7 के अनुसार) होगा। ऐड्रेस टैग रिजर्व सी.यू./बी.यू. रिजर्व स्थिति दर्शाएगा। ऐड्रेस टैग की टैगिंग इस स्तर पर उम्मीदवारों/अभिकर्ताओं एवं पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में की जाएगी। सभी सी.यू./बी.यू. जो मतदान केन्द्रों को दिया जाना है, को स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। रिजर्व सी.यू./बी.यू. भी इसी प्रकार उम्मीदवारों, अभिकर्ताओं एवं पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम (सुरक्षित कमरे) में रखे जाऐंगे। उन्हें अपनी सील स्ट्रांग रूम के ताले पर लगाने की अनुमति होगी।

14. जब इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों को भेजने के लिये सुरक्षित कमरे से निकाला जाएगा तब दिनाँक एवं स्ट्राँग रूम खोलने का समय आदि की लिखित जानकारी का ध्यान रखा जाएगा और विशेष सावधानी बरती जाएगी।

15. भेजने से पहले पीठासीन अधिकारियों को निर्देश दें कि वे मशीन नं. जो धातु लेबल एवं एडीसिव स्टीकर पर है, का मिलान करें एवं देखें कि पी.एस. क्रमांक जो स्टीकर पर है ऐड्रेस टैग के क्रमांक से मिलान करें तथा इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन स्वीकार करने के पहले यह जाँच लें। यदि मिलान में कोई अनियिमितता पाई गई हो तो संबंधित अधिकारी को सूचित करें।

16. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने अभिकर्ताओं को करंट आई.डी. एवं ई.वी.एम. का मशीन क्रमांक बताएं जिस मतदान केन्द्र में दिया गया है जिससे कि वे ई.वी.एम. की जाँच अपनी संतुष्टि के लिए कर सकें। यह वे मतदान के दिन नकली मतदान होने के पहले कर लें। पीठासीन अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे स्टीकर पर दर्शाए गए मशीन क्रमांक एवं करंट आई.डी. आदि अभिकर्ताओं को नकली मतदान के पहले दिखाएं। पीठासीन अधिकारियों को उपयोग में सी.यू./बी.यू. का आम संख्या क्रम (सं.क्र.) संख्या अपनी डायरी में लिखें। निर्देशों को अक्षरशः पालन किया जाए।

17. किसी कारणवश यदि सी.यू./बी.यू. को मतदान केन्द्र में बदले जाने की आवश्यकता महसूस हो तो एस.ओ. (सेक्टर आफिसर) या कोई अधिकृत अधिकारी जो इस बदलाव को करते हैं, एक स्पेशल रिपोर्ट यह दर्शाते हुए बनाएं कि किस सी.यू./बी.यू. एवं नए सी.यू./बी.यू. को बदला जाना है– क्रमांक एवं क्रम संख्या के साथ। इसके साथ ही वे सी.यू./बी.यू. के बदले जाने का कारण भी अभिव्यक्त करें। इसकी एक प्रति पीठासीन अधिकारी के पास भी रखें जो रिटर्निंग अधिकारी को दी जाए। प्रतिस्थापित मशीन में डाले गए वोट की जानकारी की रिपोर्ट की एक प्रति पीठासीन अधिकारी एवं एक कापी आर.ओ. को दी जाए।

18. मतदान समाप्त होने के बाद मशीनों को सुरक्षा में रिसेप्सन काउंटर में पहुंचाया जाए। सभी औपचारिकताओं के होने के बाद ई.वी.एम. को सुरक्षित कमरों मे उम्मीदवारों, अभिकर्ताओं एंव पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में सीलबंद करें।

19. पुनः मतदान की स्थिति में पुनः मतदान के लिए लगने वाली इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन को रिजर्व सूची से निकाला जाएगा एवं सी.यू./बी.यू. क्रमांक की उम्मीदवारों/अभिकर्ताओं को लिखित में सूचना दी जाएगी। ध्यान रखा जाए कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि सी.यू./बी.यू. के ऐड्रेस टैग पर पुनः मतदान के लिये प्रयुक्त ई.वी.एम. दिनाँक एवं मतदान के क्रमांक दर्शाया जाए।

20. पुनः मतदान के पश्चात् पुनः मतदान में प्रयुक्त ई.वी.एम. को सुरक्षित रखने के लिये स्ट्राँग रूम को पुनः खोला जाएगा। ऐसा करते समय उम्मीदवारों, उनके अभिकर्ताओं एवं पर्यवेक्षकों की उपस्थिति होगी। पुनः मतदान में उपयोग में लाए गए ई.वी.एम. को पहले मतदान में प्रयुक्त ई.वी.एम. के साथ ही रखा जाएगा। एक टैग "नहीं गिना जाए", इस आशय का पुराने ई.वी.एम. पर लगाया जाए एवं दूसरा टैग पुनः मतदान में प्रयुक्त ई.वी.एम. "गिना जाए" इस आशय का लगाया जाए। रिटर्निंग अधिकारी दोनों टैगों पर हस्ताक्षर करेंगे।

21. उम्मीदवारो को लिखित में निर्देश दिया जाए कि वे अपने गणना करने वाले व्यक्तियों को अच्छी तरह प्रशिक्षित करें एवं फार्म 17 लाएं जिस पर मदतान केन्द्र में मशीन क्रमांक लिखा था एवं जो उन्हें मतदान समाप्त होने के बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा दिया गया था। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदान के दौरान अन्य जानकारियों के साथ प्रयुक्त सी.यू. की मतदान स्थलों के अनुसार पूरी सूची उम्मीदवारों को दी गई है (पैरा 12 पढ़ा जाए) जिसमें

पुनः मतदान में उपयोग में लाए गए सी.यू. मतदान केन्द्र में प्रयुक्त ई.वी.एम. के विषय में जानकारी देगा। इसके साथ ही रिटर्निंग अधिकारी ई.वी.एम. के प्रयोग का हिसाब सी.यू. क्रमांक मतदान केन्द्रानुसार चिपकाएगा जो गणना हाल में सभी लोगों के देखने के लिए होगा।

22. उपर्युक्त सभी की क्रमवार वीडियोग्राफी एवं रिकार्डिंग होगी एवं उसे सुरक्षित रखा जाएगा।

अध्याय–5

मतदान केन्द्र की स्थापना

1. मार्ग निर्देशिका :

मतदान केन्द्र पर पहुंचने के लिए आपको जिन मार्गों से जाना है उनका और समय का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। मार्ग निर्देशिका के विवरण जिसमें आपके तथा आपके दल के सदस्यों के लिए परिवहन के साधनों का भी उल्लेख होगा, आपको पहले से ही दिए जाऐंगे।

2. मतदान केन्द्र पर आगमन :

आपको अपने दल के साथ मतदान केन्द्र पर मतदान प्रारम्भ होने से कम से कम 2 घंटे पूर्व पहुंच जाना चाहिए। यदि आप मतदान केन्द्र पर मतदान के दिन पहुंच सकने की स्थिति में नहीं हैं तो आप एक दिन पहले भी पहुंच सकते हैं। इस स्थिति में ई.वी.एम. को खोलना नहीं है तथा डी.ई.ओ. एवं आर.ओ. के निर्देशों का पालन करें एवं निवासियों का आतिथ्य स्वीकार न करें।

3. मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति :

यदि आपके मतदान केन्द्र पर नियुक्त कोई मतदान अधिकारी मतदान केन्द्र से अनुपस्थित रहता है तो आपके पास उसके स्थान पर मतदान केन्द्र पर उपस्थित किसी अन्य व्यक्ति को उसी समय नियुक्त करने की शक्ति है। बाद में, आपको ऐसी नियुक्ति की सूचना औपचारिक रूप से जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी को देनी होगी। आप ऐसे किसी भी व्यक्ति को नियुक्त न करें जो किसी भी अभ्यर्थी का सक्रिय समर्थक या कार्यकर्ता हो या किसी भी अभ्यर्थी का सक्रिय विरोधी हो।

4. पीठासीन अधिकारी के कर्तव्यों का प्रत्यायोजन :

4.1 यदि आपको स्वयं की बीमारी या अन्य अपरिहार्य कारणों से मतदान केन्द्र से अनुपस्थित रहना पड़े तो जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस निमित पहले से ही प्राधिकृत मतदान अधिकारी आपके स्थान पर कार्य करेगा। वह पीठासीन अधिकारी की समस्त शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग करेगा।

4.2 आप मतदान केन्द्र से संबंधित अपने कर्तव्यों में से कोई भी कर्तव्य मतदान केन्द्र पर आपके साथ कार्य कर रहे मतदान अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकते हैं। तथापि, ऐसा प्रत्यायोजन आपको अपनी जिम्म्मेदारी से मुक्त नहीं करता क्योंकि आप किसी भी स्थिति मे संम्पूर्ण मतदान केन्द्र के समग्र रूप से प्रभारी हैं।

5. एकल निर्वाचन हेतु मतदान केन्द्र की स्थापना :

5.1 आपके उस स्थान पर पहुंचने पर, जहाँ मतदान केन्द्र स्थापित किया जाना है, मतदान के प्रयोजन हेतु प्रस्तावित भवन का और केन्द्र का भी, यदि वह पहले से ही स्थापित किया जा चुका है, निरीक्षण कर लेना चाहिए। जब मतदान दल में 3 मतदान अधिकारी हों तब मतदान केन्द्र का ले–आउट बतलाते हुए मॉडल मतदान केन्द्र का रेखाचित्र उपाबंध–6 में दिया गया है। यदि आवश्यक समझें तो यह आप पर निर्भर है कि आप मतदान केन्द्र के वास्तविक स्थापना में मामूली फेर बदल कर लें किन्तु यह सुनिश्चित कर लें कि –

(क) मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्र के बाहर प्रतीक्षा करने के लिए काफी जगह है ;

(ख) जहाँ तक व्यावहारिक हो, पुरूष और महिलाओं के लिए पृथक् प्रतीक्षा स्थल हो ;

(ग) मतदान केन्द्र के कमरे में यदि एक ही दरवाजा है तो दरवाजे के बीच से बांसों और रस्सियों की सहायता से पृथक् प्रवेश और निकास की व्यवस्था की जा सकती है। यह सुनिश्चित कर लें कि मतदान कक्ष के अन्दर रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था है। यदि आवश्यकता हो, तो प्रत्येक कक्ष के लिए उपयुक्त रोशनी की व्यवस्था करनी चाहिए। मतदाताओं के लिए प्रवेश और निकास द्वारा अलग अलग हों।

(घ) मतदाता मतदान केन्द्र में प्रवेश करने से लेकर उसे छोड़ने तक आसानी से आ जा सके और मतदान केन्द्र के भीतर आड़ा–तिरछा न चला जाए;

(ङ) मतदान अभिकर्ताओं को ऐसे ढंग से बिठाया जाना चाहिए कि वे किसी निर्वाचक का चेहरा, जब कभी भी वह मतदान केन्द्र में प्रवेश करे, देख सकें और प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा उसकी पहचान की जा सके ताकि आवश्यकता होने पर वे निर्वाचक की पहचान को चुनौती दे सकें। वे पीठासीन अधिकारी की मेज, जहाँ नियंत्रण यूनिट रखी है, पर की समस्त क्रियाएं देख सकें और निर्वाचक के पीठासीन अधिकारी की मेज तृतीय मतदान अधिकारी के टेबल से मतदान कक्ष तक और उसके मत रिकार्ड करने के पश्चात् मतदान केन्द्र छोड़ने तक का संचालन भी देख सकें। किन्तु वे किसी भी स्थिति में ऐसे स्थान पर नहीं बैठेंगे जहाँ उनको मतदाता द्वारा विशेष बटन दबाकर अपना मत वास्तविक रूप से रिकार्ड करते हुए देखने का अवसर मिल सके,

(च) समस्त मतदान अधिकारियों के बैठने की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि वे ऐसी स्थिति में न हों कि मतदाता द्वारा विशेष बटन दबाकर अपना मत वास्तविक रूप से रिकार्ड करते हुए देख सकें ;

(छ) कंट्रोल यूनिट से पर्याप्त दूरी पर मतदान कक्ष होना चाहिए, बैलेट यूनिट एंव कंट्रोल यूनिट को जोड़ने वाली केबिल लगभग 5 मीटर लम्बी होनी चाहिए। केबिल इस तरह लगाई जानी चाहिए ताकि मतदाता को आने जाने में कोई बाधा न हो। पूरा केबिल दृष्टिगोचर होना चाहिए। मतदाता कक्ष में ई.वी.एम. को रखते समय मतदान की गोपनीयता का ध्यान रखा जाना चाहिए। मतदाता कक्ष कार्ड बोर्ड एवं 21"x21"x21" का होना चाहिए। यह खिड़की या दरवाजे से दूर होना चाहिए।

मतदान कक्ष–सेंपल ड्राइंग :

(घ) मतदाताओं को मतदान गोपनीय तरीके से करना चाहिए तथा इस हेतु वोटिंग कम्पार्टमेंट में बैलेट यूनिट रखी जानी चाहिए। उपाबन्ध 6 में वोटिंग कम्पार्टमेंट का चित्र नमूने के लिए देखा जा सकता है। वोटिंग कम्पार्टमेंट तीन तरफ से कवर्ड है। वोटिंग कम्पार्टमेंट के अन्दर बैलेट यूनिट को एक टेबल पर रखा जाना चाहिए। बैलेट यूनिट इस तरह रखी जाना चाहिए कि मतदाताओं को अपना मत रिकार्ड करने में कोई परेशानी न हो। वोटिंग कम्पार्टमेंट टेबल से उपयुक्त दूरी पर स्थित हो जहाँ कन्ट्रोल यूनिट रखी तथा संचालित की जाएगी। बैलेट यूनिट तथा कन्ट्रोल यूनिट को जोड़ने वाले केबिल की लम्बाई लगभग 5 मीटर है और स्थायी रूप से बैलेट यूनिट से जुड़ा है। केबिल को इस तरह से ले जाना चाहिए कि यह मतदान केन्द्र के अन्दर मतदाताओं के आने–जाने में बाधा न बने तथा वे उसे लांघ कर न जाएं किन्तु, सम्पूर्ण केबल की लम्बाई साफ दिखाई पड़े तथा किसी भी परिस्थिति में वह कपड़े या टेबल की नीचे न छिपे। इसे वोटिंग कम्पार्टमेंट के पिछले भाग में नीचे आना चाहिए। यह उपकरण इतना बड़ा हो कि बैलेट यूनिट (जिसके अन्दर से केबल बाहर आ रहा) बाहर से भी साथ दिखाई पड़े। यह देखना इसलिए आवश्यक है कि वोटिंग कम्पार्टमेंट के अन्दर कोई मतदाता इसके साथ छेड़–छाड़ या खराबी न करे। फिर भी वोटिंग कम्पार्टमेंट में लगा यह उपकरण इतना चौड़ा भी न हो कि मतदान की गोपनीयता का निषेध करे। वोटिंग कम्पार्टमेंट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रखते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि मतदान की गोपनीयता का निषेध न हो। इस कार्य हेतु यह सुनिश्चित किया जाए कि यह मतदान केन्द्र के खिड़की या दरवाजे के पास न हो। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वोटिंग कम्पार्टमेंट सिर्फ कार्डबोर्ड का बना हो तथा इसका आकार 21''x21''x21'' हो तथा खिड़की या दरवाजे से दूर रखा हो।

5.2. यदि आपके मतदान केन्द्र पर अधिक संख्या में पर्दानशीन महिला मतदाता हों तो आपको उनकी पहचान के लिए और गोपनीयता,गरिमा और शिष्टता को ध्यान में

रखते हुए अलग कक्ष में उनकी बायीं तर्जनी पर अमिट स्याही महिला मतदान अधिकारी द्वारा लगाने की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसे विशेष कक्ष के रूप में आप स्थानीय उपलब्ध कक्ष का उपयोग कर सकते हैं किन्तु यह व्यवस्था अपनी सूझबूझ से कम खर्चीली काम मे लाएं। इसके लिए आप चारपाई या चद्दर का कपड़ा काम में ले सकते हैं।

5.3 यदि एक ही भवन में एक से अधिक मतदान केन्द्र स्थित हों तो आपका इस बात से समाधान हो जाना चाहिए कि बिना पेरशानी के मतदाताओं को अलग करने और प्रत्येक मतदान केन्द्र के सामने की जगह में अलग अलग स्थानों पर उनके प्रतीक्षा करने की आवश्यक व्यवस्थाएं कर दी गयी हैं।

5.4 यदि मतदान केन्द्र किसी निजी भवन में हो तो वह भवन और उसके 200 मीटर तक की परिधि का क्षेत्र आपके नियंत्रण में होना चाहिए। भवन के स्वामी से सम्बन्धित कोई प्रहरी या किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह हथियारबन्द हो या नहीं, मतदान केन्द्र पर या इसके आस पास के 200 मीटर की परिधि के भीतर नहीं रहने दिया जाना चाहिए। मतदान केन्द्र और उपर्युक्त क्षेत्र के भीतर सुरक्षा इन्तजामों की जिम्मेदारी पूर्णतः आपके नियंत्रण के अधीन, पुलिस की होगी।

5.5 मतदान के दिन मतदान केन्द्र के भीतर किसी भी प्रयोजन के लिए खाना पकाने या आग जलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

6. नोटिस नोटिस प्रदर्शित करना :

6.1 प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर प्रमुख रूप से प्रदर्शित करें :–

(क) मतदान क्षेत्र या मतदान केन्द्र निर्वाचकों की विशिष्टयां विनिर्दिष्ट करते हुए नोटिस; और

(ख) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की एक सूची और जहाँ व्यावहारिक हो, प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रतीक की अनुकृति।

6.2 नोटिस की भाषा वही होगी जो निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में है और नामों का क्रम भी वही होना चाहिए।

अध्याय 6

मतदान केन्द्रों में सुरक्षा व्यवस्था

1. मतदान में पीठासीन अधिकारी की व्यवहार कुशलता, दृढ़ता और विशेष रूप से निष्पक्षता मतदान के समय शान्ति बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सभी दलों और उम्मीदवारों के साथ समान बर्ताव करें और प्रत्येक विवादस्पद विषय के बारे में न्यायोचित और निष्पक्ष भाव से निर्णय लें। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि न तो आपको और न ही आपके मतदान स्थल के किसी अन्य अधिकारी को कोई ऐसा कार्य करना चाहिये जिसका यह अर्थ लगाया जा सके कि निर्वाचन में किसी उम्मीदवार को इससे लाभ मिलने की सम्भावनायें बढ़ रही हैं।

2. मतदान स्थल से एक सौ मीटर की परिधि में मत संचायना करना एक अपराध है। ऐसा कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति पुलिस द्वारा बिना वारन्ट के गिरफ्तार किया जा सकता है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 130 के अधीन अभियोजित किया जा सकता है।

3. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार उम्मीदवार को अपना कोई निर्वाचन बूथ स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसे बूथ से मतदाताओं के लिए बाधा उत्पन्न होने, विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं में मुठभेड़ होने और शान्ति और व्यवस्था की समस्या पैदा होने से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष और सुचारू रूप से निर्वाचन कराने में कई कठिनाइयां पैदा होती हैं। उम्मीदवार मतदान स्थल से सौ मीटर की परिधि के बाहर मतदाताओं को पहचान पर्चियां वितरित करने के निमित्त अपने अभिकर्ताओं और कार्यकर्ताओं के उपयोग के लिए एक मेज और दो कुर्सियों के साथ उन्हें धूप/वर्षा से बचाने के लिए ऊपर एक छाता या त्रिपाल का एक टुकड़ा लगा सकते हैं। इन मेजों के चारों ओर भीड़ एकत्र नहीं होने देना चाहिये। यदि आयोग के उपर्युक्त निर्देशों के उल्लंघन का कोई मामला

प्रकाश में आता है तो मतदान स्थल के चारों ओर शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी सेक्टर मजिस्ट्रेट या अन्य अधिकारियों को मामले की रिपोर्ट करें जिससे कि वह आवश्यक कार्यवाही कर सकें।

4. यदि मतदान स्थल में या उसके निकट कोई व्यक्ति अनुचित/अवांछनीय आचरण करता है या विधिपूर्ण निर्देशों की अवहेलना करता है तो उसी समय और वहीं पर पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार करवा सकते हैं और उसे अभियोजित करा सकते हैं। पुलिस ऐसी कार्यवाही और ऐसा बल प्रयोग कर सकती है जो ऐसे आचरण की रोकथाम के लिये युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो। इन शक्तियों का प्रयोग तभी किया जाए जब अपरिहार्य हो और जब अनुनय या चेतावनी कारगर साबित न हो। यदि किसी मेगाफोन या लाउडस्पीकर के प्रयोग से मतदान के कार्यों में बाधा उत्पन्न हो तो उसका प्रयोग रोकने के लिये कार्यवाही करानी चाहिये (लोक प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 131 व 132)।

5. ऐसे व्यक्ति का जो किसी निर्वाचन में मतपत्र को कपटपूर्ण ढंग से मतदान स्थल से बाहर ले जाता है या ले जाने का प्रयास करता है या ऐसा करने में जानबूझ कर सहायता करता है या दुष्प्रेरित करता है तो उक्त कृत्य दण्डनीय अपराध होगा। इस सम्बन्ध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134 अवलोकनीय है।

6. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134 में यह उपबन्ध है कि यदि कोई पीठासीन या मतदान अधिकारी बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अपने पदीय कर्तव्य भंग का दोषी है तो उसे दण्डित किया जा सकता है।

7. उत्तर प्रदेश नगर पालिका (सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन) नियमावली, 2010 के नियम–61 में निम्न व्यवस्था हैः–ऐसा कोई व्यक्ति जुर्माने, जो दस हजार रूपये तक हो सकता है, से दण्डनीय होगा जो,–

(क) निर्वाचक नामावली या इसकी प्रति या उक्त नियम के उल्लघंन में अन्य दस्तावेजों से सम्बन्ध रखता हो या उनके साथ छेड़छाड़ करता हो, या,

(ख) इस नियमावली के प्रयोजनार्थ अपने कर्तव्यों के निष्पादन में नियुक्त या नियोजित किसी अधिकारी और सेवक को बाधा पहुंचाता हो या किसी भी रूप में उनके साथ हस्तक्षेप करता हो, या

(ग) इस नियमावली के अधीन किसी सार्वजनिक कार्यालय में या अन्यत्र लगाये गये या अन्यथा प्रकाशित किसी प्रति, नोटिस या अन्य दस्तावेजों को विकृत करता हो, नुकसान पहुंचाता हो, विक्षुब्ध करता हो, या उन्हें हटाता हो।

मतदान को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिये आयोग स्थानीय सुरक्षा बलों की तैनाती के सम्बन्ध में निर्देश देता है और तदनुसार जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी सुरक्षा बलों की सहायता से चुनाव सम्पन्न कराते हैं।

मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार पर नियुक्त सुरक्षा बल विशेषतः निम्न गतिविधियों पर नजर रखेगाः–

(1) कोई भी अनधिकृत व्यक्ति कभी भी मतदान केन्द्र के भीतर मतदान के समय न जाए

(2) मतदान दल या अभिकर्ता मत देने का या मतों को देने का प्रयास न करे, जब कोई भी निर्वाचक मतदान बूथ में न हो

(3) पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी किसी भी निर्वाचक के साथ मतदान कक्ष में मतदाता के साथ न जाए

(4) कोई भी अभिकर्ता या मतदान अधिकारी किसी भी निर्वाचक को डराए धमकाए नहीं या किसी तरह का डराने वाला व्यवहार न करे

(5) कोई भी हथियार मतदान केन्द्र के भीतर न ले जाए

(6) कोई रिगिंग न हो

यदि सुरक्षा जवान किसी तरह का भी चुनाव प्रक्रिया में उल्लंघन देखता है या कुछ भी मतदान केन्द्र के भीतर अवांछित पाता है तो भी वह किसी भी तरह मतदान क्रिया में व्यवधान नहीं करेगा, वरन् अपने इन्चार्ज अधिकारी/प्रेक्षक को रिपोर्ट करेगा तत्पश्चात् वह

अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी को लिखित में उचित कार्यवाही के लिए सूचित करेगा। एक ही बिल्डिंग में यदि एक से अधिक मतदान केन्द्र हों एवं जहाँ एक ही सुरक्षा कर्मी नियुक्त हो तो प्रवेश द्वार पर नियुक्त जवान दोनों मतदान केन्द्रों की गतिविधियों पर नजर रखेगा एवं अवांछित घटनाओं की इन्चार्ज को सूचना देगा।

रिंटर्निंग अधिकारी/प्रेक्षक उन सभी अवांछित घटनाओं की सूचना जो सुरक्षा बलों द्वारा दी गई है, आयोग को निर्देशों के लिए सूचना देंगे। सुरक्षा कर्मी उन्हीं मतदान केन्द्रों के बाहरी द्वार पर नियुक्त होंगे जहाँ कि सुरक्षा कर्मी नियुक्त हों। यह भी साफ हो कि सुरक्षा कर्मी किसी भी निर्वाचक की पहचान नहीं करेगा क्योंकि यह कर्तव्य मतदान अधिकारियों का होता है। आयोग के निर्देशानुसार सुरक्षा कर्मी मतदान केन्द्र के भीतर नहीं नियुक्त किए जाऐंगे।

कानून व्यवस्था की सम्पूर्ण जिम्मेदारी पुलिस की ही होगी। आयोग के आदेशानुसार मतदान केन्द्र क्षेत्र में हैमलेट/आवास जिससे उन अवांछित प्रभाव एवं दबाव की आशंका हो सकती है, की पहचान की जाएगी एवं पहले से ही इसको रोकने की व्यवस्था की जाएगी। पुलिस इस पर विशेष ध्यान एवं महत्व देगी कि निर्वाचकों को अपना मतदान करने में किसी प्रकार व्यवधान न आए।

मतदान की समाप्ति के बाद मतों वाली ई.वी.एम. एवं पीठासीन अधिकारी सुरक्षा बल द्वारा सुरक्षा के साथ रिसेप्शन केन्द्र में ले जाऐंगे, इसकी विस्तृत प्रक्रिया डी.ई.ओ. एवं एस.पी. पर्यवेक्षकों के साथ पहले से ही कर लेंगे।

सुरक्षा बल की, स्ट्रांग रूम जहाँ मतों वाले ई.वी.एम. को रखा गया है, मतगणना समाप्त होने तक की जिम्मेदारी होगी।

अध्याय–7

मतदान अधिकारियों को कर्तव्यों का अभिहस्तांकन

1. मतदान स्थल पर मतदान की प्रक्रिया और मतदान अधिकारियों के कर्तव्य :

आपके मतदान स्थल पर मतदान के दक्ष और सुचारू संचालन के लिए आपको उस प्रक्रिया से भलीभांति परिचित होना चाहिए जो निर्वाचक के मतदान स्थल में प्रवेश करने से लेकर उसके मत डालने के पश्चात् उसे छोड़ने तक समय समय पर अपनाई जानी है। ऐसी मतदान प्रक्रिया और प्रत्येक मतदान अधिकारी द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कर्तव्यों का विस्तृत उल्लेख पश्चात्वर्ती अध्यायों में है। तथापि, मतदान अधिकारियों के बीच कर्तव्यों का विस्तृत विवरण नीचे उपदर्शित है।

2. (क) नगर निकायों के निर्वाचन में मतदान अधिकारियों के कर्तव्य जब मतदान दल में एक पीठासीन अधिकारी और तीन मतदान अधिकारी हों।

2.1 प्रथम मतदान अधिकारी :

प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति का प्रभारी होगा और निर्वाचक की पहचान के लिए उत्तरदायी होगा। मतदान स्थल में प्रवेश करने पर निर्वाचक सीधे प्रथम मतदान अधिकारी के पास आयगा, जो अध्याय–17 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार निर्वाचक की पहचान के बारे में अपना समाधान करेगा।

3.1 द्वितीय मतदान अधिकारी :

द्वितीय मतदान अधिकारी अमिट स्याही का प्रभारी होगा। वह निर्वाचक के बायें हाथ की तर्जनी का यह देखने के लिये निरीक्षण करेगा कि इस पर अमिट स्याही का कोई चिह्न या संकेत तो नहीं है और तब नाखून के मूल के ऊपर अमिट स्याही का चिह्न इस तरह से लगाएगा कि वह त्वचा और नाखून के बीच रिज पर भी फैल जाए और तर्जनी पर स्पष्ट चिह्न रह जाऐ जैसा कि निम्नलिखित चित्र में दर्शाया गया है:–

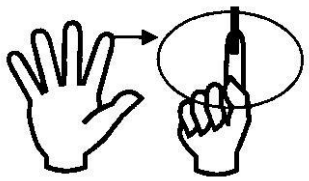

3.2 द्वितीय मतदान अधिकारी प्ररूप–17–क में मतदाताओं के रजिस्टर का भी प्रभारी होगा। वह उस रजिस्टर में उन निर्वाचकों का उचित लेखा रखने का भी उत्तरदायी होगा जिनकी पहचान की जा चुकी है और जो मतदान स्थल पर मत डालते हैं। वह उस रजिस्टर पर प्रत्येक निर्वाचक के, उसे मत डालने की अनुज्ञा देने से पूर्व, हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी अभिप्राप्त करेगा। वह प्रत्येक निर्वाचक को, अध्याय–18 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार मतदाता रजिस्टर में उसकी (निर्वाचक) विशिष्टियां अभिलिखित करने के पश्चात् मतदाता स्लिप जारी करेगा। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि मतदान केन्द्र छोड़ने के पूर्व मतदाता की अंगुली पर लगी अमिट स्याही सूख जाए। हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान अमिट स्याही लगाने के बाद लिया जाए।

4. तृतीय मतदान अधिकारी :

4.1 तृतीय मतदान अधिकारी मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट का प्रभारी होगा। वह उसी मेज पर बैठेगा जहाँ द्वितीय मतदान अधिकारी बैठता है ताकि पीठासीन अधिकारी नियंत्रण यूनिट और मतदान प्रक्रिया पर नजर रख सके। तृतीय मतदान अधिकारी निर्वाचक को मतदान कक्ष में जाने की अनुज्ञा द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा जारी मतदान स्लिप के आधार पर और उस स्लिप में उपदर्शित क्रम संख्या के सर्वथा अनुसार देगा। वह नियंत्रण यूनिट के उपयुक्त (मत) बटन को, दबाकर मतदान कक्ष में रखी मतदान यूनिट (यूनिटों) को चालू करेगा। निर्वाचक को मतदान कक्ष में आने के लिये अनुज्ञात करने के पूर्व, वह यह भी जाँच करेगा और सुनिश्चित करेगा कि निर्वाचक की बायीं तर्जनी पर अमिट स्याही का स्पष्ट चिह्न है (यदि

अमिट स्याही का निशान मिट गया हो तो बायीं तर्जनी पर फिर से अमिट स्याही लगाएं)।

4.2 जहाँ किसी मतदान स्थल को सौंपे गए निर्वाचकों की संख्या कम है, वहाँ तृतीय मतदान अधिकारी के कर्तव्यों का पालन पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं किया जा सकता है। इस प्रकार मतदान दलों के गठन में मितव्ययिता की जा सकती है।

5. पीठासीन अधिकारी पूर्ण रूप से मतदान स्थल का प्रभारी है तथा उसके निम्नलिखित कर्तव्य हैं–

(i) ''बैलेट इकाई'' को उनके नियत स्थान पर मतदान कक्ष में टेबल पर ही रखें। किसी भी स्थिति में ''बैलेट इकाई'' को फर्श पर न रखें।

(ii) ''बैलेट इकाई'' को उनकी नियत ''नियंत्रण इकाई'' से जोड़ें।

(iii) पावर बटन को चालू करें।

(iv) उम्मीदवार/अभ्यर्थी के समक्ष मतदान शूरू होने से पूर्व नियत समय पर वोटिंग मशीन का प्रदर्शन करें ताकि यह स्पष्ट हो कि वोटिंग मशीन मे कोई मत नहीं डाले गए हैं।

(v) मतदान अभिकर्ता के समक्ष दिखावटी मतदान/नकली मतदान (Mock Poll) कर यह सुनिश्चित करें कि ई.वी.एम. पूर्णतः कार्य करने की स्थिति में है।

(vi) दिखावटी मतदान के परिणाम को हटा दें।

(vii) दिखावटी मतदान का प्रमाण पत्र तैयार करें (उपाबंध 16 में दर्शित के अनुसार)।

(viii) यह स्पष्ट हो कि यदि मतदान केन्द्र में दिखावटी मतदान नहीं हुआ है तो आयोग के निर्देशानुसार उस मतदान केन्द्र पर वास्तविक मतदान भी नहीं होगा।

(ix) यह सुनिश्चित करें कि हरे कागज की मुहर (जो कि चेयरपरसन के चुनाव की नियंत्रण ईकाई पर चिपकी है) पर केवल चेयरपरसन चुनाव के उम्मीदवार या उनके अभिकर्ता जो कि उस समय मतदान केन्द्र पर उपस्थित हों, हस्ताक्षर करेंगे। उसी प्रकार सदस्य/पार्षद चुनाव की नियंत्रण इकाई पर लगी हरे कागज की सील पर केवल सदस्य/पार्षद चुनाव के उम्मीदवार या उनके अभिकर्ता जो कि मतदान केन्द्र पर उपस्थित हों, ही हस्ताक्षर करेंगे।

(x) यह भी देखें कि मतदान कक्ष के बाहर उपयुक्त पोस्टर चिपकाए गए हैं जो कि यह दर्शाए कि किस चुनाव की बैलेट इकाई अन्दर रखी गई है।

(xi) यह भी सुनिश्चित करें कि बैलेट इकाई को नियंत्रण इकाई से जोड़ने वाला केबिल दृष्टिगोचर हो तथा किसी भी प्रकार से केबिल को हानि न पहुंचने पाए।

(xii) यह भी सुनिश्चित करें कि मतदान दल के सदस्य मतदान शुरू होने के पूर्व नियत स्थान पर बैठें तथा आवश्यक सामग्री एवं रिकार्ड को मतदान सही समय पर शुरू करने के लिए तैयारी रखें।

(xiii) मतदान दल का कोई भी सदस्य मतदान अभिकर्ता को मतदान केन्द्र में इधर–उधर घूमने न दें तथा नियत स्थान पर ही बैठें।

(xiv) मतदान को नियत समय पर शुरू करें।

(xv) यह भी ध्यान रखें कि कोई भी मतदाता बिना मतदान किए न जा सके तथा मतदाता की गतिविधियों पर नजर रखें।

(xvi) प्रारम्भ में भारी मतदान के समय मतदान दल का कोई भी सदस्य अपने कर्तव्य पालन में कोताही न बरते।

(xvii) कुल डाले गए मतों की संख्या का दोनों नियंत्रण इकाइयों पर परीक्षण करें तथा यह सुनिश्चित करें कि मतदाताओं ने पर्ची में दिए गए क्रमांक के अनुसार ही मतदान किया है।

(xviii) यह सुनिश्चित करें कि एक से अधिक चुनाव होने पर चेयरपरसन के चुनाव हेतु फार्म नं0 17–ग की प्रति चेयरपरसन पद के उम्मीदवार के मतदान अभिकर्ता को प्रदान की गई है तथा सदस्य/पार्षद पद के चुनाव हेतु फार्म नं0 17–ग की प्रति सदस्य/पार्षद के अभिकर्ता को प्रदान कर दी गयी है।

(xix) समय समय पर बैलेट इकाई को यह सुनिश्चित करने के लिए चेक करें कि मतदाताओं ने किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई है। जो मतदाता पहले से ही कतार में हैं वह मतदान समाप्ति के समय के पश्चात् अपना मतदान कर सकता है।

6. मतदान समाप्ति :

6.1 पीठासीन अधिकारी सुनिश्चित करें कि मतदान ''नियत मतदान प्रक्रिया के तहत'' सही समय पर समाप्त हुआ। आखिरी मतदाता के मत देने के पश्चात् वह नियंत्रण इकाई के क्लोज बटन को दबाएं। नियत फार्म को सावधानी से भरने के पश्चात् बैलेट यूनिट को नियंत्रण इकाई से अलग कर मुहरबंद कर उनके नियत केस /बाक्स में रखें। साथ साथ होने वाले चुनाव में नियत प्रपत्र अलग अलग रूप से तैयार कर मुहरबंद किये जाऐं।

6.2 एक से अधिक चुनाव होने पर पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सभी इकाइयों के ''केस''/बाक्स'' पर संबंधित चुनाव के ही स्टीकर को बाहर चिपकाया जाए। बैलेट यूनिट एंव नियंत्रण यूनिट उनके निर्धारित केसेज़ में ही रखा जाए तथा चुनाव पहचान का लेबल भी चिपकाए जाऐं। यह सुनिश्चित किया जाए कि Address Tag भरकर उनके निर्धारित केसेज़ पर चिपकाएं/लगाएं।

6.3 पीठासीन अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि सभी मुहरबंद इकाइयों एवं चुनावी रिकार्ड रिटर्निगं ऑफीसर को रिसेप्शन केन्द्र पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत सौंप दिया जाए।

अध्याय–8

मतदान स्थल में प्रवेश करने और बैठने के प्रबन्ध का विनियमन

1. मतदान स्थल में प्रवेश के अधिकृत व्यक्ति :

1.1 आपके मतदान स्थल के लिए नियत निर्वाचकों के अलावा निम्नलिखित व्यक्ति मतदान स्थल में प्रवेश कर सकते हैं :–

(क) मतदान अधिकारी;

(ख) प्रत्येक अभ्यर्थी, उसका निर्वाचन अभिकर्ता और एक समय पर प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त एक मतदान अभिकर्ता;

(ग) आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति;

(घ) निर्वाचन के सम्बन्ध में कर्तव्यारूढ़ लोक सेवक;

(ङ) आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक;

(च) निर्वाचक के साथ गोद में शिशु/बच्चा;

(छ) ऐसे दृष्टिबाधित और अशक्त मतदाता जो बिना सहायता के चल फिर नहीं सकते, के साथ कोई व्यक्ति; और

(ज) ऐसे अन्य व्यक्ति, जिन्हें समय समय पर मतदाताओं की पहचान के लिए या अन्य प्रकार से मतदान में आपकी सहायता करने के प्रयोजन के लिए आप प्रवेश कराएं।

1.2 रिटर्निंग अधिकारी को चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को पहचान पत्र जारी करने की आवश्यकता होने पर आप उससे पहचान पत्र प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं। उसी प्रकार, अभ्यर्थियों के निर्वाचन अभिकर्ताओं को भी उनके नियुक्ति पत्र की दूसरी प्रति प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है जो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सत्यापित हो और जिस पर निर्वाचन अभिकर्ता की फोटो हो।

1.3 आप यह नोट कर लें कि 'निर्वाचन के सम्बन्ध में ड्यूटी पर लोक सेवक' शब्द में सामान्यतः पुलिस अधिकारी सम्मिलित नहीं है। सामान्य नियम के अनुसार ऐसे अधिकारियों को, चाहे वे वर्दी में हों या सामान्य कपड़ों में, मतदान बूथ के अन्दर प्रवेश नहीं करने देना चाहिए, परन्तु आवश्यकतानुसार कानून और व्यवस्था बनाए रखने या किसी ऐसे ही प्रयोजन से आप उन्हें बुलाने का निर्णय ले सकते हैं। किसी भी बाध्यकारी कारण के बिना मतदान बूथ पर उनकी उपस्थिति ने कुछ अभ्यर्थियों या दलों को शिकायत का अवसर दिया है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि उनके अभिकर्ताओं को अनावश्यक बल के दिखावे द्वारा आतंकित किया गया है।

1.4 इसी प्रकार, निर्वाचक या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता के साथ किसी सुरक्षाकर्मी, यदि कोई हो, को मतदान केन्द्र के अन्दर प्रवेश की आज्ञा नहीं दी जानी चाहिए।

1.5 आप यह भी नोट करलें कि 'निर्वाचन के सम्बन्ध में ड्यूटी पर लोक सेवक' अभिव्यक्ति में संघ और राज्यों के मंत्री, राज्यमंत्री और उप मंत्री सम्मिलित नहीं हैं। आयोग के अनुदेशों के अनुसार उक्त व्यक्तियों को निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता भी नियुक्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि उनकी सुरक्षा में जो सुरक्षा गार्ड लगे होते हैं उन्हें मतदान केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जा सकता है। सुरक्षा गार्ड मतदान केन्द्र के बाहर प्रतीक्षा कर सकते हैं।

1.6 उपर्युक्तानुसार व्यक्तियों के प्रवेश को विनियमित किया जाना चाहिए अन्यथा निर्बाध और सुचारू रूप से मतदान का संचालन दूषित हो सकता है। आपको एक समय पर केवल तीन या चार निर्वाचकों का ही मतदान केन्द्र में प्रवेश अनुज्ञात करना चाहिए।

1.7 यदि मतदान बूथ पर उपस्थित किसी व्यक्ति के पहचान पत्र के बारे में आपको युक्तियुक्त सन्देह है तो यदि आवश्यक हो तो, आप उसकी तलाशी करवा सकते हैं

चाहे सम्बन्धित व्यक्ति के पास मतदान बूथ में प्रवेश करने का विधिमान्य प्राधिकार पत्र हो।

1.8 अपने कर्तव्यों के पालन में आप केवल निर्वाचन आयोग के अनुदेशों से आबद्ध हैं। आपको अपने सरकारी उच्च अधिकारियों या मंत्रियों सहित राजनीतिक नेताओं से कोई आदेश नहीं लेने हैं या कोई पक्षपात नहीं दिखाना है। इनके मतदान बूथों में प्रवेश करने के अनुरोधों के मामले में भी आपको उन्हें तभी अनुमति देनी चाहिए जब उनके पास निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये विधिमान्य प्राधिकार पत्र हों।

1.9 निर्वाचकों की पहचान में आपको सहायता करने के लिए या मतदान कराने में आपकी सहायता करने के लिए अपने द्वारा नियुक्त नगर निगम के अधिकारी या अन्य अधिकारी या महिला परिचारक को सामान्यतः मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार के बाहर ही बैठाया जाना चाहिए। उनको मतदान केन्द्र में तब ही अनुज्ञात करना चाहिए जब किसी विशिष्ट मतदाता की पहचान या मतदान के सम्बन्ध में किसी विशेष प्रयोजन के लिए सहायता हेतु उसकी आवश्यकता हो। मतदान स्थल के भीतर किसी भी व्यक्ति को, किसी विशिष्ट तरीके से मत देने के लिए शब्दों या इशारों से मतदाताओं को प्रभावित करने या प्रभावित करने के प्रयत्न की अनुज्ञा नहीं देनी चाहिए।

2. सुरक्षा बल द्वारा मतदान केन्द्र की प्रक्रिया पर निगरानी :

सुरक्षा कर्मी जो मतदान केन्द्र के बाहर तैनात हैं, वह निम्न बातों पर विशेष ध्यान दें :–

2.1 मतदान के दौरान किसी भी समय कोई भी अनधिकृत व्यक्ति मतदान केन्द्र में न पाया जाए।

2.2 मतदान दल का कोई सदस्य अथवा कोई भी मतदान अभिकर्ता मतदान केन्द्र में मतदाताओं की अनुपस्थिति के दौरान मतदान न करे।

2.3 कोई भी पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी किसी भी मतदाता के साथ मतदान कक्ष के अन्दर न जाएं।

2.4 कोई भी मतदान अभिकर्ता या मतदान अधिकारी किसी भी मतदाता को डराने अथवा इशारों से धमकाने का प्रयास न करें।

2.5 किसी भी प्रकार का हथियार मतदान केन्द्र में न ले जाया जाए। कोई रिगिंग न हो।

2.6 किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या अव्यवस्था न हो। यदि मतदान केन्द्र के बाहर तैनात सुरक्षा बल द्वारा मतदान केन्द्र पर मतदान प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का उल्लंघन पाया जाता है तो वह स्वयं मतदान प्रक्रिया में व्यवधान न करते हुए घटना की सूचना पुलिस बल के अधिकारी या प्रेक्षक को दें, तत्पश्चात् पुलिस बल के अधिकारी तुरन्त घटना की लिखित जानकारी रिटर्निंग अधिकारी एवं प्रेक्षक को आगे उचित कार्यवाही हेतु देंगे।

उन भवनों में जहाँ एक से अधिक मतदान स्थल हों और जहाँ अधिक संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात हों वहाँ ड्यूटी हेतु चयनित सुरक्षा बल के जवान को दोनों मतदान स्थलों पर निगरानी हेतु निर्देशित किया सकता है। जवान किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर उसकी सूचना पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी या प्रेक्षक को देंगे।

जिन प्रकरणों में प्रतिकूल सूचना सुरक्षा बल द्वारा दी जाए, उनकी सूचना रिटर्निंग अधिकारी/प्रेक्षक द्वारा आयोग को आगामी निर्देश हेतु प्रेषित कर दी जाए। आयोग के निर्देशानुसार सुरक्षा कर्मी मतदान स्थलों के प्रवेश द्वारा पर तैनात रहें जहाँ उनकी तैनाती की गई है और मतदान स्थल के प्रवेश द्वार पर तैनात सुरक्षा कर्मी मतदान स्थल के अन्दर मत डालने के लिए आने वाले मतदाताओं का सत्यापन नहीं करेंगे क्योंकि यह सत्यापन करने का दायित्व मतदान कर्मियों का है। उसे मतदान स्थल के अन्दर तैनात नहीं होना चाहिए।

3. मतदान अभिकर्ताओं द्वारा नियुक्ति पत्रों का प्रस्तुत किया जाना :

3.1 मतदान अभिकर्ताओं के पास मतदाता परिचय पत्र आवश्यक रूप से हो। यदि उम्मीदवार द्वारा प्रस्तावित मतदान अभिकर्ता के पास मतदाता परिचय पत्र न हो तो रिटर्निंग अधिकारी उम्मीदवार के लिखित आवेदन पर उस मतदाता को मतदाता फोटो परिचय पत्र जारी करने हेतु प्रबंध करें। इस बात का ध्यान रखें कि मतदान के दिन समस्त मतदान अभिकर्ता अपना मतदाता फोटो परिचय पत्र अपने शरीर पर लगाए रहेंगे ताकि उनकी पहचान जल्दी एवं सही तरीके से हो सके।

3.2 प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को प्ररूप–10 में वह नियुक्ति पत्र आपके समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिसके द्वारा अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने उसे नियुक्त किया है। इसकी जाँच करें कि नियुक्ति आपके मतदान स्थल के लिए ही है। मतदान अभिकर्ता को तब दस्तावेज पूर्ण कर और उसमें दी गई घोषणा पर आपकी उपस्थिति में हस्ताक्षर करने चाहिए और वह मतदान स्थल में प्रवेश कर सके, इससे पूर्व आपको वह सौंप देने चाहिए। ऐसे समस्त नियुक्ति पत्रों को सुरक्षित रखें और मतदान की समाप्ति पर अन्य दस्तावेजों के साथ उन्हें लिफाफे में रखकर रिटर्निंग अधिकारी को भेज दें।

3.3 आपके समक्ष किसी मतदान अभिकर्ता द्वारा उक्त प्ररूप–10 में प्रस्तुत किए गए नियुक्ति पत्र की असलियत के बारे में किसी सन्देह के मामले में आपको अभ्यर्थी/उसके निर्वाचन अभिकर्ता के नमूना हस्ताक्षरों का मिलान रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए उनके नमूना हस्ताक्षरों से करना चाहिए।

4. मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति :

4.1 जब आप मतदान के लिए प्रारम्भिक व्यवस्थाएं कर रहे हों तब उपस्थित रहने के लिए अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ताओं को मतदान प्रारम्भ होने के कम से कम एक घण्टे पूर्व मतदान स्थल पर पहुंचने के लिए कहा जाना चाहिए। यदि इन प्रारंभिक व्यवस्थाओं का कोई भाग पहले पूरा किया जा चुका है तो किसी देर से आने वाले व्यक्ति के लिए कार्यवाही को नए सिरे से प्रारंभ करने की आवश्यकता नहीं है।

4.2 विधि, मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति के लिए कोई समय सीमा विनिर्दिष्ट नहीं करती है और यदि कोई मतदान अभिकर्ता मतदान केन्द्र पर विलम्ब से भी आता है तो उसे मतदान केन्द्र पर आगे की कार्यवाहियों में भाग लेने के लिये अनुज्ञात किया जाना चाहिए।

5. मतदान अभिकर्ताओं के लिये पास :

प्रत्येक अभ्यर्थी प्रत्येक मतदान स्थल के लिए एक मतदान अभिकर्ता और एक अवमुक्ति मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। मतदान अभिकर्ता को, जिसको मतदान स्थल में प्रवेश दिया गया है, एक अनुज्ञा पत्र या पास दें जिसके प्राधिकार से वह आवश्यकतानुसार मतदान स्थल में आ जा सके।

6. मतदान अभिकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था :

6.1 मतदान अभिकर्ताओं को निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति के प्रभारी मतदान अधिकारी के विल्कुल पीछे बैठाइए। जहाँ प्रवेशद्वार की स्थिति के कारण ऐसा किया जाना साध्य न हो वहाँ उन्हें मतदान अधिकारियों के ठीक सामने बैठाया जाएगा। किसी भी तरह की बैठने की व्यवस्था में उन्हें निर्वाचकों के चेहरे देखने और आवश्यकता पड़ने पर उनकी पहचान को चुनौती देने का अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उनका मतदान केन्द्र में इधर उधर आना जाना अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए।

6.2 छोटे मतदान स्थलों में जहाँ स्थान का अभाव हो एवं उम्मीदवारों की संख्या अधिक हो, तथा उनके द्वारा नियुक्त मतदान अभिकर्ताओं को मतदान स्थल के अन्दर समाहित न किया जा सके, उस परिस्थिति में प्रेक्षक से उचित सलाह एवं सहमति ली जाए,

7. मतदान स्थल में धूम्रपान का निषेध :

आपको मतदान स्थल के भीतर धूम्रपान अनुज्ञात नहीं करना चाहिए। यदि कोई भी मतदान अभिकर्ता धूम्रपान की इच्छा व्यक्त करे तो वह मतदान में कोई रूकावट लाए बिना मतदान स्थल से बाहर जा सकेगा।

8. प्रेस प्रतिनिधियों और फोटोग्राफरों के लिये सुविधाएं :

8.1 आयोग द्वारा मतदान प्रक्रिया के दौरान संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों पर गंम्भीर घटनाओं की वीडियोग्राफी के लिए निर्देश जारी किए जा चुके हैं। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (न0नि0) प्रतिबन्धित क्षेत्रों को छोंड़कर मतदान केन्द्र/स्थल की फोटाग्राफी/वीडियोग्राफी की अनुमति स्वविवेक से प्रदान करेंगे। किन्तु यह भी ध्यान रखा जाएगा कि मतदान की गोपनीयता न भंग हो।

8.2 शान्ति और व्यवस्था को बनाए रखने के अध्यधीन रहते हुए किसी फोटोग्राफर द्वारा मतदान केन्द्र के बाहर लाइन में खड़े मतदाताओं की भीड़ के फोटो लेने में कोई आपत्ति नहीं है।

8.3 न तो जिला निर्वाचन अधिकारी और न ही रिटर्निंग अधिकारी को किसी ऐसे व्यक्ति को, जो न तो निर्वाचक है और न ही उससे मतदान करवाने में आपकी सहायता की अपेक्षा की जाती है, मतदान स्थल में प्रवेश के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति प्राप्त है। किन्हीं भी परिस्थितियों में किसी मतदाता द्वारा मतपत्र पर अपना मत चिह्नित करते हुए फोटो लेना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

9. आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों के लिये सुविधाएं :

9.1 मतदान के दौरान कोई प्रेक्षक आपके मतदान केन्द्र का निरीक्षण कर सकता है। यह संभव है कि वह आपके मतदान स्थल के निरीक्षण से ही निर्वाचन क्षेत्र के निरीक्षण का कार्य प्रारम्भ करे और जब आप मतदान की प्रारम्भिक व्यवस्था पूरी कर रहे हों, वह वहाँ उपस्थित हो जाएं। जब वह आपके मतदान स्थल का निरीक्षण करें, आपको उनके प्रति सम्यक् शिष्टाचार और सम्मान दिखाना चाहिए और उसे ऐसी जानकारी देनी चाहिए जो वह आयोग को अपनी रिपोर्ट के प्रयोजन के लिए आपसे अपेक्षा करें। वह केवल आपके मतदान स्थल पर कराए जाने वाले मतदान का निरीक्षण करेंगे किन्तु आपको कोई निर्देश नहीं देंगे। तथापि, यदि वह निर्वाचकों को अधिक सुविधा उपलब्ध कराने या आपके मतदान स्थल पर मतदान प्रक्रिया को अधिक सरल बनाने की दृष्टि से कोई सुझाव देते हैं तो आपको ऐसे सुझाव पर उचित ध्यान देना चाहिए। यदि आप मतदान स्थल पर किसी विशेष समस्या का सामना कर रहे हों या किसी कठिनाई का अनुभव कर रहे हों तो आपको इसे उनके ध्यान में लाना चाहिए ताकि वह आपकी उस समस्या का निराकरण करने या उस कठिनाई को दूर करने में मामले की आवश्यक उपचारिक कार्रवाई के लिये रिटर्निंग अधिकारी या अन्य सम्बन्धित प्राधिकारी के ध्यान में लाकर सहायता कर सकें।

9.2 प्रेक्षक आयोग द्वारा जारी किये गये बैजों को अपने शरीर पर लगाए रहेंगे और आयोग द्वारा जारी किये नियुक्ति पत्र और प्राधिकार पत्रों को भी अपने पास रखेंगे।

10. अतिरिक्त जानकारी रिपोर्ट

12 बिन्दुओं पर आधारित रिटर्निंग अधिकारी को सौंपने हेतु पीठासीन अधिकरी 12 बिन्दुओं पर आधारित एक अतिरिक्त रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में तैयार करेंगे जिसमें मतदान, मतदान से सम्बन्धित घटना, मतदान केन्द्र पर मतदान समाप्ति तक हुई सम्पूर्ण जानकारी का विवरण होगा। जिसे वे रिटर्निंग अधिकारी को सौपेंगे। इस रिपोर्ट के साथ अन्य प्रपत्र भी संग्रह केन्द्र पर जमा किए जाएंगे। 12 बिन्दुओं वाली रिपोर्ट का प्रपत्र उपाबन्ध 15 में है। यदि पीठासीन अधिकरी 12 बिन्दुओं वाली रिपोर्ट तथा अन्य जरूरी प्रपत्र संग्रह केन्द्र पर जमा नहीं कराएंगे तो उन्हें मतदान कार्य से कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा।

11. मतदान केन्द्र में बैजों इत्यादि को लगाए रखना :

11.1 मतदान अभिकर्ता उस अभ्यर्थी के नाम को दर्शित करने वाला बैज शरीर पर लगाए रख सकेंगे जिसका वह अभिकर्ता है।

अध्याय–9

मतदान के प्रारम्भ होने के पूर्व मतदान मशीन को तैयार करना

1. मतदान के पूर्व तैयारी :

1.1 किसी मतदान केन्द्र पर मतदान मशीन का वास्तविक उपयोग किए जाने के पूर्व पीठासीन अधिकारी के स्तर पर की जाने वाली तैयारियों के साथ साथ, कुछ तैयारियां मतदान केन्द्र पर की जानी आवश्यक हैं। ये तैयारियां पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व अभ्यर्थियों/उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति में की जानी हैं।

1.2 आपको इन प्रारम्भिक तैयारियों की शुरूआत मतदान प्रारम्भ होने के लिए नियत समय से लगभग एक घंटा पूर्व कर देनी चाहिए। यदि कोई भी मतदान अभिकर्ता उपस्थित न हो तो आपको मतदान अभिकर्ता की इंतजारी तक तैयारियों को स्थगित नहीं करना चाहिए और यदि कोई मतदान अभिकर्ता देर से आये तो तैयारियां पुनः शुरू नहीं करनी चाहिए।

2. मतदान यूनिट की तैयारियां :

2.1 मतदान यूनिट रिटर्निंग अधिकारी के स्तर पर पहले से ही पूरी तरह से सम्यक् रूप से तैयार की गई है और मतदान के दिन मतदान स्थल पर इस यूनिट की कोई और तैयारी किया जाना अपेक्षित नहीं है सिवाय इसके कि इसकी परस्पर सम्बद्ध केबिल नियंत्रण यूनिट के प्लग में लगानी है।

2.2 मतदान स्थल के लिये रवाना होने के पूर्व अन्य मतदान सामग्री के साथ मतदान मशीन लेने के समय आपको अध्याय 3 के पैरा 2 में उल्लिखित जाँच करनी होगी। उसमें दिए गए अनुदेशों के अनुसार आपको जाँच करनी है कि आपको अपेक्षित संख्या में मतदान यूनिटें उपलब्ध कराई गई हैं। प्रत्येक ऐसी यूनिट पर मतपत्र स्क्रीन के अन्दर उचित रूप से लगाए गए हैं और उचित रूप से पंक्तिबद्ध किए गए हैं। प्रत्येक यूनिट पर स्लाइड स्विच समुचित स्थिति में सेट किया गया है और प्रत्येक यूनिट सम्यक् रूप से सील की गई है तथा सबसे ऊपर दांये भाग और नीचे के दांये भाग, दोनों पर एड्रेस टैग लगे हैं।

3. मतदान यूनिट और नियंत्रण यूनिट का परस्पर संयोजन :

3.1 जहाँ लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 16 से अधिक है, वहाँ एक से अधिक लड़ने वाले अभ्यर्थियों की वास्तविक संख्या पर निर्भर करते हुए मतदान यूनिटें प्रयुक्त की जाऐंगी। किसी मतदान स्थल पर प्रयुक्त की जाने वाली ऐसी समस्त मतदान यूनिटें परस्पर जुड़ी हुई होंगी और केवल पहली मतदान यूनिट नियंत्रण यूनिट से सम्बद्ध होगी।

3.2 मतदान यूनिटें इस प्रकार परस्पर सम्बद्ध होंगी कि द्वितीय मतदान यूनिट अर्थात् मतदान यूनिट जिसमें स्लाइड स्विच 2 स्थिति पर सेट किया हुआ है, पहली मतदान यूनिट जिसमें स्लाइड स्विच 1 स्थिति पर सैट किया हुआ है से सम्बद्ध होगी। जहाँ तीन मतदान यूनिटें प्रयुक्त की जानी हैं वहाँ तीसरी मतदान यूनिट दूसरी मतदान यूनिट से सम्बद्ध होगी और दूसरी पहली से और जहाँ सभी चारों मतदान यूनिटें प्रयुक्त की जानी हैं वहाँ चौथी यूनिट तीसरी से सम्बद्ध होगी, तीसरी दूसरी से और इसी प्रकार आगे भी।

चार मतदान इकाइयों के परस्पर संयोजन को दर्शाता चित्र

Diagram showing the interconnection of the four Ballot Units

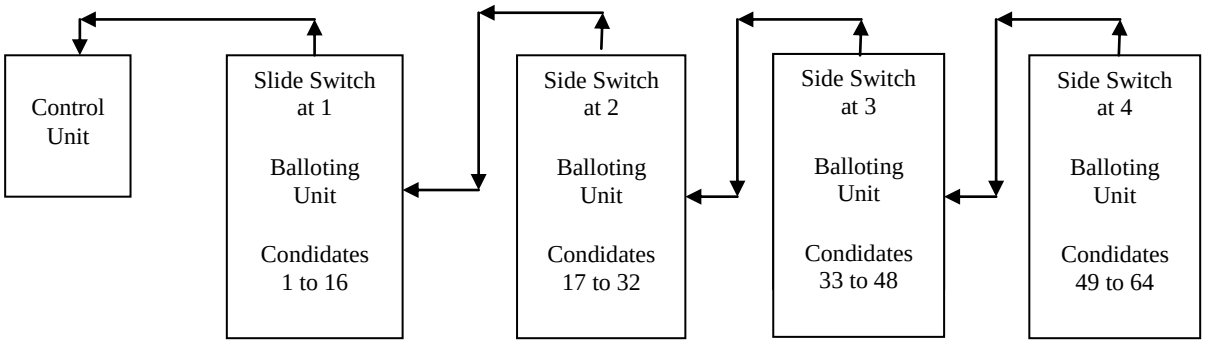

3.3 किसी मतदान यूनिट को दूसरी से जोड़ने के लिये मतदान यूनिट के नीचे के भाग में उपलब्ध एक कक्ष में एक सॉकेट है। दूसरी मतदान यूनिट के परस्पर सम्बद्ध केबिल का कनेक्टर, पहली मतदान यूनिट के ऊपर उल्लिखित सॉकेट के प्लग में लगाया जाएगा। इसी तरह, तीसरी मतदान यूनिट के परस्पर सम्बद्ध केबिल का कनेक्टर दूसरी यूनिट के प्लग में लगाया जाएगा और चौथी यूनिट का तीसरी यूनिट में।

3.4 उपर्युक्त उल्लिखितानुसार, कॅबिल पहली मतदान यूनिट को नियंत्रण यूनिट से प्लग किया जाएगा। नियंत्रण यूनिट का सॉकेट जिसमें मतदान यूनिट का परस्पर सम्बद्ध केबिल प्लग किया जाऐगा, नियंत्रण यूनिट के पिछले कक्ष में उपलब्ध है।

3.5 नियंत्रण यूनिट के पिछले कक्ष में 'पावर' स्विच भी है और जब इस स्विच को 'ऑन' स्थिति में किया जाता है तो मतदान मशीन की बैटरी क्रियाशील हो जाती है और नियंत्रण यूनिट और समस्त मतदान यूनिटों को, जब ऊपर वर्णित रीति से नियंत्रण यूनिट से जोड़ा जाऐ, बिजली का प्रदाय करती है।

टिप्पणी :–

(1) जब एक से अधिक मतदान यूनिटें उपयोग में लाई जा रही हों, तब उन्हें ऊपर पैरा 3.2 में यथा–उल्लिखित उचित अनुक्रमिक रूप से परस्पर सम्बद्ध करना चाहिए, मतदान यूनिटों को गलत प्रकार से जोड़ने से मशीन अक्रियाशील हो जाएगी और नियंत्रण यूनिट के किसी बटन को दबाने पर नियंत्रण यूनिट के प्रदर्शन पैनल पर सम्बद्ध गलती उपदर्शित करते हुए अक्षर 'एल ई' दिखाई देंगे। सम्बद्ध गलती को दूर करने के लिए मतदान यूनिटों को उचित अनुक्रमिक रूप से परस्पर सम्बद्ध करना चाहिए।

(2) परस्पर सम्बद्ध केबिल का कनेक्टर, जिसका एक सिरा मतदान यूनिट से जुड़ा हुआ है, एक मल्टी–पिन कनेक्टर है। कनेक्टर, अन्य मतदान यूनिट या नियंत्रण यूनिट के सॉकेट में केवल एक रास्ते से ही जाता है जिसका पिनों के दिक्स्थापन और कनेक्टर के हुड पर लिखे या उत्कीर्ण शब्द 'टॉप' को देखकर आसानी से पता लगाया जा सकता है। कनेक्टर की पिनें बहुत नाजुक होती हैं और कनेक्टर को सॉकेट में इतनी जोर से नहीं डालना चाहिए जिससे पिन क्षतिग्रस्त या मुड़ जाऐ। यह मशीन केवल तब ही कार्य करेगी जब कनेक्शन उचित रूप से किया जाएगा।

(3) परस्पर सम्बद्ध केबिल के कनेक्टर का, नियंत्रण यूनिट से या अन्य मतदान यूनिट से, सम्बद्ध विच्छेद केवल कनेक्टर हुड के दोनों तरफ के स्प्रिंग आकार के क्लिपों को निर्मुक्त करके किया जा सकता है। ये स्प्रिंग टाइप क्लिप तब निर्मुक्त होंगे जब एक साथ आन्तरिक रूप से दबाए जाऐं और स्प्रिंग टाइप क्लिप को ऐसे ही दबाए रखते हुए कनेक्टर को तब खींचा जाना चाहिए।

(4) मतदान यूनिटों और नियंत्रण यूनिट को उचित रूप से जोड़ने या अलग करने के लिये कुछ अभ्यास अपेक्षित हैं ताकि मशीन को क्षति कारित करने से बचा जाए। यह दृष्टिकोण मस्तिष्क में स्पष्ट रूप से रखना चाहिए और आपको स्वयं मतदान यूनिट और नियंत्रण यूनिट को सम्बद्ध करना चाहिए।

अध्याय–10

नियंत्रण यूनिट की तैयारी

1. नियंत्रण यूनिट की जाँच :

1.1 मतदान स्थल के लिए रवाना होने से पहले वितरण केन्द्र पर नियंत्रण यूनिट की डिलिवरी लेते समय आपको अध्याय 3 के पैरा दो में यथा–उल्लिखित नियंत्रण यूनिट की जाँचें करनी हैं।

1.2 आपने पहले ही जाँच कर ली होगी कि नियंत्रण का 'कैंड सेट सेक्शन' सम्यक् रूप से सील किया हुआ है और एड्रेस टैग इसके साथ मजबूती से लगे हैं और कि उस भाग में लगी बैटरी पूर्णतः क्रियाशील है।

2. नियंत्रण यूनिट की तैयारी :

2.1 मतदान केन्द्र पर किसी नियंत्रण यूनिट को उपयोग में लेने से पूर्व, रिटर्निंग अधिकारी के स्तर पर बैटरी लगाने के लिए और लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या व्यवस्थापन के लिए उसमें की गई तैयारियों के अतिरिक्त मतदान केन्द्र पर कुछ और तैयारियां करनी आवश्यक हैं।

2.2 पीठासीन अधिकारी द्वरा नियंत्रण यूनिट पर की जाने वाली तैयारियां निम्न प्रकार से हैं:–

(i) नियंत्रण यूनिट को मतदान यूनिट या जहाँ एक से अधिक मतदान यूनिटें उपयोग में लाई जानी हों वहाँ प्रथम मतदान यूनिट से परस्पर सम्बद्ध करने;

(ii) पावर स्विच को 'ऑन' स्थिति में करने;

(iii) ऊपर (i) और (ii) पर किए गए कृत्यों के पालन के पश्चात् पिछले कक्ष को बन्द करने

(iv) दिखावटी मतदान का संचालन करने (अध्याय 11 में यथावर्णित);

(v) दिखावटी मतदान के पश्चात् मशीन को क्लीयर करना और समस्त गणनाओं को 'जीरो'' पर सेट करने (अध्याय 11 में यथावर्णित);

(vi) पावर बटन को 'ऑफ' की अवस्था में लाना;

(vii) परिणाम सेक्शन के आन्तरिक कक्ष को सुरक्षित करने के लिए ग्रीन पेपर सील (सीलें) लगाने; और

(viii) परिणाम सेक्शन के अन्दरूनी दरवाजे को बन्द करके सील लगाना और उस पर एड्रेस टैंग व स्ट्रिप सील लगायएं (अध्याय 13 के अनुसार)।

(xi) परिणाम सेक्शन के बाहरी कवर को बन्द करने और सील लगाने (अध्याय 13 में यथावर्णित)।

3. नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट को जोडना :

3.1 मतदान यूनिट या प्रथम मतदान यूनिट, जहाँ एक से अधिक मतदान यूनिट प्रयुक्त की जा रही हैं, की परस्पर सम्बद्ध केबिल के प्लग को नियंत्रण यूनिट के पिछले कक्ष में प्रयोजन के लिए उपलब्ध सॉकेट में डालना चाहिए।

4. बिजली 'ऑन' करना :

मतदान मशीन बैटरी से कार्य करती है जो रिटर्निंग अधिकारी के स्तर पर नियंत्रण यूनिट के 'कैंड सेट सेक्शन' में लगाई जाती है। बैटरी को क्रियाशील करने के लिए नियंत्रण यूनिट के पिछले कक्ष में एक बिजली का स्विच उपलब्ध है जो नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट (यूनिटों), जब उन्हें परस्पर सम्बद्ध किया जाता है, दोनों को बिजली प्रदान करेगी। आप पावर स्विच को आन की स्थिति में लाएं, तुरन्त ही आपको कंट्रोल यूनिट से बीप की आवाज सुनाई देगी तथा हरी बत्ती जलती दिखाई देगी।

जब ई0वी0एम0 के अपग्रेड माडल में कन्ट्रोल यूनिट का पावर स्विच ऊपर की ओर ऑन पोजीशन में पुश किया जाता है तो एक बीप की आवाज निकलती है और कन्ट्रोल यूनिट के

प्रदर्शन पैनल पर ऑन लैम्प से हरी बत्ती जल जाएगी और प्रदर्शन पैनल द्वारा एक के बाद एक निम्नलिखित प्रदर्शन किया जाएगा।

EVM IS ON	
DTE 16-01-07 TME 09-43-34	दिनाँक – दिन – माह – वर्ष तथा टाइम – घन्टे – मिनिट – सेकन्ड दिखाता हुआ
SLNO-H00003	कन्ट्रोल यूनिट का सीरियल/क्रमांक दिखता हुआ
CAND IDATES 10	उम्मीदवारों की 10 संख्या दिखाता हुआ (यह मानते हुए कि निर्वाचन क्षेत्रा में 10 अभ्यर्थी हैं)
BATTERY HIGH	बैटरी की हाई स्थिति दिखाता हुआ

5. पिछले कक्ष को बन्द करना :

इसके पश्चात् आपको पिछला कक्ष बन्द करना चाहिए। इसे पक्की तरह से बन्द करने के लिए, इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध दो छेदों में एक पतले तार का टुकड़ा डाला जाए और तार के सिरों को मोड़ दिया जाए। आपको यह नोट करना चाहिए कि पिछले कक्ष को सील नहीं करना है क्योंकि मतदान की समाप्ति के पश्चात् बिजली का स्विच 'आफ' करने के लिए मतदान यूनिट का सम्बन्ध विच्छेद करने के लिए इसे पुनः खोला जाना अपेक्षित है।

अध्याय– 11

दिखावटी मतदान संचालित करना

'क्लीयर' मतदान मशीन का प्रदर्शन :

1.1 मतदान प्रारम्भ करने से पूर्व आपको न केवल स्वयं बल्कि उपस्थित समस्त मतदान अभिकर्ताओं को भी सन्तुष्ट करना चाहिए कि मतदान मशीन एकदम चालू हालत में है और मशीन में पहले से कोई भी मत रिकार्ड किए हुए नहीं हैं।

1.2 ऐसे समाधान के लिए आपको सबसे पहले उपस्थित समस्त व्यक्तियों को 'क्लीयर' बटन दबाकर दिखाना चाहिए कि समस्त गणनांक जीरो पर सेट किए गए हैं। 'क्लीयर' बटन नियंत्रण यूनिट के परिणाम सेक्शन के कक्ष में उपलब्ध है। यह कक्ष एक आन्तरिक द्वार और एक बाहरी कवर से ढका हुआ है। आन्तरिक द्वारा 'क्लीयर' बटन, 'रिजल्ट ।' बटन और 'रिजल्ट ॥' बटन से युक्त कक्षों को कवर करता है और बाहरी कवर आन्तरिक द्वार के ऊपर उपलबध है तथा 'क्लोज' बटन से युक्त कक्ष को भी कवर करता है। 'क्लीयर' बटन तक पहुंचने के लिए आपको बायीं ओर उपलब्ध सिटकनी को अन्दर की ओर धीरे से दबाकर पहले बाहरी कवर को खोलना चाहिए। तत्पश्चात् 'रिजल्ट ।' बटन और 'रिजल्ट ॥' के ऊपर दो छेदों में अंगूठा और एक अंगुली डालकर और उसके पश्चात् सिटकिनी को एक साथ अन्दर की ओर धीरे से दबाकर आन्तरिक द्वार को खोला जा सकता है। किसी भी स्थिति में ऊपर वर्णित रीति में सिटकिनी को खोले बिना आन्तरिक द्वार को बलपूर्वक नहीं खोलना चाहिए अन्यथा यह अति महत्वपूर्ण कक्ष क्षतिग्रस्त हो जाएगा।

1.3 जब 'क्लीयर' बटन को दबाया जाएगा तब नियंत्रण यूनिट के प्रदर्शन पैनल पर निम्नलिखित जानकारी अनुक्रमिक रूप से प्रदर्शित होनी आरम्भ हो जाएगी :–

सीडी	9
ईडी	0
01	0
02	0
03	0
04	0
05	0
06	0
07	0
08	0
09	0
	END

प्रत्येक संकेत के पश्चात् बीप साउन्ड (यदि मशीन 9 अभ्यर्थियों के लिए सेट की गई हो)।

नोट : यदि 'क्लीयर' बटन दबाने पर, प्रदर्शन पैनल ऊपर उपरदर्शितानुसार जानकारी प्रदर्शित नहीं करता है तो इसका यह अर्थ होगा कि मशीन को क्लीयर करने के लिए आवश्यक आरम्भिक क्रियाओं का पालन नहीं किया गया है। मशीन क्लीयर करने के लिए यह सुनिश्चित कर लें कि मतदान यूनिट और नियंत्रण यूनिट को उचित रूप से सम्बद्ध कर दिया गया है।

'क्लोज' बटन दबाकर और तत्पश्चात् 'रिजल्ट ।' बटन दबाइए। अब 'क्लीयर' बटन को दबाइए, प्रदर्शन पैनल ऊपर दर्शितानुसार जानकारी प्रदर्शित करना आरम्भ कर देगा।

1.4 प्रदर्शन पैनल पर उपर्युक्त जानकारी का प्रदर्शन, मतदान केन्द्र पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को इस बात का समाधान कर देगा कि मशीन में पहले से ही कोई मत रिकार्ड किए हुए नहीं हैं। ई0वी0एम0 के अपग्रेड माडल के केस में प्रदर्शन पैनल पर होने वाला प्रदर्शन ऊपर दिखाए गए प्रदर्शन से पृथक् होता है जिसे अगले अध्याय में पृथक् से दर्शाया गया है।

2. दिखावटी मतदान :

2.1 उपर्युक्त प्रदर्शन करने के पश्चात् कि मशीन में पहले से कोई मत रिकार्ड किया हुआ नहीं है, आपको अचानक प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए कुछ मत रिकार्ड करके दिखावटी मतदान आयोजित करना चाहिए। यदि किसी अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हो तब आप उस अभ्यर्थी के कुछ वोट गिनकर फिर उसका परिणाम मशीन से मिलान कर सकते हैं।

2.2 इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित क्रियाओं का पालन कीजिए :–

(क) नियंत्रण यूनिट के मत सेक्शन के 'बैलट' बटन को दबाइए। 'बैलट'' बटन के दबाने पर प्रदर्शन सेक्शन में/का 'बिजी' लैम्प लाल चमकेगा। इसके साथ साथ मतदान यूनिट पर/का 'रेडी' लैम्प भी हरा चमकना आरम्भ कर देगा।

(ख) किसी भी मतदान अभिकर्ता से, उसकी पंसद के अनुसार, मतदान यूनिट के किसी भी अभ्यर्थी के बटन को दबाने के लिए कहें। ध्यान रहे कि प्रत्येक बटन कम से कम एक बार दबाया गया हो ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि प्रत्येक बटन जाँचा गया है और सही कार्य कर रहा है।

(ग) अभ्यर्थी का बटन इस प्रकार दबाए जाने पर, मतदान यूनिट पर का 'रेडी' लैम्प बुझ जाएगा और बटन के पास अभ्यर्थी का लैम्प लाल चमकने लगेगा। नियंत्रण यूनिट से निकलती हुई बीप साउन्ड भी सुनाई देगी। कुछ सैकेण्ड पश्चात् अभ्यर्थी के लैम्प की लाल बत्ती, 'बिजी' लैम्प की लाल बत्ती और बीप साउन्ड बन्द हो जाएगा। यह इस बात का संकेत होगी कि अभ्यर्थी, जिसका बटन दबाया गया है, का मत नियंत्रण यूनिट में रिकार्ड कर लिया गया है और मशीन अगला मत ग्रहण करने के लिए अब तैयार है।

(घ) शेष रहे प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए एक या अधिक मत रिकार्ड करने हेतु पूर्ववर्ती पैरा (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित प्रक्रिया की पुनरावृत्ति करें। प्रत्येक अभ्यर्थी के सम्बन्ध में इस प्रकार रिकार्ड किए गए मतों का सतर्कतापूर्वक लेखा रखें।

(ङ) जब मत इस प्रकार रिकार्ड किए जा रहे हों, तब नियंत्रण यूनिट के मत सेक्शन पर के 'टोटल' बटन को यह जाँच करने के लिए किसी भी समय दबाया जाए कि मशीन में रिकार्ड किए गए कुल मत उस समय तक डाले गये मतों की संख्या से मेल खाते हैं।

नोट : 'टोटल' बटन को किसी अभ्यर्थी के लिए मत रिकार्ड करने के पश्चात् और प्रदर्शन सेक्शन में/के 'बिजी' लैम्प के बन्द होने पर ही दबाया जाना चाहिए।

(च) दिखावटी मतदान की समाप्ति पर, परिणाम सेक्शन के 'क्लोज' बटन को दबाएं। इस प्रकार 'क्लोज' बटन दबाए जाने पर, प्रदर्शन के पैनल निम्नलिखित जानकारी अनुक्रमिक रूप से दर्शित करेंगे :–

एन पी	1
सीडी	9

टू	54	(यदि डाले गए मतों की संख्या 54 है)
	ई एन डी	

नोट : समय की उपलब्धता के अध्यधीन, दिखावटी मतदान में अधिक मत रिकार्ड करने की अनुज्ञा देने में काई आपत्ति नहीं है। यह आवश्यक है कि प्रत्येक अभ्यर्थी के रिकार्ड किए गए मतों की संख्या समान होनी चाहिए।

(छ) अब परिणाम सेक्शन के 'रिजल्ट ।' चिह्नित बटन को दबाइए। उस बटन को दबाए जाने पर प्रदर्शन पैनल निम्नलिखित जानकारी अनुक्रमिक रूप से दर्शित करना आरम्भ कर देंगेः–

सीडी	9
टू	54
01	6
02	6
03	6
04	6
05	6
06	6
07	6
08	6
09	6
	ई एन डी

(यह केवल उदाहरण मात्र है)

(ज) आगे, दिखावटी मतदान के दौरान रिकार्ड किए गए मतों के लेखों को 'क्लीयर' बटन दबाकर क्लीयर करें। 'क्लीयर' बटन को इस प्रकार दबाए जाने पर, ऊपर पैरा 1.3 में यथावर्णित समस्त गणनांक 'जीरो' दर्शाएंगे।

(झ) अध्याय 8 के अनुसार आपको दिखावटी मतदान कर सुनिश्चित करना है कि ई.वी. एम. (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) एकदम सही है। तत्पश्चात् दिखावटी मतदान रिजल्ट को क्लीयर करें एवं एक प्रपत्र बनाएं। यदि यह पाया जाता है कि दिखावटी मतदान के परिणाम कंट्रोल यूनिट से हटाए नहीं गए हैं और यूनिट को सील करने के पश्चात् वास्तविक मतदान की प्रक्रिया चल रही है तो आप तुरन्त मतदान बंद करवाएं तथा कंट्रोल यूनिट को बंद कर नई मशीन से मतदान शुरू करवाएं।

अध्याय–12

नियंत्रण यूनिट में ग्रीन पेपर सील का लगाया जाना

1. ग्रीन पेपर सील का लगाया जाना :

1.1 मतदान की परम्परागत पद्धति में जहाँ मतपत्र और मतपेटियाँ उपयोग में ली जाती हैं, वहाँ आयोग द्वारा विशेष रूप से मुद्रित ग्रीन पेपर सील लगाकर मतपेटियों को मुहरबन्द और सुरक्षित किया जाता है। मतपेटी में एक बार ग्रीन पेपर सील लगा दी जाए और पेटी का ढक्कन बन्द कर दिया जाए तो पेटी को तब तक खोला नहीं जा सकता है और उसमें डाले गए मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है या गणना के लिए नहीं निकाला जा सकता है जब तक कि ग्रीन पेपर सील को फाड़ नहीं दिया जाऐ। इसी प्रकार के रक्षोपाय मतदान मशीन में उपलब्ध कराए गए हैं ताकि एक बार नियंत्रण यूनिट मुहरबन्द कर दी जाए और मतदान प्रारम्भ हो जाए तो कोई भी मतदान प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। उसे प्राप्त और सुनिश्चित करने के लिए, वही ग्रीन पेपर सील जो मतपेटी को सुरक्षित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है, मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट में लगाने की व्यवस्था की गई है।

1.2 पेपर सील लगाने के लिए नियंत्रण यूनिट के परिणाम सेक्शन के आन्तरिक कक्ष के द्वार के अन्दर की ओर एक फ्रेम उपलब्ध है। (भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड द्वारा विनिर्मित मतदान मशीनों के मामले में, उक्त फ्रेम में दो पेपर सील लगाई जाती हैं और तदनुसार उस कम्पनी द्वारा विनिर्मित मतदान मशीनों की नियंत्रण में दो पेपर सील प्रयुक्त की जाती हैं)। इसी फ्रेम पर हरा कागज चिपकाने से पूर्व पेपर सील की सफेद सतह पर पीठासीन अधिकारी को पेपर सील के क्रम संख्यांक के ठीक नीचे अपने पूरे हस्ताक्षर करने चाहिए। इस पर ऐसे अभ्यर्थियों या उनके मतदान अभिकर्ताओं, जो उपस्थित हों और अपने हस्ताक्षर करने के इच्छुक हों, के हस्ताक्षर कराए जाऐंगे। पीठासीन अधिकारी को सत्यापित करना चाहिए कि पेपर सील पर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर, नियुक्ति पत्रों पर के उनके हस्ताक्षरों से मेल खाते हैं।

1.3 सील फ्रेम में पक्की तरह से लगी रहे और अपने स्थान से हटे नहीं, इसके लिए एक पतले गत्ते की पैडिंग लगाई जानी चाहिए। इसकी जाँच की जाए कि एक सिरे से धीरे से खींचने पर पेपर सील अपने स्थान से हट न सके। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी दशा में कोई क्षतिग्रस्त पेपर सील उपयोग में नहीं ली जाए और यदि लगाए जाने की प्रक्रिया में कोई पेपर सील क्षतिग्रस्त हो जाए तो आन्तरिक कक्ष के द्वार को बन्द करने के पूर्व उसी समय इसे बदला जाना चाहिए।

1.4 सील इस प्रकार लगाई जानी चाहिए ताकि उसकी हरी सतह (Green surface) छेद में से बाहर दिखाई दे। जब हरी कागज सील वोटिंग मशीन के कंट्रोल यूनिट पर लगाई जाएगी तब वह अगले पृष्ठ दर्शाए गए चित्र जैसा दिखेगा।

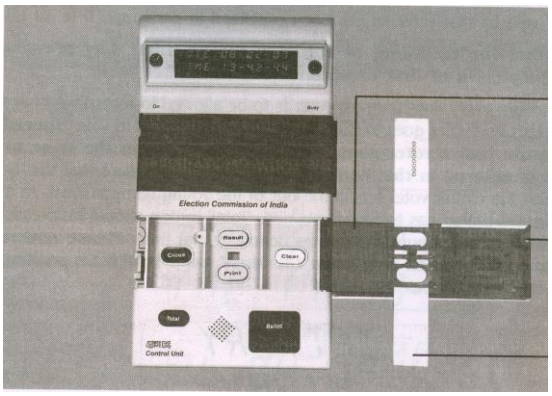

1.5 यह सुनिश्चित कर लें कि खराब पेपर सील का प्रयोग न हो। यदि प्रक्रिया के दौरान ऐसा हो तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए, अन्दर के कक्ष का दरवाजा बन्द होने से पहले।

2. पेपर सील पर पीठासीन अधिकारी और मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षरः

पेपर सील लगए जाने के पश्चात् आन्तरिक कक्ष के द्वार को दबा कर बन्द किया जाना चाहिए। इसे ऐसी रीति से बन्द किया जाना चाहिए कि पेपर सील के दोनों किनारे आन्तरिक कक्ष के किनारों से बाहर निकले रहें।

3. पेपर सील का लेखा :

3.1 पीठासीन अधिकारी को मतदान केन्द्र पर उपयोग के लिए उसे दी गई पेपर सील और उसके द्वारा नियंत्रण यूनिट को सील करने और सुरक्षित करने के लिए वास्तविक रूप से उपयोग में ली गई पेपर सील का सही लेखा रखना चाहिए। ऐसा लेखा उसके द्वारा प्ररूप 17 ग के भाग–1 के मद 9 द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट प्ररूप में रखा जाएगा।

3.2 पीठासीन अधिकारी द्वारा उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को इस प्रकार उपयोग के लिए दी गई और वास्तविक रूप से उपयोग में ली गई पेपर सील के क्रम संख्यांक नोट करने के लिए अनुज्ञात किया जाना चाहिए,

अध्याय–13

नियंत्रण यूनिट को बन्द और सील करना

परिणाम सेक्शन का आन्तरिक कक्ष बन्द और सील करना

1. **''स्पेशल टैग''** : इसका स्वरूप इस प्रकार है :–

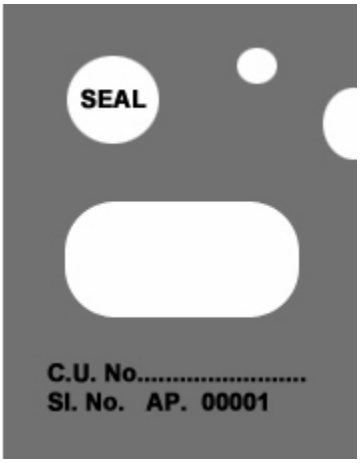

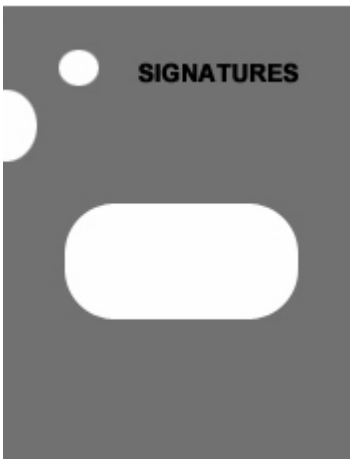

1.1 साइजेज स्पेशल टैग जो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में लगे हैं :–

ई0सी0आई0एल0 मशीन : 7 से0मी0 x 5.5 से0मी0

बी0ई0एल0 मशीन : 7.5 से0मी0 x 5.5 से0मी0

पोस्ट कार्ड की मोटाई के बराबर इसकी मोटाई होती है। सीधे कोने पर एक छेद है ऊपर एक मेटल रिंग है ताकि उसमें धागा डालकर सील कर दिया जाए।

कन्ट्रोल यूनिट नम्बर :

1.2 स्पेशल टैग प्रयुक्त करने से पूर्व पीठासीन अधिकारी स्पेशल टैग पर कन्ट्रोल यूनिट की क्रम संख्या लिखेगा।

हस्ताक्षर :

1.3 स्पेशल टैग पर कन्ट्रोल यूनिट की क्रम संख्या लिखने के पश्चात् पीठासीन अधिकारी स्पेशल टैग के पीछे की ओर अपने हस्ताक्षर करेगा। वह मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व पोलिंग स्टेशन में उपस्थित अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं से स्पेशल टैग के पीछे, यदि वे चाहें, उनसे हस्ताक्षर करने हेतु भी कहना चाहिए। वह स्पेशल टैग पर पूर्व से छपी क्रम संख्या को पढ़ कर सुना देगा और उपस्थित अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं से क्रम संख्या नोट करने के लिए कहेगा। यदि किसी वजह से स्पेशल टैग नष्ट हो जाए या फट जाए तो वह दूसरा स्पेशल टैग प्रयुक्त करेगा। इस प्रयोजन हेतु ग्रीन पेपर सील की तरह, रिटर्निंग अधिकारी पीठासीन अधिकारी को 03 या 04 स्पेशल टैग की आपूर्ति करेगा।

1.4 ग्रीन पेपर सील लगाने और सुरक्षित करने और पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अभिकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित करने के उपरान्त क्लियर बटन और रिजल्ट बटन के ऊपर के अन्दरूनी भाग को दबाकर स्थिर (फिट) और बन्द कर दिया जाए। जब अन्दरूनी भाग को स्पेशल टैग से सील कर दिया जाए तथा इस तरीके से बन्द किया जाए कि पेपर सील के दो खुले सिरे लगातार अन्दर के दरवाजे के किनारों को बाहर से प्रदर्शित करें। फिर इस अन्दर के दरवाजे को विशेष टैग से सील कर दिया जाए। इस हेतु आप इसके लिये रिटर्निंग अधिकारी द्वारा विशेष रूप से आपूर्ति किया गया उच्च क्वालिटी का दो सूती धागा अन्दरूनी दरवाजे में उपलब्ध छेद तथा स्पेशल टैग में उपलब्ध आशकिट वाले छेद से डाला जाए।

1.5 आपके द्वारा इस बात का ध्यान रखा जाए कि खराब या टूटा स्पेशल टैग किसी भी दशा में उपयोग में नहीं लाया जाए। यदि किसी कारण स्पेशल टैग खराब हो जाए तो दूसरे टैग का उपयोग किया जाए। इसी काम के लिये रिटर्निंग अधिकारी आपको 03 या 04 स्पेशल टैग देगा।

1.6 यह सब करने के बाद, धागे की एक गांठ बनाकर स्पेशल टैग पर सीलिंग मोम लगाकर धागे को सील करें। तत्पश्चात् सील को बिना तोड़े आप स्पेशल टैग को 'क्लोज' बटन के कक्ष में इस तरह समायोजित करें कि 'क्लोज' बटन उस छेद जो कि स्पेशल टैग के बीच में काटा गया है, से बाहर निकले।

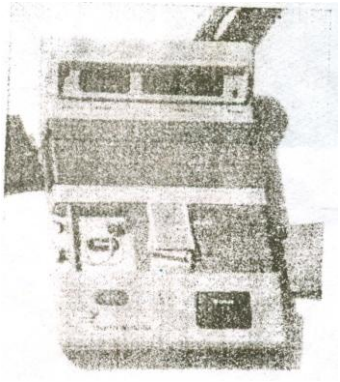

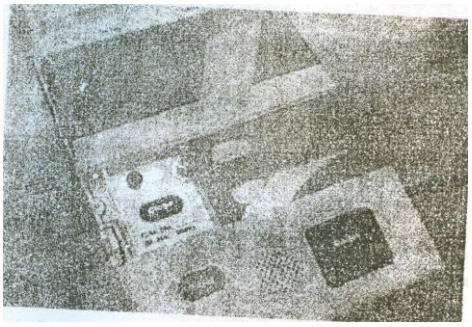

2. परिणाम सेक्शन के बाहरी कवर को बन्द और सील करना :

2.1 नियंत्रण यूनिट के परिणाम सेक्शन के आन्तरिक कक्ष को बन्द और सील करने के पश्चात् परिणाम सेक्शन के बाहरी कवर को, उस सेक्शन को बन्द करने के लिए दबाया जाना चाहिए। उस बाहरी कवर को दबाये जाने के पूर्व, ग्रीन पेपर सील (सीलों) के खुले किनारे ऐसी रीति से सतर्कता पूर्वक मोड़े जाने चाहिए कि पेपर सील का कोई भी भाग बाहरी कवर के किसी भी तरफ से बाहर निकला नहीं रहे।

2.2 परिणाम सेक्शन के बाहरी कवर को बंद करने के पश्चात् उस कवर को (I) बाहरी कवर के बायीं ओर इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध दो छेदों में से एक धागा डालकर (II) पीठासीन अधिकारी की मुहर के साथ थ्रेड सील लगाकर और (III) लेबल (एड्रेस टैग) लगाकर, जैसा रिटर्निंग अधिकारी के स्तर पर 'कैंडिडेट सेट सेक्शन' में लगाया गया है, मुहरबन्द किया जाना चाहिए।

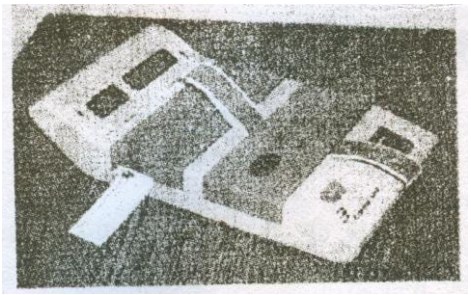

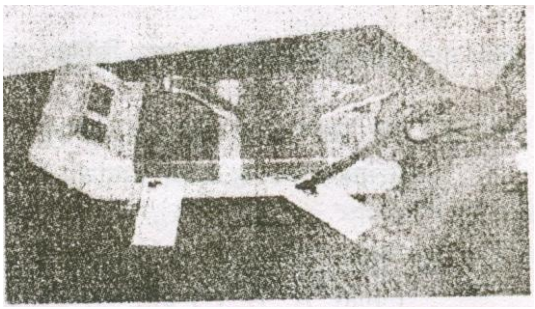

2.3 एड्रेस टैग में निम्नलिखित विशिष्टियाँ होंगीः–

नगर निगम का नाम–
पद का नाम–
वार्ड संख्या (सदस्य/पार्षद) के निर्वाचन के लिए
कन्ट्रोल यूनिट संख्या.....
मतदान स्थल की क्रम संख्या और नाम .....
मतदान का दिनाँक .....

2.4 रिटर्निंग अधिकारी मतदान सामग्री के भाग के रूप में पर्याप्त संख्या में खाली मुद्रित एड्रेस टैग उपलब्ध कराएगा। आपको एड्रेस टैग में सतर्कता पूर्वक विशिष्टियाँ भरनी चाहिए। इसके नीचे के हिस्से में प्रत्येक नियंत्रण यूनिट की क्रम संख्या लिखी जानी चाहिए।

2.5 उपस्थित अभ्यर्थी या उनके मतदान अभिकर्ता को भी बाहरी कवर पर उनकी मुहर लगाया जाना अनुज्ञात किया जाना चाहिए, यदि वे ऐसा करना चाहें।

2.6 आन्तरिक कक्ष और बाहरी कवर को इस प्रकार बन्द करने और सील करने से सम्पूर्ण परिणाम सेक्शन मुहरबन्द और सुरक्षित हो जाएगा तथा नियंत्रण यूनिट द्वारा रिकार्ड किए गए मतों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी।

3. स्ट्रिप सील :

3.1 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सीलिंग कार्यो में सुधार लाने हेतु भारत निर्वाचन आयोग ने एक बाहरी सील को छापने की अनुमति दी है जिससे कि कन्ट्रोल यूनिट के परिणाम कक्ष को एक बाहरी कागज की पट्टी (जिसको कि अब ग्रीन पेपर सील कहा जाएगा) से सील करने की सुविधा प्रदान की है, ताकि कन्ट्रोल यूनिट के इस क्षेत्र को खोला न जा सके। जब मतदान शुरू हो गया हो और जब तक की मतगणना समाप्त हो चुकी हो, यह इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जब मशीन में मतदान केन्द्र में पहला वोट डाला गया हो और जब तक मतगणना मेज तक न आ जाए कोई भी व्यक्ति परिणाम कक्ष को बिना सील पट्टी को नुकसान पहुंचाए न खोल सके।

3. 2 प्रत्येक मतदान केन्द्र जहाँ ई0वी0एम0 का इस्तेमाल होना है, कन्ट्रोल यूनिट को सील पट्टी से सुरक्षित एवं सील कर देना है।

स्ट्रिप सील का विस्तृतृत विवरण :

(I) स्ट्रिप सील कागज की एक सील होती है जिसकी लम्बाई 23.5 इंच और चौड़ाई 1 इंच होती है। पट्टी की लम्बाई ऐसी होती है जिसे कि कन्ट्रोल यूनिट की चौड़ाई पर आसानी से लपेटा जा सके ताकि मतगणना होने से पूर्व और जब अन्य मापदण्ड सीलों को कन्ट्रोल यूनिट पर लगाया जा चुका है, कन्ट्रोल यूनिट को एक बाहरी सील मिल जाए।

(II) ग्रीन पेपर सील पर एक विशिष्ट पहचान नम्बर होता है।

(III) यह स्ट्रिप सील एक ऐसे संस्थान से उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे कि आयोग ने अधिकृत किया है।

(IV) स्ट्रिप सील के दोनो सिरों पर चार स्टीकर लगे हुए हैं। इनमें से तीन हिस्सों का वर्ग एक वर्ग इंच (अक्षर A, B, C) द्वारा पहचाने जाऐंगे और एक का वर्ग दो वर्ग इंच होगा (D अक्षर से पहचाना जाएगा)। प्रत्येक स्टीकर वाला हिस्सा वैक्स पेपर से ढँका होगा।

(V) स्ट्रिप सील की एक आन्तरिक परत और एक बाहरी परत होगी। आन्तरिक परत के एक छोर पर पहले से गोंद लगे हुए दो समन्वय स्थल होंगे (जो A और B अक्षर से चिह्नित हैं)। आन्तरिक परत के दूसरे छोर पर दो वर्ग इंच का स्टीकर D द्वारा चिह्नित किया गया है। पट्टी के बाहरी तरफ खाली एक ही स्टीकर होगा जिस पर C अक्षर चिह्नित होगा। स्ट्रिप सील की आकृति आन्तरिक एवं बाहरी तरफ को दिखाती हुई नीचे दी गई है। पट्टी के भीतर और बाहरी भाग में गोंद लगे हैं। स्ट्रिप सील के बाह्य और आंतरिक सील का चित्र दिया गया है। काला भाग गोंद वाला हिस्सा है।

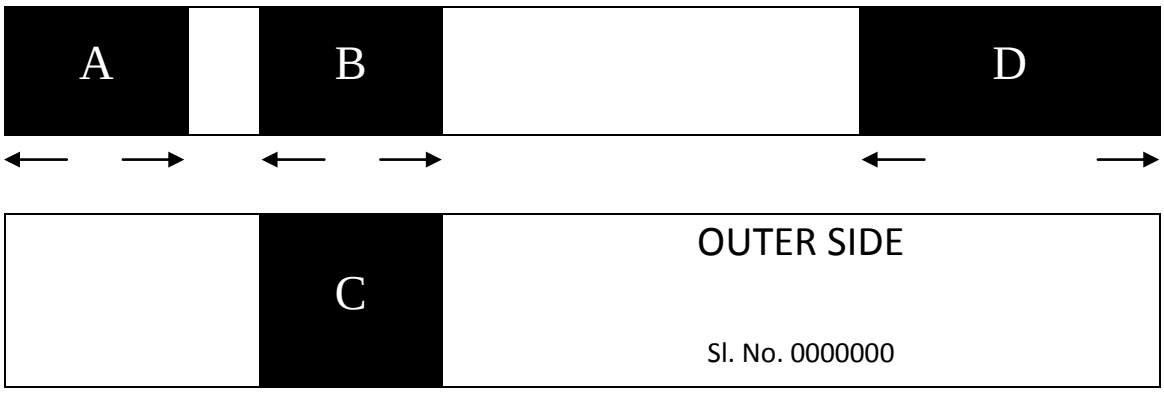

4. **कन्ट्रोल यूनिट को स्ट्रिप सील सहित सील करने का पूर्ण तरीका :**

आसानी से समझाने हेतु पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्न कदम लिए जाने हैं ताकि सील पट्टी को स्थाई किया जा सके :–

(i) असली मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी एक दिखावटी मतदान करता है।

(ii) दिखावटी मतदान करने के उपरान्त और परिणाम दर्शाते हुए पीठासीन अधिकारी कन्ट्रोल यूनिट का आंकड़ा जिसका कि दिखावटी मतदान से सम्बन्ध हो 'क्लीयर' बटन दबा कर साफ कर देता है।

(iii) साफ करने के बाद वह ग्रीन पेपर सील (BEL मशीन के सम्बन्ध में दो सील और ECIL मशीन के सम्बन्ध में एक सील) परिणाम क्षेत्र के आन्तरिक दरवाजे की खिड़की को ढंकने के लिये डालेंगे। ग्रीन पेपर सील डालते समय सह सुनिशिचित कर लेना चाहिए की सील का हरा क्षेत्र दरवाजे की खिड़की, बन्द करने के उपरान्त दिखाई दे रहा है।

(iv) ग्रीन पेपर डालने के बाद परिणाम बटन के ऊपर का आन्तरिक दरवाजा बन्द कर देना चाहिए।

(v) तब परिणाम कक्ष का दरवाजा स्पेशल टैग द्वारा सील कर देना चाहिए।

(vi) स्पेशल टैग लगाने के बाद परिणाम कक्ष का बाहरी दरवाजा बन्द कर दें ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि ग्रीन पेपर सील के दोनो खुले छोर बन्द बाहरी दरवाजे से बाहर निकले रहें। (BEL मशीन के लिए फोटो/ECIL मशीन के लिए फोटो)।

(vii) तत्पश्चात् पीठासीन अधिकारी बाहरी दरवाजे को धागे एवं एड्रेस टैग द्वारा सील कर दें।

(viii) इसके पश्चात् वह स्ट्रिप सील को कन्ट्रोल यूनिट के परिणाम कक्ष के चारों तरफ इस तरह से लपेटेगा ताकि वह क्षेत्र मतदान आरम्भ होने के बाद स्ट्रिप सील को नुकसान पहुँचाए बिना न खोला जा सके। स्ट्रिप सील को लगाने का तरीका नीचे दिया गया है। BEL मशीन एवं ECIL मशीन में स्ट्रिप सील को लगाने के तरीके में कुछ अन्तर है। नीचे दिये गये निर्देशों को उस तरीके से पालन करें जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने EVM उपलब्ध कराया है।

(ix) स्ट्रिप सील को परिणाम कक्ष के बाहर सील करने के पूर्व, पीठासीन अधिकारी को पेपर सील के क्रम संख्यांक के ठीक नीचे अपने पूरे हस्ताक्षर तुरन्त करने चाहिए। इस पर ऐसे अभ्यर्थियों का उनके मतदान आभिकर्ताओं जो उपस्थित हों और अपने हस्ताक्षर करने के इच्छुक हों, के हस्ताक्षर कराए जाऐंगे। पीठासीन अधिकारी को सत्यापित करना चाहिए कि पेपर सील पर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर, नियुक्ति पत्रों पर उनके हस्ताक्षरों से मेल खाते हैं।

(x) स्ट्रिप सील को रबर कैप के ठीक नीचे इस प्रकार लगाया जाए कि वो (क्लोज) बटन को ठीक प्रकार से ढक ले। स्ट्रिप सील को लगाने का विस्तृत तरीका नीचे दिया जा रहा है। BEL मशीन और ECIL मशीन को फिक्स करने के तरीकों में थोड़ी सी ही असमानता है।

5. BEL मशीनों को स्ट्रिप सील द्वारा सील करने का तरीका

पहला कदम – स्ट्रिप सील के स्टीकर वाले हिस्से A को ग्रीन पेपर सील के धरातल के पास इस तरह से रखें ताकि ग्रीन पेपर सील आन्तरिक दरवाजे के अन्त से लटकती रहे। क्षेत्र A के ऊपर से वैक्स पेपर हटा दें। तत्पश्चात् ग्रीन पेपर सील का आन्तरिक परत को गोंद लगे परत के ऊपर दबाएं, ग्रीन पेपर सील के बाहरी परत को अन्दरूनी परत के ऊपर रखें।

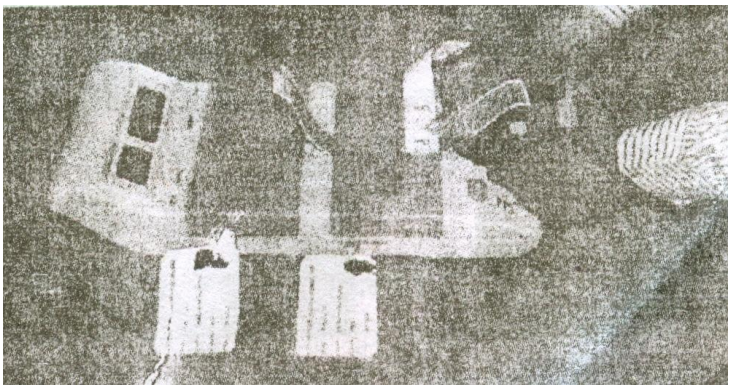

दूसरा कदम – स्टीकर वाले क्षेत्र B के ऊपर से भी वैक्स पेपर हटा दें। इस गोंद लगे भाग B को ग्रीन पेपर सील की बाहरी परत पर दबा दें। B क्षेत्र को ग्रीन पेपर सील के ऊपर चिपकाने के बाद गोंद लगाकर क्षेत्र C ऊपरी स्थिति में आ जाएगा।

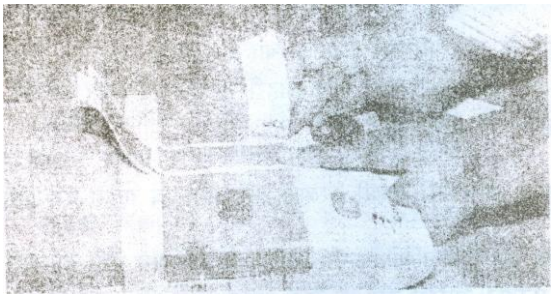

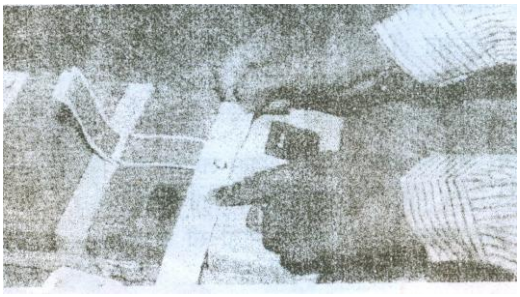

तीसरा कदम – स्टीकर C के ऊपर के वैक्स पेपर को हटा दें और ग्रीन पेपर सील दोनों छोरों को जो कि बाहरी दरवाजे के ऊपरी क्षेत्र से लटक रहे हैं इस तरह से दबाएं ताकि ग्रीन पेपर सील आन्तरिक परत C क्षेत्र के ऊपर पूर्णतः चिपक जाऐं।

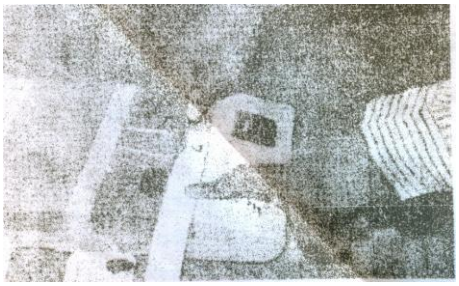

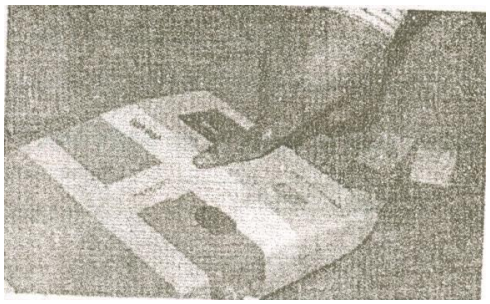

चौथा कदम – स्ट्रिप सील के बचे हुये भाग को कन्ट्रोल यूनिट के बाईं तरफ से ऐसे घुमाएं एवं सुनिश्चित करें की पट्टी 'क्लोजेज बटन' के नीचे से निकले। स्ट्रिप सील के दूसरे सिरे को कन्ट्रोल यूनिट के दांई तरफ से बाहरी दरवाजे के ऊपरी तरफ से लाएं जहाँ कि स्टीकर A B C चिपकाये गए हैं।

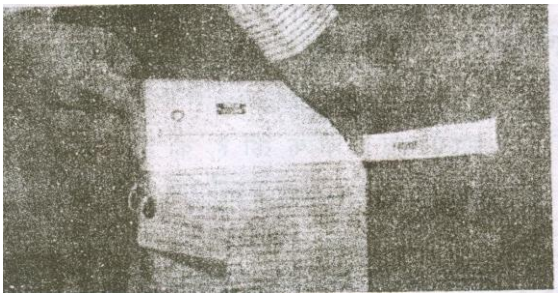

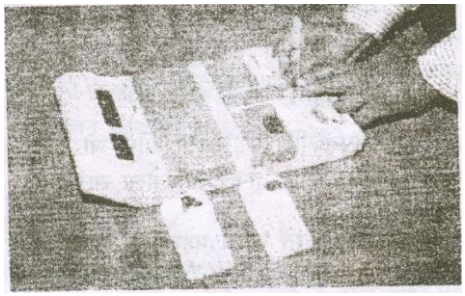

पाँचवाँ कदम – स्टीकर D के ऊपर से वैक्स पेपर हटाएं और उसे ग्रीन पेपर सील जो कि ऊपरी दरवाजे से लटक रही है उसके ऊपर दबा दें जो गोंद लगा D हिस्सा स्ट्रिप सील के ऊपर फैल जाता है। इस फैले हुये क्षेत्र D को स्ट्रिप सील के ऊपर दबा दें।

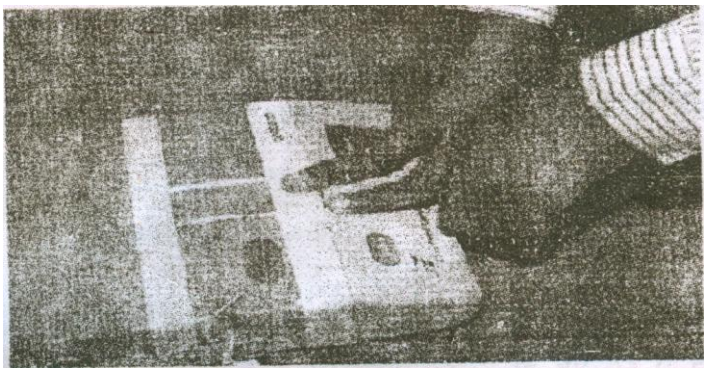

ऊपर दिये गए तरीकों द्वारा ग्रीन पेपर सील के चारों खुले क्षेत्र जोकि दरवाजे से लटक रहे हैं स्ट्रिप सील द्वारा पकड़ एवं चिपका दी जाती है। इसी समय परिणाम कक्ष का बाहरी दरवाजा भी इसी स्ट्रिप सील द्वारा हर तरफ से सील कर दिया जाता है और यह कक्ष बिना ग्रीन पेपर सील को नुकसान पहुंचाए नहीं खोला जा सकता।

6. स्ट्रिप सील स्थाई करने के बाद कंट्रोल यूनिट का पावर स्विच बंद करना :

कन्ट्रोल यूनिट को स्ट्रिप सील द्वारा सील करने के पश्चात् पीठासीन अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करेगा कि सील मतगणना के दौरान न तो नष्ट की गई है, न ही उसमें कोई बदलाव किया गया है और यह सील मतदान के बाद मतदान केन्द्र पर हटाई नहीं जाएगी।

7. मतदान खत्म हो जाने के पश्चात् पीठासीन अधिकारी क्लोज बटन के ऊपर का ढक्कन ऐसे हटाएगा कि स्ट्रिप सील को छेड़ा न जाए और क्लोज बटन को दबाएगा एवं ढक्कन को लगा देगा। मतदान समाप्त हो जाने के बाद अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् पीठासीन अधिकारी कन्ट्रोल यूनिट को सावधानी से सीलबन्द कर पैक करेगा और उसके खोल को भी सील करेगा। यह सील लगा हुआ खोल मतगणना स्थल पर, अन्य सामग्री सहित नियंत्रण कक्ष में जमा कर दिया जाएगा।

8. मतगणना वाले दिन कन्ट्रोल यूनिट जिसे कि स्ट्रिप सील द्वारा बन्द किया गया है अभ्यर्थी द्वारा या गणना अभिकर्ता द्वारा निरीक्षण करने के लिए दिया जाएगा। इसके पश्चात् ही सील हटाई जाएगी। इस बात को सुनिश्चित करते हुए कि ग्रीन पेपर सील न टूटने पाये।

ग्रीन पेपर सील, एड्रेस टैग सील जो कन्ट्रोल यूनिट के बाहरी कक्ष से लटक रही है, का निरीक्षण करने के तत्पश्चात् ही कन्ट्रोल यूनिट को खोला जाएगा।

9. स्ट्रिप सील करते समय महत्वपूर्ण सावधानियाँ :

(i) यह स्ट्रिप सील इस तरह से लगाई जाएगी कि क्लोज बटन कैप के नीचे से परिणाम कक्ष के बाहरी दरवाजे को पूर्ण रूप से ढके। इस पट्टी को स्थाई करते समय यह सुनिशिचित कर लेना चाहिये कि क्लोज बटन को साफ छोड़ दिया गया है एवं थोड़ा भी नहीं ढका गया है ताकि इस बटन को इस्तेमाल करने में कोई तकलीफ न हो।

(ii) स्ट्रिप सील स्थाई रूप से पक्की कर दी जाएगी और खुली नहीं छोड़ी जाएगी।

(iii) टूटी हुई स्ट्रिप सील इस्तेमाल न करें।

(iv) हर मतदान केन्द्र को 04 स्ट्रिप सील दी जाएगी जैसा कि ग्रीन पेपर सील होती है।

(v) पीठासीन अधिकारी हर स्ट्रिप सील जो कि मतदान केन्द्र पर मतदान करने हेतु दी गई है, के लिये उत्तरदायी होगा।

(vi) हर स्ट्रिप सील जो कि इस्तेमाल में नहीं लाई गई हो (उन पट्टियों और उन टुकडों को भी जो आकस्मिक रूप से टूट गए हों या खराब हो गए हों) पीठासीन अधिकारी द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को लौटा देनी है। यदि स्ट्रिप सील किसी समय किसी अनधिकृत व्यक्ति के हाथों में पाई जाती है तो पीठासीन अधिकारी व रिटर्निंग अधिकारी इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराए जाऐंगे।

(vii) जिला निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक रिटर्निंग अधिकारी को आपूर्ति किए गए स्ट्रिप सील के क्रम संख्या का एक रिकार्ड तैयार करवाएंगे और इसी तरह प्रत्येक रिटर्निंग

अधिकारी प्रत्येक पोलिंग स्टेशन के लिये आपूर्ति की गई स्ट्रिप सील का रिकार्ड रखेंगे।

(viii) आयोग स्ट्रिप सील का एक नमूना प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण हेतु जारी करेगा। यह स्ट्रिप सील भी सुरक्षित रखी जाएगी। स्ट्रिप सील के प्रशिक्षण अथवा प्रदर्शन जैसी भी स्थिति हो, के पश्चात् प्रयोग की गई स्ट्रिप सील को श्रेडिंग मशीन द्वारा नष्ट किया जाए।

10. वास्तविक मतदान के लिए तैयार मतदान मशीन :

10.1 अब मतदान मशीन सभी तरह से वास्तविक मतदान के उपयोग के लिये तैयार है।

10.2 मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व आपको यूनिट (यूनिटें) मतदान कक्ष के भीतर रखनी चाहिए। जैसा पहले ही अनुदेशित किया गया है, मतदान कक्ष आपकी मेज से पर्याप्त दूरी पर स्थित होना चाहिए जहाँ नियंत्रण यूनिट रखी और प्रचालित की जाएगी। मतदान यूनिट और नियंत्रण यूनिट के बीच परस्पर सम्बद्ध केबिल की लम्बाई लगभग पांच मीटर है। इसलिये मतदान कक्ष युक्तियुक्त दूरी पर होना चाहिए। साथ ही केबिल का रास्ता इस प्रकार होना चाहिए कि यह मतदान केन्द्र के भीतर के मतदाताओं के आने–जाने में बाधा कारित नहीं करता हो और उनको इसे लांघकर नहीं जाना पड़े। किन्तु पूरे केबिल की लम्बाई साफ दिखाई पड़े। किसी भी स्थित में वह कपड़े या टेबल के नीचे छिपी न हो, मतदान कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रखते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि मतदान की गोपनीयता का निषेध न हो।

ECIL मशीनों को स्ट्रिप सील द्वारा बन्द करने का तरीका

ECIL मशीन में सिर्फ एक हरी पेपर सील उपयोग की गई है। अतएव उसी हरी पेपर सील के दोनों खुले सिरे रिजल्ट सेक्शन के बाहरी दरवाजे तक किए जाते हैं। मतदान मशीन के नवीनतम सुधरे मॉडल में भी, भले ही बी0ईएल0 या ई0सी0आईएल0 द्वारा निर्मित हों, केवल एक हरी सील ही उपयोग की जाती है। इसी मॉडल बनावट की मशीनों को सील करने के निम्नलिखित कदम है (साथ ही मतदान मशीन की नवीनतम सुधरे माडल माडल में भी) स्ट्रिप सील के साथ :–

ECIL मशीन में केवल एक ग्रीन पेपर सील प्रयुक्त होती है। इसलिये ग्रीन पेपर सील मशीन के दोनों तरफ के शेष भाग से परिणाम सेक्शन पर आ जाता है।

स्ट्रिप सील निम्नलिखित तरीके से लगाया जाता है :–

पहला कदम – ग्रीन पेपर सील डबल फोल्ड के साथ रिजल्ट सेक्शन के बाहरी दरवाजे के निचले भाग से कसते हुए, मध्य से मोड़ें।

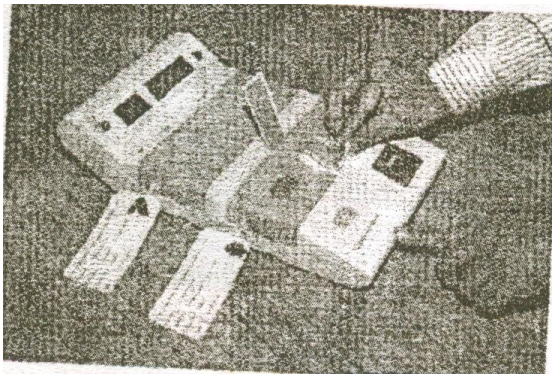

दूसरा कदम – जिस तरफ स्टीकर लगा हो 'A' उसको ग्रीन पेपर सील के आन्तरिक भाग से जोड़ कर EVM के अन्दर के भाग से परिणाम सेक्सन पर लगाकर स्टीकर 'A' को खोलकर ग्रीन पेपर सील पर चिपका दें। 'A' पर लगा वैक्स पेपर हटा दें तथा आंतरिक सतह (हरी बाजू) वाली हरी पेपर सील को गोंद लगे स्थान पर चिपकाकर दबा दें।

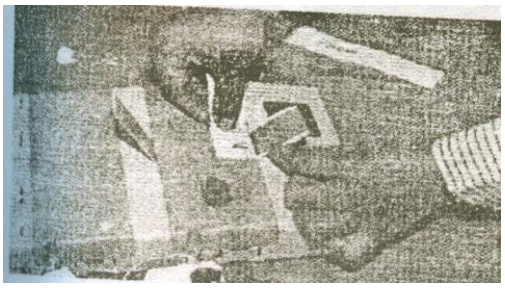

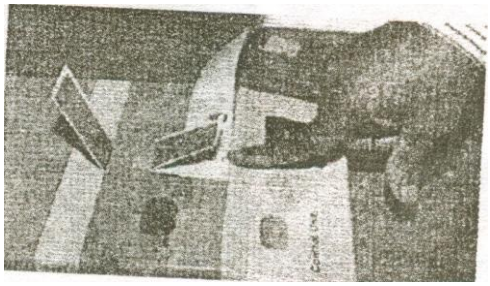

तीसरा कदम – 'B' की तरफ का वैक्स पेपर खोलकर ग्रीन सील के ऊपरी भाग पर चिपका दें तथा इसे गोंद लगे भाग को फोल्डेड भाग पर हरी सील चिपका दें (पुनः हरी बाजू)

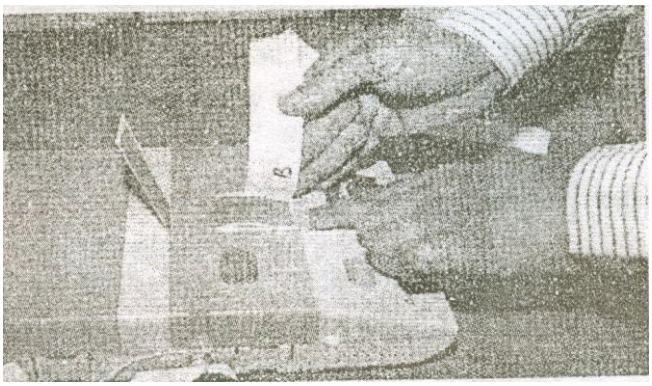

चौथा कदम – 'B' को ग्रीन पेपर सील पर चिपकाने पर 'C' ऊपर की तरफ आ जाएगा। 'A' का वैक्स पेपर खोलकर ऊपरी भाग से मशीन को ग्रीन पेपर सील पर चिपका कर सील करें। 'C' के ऊपर का वैक्स पेपर हटा दें। ग्रीन पेपर सील को ऐसे चिपकाएं कि वह बाहरी दरवाजे के बाहरी भाग तक चली जाए ताकि हरी पेपर सील 'C' पर पूर्णतः चिपक जाए (अब हरी सील का सफेद भाग ऊपर की ओर जाएगा तथा बाहर से दिखाई पड़ेगा।

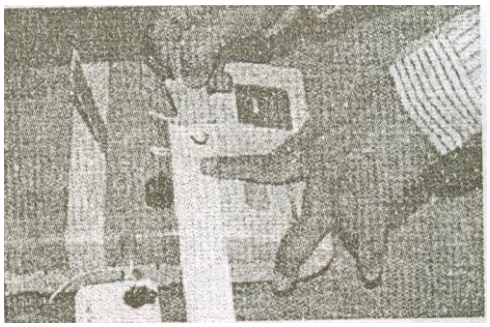

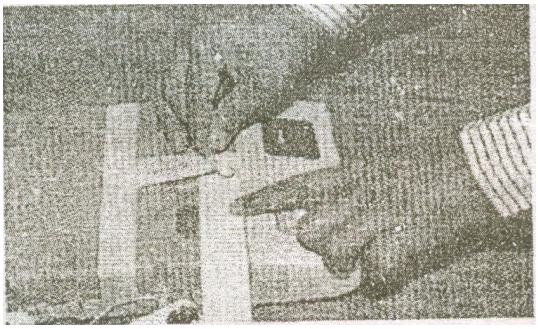

पाँचवाँ कदम – स्ट्रिप सील के बचे भाग को बायें तरफ से सावधानी से क्लोज बटन के नीचे से लाएं। स्ट्रिप सील के बाकी बचे भाग को दायें तरफ से कन्ट्रोल यूनिट के ऊपरी दरवाजे पर लाएं जहाँ ABC चिपकाये गये हों।

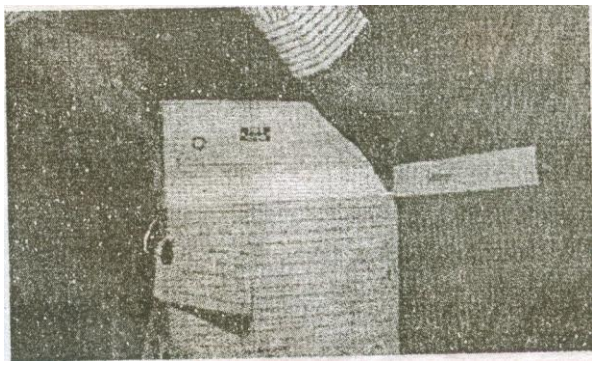

छठां कदम – 'D' पर लगे वैक्स पेपर को हटा कर ग्रीन पेपर सील के ऊपर से लाकर चिपकाएं। जो बाहरी दरवाजे से अन्दर जा रहा हो तथा 'C' पर पूर्व से लगे गोंद से चिपक जाए। 'D' का भाग क्लोज बटन के नीचे स्ट्रिप सील पर आंशिक रूप से आ जाता है। 'D' के स्पिल्ड ओवर भाग को स्ट्रिप सील पर मजबूती से दबा दें।

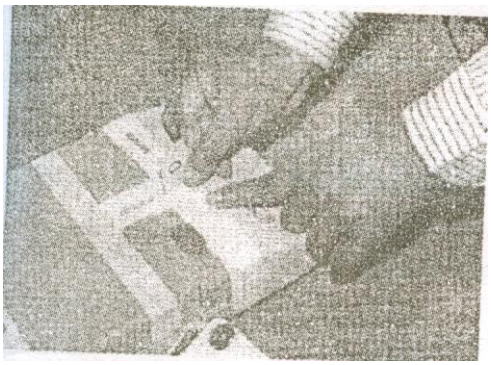

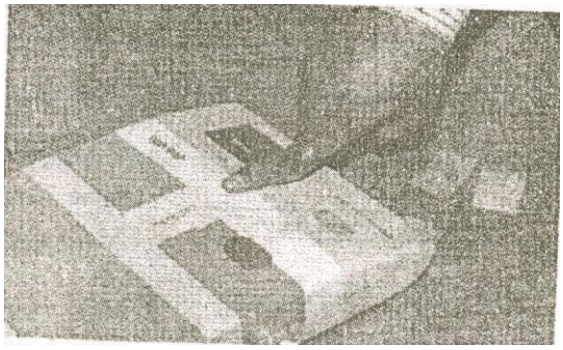

इस कार्य से ग्रीन पेपर सील जो दांई तरफ से निकले होते हैं पूर्ण रूप से स्ट्रिप सील द्वारा कस लिए जाते हैं। इस कार्य से परिणाम कक्ष का बाहरी दरवाजा भी स्ट्रिप सील से पूर्ण तरीके से सील हो जाता है और सील को नुकसान पहुंचाए बिना परिणाम कक्ष को खोला नहीं जा सकता है।

11. नवीन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की प्रस्तावना :

सन् 2007 में भारत निर्वाच आयोग ने अपग्रेडेड मॉडल वोटिंग मशीन का पहली वार मणिपुर विधान सभा के सामान्य निर्वाचन जो कि 2007 में सम्पन्न हुए थे, पहलीवार यह उपयोग किया गया। बी.ई.एल. बेंगलूर एवं ई.सी.आई.एल. हैदराबाद द्वारा निर्मित वोटिंग मशीनों का स्वरूप एवं विशेषताएं ज्यादातर उसी तरह है सिर्फ कुछ अतिरिक्त नवीन विशेषताओं के।

11.1 अतिरिक्त विशेषताएं–

(क) न्यूमेरिक इन ब्रेल चिह्न (1–16) बैलेटिंग यूनिट मुख पृष्ठ पर सीधे हाथ पर है जो कि दृष्टिबाधित व्यक्तिओं की सहायता के लिए उपलब्ध है।

11.2 नवीन सुधार–

(क) नवीन मॉडल में प्रदर्शित पैनल में दो की जगह केवल एक खिड़की है।

(ख) प्रदर्शित पैनल अब दो लाइनों में 24 कैरेक्टर्स प्रदर्शित करता है।

(ग) कनेक्टर का हुड जो कि इंटर कनेक्टिंग केबिल से जुड़ा है उसका एक छोर बैलेट यूनिट से स्थायी रूप से संलग्न रहता है। अब दो अलग रंगों के स्प्रिंग क्लिप्स उसे एक काला और दूसरा लाल दिए गए हैं। फीमेल सॉकेट का एक छोर पिछले रियर कक्ष के नियंत्रण कक्ष का लाल रंग है ताकि आसानी से आइडेंटिफाई हो सके। लाल स्प्रिंग क्लिप लाल साइड सॉकेट से मिलान होगा और काले स्प्रिंग क्लिप का काले साइड सॉकेट से मिलान होगा।

(घ) रिजल्ट बटन रिजल्ट सेक्शन से नए रिजल्ट बटन से बदला गया है।

(ङ) रिजल्ट–2 बटन रिजल्ट सेक्शन से हटाकर उसकी जगह पर नया बटन प्रिंट लगाया गया है। वोटिंग मॉडल के नवीन मॉडल में रिजल्ट डाटा प्रिंट करने की सुविधा प्रदान की गई है। जब प्रिंट बटन दबाया जाता है तो नियंत्रण यूनिट 'PRINTING* प्रदर्शित करती है। परिणाम डाटा को प्रिंट करने के लिए परिणाम कम से कम एक बार देखा जाता है।

(च) परिणाम सेक्शन का अन्दर का कवर जिसमें कि रिजल्ट और प्रिंट बटन दिए हैं उसमें एक खिड़की हरे कागज की सील को अन्दर करने के लिए है जैसा कि ई. सी.आई.एल. मशीन के पुराने मॉडल में है। इसलिये केवल एक हरे पेपर की सील नवीन मॉडल की मशीन में वोटिंग मशीन में वोटिंग मशीन को सील करने के लिए उपयोग की गई है।

(छ) नियंत्रण कक्ष के बटन जिस क्रम में उन्हें दबाना है अब ई.सी.आई.एल. वोटिंग मशीन जैसा ही है। क्रम इस प्रकार है Clear-'Cand-Set-'Clear'-Ballot-'Close'-Result, Cand बटन के बाद बटन और कोई भी सीधे बैलेट बटन दबा सकता है। यदि बटन सही क्रम में नहीं दबाया जाए तो प्रदर्शित पैनेल पर Invalid Message प्रदर्शित होगा।

12 विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन जो कि प्रदर्शन पैनल पर आएंगे और उनका क्या अर्थ होगा–नीचे दर्शाया गया है :

(a)	LINK ERROR	LINK ERROR, BU में बताता है।
(b)	PRESSED ERROR	यह दर्शाता है कि पहले BU में किसी मतदाता द्वारा यह बटन दबा रह गया या जाम हो गया।
(c)	ERROR	दर्शाता है कि नियंत्रण यूनिट उपयोग के लिये सही नहीं है।
(d)	INVALID	दर्शाता है कि बटन क्रम में नहीं दबाए गए हैं।
(e)	CU ERROR	दर्शाता है कि नियंत्रण यूनिट बदला जाए।
(f)	BU – 1 ERROR	दर्शाता है कि BU-1 को बदलना है।
(g)	CLOCK ERROR	दर्शाता है कि Real Time Clock (RTC) सही काम नहीं कर रहा है।
(h)	END	दर्शाता है, कि क्लीयर और रिजल्ट बटन दबाने के बाद दर्शित क्रम समाप्त हो गया है।
(i)	FULL	यह दर्शाता है कि अधिकतम संख्या के वोट (2000) जिनके लिये मशीन बनाई गई है डाले जा चुके हैं। मशीन 2000 वोट अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकती है।
(j)	CANDIDATE 6	दर्शाता है कि मशीन 6 उम्मीदवारों के लिए सेट की गई है।
(k)	TOTAL POLLED VOTES 1487	दर्शाता है कि 1487 वोटरों का मतदान हो चुका है।
(l)	CANDIDATE 06 235	दर्शाता है कि उम्मीदवार नं. 6 ने 235 वोट डाले।
(m)	----------	दर्शाता है कि पावर पैक कमजोर है।
(n)	CHANGE BATTERY	दर्शाता है कि पावर पैक को बदला जाए क्योंकि बैटरी की स्थिति परिवर्तन की दशा में पहुंच गई है।

(o)	BATTERY HIGH	इंगित करता है कि बैटरी क्षमता पूर्ण है।
(p)	BATTERY MEDIUM	इंगित करता है कि बैटरी क्षमता मध्यम है।
(q)	BATTERY LOW	इंगित करता है कि बैटरी क्षमता बहुत कम है।
(r)	DTE 16-01-07 TME 09-43-34	दिनाँक और समय इंगित करता है।
(s)	SL NO-H00003	इंगित करता है नियंत्रण कक्ष का क्रमांक जो CU के पृष्ठ भाग पर है
(t)	COMPUTING RESULT	इंगित करता है परिणाम की गणना।
(u)	PST 09-50-20 PET 15-32-10	मतदान शुरू होने का समय और मतदान अन्त होने का समय।
(v)	RESULT PDT 16-01-07	इंगित करता है परिणाम और मतदान दिनाँक।
(w)	PRINTING	इंगित करता है कि प्रिंटिंग जारी है।
(x)	DELETING POLLED VOTES	डाले गये मत जो CU से विलोपित हो गए।

नियंत्रण इकाई के पावर स्विच को ऊपर की ओर पुश करके आन पोजीशन में लाते हैं तो बीप की आवाज होगी तथा नियंत्रण इकाई के प्रदर्शन भाग पर ''ऑन लैम्प'' हरा हो जाएगा तथा निम्नलिखित DISPLAY प्रदर्शन सेक्शन पर इंगित होगा।

EVM IS ON	_ _ _ _ _ _ _
DTE 16-01-07 TME 09-43-34	दिनाँक, माह एवं वर्ष तथा समय को घंटे, मिनट, सेकण्ड में दर्शाता है।
SL NO-H00003	कंट्रोल इकाई का क्रमांक इंगित करता है।
CANDIDATE 10	इंगित करता है कि उम्मीदवार दस हैं।

BATTERY

इंगित करता है कि बैटरी की क्षमता पूर्ण है।

SET CANDIDATE

जब ''कैंड सेट'' बटन दबाया जाता है तब लैंप जल उठेगा हरी रोशनी से, तब मशीन को उम्मीदवारों के नम्बरों के अनुसार जमाएं।

प्रदर्शित पैनल पर प्रदर्शित अन्य :–

जब सारे बटन ''O'' पर सेट हों तो मशीन का क्लीयर बटन दबाएं।

DELETING POLLED VOTES

CANDIDATE 9

अगर मशीन को 09 उम्मीदवारों के लिए सेट किया गया है–

TOTAL POLLED VOTES 0

CANDIADTE – 01 VOTES 0

CANDIADTE – 02 VOTES 0

CANDIADTE – 03 VOTES 0

CANDIADTE – 04 VOTES 0

CANDIADTE – 05 VOTES 0

CANDIADTE – 06 VOTES 0

CANDIADTE – 07 VOTES 0

CANDIADTE – 08 VOTES 0

CANDIADTE – 09 VOTES 0

END

दिखावटी मतदान समाप्त होने पर जब क्लोज बटन बजाया जाता है तो प्रदर्शित पैनल पर यह प्रदर्शित होगा :–

CLOSING	
DTE 12-01-07 TME 10-34-56	
SL NO-H00003	
CANDIDATES 16	(जब कुल उम्मीदवार 16 हों)
TOTAL POLLED VOTES - 200	
POLL CLOSED	(यदि डाले गए मत 200 हैं)

जब रिजल्ट वाला बटन दबाया जाएगा तो प्रदर्शन पैनल पर यह प्रदर्शित होगा –

COMPUTING RESULT	
POLL RESULT PDT 16-01-07	(PDT मतदान की दिनाँक)
PST 09-50-20 PET 15-32-10	(PST मतदान शुरू होने का समय) (PET मतदान समाप्त होने का समय)
SL NO-H00003	(नियंत्रण इकाई के क्रमांक PCB)
CANDIDATES 9	(उम्मीदवारों की संख्या 9)
TOTAL POLLED VOTES - 54	(डाले गए मतों की संख्या 54)

CANDIDATE-01
VOTES-6

CANDIDATE-02
VOTES-6

CANDIDATE-03
VOTES-6

(यदि 54 मत ही डाले गये, 6 हर उम्मीदवार के लिए)

यदि मतदान एक से अधिक दिन तक चलता है तो परिणाम इस तरीके से दर्शाया जाएगा।

COMPUTING
RESULT

POLL RESULT
DAYS OF POLL

PDT 01-02-07
TOTAL 50

PDT 03-02-07
TOTAL 50

दर्शाई गए दिनाँक में डाले गये मतों की संख्या

SL NO – H00003

CANDIDATES
9

TOTAL POLLED
VOTES - 2000

CANDIDATE-01
VOTES - 10

CANDIDATE-09 VOTES - 10

CANDIDATE-01 VOTES - 10

END

अंकित दिनाँक पर डाले गए मतों की संख्या जब ''Total'' बटन को समय–समय के जानकारी हेतु दबाया जाए तो इस तरह प्रदर्शित होगा–

BATTERY HIGH

DTE 01-02-07 TME 07-05-50

CANDIDATES 09

TOTAL POLLED VOTES - 200

(यह केवल एक उदाहरण है)

मतदान समाप्त होने के समय जब EVM बन्द करने के लिए क्लोज बटन को दबाया जाए तो आखिरी मतदाता ने जो अपना मत रिकार्ड किया है वह प्रदर्शित पैनल पर प्रदर्शित होगा :–

CLOSING

DTE 02-01-07 TME 10-34-56

SL NO- H00003

यदि कंट्रोल यूनिट का क्रमांक H0003 हो।

CANDIDATES 16

यदि मशीन 16 प्रत्याशियों के लिए सेट हो।

TOTAL POLLED VOTES - 200

यदि डाले गए कुल मतों की संख्या 200 हो।

POLL CLOSED

अध्याय–14

मतदान का प्रारम्भ

1. मतदान का प्रारम्भ

मतदान नियत समय पर प्रारम्भ करें। तब तक आपकी प्रारम्भिक तैयारियां पूरी हो जानी चाहिए। यदि दुर्भाग्यवश प्रारम्भिक तैयारियां पूरी नहीं हो पाई हों तो मतदान प्रारम्भ होने के नियत समय पर इसका कारण पीठासीन अधिकारी की डायरी में लिखें। तीन या चार मतदाताओं को प्रवेश कराएं और मतदान अधिकारी को उनकी पहचान इत्यादि के सम्बन्ध में व्यवहार करने दें जब तक आपकी प्रारम्भिक तैयारियों पूरी न हो।

2. मतदान की गोपनीयता के बारे में चेतावनी

मतदान प्रारम्भ करने के पूर्व उपस्थित समस्त व्यक्तियों को मत की गोपनीयता को बनाए रखने के उनके कर्तव्य और उसके किसी भंग के लिए शास्ति के सम्बन्ध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा–128 के उपबंधों को स्पष्ट करें।

3. अमिट स्याही के लिये पूर्व सावधानियाँ

अमिट स्याही के प्रभारी मतदान अधिकारी से पर्याप्त पूर्व सावधानियाँ अपनाने को कहा जाए कि अमिट स्याही वाली शीशी ऐसी रीति से रखी जाए कि मतदान के दौरान यह एक तरफ झुके और फैले नहीं। इस प्रयोजन के लिए एक कप या किसी खाली सिगरेट डिब्बी, टिन या चौड़े पेंदे वाले बर्तन में कुछ मिट्टी लें और बर्तन के बीच शीशी को, उसकी लम्बाई के पौन हिस्से तक मिट्टी में डाल दें ताकि यह मिट्टी में मजबूती से गड़ी रहे। यह भी सुनिश्चित कर लें कि कार्क से जुड़ी हुई प्लास्टिक राड शीशी में रहे और मतदाता की तर्जनी को चिह्नित करने के प्रयोजन के अलावा निकाली नहीं जाए। राड को इसके चिह्नित करने वाले हिस्से को सदैव नीचे की ओर करके रखा जाए। अन्यथा, राड से कुछ स्याही टपक जाएगी और इसका उपयोग करने वाले व्यक्ति की अंगुलियां खराब कर देगी।

4. प्ररूप 17–क में मतदाताओं का रजिस्टर

मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को यह भी दर्शित करें कि मतदाताओं का रजिस्टर (प्ररूप–17क), जिसमें ऐसे प्रत्येक मतदाता के सबन्ध में प्रविष्टियाँ की जाऐंगी जिसे मत देने के लिए अनुज्ञात किया जाता है और हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी अभिप्राप्त किए जाते हैं, में किसी निर्वाचक के सम्बन्ध में पहले से कोई प्रविष्टि नहीं की गई है।

5. मतदान केन्द्र में मतदाताओं के प्रवेश को विनियमित किया जाना :

5.1 पुरूष और महिला मतदाताओं के लिए पृथक्–पृथक् पंक्तियाँ होनी चाहिएं। पंक्तियाँ लगाने वाले व्यक्ति, जैसा आप निर्देश दें, मतदान केन्द्र में एक बार में तीन या चार मतदाताओं को प्रवेश देंगे। प्रतीक्षारत अन्य मतदाता बाहर पंक्ति में खड़े रहेंगे। अशक्त मतदाताओं और बच्चों को गोदी में लिए महिला मतदाताओं को पंक्ति में के अन्य मतदाताओं पर अग्रता दी जाए, पुरूष और महिला मतदाताओं को मतदान केन्द्र में अनुकल्पी बैचों में प्रवेश दिया जाना चाहिए। पुरूष मतदाताओं और महिला मतदाताओं के लिए एक से अधिक पंक्ति बनाया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए।

5.2 यह सुनिश्चित कर लें कि शारीरिक रूप से अशक्त मतदाता को पोलिंग स्टेशन पर प्रवेश देने में प्राथमिकता दी जाए, उनको किसी भी प्रकार से अनावश्यक रूप से प्रतीक्षा न करनी पड़े। यदि संभव हो सके तो इस प्रकार के लोगों के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाए।

5.3 यह सुनिश्चित कर लें कि इस प्रकार के मतदाताओं को उनके उनकी व्हील चेयर पोलिंग बूथ के अन्दर जाने की सुविधा होनी चाहिए। यदि स्थाई रैम्प (Ramp) नहीं है तो Wooden ramp की व्यवस्था करनी चाहिए।

5.4 दृष्टिबाधित एवं श्रवणह्रास मतदाताओं को भी अन्य अशक्त मतदाताओं की तरह ही विशेष सुविधा देनी चाहिए।

6. यह सुनिश्चित कर लें कि पोलिंग स्टेशन पर केवल निम्नलिखित लोगों की ही प्रविष्टि होनी चाहिए :–

(क) मतदाता।

(ख) मतदान अधिकारी।

(ग) उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अभिकर्ता या उसका मतदान अभिकर्ता।

(घ) चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त लोग।

(ङ) सार्वजनिक सेवक जो ड्यूटी पर हों।

(च) मतदाता के साथ गोद का बच्चा।

(छ) ऐसा आदमी जो दृष्टिबाधित या किसी अन्य वजह से अशक्त है और चल नहीं सकता, उसकी मदद करने साथ आया है।

(ज) पीठासीन अधिकारी द्वारा अपनी सहायता के लिए समय समय पर बुलाए जाने वाले व्यक्ति।

अध्याय–15

स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिये रक्षोपाय

स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए रक्षोपाय के रूप में पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणाएं :

1. यह सुनिश्चित करने के लिए कि मतदान मशीन के प्रदर्शन, निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति और मतदाताओं का रजिस्टर, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित किए जाने के लिए आवश्यक रक्षोपाय है, के सम्बन्ध में पिछले अध्यायों में अन्तर्विष्ट अनुदेशों का सम्यक् अनुपालन कर लिया गया है, आपसे मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व उपाबंध–7 भाग–1 में विहित घोषणा पढ़कर सुनाने की अपेक्षा की जाती है। ऐसा, मतदान की गोपनीयता बनाए रखने सम्बन्धी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 के उपबंधो को पढ़कर सुनाए जाने के तत्काल पश्चात् किया जाना चाहिए। आपको मतदान केन्द्र पर उपस्थित समस्त व्यक्तियों को सुनने के लिए घोषणा जोर से पढ़नी चाहिए और घोषणा पर हस्ताक्षर करने चाहिए तथा उस पर ऐसे मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर अभिप्राप्त करने चाहिए जो उपस्थित हों और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हों। आपको उस पर मतदान अभिकर्ताओं के नाम भी रिकार्ड करने चाहिए जो घोषणा पर हस्ताक्षर करने से इनकार करते हैं।

नई मतदान मशीन का उपयोग में लिए जाने के समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया :

2. मतदान के दौरान, यदि बाध्यकारी परिस्थितियों के अधीन नई मतदान मशीन का उपयोग किया जाना आवश्यक हो जाता है तो आपसे उपाबंध–7 के भाग–II में विहित एक और घोषणा पढ़ने की भी अपेक्षा की जाती है। मतदान की समाप्ति पर आपको उसी रीति से उपाबंध–7 के भाग–III में एक और घोषणा अभिलिखित करनी चाहिए। घोषणा पृथक् पैकेट में रखी जाएगी और मतदान की समाप्ति पर रिकार्ड किए गए मतों के लेखा और प्ररूप–17 ग में पेपर सील लेखा के साथ रिटर्निंग अधिकारी को दिया जाएगा।

अध्याय–16

मतदान केन्द्र में और इसके इर्द गिर्द निर्वाचन विधि का प्रवर्तन

1. निष्पक्षता आवश्यक, मर्यादित एवं शालीन आचरण का व्यवहार :

1.1 आपका चातुर्य, दृढ़ता और निष्पक्षता, विशेषतः अंतिम शान्ति भंग के विरूद्ध सबसे महत्वपूर्ण रक्षोपाय है। सभी दलों और अभ्यर्थियों के साथ समान व्यवहार करें और प्रत्येक विवादग्रस्त बिन्दु पर उचित रूप से और न्यायसंगतता से विनिश्चय करें। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि न तो आपको और न ही आपके मतदान केन्द्र पर किसी और अधिकारी को ऐसा कार्य करना चाहिए जिसका अर्थ निर्वाचन में किसी अभ्यर्थी की संभावनाओं को अग्रसर करना लगाया जाए।

1.2 पीठासीन अधिकारी एवं उसके दल के अन्य सदस्य जब कर्तव्य पर हों, पोलिंग स्टेशन पर मर्यादित एवं शालीन व्यवहार का आचरण करें।

2. पक्ष प्रचार पर रोक :

मतदान केन्द्र के एक सौ मीटर की परिधि के भीतर पक्ष प्रचार करना अपराध है। कोई व्यक्ति, जो ऐसा करता है, पुलिस द्वारा वारन्ट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है और लोक प्रतिनिधित्व, 1951 (उपाबंध 1 देखिए) की धारा 130 के अधीन अभियोजित किया जा सकेगा।

3. अभ्यर्थी का निर्वाचन बूथ :

आयोग के अनुदेशों के अनुसार अभ्यर्थियों को ऐसे निर्वाचन बूथ स्थापित किया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए जो मतदाताओं को बाधाएं, विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं के बीच मुकाबला तथा कानून और व्यवस्था की समस्याएं पैदा करके निर्वाचक के स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्बाध संचालन में बहुत सी कठिनाइयां पैदा करे। तथापि, अभ्यर्थी, मतदान केन्द्र से 200 मीटर की परिधि के बाहर मतदाताओं को अशासकीय पहचान पर्चियां वितरित करने के लिए अपने अभिकर्ताओं और कार्यकर्ताओं के उपयोग के लिए धूप/वर्षा से उन्हें बचाने के लिए उनके सिर के ऊपर एक छतरी या तिरपाल के एक टुकड़े के साथ एक मेज और दो कुर्सियां उपलब्ध करा सकेंगे। ऐसी मेजों के आसपास भीड़ एकत्रित किया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। यदि आयोग के पूर्वोक्त अनुदेशों के भंग का कोई दृष्टान्त आपके ध्यान में लाया जाता है तो आपको आपके मतदान केन्द्र के आस पास कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी सेक्टर मजिस्ट्रेट या अन्य अधिकारी को उनके द्वारा आवश्यक औपचारिक कार्रवाई के लिए मामले की रिपोर्ट करनी चाहिए।

4. मतदान केन्द्र में या इसके निकट विच्छृंखल आचरण :

धारा 131 (उपाबंध 1 देखिए) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों को लागू करने के लिए, यदि कोई व्यक्ति विच्छृंखल तरीके से व्यवहार करता है तो आप उसी समय किसी पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार करवा सकते हैं और उसे अभियोजित करवा सकते हैं। पुलिस के पास ऐसे कदम उठाने और ऐसा बल प्रयोग करने की शक्ति है जो ऐसे व्यवहार को रोकने के लिए युक्तियुक्त रूप से आवश्यक है। तथापि, ऐसी शक्तियों को तब ही अपनाया जाना चाहिए जब उसे मनाना और चेतावनी देना प्रभावहीन साबित हो जाए। यदि किसी मेगाफोन या लाऊडस्पीकार के उपयोग से मतदान केन्द्र का कार्य बाधित होता हो तो आपको ऐसा उपयोग रोकने के लिये कदम उठाने चाहिए। धारा, दूरी की कोई सीमा विहित नहीं करती है। यह विनिश्चय करना आप पर छोड़ दिया गया है कि क्या मतदान केन्द्र की कार्यवाहियों को बाधित करने के लिए यह काफी निकट या काफी तेज है।

5. विच्छृंखल व्यक्तियों को हटाना :

कोई भी व्यक्ति जो मतदान के दौरान स्वयं अवचार करता है यह आपके विधिपूर्ण निर्देशों की अवज्ञा है, आपके आदेशों से किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या आप द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा मतदान केन्द्र से हटाया जा सकेगा (धारा 132, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, उपाबंध 1 देखिए)।

6. मतदाताओं के प्रवहण के लिये वाहनों को अवैध भाड़े पर लेना :

6.1 आपके पास मतदाताओं के अवैध प्रवहण को रोकने के लिए कोई सकारात्मक शक्ति नहीं है। यदि इस आशय की कोई शिकायत की जाती है तो आप शिकायकर्ता को कहें कि वह धारा 133 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन अपराधी को अभियोजित करने या सम्यक् अनुक्रम में अपराधी अभ्यर्थी के विरूद्ध निर्वाचन याचिका फाइल करने के आधार के रूप में तथ्य का उपयोग करने की कार्यवाही कर सकता है। आपके समक्ष फाइल की गई किसी शिकायत को उपखण्ड या अन्य मजिस्ट्रेट, जिसे ऐसे मामलों में व्यवहार करने की अधिकारिता हैं, की ऐसी टिप्पणियों के साथ अग्रेषित करें जो आप अपने स्वयं के संप्रेक्षण और व्यक्तिगत ज्ञान से कर सकते है।

6.2 निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के दिन वाहनों के चलाए जाने को विनियमित करने सम्बन्धी जारी किए गए अनुदेशों, निदेशों का भी पालन करें।

7. मतदान केन्द्र से मतदान मशीन का हटाया जाना अपराध :

कोई भी व्यक्ति जो किसी निर्वाचन में मतदान केन्द्र से मतदान मशीन को कपटपूर्वक या अप्राधिकृत रूप से ले जाता है या ले जाने का प्रयास करता है या ऐसे किसी कार्य को करने में जाबूझकर सहायता या दुष्प्रेरण करता है, वह एक वर्ष तक के कारावास से या पांच सौ रूपये तक के जुर्माने से या दोनो से दंडनीय संज्ञेय अपराध करता है। इस सम्बन्ध में धारा 61–क के स्पष्टीकरण के साथ पठित धारा 135 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम को देखा जा सकता है।

8. निर्वाचन अधिकारियों द्वारा पदीय कर्तव्यों का भंग :

आपका ध्यान धारा 134 की ओर भी आकृष्ट किया जाता है जो यह उपबंधित करता है कि यदि कोई पीठासीन या मतदान अधिकारी, युक्तियुक्त कारण के बिना, अपने पदीय कर्तव्य के भंग में कोई कार्य करने या किसी लोप का दोषी है तो वह संज्ञेय अपराध करता है।

9. मतदान केन्द्र मैं या इसके निकट सशस्त्र जाने का प्रतिबंध :

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134–ख के उपबंधो के अनुसार कोई भी व्यक्ति (रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, किसी पुलिस अधिकारी और मतदान केन्द्र पर शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने के लिये नियुक्त किसी भी अन्य अधिकारी, जो मतदान केन्द्र पर ड्यूटी पर है, से भिन्न) मतदान के दिन, आयुध अधिनियम, 1959 में यथा परिभाषित किसी भी प्रकार के आयुध से सुसज्जित होकर किसी मतदान केन्द्र के आसपास नहीं जा सकता। यदि कोई व्यक्ति इन उपबंधों का उल्लंघन करता है तो वह ऐसी अवधि के कारावास से जो दो वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित होने का दायी है, अपराध संज्ञेय है।

10. मतदान केन्द्र में सेल्यूलर फोन्स, कार्डलेस फोन्स, वायरलैस सेट्स आदि का प्रतिबन्ध :

आयोग के निर्देशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति मोबाइल, कार्डलेस फोन आदि नहीं ले जा सकता। इसकी सख्त मनाई है। मतदान केन्द्र से 100 मीटर की परिधि को मतदान केन्द्र का नेबर हुड (सीमा) कहा गया है।

अध्याय–17

चुनौती के मामले में निर्वाचक की पहचान का सत्यापन और प्रक्रिया

1. निर्वाचक की पहचान का सत्यापन

1.1 आयोग ने मतदाता की पहचान के लिए दस्तावेजी पहचान कानूनी रूप से आवश्यक की है। मतदाता को अपना पहचान पत्र अपनी पहचान स्थापित करने के लिए प्रस्तुत करना है। यदि किसी मतदाता के पास फोटोकार्ड नहीं है तो उसे आयोग द्वारा अनुमोदित वैकल्पिक परिचय पत्र प्रस्तुत करना है। आयोग के इस निर्देश का पालन सुनिश्चित किया जाए। पहचान के लिए प्रभारी चुनाव अधिकारी मतदाता फोटो पहचान पत्र अथवा वैकल्पिक दस्तावेजों का परीक्षण करने के उपरान्त मतदाता की पहचान के सम्बन्ध में स्वयं को संतुष्ट कर लें। किसी प्रकार के संशय की स्थिति में मतदाता को आप अपने समक्ष प्रस्तुत होने हेतु आदेशित करें। आप मतदाता की पहचान के सम्बन्ध में स्वयं जाँच कर संतुष्ट हों। किसी व्यक्ति के दोषी पाए जाने पर आप लिखित में शिकायत के साथ पुलिस को सौंप दें। यह भी ध्यान रखा रखा जाए कि :–

(क) मतदाता से सम्बन्धित छोटी त्रुटियाँ जैसे पिता/माता/पति का नाम/लिंग, उम्र (सिर्फ 2 या 3 वर्ष के भीतर) या मतदाता के फोटो परिचय पत्र में गलत पते को दर्शाना इत्यादि को अन्देखा कर मतदाता को उसकी पहचान परिचय पत्र से सत्यापित कर मत देने दिया जाए।

(ख) कोई भी त्रुटि जो कि मतदाता के फोटो परिचय पत्र में है उसे अन्देखा किया जाए।

1.2 जैसा कि अध्याय–7 में पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि मतदान केन्द्र में प्रवेश करते ही निर्वाचक सीधे प्रथम मतदान अधिकारी के पास पहुंचेगा जो कि निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति का प्रभारी होगा और निर्वाचकों की पहचान के लिए जिम्मेदार होगा। मतदान अधिकारी को निर्वाचक की पहचान का सत्यापन समुचित रूप से निर्वाचक नामावली में की गयी प्रविष्टि के संदर्भ में करना चाहिए (यह भी ध्यान रखा जाए कि निर्वाचक के पास यदि अशासकीय पहचान पर्ची है तो वह पहचान का आधार नहीं होगा)।

1.3 सामान्यतः प्रत्येक मतदाता अपने साथ एक अशासकीय पहचान पर्ची लाता है जो शायद उसे किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ताओं द्वारा दी गई होती है। यह पर्ची सादा सफेद कागज पर होनी चाहिए और उसमें निर्वाचक का नाम, निर्वाचक नामावली में उसकी क्रम संख्या, निर्वाचक नामावली की भाग संख्या तथा मतदान केन्द्र की संख्या और नाम हो सकता है जहाँ उसे अपना मत देना है। इस पर्ची में अभ्यर्थी का नाम और/या उसको आवंटित प्रतीक की प्रतिकृति अन्तर्विष्ट नहीं होनी चाहिए। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा की गई कोई पर्ची आयोग के इन अनुदेशों का उल्लंघन करती है और मतदान केन्द्र में लाई जाती है तो ऐसे उल्लंघन को तत्काल बन्द करने के लिए सम्बन्धित अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ता के ध्यान में लाना चाहिए।

1.4 यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि किसी निर्वाचक द्वारा अशासकीय पहचान पर्ची का लाया जाना उस मतदाता की पहचान की गारंटी नहीं है और न ही उसके द्वारा कोई मतदान अधिकारी अपने कर्तव्य और ऐसे मतदाता की पहचान के बारे में स्वयं समस्या का समाधान करने की जिम्मेदारी से मुक्त हो पाता है।

निर्वाचक नामवली की चिह्नित प्रति का प्रभारी तथा निर्वाचकों की पहचान के लिये जिम्मेदार प्रथम मतदान अधिकारी को किसी निर्वाचक द्वारा अशासकीय पहचान पर्ची को, जो वह मतदान केन्द्र पर लाता है, प्रस्तुत करने से ही निर्वाचक की पहचान सिद्ध हो जाना नहीं मान लेना चाहिए। यद्यपि ऐसी पर्ची निर्वाचक नामावली में किसी निर्वाचक से सम्बन्धित प्रविष्टियों का पता लगाने में सहायता करेगी, किन्तु यह मानकर नहीं चला जा सकता कि पर्ची प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति ही वही

विशिष्ट मतदाता है। आगे यह भी कि कोई अनपढ़ मतदाता ऐसी अशासकीय पहचान पर्ची में की गयी प्रविष्टियों को पढ़ नहीं सकता है और न इस बात से स्वयं का समाधान हो सकता है कि उसके पास जो पर्ची है वह वास्तव में उसी से सम्बन्धित है। अतः प्रथम मतदान अधिकारी को वह पर्ची लेनी चाहिए और उसमें निर्वाचक की निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि की क्रम संख्या को ही पढ़ना चाहिए और पर्ची में से उसका नाम तथा अन्य विवरण नहीं पढ़ने चाहिए। तत्पश्चात् मतदान अधिकारी को उस व्यक्ति से अपना नाम जोर से बोलने के लिए कहना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो प्रविष्टि से सम्बन्धित अन्य विशिष्टियों के लिए भी कहना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पहचान पर्ची प्रस्तुत करने वाला ही वास्तविक मतदाता है। यदि आपका पूरा समाधान नहीं होता है तो उस व्यक्ति को पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए कहा जा सकता है जो स्वयं के समाधान के लिए निर्वाचक की पहचान के बारे में छानबीन करेगा। यदि वह प्रतिरूपण करने वाला सिद्ध हो जाए तो पीठासीन अधिकारी को ऐसे निर्वाचक को पुलिस को सौंपने में हिचकिचाना नहीं चाहिए।

1. 5 महिला निर्वाचक विशेषकर ''पर्दानशीन'' महिलाएं अधिक संख्या में होने पर अध्याय 6 में यथा–अनुदेशित किसी पृथक् कक्ष में उपर्युक्त कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए किसी महिला मतदान अधिकारी की नियुक्ति की जा सकेगी।

2. मृत, अनुपस्थित और अभिकथित रूप से जाली मतदाताओं की सूची

यह आशा की जाती है कि मतदान अभिकर्ता अपने साथ मृत, अनुपस्थित और अभिकथित रूप से जाली मतदाताओं की सूची लाएंगे। अभ्यर्थी या उसके समर्थक ऐसी ही सूची आपको भी दे सकते है। यदि कोई व्यक्ति मतदाता होने का दावा करे जिसका नाम उस सूची में उल्लिखित है तो आप उस व्यक्ति की पहचान फोटो परिचय पत्र से या अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों से (आयोग द्वारा अनुमोदित) कड़ाई से जाँच करेंगे। ऐसा करना कोई औपचारिक चुनौती का मामला नहीं माना जाएगा।

3. चुनौती युक्त मत

मतदान अभिकर्ता उस व्यक्ति जो स्वयं को विशेष मतदाता होने का दावा करता है की पहचान को चुनौती 05 रूपये जमा करके दे सकता है। आप इस चुनौती की संक्षिप्त जाचं करेंगे। जाँच में चुनौती सही नहीं पाये जाने पर उस व्यक्ति को मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। यदि चुनौती सही पाई जाती है तो वह व्यक्ति को मतदान से वंचित कर उस व्यक्ति को पुलिस को लिखित में शिकायत कर सौंपेंगे।

4. मतदाता की पहचान को चुनौती :

प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम निर्वाचक नामवली में प्रविष्ट है, स्वयं की पहचान की पुष्टि होने पर निर्वाचन में मत देने का हकदार है। जब तक कि किसी अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन या मतदान अभिकर्ताओं द्वारा कोई चुनौती नहीं दी जाए या जब तक कि आपका स्पष्टतः यह समाधान न हो जाए कि वह एक जाली मतदाता है तब तक सामान्य रूप से यह उपधारणा की जानी चाहिए कि मतदाता होने का दावा करने वाला और नाम तथा अन्य सही ब्यौरे देने वाला व्यक्ति ही वास्तविक मतदाता है। यदि कोई चुनौती हो या यदि आपको उस व्यक्ति की पहचान के बारे में आस पास की परिस्थितियों से कोई भी युक्तियुक्त सन्देह हो तो आपको एक संक्षिप्त जाँच करनी चाहिए और इस प्रश्न का विनिश्चय करना चाहिए।

5. चुनौती फीस (चैलेंज्ड फीस)

आपको, किसी अभ्यार्थी या उसके निर्वाचन/मतदान अभिकर्ता द्वारा, किसी मतदाता की पहचान की कोई चुनौती तब तक ग्रहण नहीं करनी चाहिए जब तक कि चुनौतीकर्ता नकद में पाँच रूपये संदत्त नहीं कर दे। रकम संदत्त किए जाने के पश्चात् उपाबंध–8 में विहित प्ररूप में चुनौतीकर्ता को इसकी एक रसीद देंगे। आप चुनौती दिए गए व्यक्ति को प्रतिरूपण के लिए शास्ति के बारे में सावधान कर देंगे, निर्वाचक नामावली में की सुसंगत प्रविष्टि को पूरा पढ़ेंगे और उससे पूछेंगे कि क्या वह व्यक्ति है जिसे कि उस प्रविष्टि में निर्दिष्ट किया गया है, तब चुनौती दिए गए मतों की सूची में उसका नाम और पता लिखेंगे और उस पर हस्ताक्षर करने या अंगूठे का निशान लगाने के लिए कहेंगे। यदि वह ऐसा करने से इंकार कर दे तो आप उस मत देने की अनुज्ञा नहीं देंगे।

6. संक्षिप्त जाँच :

सबसे पहले आप चुनौतीकर्ता को यह सिद्ध करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहेंगे कि वह व्यक्ति जिसके बारे में चुनौती दी गई है, असली मतदाता नहीं है जैसा कि वह दावा करता है। यदि चुनौतीकर्ता अपनी चुनौती के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो आप चुनौती को नहीं मानेंगे और चुनौती दिए गए ऐसे व्यक्ति को मत देने देंगे। यदि चुनौतीकर्ता प्रथम दृष्ट्या यह सिद्ध करने में सफल हो जाता है कि वह व्यक्ति प्रश्नगत मतदाता नहीं है तो आप पश्चात्कथित चुनौती के खंडन के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहेंगे अर्थात् यह सिद्ध करना कि वह वही मतदाता है जिसका वह दावा करता है। यदि वह ऐसे साक्ष्य द्वारा अपना दावा सिद्ध कर देता है तो आप उसे मत देने की अनुमति दे देंगे। यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो आप यह मानलें कि चुनौती सिद्ध हो गई है। जाँच के दौरान, आप ग्राम अधिकारी, प्रश्नगत मतदाता के पड़ोसियों और उपस्थित किसी भी अन्य व्यक्ति से सही तथ्य अभिनिश्चित करने के लिए स्वतन्त्र हैं। साक्ष्य लेने के दौरान, आप चुनौती दिए गए व्यक्ति को या साक्ष्य देने वाले किसी अन्य व्यक्ति को शपथ दिलवाएंगे। यदि चुनौती सिद्ध हो गई हो तो आप उस व्यक्ति को ड्यूटी पर उपस्थित पुलिसकर्मी को सौप देंगे तथा इसके साथ ही आपके मतदान केन्द्र की अधिकारिता रखने वाले पुलिस थाने के थानाधिकारी को उपाबंध–9 में एक शिकायत लिखकर दे देंगे।

7. चुनौती फीस का लौटाया जाना या उसका जब्त किया जाना :

जाँच की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् उस दशा को छोड़कर जिसमें आपकी यह राय हो कि चुनौती तुच्छ है या सद्भावपूर्वक नहीं की गई है, प्रत्येक मामले में पाँच रूपये की चुनौती फीस चुनौतीकर्ता अभिकथित रूप से जाली मतदाताओं की सूची तथा रसीद बुक में सुसंगत रसीद के प्रतिपर्ण पर उसकी प्राप्ति रसीद लेने के पश्चात् लौटा दीजिए। अन्य स्थिति में आप चुनौती फीस सरकार के पक्ष में जब्त कर दीजिए और चुनौतीकर्ता को नहीं लौटाइए तथा अभिकथित रूप से जाली मतदाताओं की सूची और रसीद बुक में सुसंगत रसीद के प्रतिपर्ण पर जमाकर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी लेने के बजाए, शब्द ''जब्त'' लिख दीजिए।

8. नामावली में लिपिकीय और मुद्रण सम्बन्ध गलतियों की अनदेखी करना :

कभी कभी निर्वाचक नामवाली में किसी मतदाता के सम्बन्ध में यथा प्रविष्ट विशिष्टियाँ उदाहरण के लिये मतदाता की वास्तविक आयु की प्रविष्टि अशुद्ध छप जाती है या पुरानी हो जाती है। यदि आप निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट अन्य विशिष्टियों के अनुसार अमुक मतदाता होने का दावा करने वाले व्यक्ति की अनन्यता के बारे में अन्यथा संतुष्ट हों तो आप निर्वाचक नामावली में किसी मतदाता के सम्बन्ध में किसी प्रविष्टि में केवल लिपिकीय या मुद्रण सम्बन्ध गलतियों की अनदेखी कर दें।

9. किसी मतदाता की पात्रता के सम्बन्ध में आपत्ति नहीं उठाई जाए :

जब किसी मतदाता की पहचान आपके समाधान से स्थापित हो जाए तो उसे मत देने का अधिकार हो जाता है। मतदान केन्द्र में ऐसे व्यक्ति के मतदाता होने की पात्रता के बारे में कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप आप को इस प्रश्न के बारे में किसी प्रकार की जाँच पड़ताल करने का अधिकार नहीं है कि क्या वह 18 वर्ष से अधिक आयु का है या क्या वह उस निर्वाचन क्षेत्र में सामान्यतः निवास करता है।

10. निर्वाचक की अपनी आयु के बारे में घोषणा :

10.1 किन्तु ऐसे किसी व्यक्ति के मामले में, जिसको आप अर्हक आयु से अधिक नीचे मानते हैं, तो उसके निर्वाचक होने के दावे के बारे में आपका निर्वाचक नामावली की प्रविष्टि के संदर्भ में स्पष्ट तौर पर समाधान होना चाहिए।

10.2 यदि आप उसकी पहचान और निर्वाचक नामावली में उसके नाम के सम्मिलित किए जाने के तथ्य के बारे में प्रथम दृष्ट्या सन्तुष्ट हैं किन्तु उसको न्यूनतम मतदान आयु से नीचे मानते हैं तो आप उस निर्वाचक से वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को जिसको निर्वाचन क्षेत्र की विद्यमान निर्वाचक नामावली तैयार/पुनरीक्षित की गई थी, के संदर्भ में उसकी आयु के बारे में उपाबंध–10 में घोषणा प्राप्त करनी चाहिए। ऐसे

निर्वाचक से घोषणा प्राप्त करने के पूर्व, आपको मिथ्या घोषणा (धारा 31 के उद्धरण उपाबंध 1 में दिए गए है) करने के लिये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 में दंड के उपबंधों की उसे सूचना देनी चाहिए।

10.3 आपको उन मतदाताओं, जिनसे आपने उपाबंध–11 के भाग 1 में ऐसी घोषणाएं प्राप्त की हैं, की एक सूची भी तैयार करनी चाहिए। आपके द्वारा उन मतदाताओं की उपर्युक्त उपाबंध 11 के भाग–II में एक सूची भी रखनी चाहिए जिन्होंने उपर्युक्त घोषणा देने से इंकार कर दिया है और जो अपना मत डाले बिना ही चले गए हैं। मतदान बंद होने के पश्चात् ऊपर उल्लिखित सूची और घोषणाएं एक पृथक् लिफाफे में साफ साफ रखी जानी चाहिए।

अध्याय–18

मतदाता की अपना मत देने के पूर्व अमिट स्याही का लगाया जाना और उसके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लेना

1. मतदाता को बायीं तर्जनी का निरीक्षण और अमिट स्याही का लगाया जाना :

1.1 प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा किसी निर्वाचक की पहचान सत्यापित किए जाने के पश्चात् और यदि उस निर्वाचक की पहचान के बारे में कोई चुनौती नहीं दी गई है, तो यथाशक्य शीघ्र, द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा अध्याय 7 के पैरा 3.1 में विहित रीति के अनुसार उसकी बायीं तर्जनी को अमिट स्याही से चिह्नित किया जाऐगा। यदि कोई निर्वाचक अनुदेशों के अनुसार अपनी बायीं तर्जनी का निरीक्षण या चिह्नित करवाने से इंकार करे या उसकी बायीं तर्जनी पर ऐसा कोई चिह्न पहले से ही हो या स्याही को हटाने की दृष्टि से कोई भी कृत्य करे तो उसे मत नहीं देने दिया जाएगा।

1.2 यदि ऐसा देखने में आए कि किसी निर्वाचक ने अपनी अंगुलि पर लगाए जाने वाले अमिट स्याही के चिह्न को प्रभावहीन करने के लिए अपनी अंगुलि पर कोई तैलीय या चिकनाईयुक्त पदार्थ लगा लिया हो तो उस निर्वाचक की अंगुलि पर अमिट स्याही का चिह्न लगाने के पूर्व उपलब्ध कराए गए कपड़े के टुकड़े की सहायता से ऐसा तैलीय या चिकनाईयुक्त पदार्थ मतदान अधिकारी द्वारा हटाया जाना चाहिए।

1.3 पहले ऐसे अमिट स्याही का चिह्न निर्वाचक की बायीं तर्जनी पर उसके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान अभिप्राप्त करने के पूर्व लगाया जाता है ताकि जब तक निर्वाचक अपना मत देने के पश्चात् मतदान केन्द्र छोड़े तब तक अमिट स्याही को सूखने और सुस्पष्ट अमिट चिह्न बनने के लिये पर्याप्त समय मिल जाए।

2. नये सिरे में मतदान में अमिट स्याही का प्रयोग

नये सिरे से मतदान/पुनः मतदान/प्रत्यादिष्ट मतदान के समय मूल मतदान में अमिट स्याही से लगाए गए चिन्ह पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए और मतदाता के बायीं मध्यमा के नाखून की जड़ में अमिट स्याही से नया चिह्न इस प्रकार लगाया जाए कि स्याही का भाग त्वचा और नाखून की जड़ के बीच में फैल जाए और एक स्पष्ट चिह्न रह जाए।

3. निर्वाचक की बायीं तर्जनी न होने की स्थिति में अमिट स्याही का लगाया जाना :

मतदान स्थल पर सम्बन्धित मतदान अधिकारी (पोलिंग आफिसर) द्वारा मतदाता की बायीं तर्जनी (इन्डेक्स फिंगर) पर अमिट स्याही लगाई जाएगी। यदि बायें हाथ की तर्जनी अंगुलि न हो तो बायें हाथ की क्रमशः मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा अथवा अंगुष्ठ पर अमिट स्याही लगाई जाएगी। यदि बायें हाथ की कोई अंगुलि या अंगुष्ठ न हो तो उक्तानुसार दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा अथवा अंगुष्ठ पर अमिट स्याही लगाई जाएगी। इसी प्रकार यदि दोनों हाथों में अंगुलियॉ या अंगूठा न हो तो शरीर के किसी सहज द्रष्टव्य स्थान पर अमिट स्याही लगाई जाएगी।

4. मतदाताओं के रजिस्टर में मतदाता की निर्वाचक नामावली संख्या का अभिलेख :

4.1 पूर्ववर्ती पैरा में स्पष्ट की गई रीति से द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा निर्वाचक की बायीं तर्जनी को चिह्नांकित करने के पश्चात् उसे मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप–17क) में ऐसे निर्वाचक का अभिलेख रखना चाहिए और उस रजिस्टर में निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान अभिप्राप्त करना चाहिए।

4.2 ऐसा अभिलेख मतदाताओं के रजिस्टर में द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा निम्नलिखित रीति में रखा जाएगा :–

(i) मतदाताओं के रजिस्टर के स्तम्भ (1) में, द्वितीय मतदान अधिकारी, क्रम संख्या से प्रारम्भ करते हुए निर्वाचकों की क्रम संख्या क्रमवार लिखेगा। रजिस्टर के प्रत्येक पृष्ठ में क्रम संख्या 10 तक लिखने की व्यवस्था होगी।

मतदान के प्रारम्भ के समय वह कुछ पृष्ठों पर पहले ही से ऐसी क्रम संख्याएं लिख सकता है।

(ii) उक्त रजिस्टर के स्तम्भ (2) में, द्वितीय मतदान अधिकारी, निर्वाचक की निर्वाचक नामावली संख्या (अर्थात् क्रम संख्या) लिखेगा जो निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में दर्ज है। उदाहरण के लिए यदि प्रथम निर्वाचक का नाम, जो मतदान के समय मतदान स्थल पर मत डालने आता है निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में क्रम सं0 756 पर दर्ज है तो द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाताओं के रजिस्टर के प्रथम स्तम्भ में क्रम सं0 1 और द्वितीय स्तम्भ में क्रम सं0 756 लिखेगा और इसी तरह यदि द्वितीय मतदाता का नाम निर्वाचक नामावली में क्रम संख्या 138 पर दर्ज है तो द्वितीय मतदान अधिकारी रजिस्टर के स्तम्भ 1 में क्रम सं0 2 और स्तम्भ–2 में क्रम सं0 138 लिखेगा और इसी तरह आगे भी।

4.3 ऊपर वर्णित रीति में, किसी निर्वाचक के सम्बन्ध में रजिस्टर के स्तम्भ (1) और (2) भर लेने के पश्चात् द्वितीय मतदान अधिकारी, रजिस्टर के स्तम्भ (3) में, उसके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान अभिप्राप्त करेगा।

5. मतदाता के हस्ताक्षर की परिभाषा :

हस्ताक्षर से अभिप्राय है किसी दस्तावेज पर किसी व्यक्ति का नाम उस दस्तावेज की अभिप्रमाणित करने के आशय से लिखा जाना। किसी साक्षर व्यक्ति से, मतदाताओं के रजिस्टर पर हस्ताक्षर करते समय उसका नाम अर्थात् उसका पूरा नाम या नामों और उपनाम दोनों ही या किसी भी दशा में उसका पूरा उपनाम या नाम या तो पूरा अथवा उस नाम या नामों के लघु हस्ताक्षर लिखने की अपेक्षा की जाएगी। किसी साक्षर मतदाता के मामले में श्रेयस्कर तो यह होगा कि उससे हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया जाए अर्थात् उसका पूरा नाम और उपनाम दोनों हों। यदि कोई साक्षर व्यक्ति साधारणतः कोई चिह्न लगा दे और स्वयं को एक साक्षर व्यक्ति होने का दावा करते हुए उस चिह्न को ही हस्ताक्षर मान लेने पर जोर देता रहे तो उस चिह्न को हस्ताक्षर नहीं माना जा सकता क्योंकि जैसा कि स्पष्ट कि जा चुका है, साक्षर व्यक्ति के मामले में हस्ताक्षर से अभिप्राय है स्वयं उस व्यक्ति द्वारा अपना नाम, दस्तावेज जिस पर वह अपना नाम लिखता है, को अधिप्रमाण स्वरूप लिखना है। ऐसी दशा में यदि वह ऊपर दर्शितानुसार अपने पूरे नाम के हस्ताक्षर करने से इंकार करता है तो उस स्थिति में अंगूठे का निशान लेना चाहिए। यदि वह अपने अंगूठे का निशान लगाने से भी इंकार कर दे तो उसे पूर्ववर्ती पैरा 4 के अधीन मत डालने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए।

6. मतदाता के अंगूठे का निशान :

6.1 यदि कोई निर्वाचक अपने नाम के हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तो मतदाताओं के रजिस्टर पर उसके बायें हाथ के अंगूठे का निशान अभिप्राप्त करना चाहिए। यह बात नोट करे लें कि पीठासीन अधिकारी या किसी मतदान अधिकारी के लिए रजिस्टर पर ऐसे अंगूठे के निशान को प्रमाणित करना आवश्यक नहीं है।

6.2 मतदान स्थल पर सम्बन्धित मतदान अधिकारी (पोलिंग आफिसर) द्वारा मतदाता की बायीं तर्जनी (इन्डेक्स फिंगर) पर अमिट स्याही लगाई जाएगी। यदि बायें हाथ की तर्जनी अंगुलि न हो तो बायें हाथ की क्रमशः मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा अथवा अंगुष्ठ पर अमिट स्याही लगायी जाएगी। यदि बायें हाथ की कोई अंगुलि या अंगुष्ठ न हो तो उक्तानुसार दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा अथवा अंगुष्ठ पर अमिट स्याही लगाई जाएगी। इसी प्रकार यदि दोनों हाथों में अंगुलियॉ या अंगूठा न हो तो बायें पैर और बायॉ पैर न हो तो दाहिने पैर की अंगुलियों अथवा अंगुष्ठ पर उक्तानुसार निर्धारति वरीयताक्रम में अमिट स्याही लगाई जाएगी। यदि हाथ व पैर में अंगुलियॉ व अंगुष्ठ न हों तो शरीर के किसी सहज द्रष्टव्य स्थान पर अमिट स्याही लगाई जाएगी।

6.3 यह आवश्यक है कि मतदाताओं के रजिस्टर पर अंगूठे का निशान साफतौर पर अंगूठे का निशान ही होना चाहिए। स्टाम्प पैड से मतदाता के अंगूठे पर स्याही इतनी हल्की नहीं लगानी चाहिए कि यह केवल धुंधला सा या अस्पष्ट निशान ही

बन पाए और न ही अंगूठे पर इतनी ज्यादा स्याही लगानी चाहिए कि यह रजिस्टर पर एक स्पष्ट अंगूठे के निशान के बजाए एक धब्बा ही बन जाए।

6.4 अंगूठे का निशान लेने के पश्चात् निर्वाचक के अंगूठे की स्याही गीले कपड़े की सहायता से पोंछ दी जानी चाहिए।

7. दृष्टिबाधित या अशक्त या कुष्ठ रोगी मतदाताओं द्वारा मतदाताओं के रजिस्टर पर हस्ताक्षर/अंगूठे की छापः

किसी दृष्टिबाधित मतदाता का कुष्ठ रोग से पीड़ित किसी मतदाता के अंगूठे का निशान मतदाताओं के रजिस्टर पर अभिप्राप्त किया जाना चाहिए। यदि ऐसा मतदाता साक्षर है तो उसे अंगूठे के निशान पर हस्ताक्षर करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा। अशक्त मतदाता के मामले में जो अपना कोई भी हाथ काम में नहीं ले सकता हो तो उस स्थिति में उसका साथी रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर करेगा या अंगूठे का निशान लगाएगा। उस साथी के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान के सम्बन्ध में रजिस्टर में ऐसी प्रविष्टि के सामने एक नोट लिखा जाना चाहिए।

8. मतदाता को मतदाता पर्ची का जारी किया जाना :

8.1 किसी मतदाता की बायीं तर्जनी पर अमिट स्याही लगाने और मतदाताओं के रजिस्टर में उससे संबंधित प्रविष्टि करने और उस रजिस्टर पर उसके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान अभिप्राप्त करने के पश्चात् द्वितीय मतदान अधिकारी उस निर्वाचक के लिये एक मतदाता पर्ची निम्नलिखित प्ररूप में तैयार करेगा :–

मतदाता पर्ची

मतदाताओं के रजिस्टर के स्तम्भ (1) के अनुसार निर्वाचक की क्र0सं0 .....

निर्वाचक नामावली में यथाप्रविष्ट निर्वाचक की क्र0सं0 .....

मतदान अधिकारी के लघु हस्ताक्षर .....

8.2 ये मतदाता पर्चियां जनपद स्तर पर द्वारा किसी पोस्ट कार्ड के आधे आकार के कागज पर मुद्रित कराई जाऐंगी और मतदान स्थल के समनुदेशित मतदाताओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए सौ पर्चियों और/या पचास पर्चियों का स्टिच किया हुआ प्रत्येक बंडल मतदान सामग्री की किसी मद के रूप में आपको प्रदायित किए जाऐंगे।

8.3 उपर्युक्त पैरा 8.1 के अधीन प्रत्येक मतदाता के सम्बन्ध में द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा तैयार की गई मतदाता पर्चियों उसके द्वारा उस मतदाता को परिदत्त की जाऐंगी और मतदाता को पीठासीन अधिकारी या यथास्थिति तृतीय मतदान अधिकारी, जो मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट का प्रभारी हो, के पास जाने के लिए निर्देशित किया जाएगा।

अध्याय–19

मत डालना और मतदान प्रक्रिया

1.1 मतदाता जैसे ही द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा उसे जारी की गई मतदाता पर्ची के साथ आपके या, यथास्थिति, मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट के प्रभारी तृतीय मतदान अधिकारी के पास आएगा वैसे ही उसे, मतदाता पर्ची के आधार पर ही, मत डालने की अनुमति दी जाएगी।

1.2 यह आत्यंतिक रूप से आवश्यक है कि मतदाता मतदान मशीन में अपने मत उसी क्रम में रिकार्ड कराए जिस क्रम में वे मतदाताओं के रजिस्टर में दर्ज किए गए हैं। आपको या नियंत्रण यूनिट के प्रभारी मतदान अधिकारी को, मतदान पर्ची में उल्लिखित क्रम संख्या के अनुसार ही मतदाता को मतदान कक्ष की ओर जाने देने के लिए कहना चाहिए।

1.3 यदि किसी असाधारण परिस्थिति या अकल्पित या अपरिहार्य कारण से किसी मतदाता के बारे में ऐसी निश्चित क्रम संख्या का अनुसरण करना सम्भव न हो तो वही क्रम संख्या, जिस पर वह मत डाल चुका है, दर्शाने वाली एक उपयुक्त प्रविष्टि मतदाताओं के रजिस्टर के अभ्यंकित स्तम्भ में सम्बन्धित व्यक्ति के सामने रिकार्ड की जाएगी। पश्चात्वर्ती मतदाता जिसका क्रम उसके कारण से उलट–पुलट हो गया है, के सम्बन्ध में समरूप प्रविष्टि भी की जानी चाहिए।

2. मत डालने के लिए मतदाता को अनुमति देना

2.1 जैसे ही निर्वाचक, मतदाता पर्ची के साथ आपके या, यथास्थिति, नियंत्रण यूनिट के प्रभारी तृतीय मतदान अधिकारी के पास आए तो मतदाता पर्ची उससे ले ली जाएगी और उसे मत डालने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा।

2.2 निर्वाचकों से संगृहीत समस्त मतदाता पर्चियॉ सावधानीपूर्वक संरक्षित की जाएंगी और मतदान के अन्त में एक पृथक् कवर में रखी जाएंगी। रिटर्निंग अधिकारी उस प्रयोजन के लिए एक विशेष कवर उपलब्ध करायगा जो अध्याय–31 में निर्दिष्ट रीति में सील किया जाएगा और सुरक्षित रखा जाएगा।

2.3 मतदाता से मतदाता पर्ची संगृहीत कर लेने के पश्चात् उसकी बायीं तर्जनी की आप द्वारा/नियंत्रण यूनिट के प्रभारी तृतीय मतदान अधिकारी द्वारा जॉच की जाएगी। यदि उस पर लगी हुई अमिट स्याही अस्पष्ट है या हटा दी गई है तो उसे दुबारा इस प्रकार लगाया जाएगा जिससे कि एक स्पष्ट अमिट चिह्न बने (अनुकल्पतः यह कार्य आपके मतदान दल के साथ ग्रुप–घ अधिकारियों को, मतदाता द्वारा अपना मत रिकार्ड कर के मतदान कक्ष से बाहर आने के पश्चात् मतदान स्थल छोड़ने के पूर्व, पूरा करने के लिए दिया जा सकता है।)

2.4 तब मतदाता को अपना मत रिकार्ड करने के लिए मतदान कक्ष में जाने के लिए निर्देशित किया जाएगा।

3. मतदान प्रक्रिया

3.1 मतदाता अपना मत रिकार्ड कर सकें, इसके लिए नियंत्रण यूनिट का ''बैलट'' बटन, आपके द्वारा/उस यूनिट के प्रभारी तृतीय मतदान अधिकारी द्वारा दबाया जाएगा जो कि मतदान कक्ष में मत रिकार्ड करने के लिए मतदान यूनिट (यूनिटों) को तैयार रखेगा। बैलट बटन दबाए जाने पर नियंत्रण यूनिट की ''बिजी'' बत्ती लाल हो जाएगी और साथ ही साथ मतदान कक्ष में मतदान यूनिट पर की ''रेडी'' बत्ती हरी हो जाएगी। इससे यह ज्ञात होगा कि वोटिंग मशीन मतदान के लिए तैयार है।

3.2 निर्वाचक, मतदान कक्ष में मतदान यूनिट पर, अपनी पसन्द के अभ्यर्थी के नाम और प्रतीक के सामने उपलब्ध ''ब्लू बटन'' को दबाकर अपना मत रिकार्ड करेगा। जैसे ही वह बटन दबाएगा मतदान यूनिट पर उस अभ्यर्थी के नाम और प्रतीक के सामने उपलब्ध बत्ती लाल होना शुरू हो जाएगी और मतदान यूनिट की हरी बत्ती बुझ जाएगी। नियंत्रण यूनिट से बाहर आने वाली बीप ध्वनि भी सुनाई देगी। कुछ ही

क्षणों पश्चात् बीप ध्वनि और मतदान यूनिट पर के कैण्डीडेट लैम्प की लाल बत्ती और नियंत्रण यूनिट की ''बिजी'' लैम्प की लाल बत्ती भी बन्द हो जाएगी।

3.3 ये दृश्य और श्रव्य संकेत इस बात के द्योतक हैं कि मतदान कक्ष का मतदाता अपना मत रिकार्ड कर चुका है। मतदाता को तत्काल मतदान कक्ष से बाहर आ जाना चाहिए और मतदान केन्द्र छोड़ देना चाहिए।

3.4 उपर्युक्त प्रक्रिया प्रत्येक समय दोहराई जाएगी जब अगले मतदाता को अपना मत रिकार्ड करने के लिए अनुज्ञात किया जाना हो। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मतदान कक्ष में मत डालने के लिए एक समय में केवल एक ही मतदाता जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नियंत्रण यूनिट पर का बैलेट बटन केवल तब दबाया जाए जब पूर्व मतदाता मतदान कक्ष से बाहर आ जाए।

4. डाले गए मतों की संख्या का सयम–समय पर मिलान करना :

4.1 किसी भी समय, यदि उस समय तक डाले गए मतों की कुल संख्या अभिनिश्चित की जानी हो तो नियंत्रण यूनिट पर का ''टोटल'' बटन दबाया जाना चाहिए तब नियंत्रण यूनिट पर का प्रदर्शन पैनल उस समय तक डाले गए कुल मतों की संख्या दर्शाएगा। ऐसा कालिक रूप से किया जाना चाहिए और उसका मिलान मतदाताओं के रजिस्टर में दर्शितानुसार उस समय तक मत देने के लिए अनुज्ञात मतदाताओं की संख्या से करना चाहिए।

4.2 पीठासीन अधिकारी को प्रत्येक दो घण्टे के अन्तराल में किसी भी समय डाले गए मतों की संख्या अभिनिश्चित करनी चाहिए और उसका मिलान करना चाहिए तथा पीठासीन अधिकारी की डायरी के सम्बन्धित स्तम्भ में डाले गए मतों की संख्या अभिलिखित करनी चाहिए।

4.3 टोटल बटन को केवल तब दबाना चाहिए जब ''बिजी'' बत्ती चालू न हो अर्थात् केवल मत देने के लिए अनुज्ञात निर्वाचक के द्वारा अपना मत रिकार्ड कर देने के पश्चात् और अगले निर्वाचक को बैलट बटन दबाकर मत देने के लिए अनुज्ञात करने के पूर्व। अन्यथा ''डिस्प्ले पैनल'' पर डाले गए मतों की सही संख्या नहीं दिखेगी।

5. मतदान के दौरान मतदान कक्ष में पीठासीन अधिकारी का प्रवेश :

5.1 जब कभी पीठासीन अधिकारी को इस बारे में कोई संदेह हो या उसके पास यह संदेह करने का कारण हो पर्दायुक्त मतदान कक्ष में रखी गई मतदान यूनिट ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रही है या कोई मतदाता जिसने मतदान कक्ष में प्रवेश किया है, मतदान यूनिट से छेड़छाड़ कर रहा है या अन्यथा हस्तक्षेप कर रहा है या असम्यक् लम्बी अवधि तक मतदान कक्ष में रूका हुआ है तो पीठासीन अधिकारी को ऐसे मामलों में ऐसे मतदान कक्ष में प्रवेश करने और ऐसे कदम उठाने का अधिकार है जो वह यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे कि मतदान यूनिट से किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है या उसमें हस्तक्षेप नहीं किया गया है और मतदान निर्बाध गति से और व्यवस्थित रूप से चल रहा है। यह ध्यान रखें कि मतदान कक्ष में यदि आप प्रवेश करते हैं तो उस समय अभ्यर्थी के अभिकर्ता उपस्थित होने चाहिए।

5.2 जब कभी भी पीठासीन अधिकार मतदान कक्ष में प्रवेश करे तो उसे उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को अपने साथ जाने के लिए अनुज्ञात करना चाहिए, यदि वे ऐसी वांछा करें। वैसे, पीठासीन अधिकारी को किसी अशिक्षित मतदाता को इलेक्ट्रॉनिक मशीन का उपयोग कैसे करना है, समझाने के लिए मतदान कक्ष में नहीं जाना चाहिए। इस हेतु एक प्रिटेंड मतपत्र कार्डबोर्ड पर पेस्ट कर पीठासीन अधिकारी को मुहैया कराया जाएगा। अन्य मतदान सामग्रियों के साथ पीठासीन अधिकारी मतदान कक्ष के बाहर ई0वी0एम0 मशीन का उपयोग समझा सकता है। 'बैलेट यूनिट मॉडल' पर 'डमी नाम' एवं 'प्रतीक' जो कि उपयोग में न हो, ही अंकित होना चाहिए। वास्तविक नाम एवं प्रतीक का उपयोग न हो। बत्ती का रंग 'नीला', 'हरा' एवं 'लाल' स्पष्ट तौर पर हो। अशिक्षित मतदाता को मतदान करने की प्रक्रिया मतदान कक्ष के बाहर मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति में समझाएं।

अध्याय–20

मतदाताओं द्वारा मतदान की गोपनीयता बनाये रखना

मतदान प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करना :

1. ऐसा प्रत्येक मतदाता, जिसे मत देने के लिए अनुज्ञात किया गया है, मतदान केन्द्र के भीतर मतदान की पूर्ण गोपनीयता बनाए रखेगा। उसे, अध्याय–19 में उल्लिखित मतदान प्रक्रिया का पालन कड़ाई से करना चाहिए।

मतदान प्रक्रिया का पालन करने से इन्कार :

2.1 यदि कोई निर्वाचक, पीठासीन अधिकारी द्वारा चेतावनी देने के पश्चात् भी मतदान प्रक्रिया का पालन करने से इन्कार करे तो पीठासीन अधिकारी या पीठासीन अधिकारी के निदेशाधीन कोई मतदान अधिकारी ऐसे मतदाता को मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा। यदि उस निर्वाचक को मतदाता पर्ची पहले से ही जारी कर दी गई हो तो ऐसी पर्ची उससे वापस ले लेनी चाहिए और रद्द कर देना चाहिए और मतदाता रजिस्टर में टिप्पणी लिखेगा।

2.2 जहाँ किसी मतदाता को मतदान प्रक्रिया के उल्लंघन के कारण मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया हो वहां पीठासीन अधिकारी द्वारा, मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप 17–क में) के अभ्युक्ति स्तम्भ में उस निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टि के सामने इस आशय की एक अभ्युक्ति की जाएगी कि मतदान प्रक्रिया को भंग किया गया है। पीठासीन अधिकारी उस टिप्पणी के नीचे अपने पूरे हस्ताक्षर भी करेगा। तथापि, मतदाताओं के रजिस्टर के स्तम्भ (1) में उस मतदाता या उसके बाद वाले मतदाता की क्रम संख्या में कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं होगा।

अध्याय–21

दृष्टिबाधित और अशक्त मतदाताओं द्वारा मतदान

1.1 यदि आपको लगे कि दृष्टिबाधा या अन्य शारीरिक अशक्तता के कारण कोई मतदाता, मतदान यूनिट पर के प्रतीक को पहचानने में असमर्थ है या बिना सहायता के उस पर समुचित बटन को दबाकर अपना मत रिकार्ड करने में असमर्थ है तो आप उस निर्वाचक को अपनी ओर से और अपनी इच्छानुसार मत रिकार्ड करने के लिए कम से कम 18 वर्ष की आयु के किसी साथी को मतदान कक्ष में अपने साथ ले जाने के लिए अनुज्ञा दे दें।

1.2 किसी व्यक्ति को एक ही दिन में किसी मतदान केन्द्र पर एक से अधिक मतदाता के साथी के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

1.3 किसी व्यक्ति को साथी के रूप में अनुज्ञात किए जाने के पूर्व उससे यह घोषणा करने की अपेक्षा की जाएगी कि वह उस निर्वाचक की ओर से उसके द्वारा रिकार्ड किए जाने वाले मत को गोपनीय रखेगा और उसने उस दिन किसी अन्य मतदान केन्द्र पर किसी अन्य निर्वाचक के साथी के रूप में पहले कार्य नहीं किया है। उस साथी से ऐसी घोषणा उपाबन्ध 12 द्वारा उस प्रयोजन के लिए आयेाग द्वारा विहित प्ररूप में आप द्वारा ली जाएगी।

1.4 आप प्ररूप 14–क में ऐसे समस्त मामलों का एक रिकार्ड भी रखेंगे। इस रिकार्ड को एक पैकेट जो नान–स्टेट्यूरी (असांविधिक) लिफाफे में रखेंगे एवम् उसे कलेक्शन सेंटर में मतदान समाप्ति के बाद जमा कर देंगे।

1.5 आप यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी मतदान कर्मी किसी भी दृष्टिबाधित मतदाता के साथी के रूप में मत रिकार्ड नहीं करें।

अध्याय–22

मतदाता का मत नहीं देने का निश्चय

1.1 यदि कोई मतदाता, मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप 17 क) में उसकी निर्वाचक नामावली संख्या की सम्यक् रूप से प्रविष्टि करने और उस रजिस्टर पर उसके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लगवाने के पश्चात् अपना मत रिकार्ड नहीं करने का विनिश्चय करता है तो अपना मत रिकार्ड करने के लिए उस पर दबाव नहीं डाला जाएगा या उसे अपना मत रिकार्ड करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

1.2 मतदाताओं के रजिस्टर मे उससे संबंधित प्रविष्टि के सामने अभ्युक्ति के स्तम्भ में आप द्वारा इस आशय की एक अभ्युक्ति की जाएगी कि वह अपना मत रिकार्ड नहीं करने का विनिश्चय कर चुका है। अभ्युक्ति के नीचे आप अपने पूरे हस्ताक्षर भी करेंगे।

1.3 मतदाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान ऐसी अभ्युक्ति के सामने भी अभिप्राप्त किया जाएगा।

1.4 तथापि, यह आवश्यक नहीं होगा कि मतदाताओं के रजिस्टर के स्तम्भ (1) में उस मतदाता या किसी अगले मतदाता की क्रम संख्या में कोई भी परिवर्तन किया जाए।

1.5 यदि किसी निर्वाचक द्वारा मत बटन कन्ट्रोल कक्ष में दब जाए एवं वह मत देने से इंकार करे तो आप या मतदान अधिकारी जो भी कन्ट्रोल यूनिट का इंचार्ज हो तो वह अगले मतदाता को मत देने के लिए मत कक्ष में निर्देश दें। यदि आखिरी मतदाता मत बटन को दबा दे एवं फिर मत देने से इंकार कर दे तो इस स्थिति में आप या जो भी अधिकारी हो तो वह पावर स्विच को बंद कर दें। अब बिजली लैंप बंद हो जाएगा एवं बंद बटन फिर से मतदान समाप्त करने के लिए क्रियाशील हो जाएगा। यदि ऐसा नही किया गया तो बंद बटन काम नहीं करेगा और कन्ट्रोल कक्ष के बंद किए बिना सही परिणाम नहीं देगा। क्योंकि परिणाम देने वाला बटन बंद बटन को दबाने के बाद ही काम करेगा। इसके बाद बैलेट यूनिट को कन्ट्रोल यूनिट से अलग करने के बाद पावर स्विच को फिर से 'आन' कर दें। अब बिजी लैम्प बन्द हो जाएगा और 'क्लोज बटन' क्रियाशील हो जाएगा और मतदान बन्द हो जाएगा। यदि इस पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता तो 'क्लोज बटन' काम नहीं करेगा और कन्ट्रोल यूनिट को बन्द किए बिना परिणाम नहीं मिलेगा क्योंकि 'रिजल्ट बटन' तभी काम करेगा जब 'क्लोज बटन' को दबाया जाएगा।

अध्याय–23

निविदत्त मत

1. ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति, जो अपनी बाबत् यह कहता है कि वह विशिष्ट मतदाता है, मत देने के लिए मतदान केन्द्र पर उस समय आए जब कोई अन्य व्यक्ति उस निर्वाचक के रूप में पहले ही मत दे चुका हो तो आप संबंधित मतदाता की पहचान के बारे में अपना समाधान करेंगे। ऐसे मामले में आप उससे ऐसे प्रश्न पूछें जिन्हें आप उसकी पहचान के बारे में स्वयं अपना समाधान करने के लिए आवश्यक समझते हों, यदि उसकी पहचान के बारे में आपका समाधान हो जाता है तो आप संबंधित निर्वाचक को निविदत्त मतपत्र द्वारा देने की अनुमति देंगे न कि मतदान मशीन द्वारा।

2. निविदत्त मतपत्र की परिकल्पना :

2.1 रिटर्निंग अधिकारी इसलिए प्रत्येक मतदान केन्द्र को ऐसे बीस मतपत्र उपलब्ध करायगा जो उसने मतदान मशीनों की मतदान यूनिटों में उपयोग के लिए निविदत्त मतपत्रें के रूप में उपयोग में लाए जाने के लिए मुद्रित कराए हैं। यदि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए किसी मतदान केन्द्र को कोई अतिरिक्त मतपत्र का प्रदाय करना आवश्यक हो जाए तो उस मतदान केन्द्र के प्रभारी क्षेत्रीय अधिकारी के माध्यम से मांगे जाने पर संबंधित मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी को प्रदाय करने के लिए उनका इन्तजाम किया जाएगा।

2.2 आप इन मतपत्रें के पीछे अपने स्वयं के हाथ से शब्द "निविदत्त मतपत्र" लिखेंगे यदि ये शब्द वहां पहले से ही स्टाम्पित नहीं हों और उन्हें यदि आवश्यक हो, निविदत्त मतपत्रों के रूप में जारी करेंगे।

3. निविदत्त मतपत्रों का लेखा :

आप प्ररूप 17 ग के भाग 1 की मद सं0–8 में,–(i) निविदत्त मतपत्रों के रूप में उपयोग के लिए प्राप्त किए गए, (ii) निर्वाचकों को उस रूप में जारी किए गए, और (iii) अप्रयुक्त और लौटाए गए समस्त मतपत्रों का सही लेखा रखेंगे।

4. उन मतदाताओं का रिकार्ड जिन्हें निविदत्त मतपत्र जारी किए गए :

आप उन निर्वाचकों का पूरा रिकार्ड रखेंगे जिन्हें प्ररूप 17 ख में निविदत्त मतपत्र जारी किए गए हैं। आप निर्वाचक को निविदत्त मतपत्र देने के पूर्व उस प्ररूप के स्तम्भ (5) में उसके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान भी अभिप्राप्त करेंगे।

5. निविदत्त मतपत्र पर मत रिकार्ड करना :

5.1 मतदाता को निविदत्त मतपत्र देते समय उसे स्याही लगी हुई एरोक्रास मार्क रबड़ की मुहर भी दी जाएगी। यह मुहर वैसी ही है जो परम्परागत पद्धति के मतपत्रों और मतपेटियों के उपयोग में मतपत्रों पर चिह्न लगाने के लिए उपयोग में ली जाती रही है और जो मतदान केन्द्र पर उपयोग के लिए मतदान सामग्री की एक मद के रूप में दी जाएगी।

5.2 निविदत्त मतपत्र प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित मतदाता, मतदाता कक्ष में उस अभ्यर्थी के प्रतीक पर या उसके पास में जिसे वह मत देने का आशय रखता है, एरोक्रास मार्क रबड़ की मुहर से क्रास मार्क करके अपने मत को चिह्नित करेगा।

5.3 तब मतदाता निविदत्त मतपत्र को मोड़ेगा और मतदान कक्ष से बाहर आने के पश्चात् आपको सौंप देगा।

5.4 आप समस्त निविदत्त मतपत्र और उस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से उपलब्ध कराए गए कवर में प्ररूप 17 ख में सूची रखेंगे। मतदान सम्पन्न होने पर कवर को सील कर देंगे।

5.5 यदि दृष्टिबाधित या शारीरिक अशक्तता के कारण ऐसा मतदाता बिना सहायता के अपना मत रिकार्ड करने में असमर्थ हो तो पीठासीन अधिकारी, अध्याय–18 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार उसे अपने साथ एक साथी ले जाने की अनुमति देगा।

अध्याय–24

बलवे, बूथ पर कब्जा इत्यादि के कारण मतदान का स्थगन/रोका जाना

बलवे इत्यादि के कारण मतदान का स्थगन :

1. किसी मतदान स्थल का पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित कारणों से मतदान को स्थगित करने के लिए सशक्त है:–

(i) किसी प्राकृतिक विपत्ति जैसे बाढ़, भारी हिमपात, तीक्ष्ण तूफान और इसी प्रकार के अन्य या

(ii) आवश्यक मतदान सामग्री जैसे मतदान मशीन, निर्वाचक नामावली की अभिप्रमाणित प्रति और इसी तरह की अन्य सामग्री का प्राप्त न होना, खो जाना या नष्ट हो जाना या

(iii) मतदान केन्द्र पर शान्ति भंग होना जिससे मतदान करवाना असम्भव हो जाए या

(iv) मतदान दल के रास्ते में बाधा या गंभीर कठिनाई के कारण मतदान दल मतदान केन्द्र पर नहीं पहुंचने; या

(v) किसी अन्य पर्याप्त कारण से।

2.1 यदि बलवा हो जाए या खुले रूप में हिंसा करने का कोई प्रयास किया जाए तो उस पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस का उपयोग करें। तथापि, यदि उसे नियंत्रण न किया जा सके और मतदान को जारी रखना असम्भव हो, तो आपको मतदान स्थगित कर देना चाहिए। यदि किसी प्राकृतिक विपत्ति या अन्य पर्याप्त कारण से मतदान कराना असम्भव हो गया हो तो ऐसी स्थिति में भी मतदान स्थगित कर दिया जाना चाहिए। थोड़ी देर के लिए वर्षा की बौछारें या आंधी आना मतदान को स्थगित करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं होगा। मतदान स्थगित करने का जो विशेषाधिकार आपको दिया गया है उसका प्रयोग आप कम और केवल उन्हीं मामलों में करें जहाँ मतदान कराना वस्तुतः असम्भव हो गया है। आयोग ने यह निश्चय किया है कि मतदान का स्थगन उन मतदान स्थलों पर हो सकता है जहाँ प्रथम दो घंटों में मतदान शुरू नहीं हो पाया है।

2.2 मतदान स्थगन के प्रत्येक मामले में आप रिटर्निंग अधिकारी को संपूर्ण तथ्यों के बारे में तत्काल रिपोर्ट करें। जहाँ कहीं मतदान स्थगित हो गया हो वहां आप सभी उपस्थित व्यक्तियों को औपचारिक रूप से घोषणा करके सूचित कर दें कि मतदान उस दिन होगा जो बाद में निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

2.3 आप मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में मतदान मशीन और समस्त निर्वाचन पत्रों की दोनों यूनिटों को सील कर दें तथा सुरक्षित रख दें मानो मतदान सामान्य रूप से सम्पन्न हो गया हो।

3. स्थगित मतदान को पूर्ण किया जाना :

3.1 जहाँ किसी मतदान केन्द्र पर मतदान स्थगित हो चुका है वहाँ स्थगित मतदान जिस स्तर पर स्थगन से ठीक पूर्व छोड़ा गया था उससे आगे निर्वाचन आयोग द्वारा नियत तिथि और समय पर पुनः करवाया जाएगा अर्थात् जिन निर्वाचकों ने स्थगित मतदान के पूर्व मतदान नहीं किया है उन्हें ही स्थगित मतदान में मत देने की अनुमति दी जाएगी। रिटर्निंग अधिकारी, उस मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी को जिस पर ऐसा स्थगित मतदान होना है, निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति से युक्त मुहरबंद पैकेट और प्ररूप–17क में का मतदाताओं का रजिस्टर जो उस मतदान केन्द्र पर पूर्व में प्रयुक्त हुए थे तथा एक नई मतदान मशीन उपलब्ध कराएगा।

3.2 स्थगित मतदान पुनः प्रारम्भ कराए जाने के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति से युक्त मुहरबंद पैकेट और मतदाताओं का रजिस्टर, उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं, जो भी मतदान केन्द्र पर उपस्थित हों,

के समक्ष पुनः खोला जाना चाहिए और निर्वाचक नामावली की उसी चिह्नित प्रति और मतदाताओं के रजिस्टर का स्थगित मतदान में प्रयोग किया जाना चाहिए।

3.3 किसी स्थगित मतदान का संचालन उसी प्रकार से किया जाएगा जैसा कि स्थगित होने के पूर्व मतदान संचालित किया गया था।

3.4 जहाँ मतदान दल के नहीं पहुंचने या अन्य कारणों से मतदान प्रारम्भ नहीं किया जा सका, हो वहाँ प्रत्येक ऐसे स्थगित मतदान पर वे ही नियम लागू होंगे जो मूल मतदान पर लागू होते हैं।

4. मतदान मशीन की विफलता, बूथ पर कब्जा इत्यादि करने के कारण मतदान का रोका जाना

4.1 राज्य निर्वाचन आयोग किसी मतदान केन्द्र पर मतदान को शून्य घोषित करने और नए मतदान का निर्देश देने के लिए सक्षम है, यदि उस मतदान केन्द्र पर –

(i) कोई अप्राधिकृत व्यक्ति अवैध रूप से किसी मतदान मशीन को उठाकर ले जाए, या

(ii) काई भी मतदान मशीन दुर्घटनावश या साशय नष्ट हो गई हो या खो गई हो या क्षतिग्रस्त हो गई हो या उसमें गड़बड़ कर दी गई हो और उस मतदान केन्द्र पर मतदान का परिणाम उस कारणवश अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता हो, या

(iii) किसी मतदान मशीन में मतों को रिकार्ड करते समय कोई तकनीकी खराबी आ गई हो, या

(iv) प्रक्रिया में कोई भूल या अनियमिततता हो गई हो जिससे मतदान के दूषित होने की संभावना हो या

(v) बूथ पर कब्जा हो गया हो।

4.2 यदि ऐसी कोई घटना आपके मतदान केन्द्र/स्थल पर घटित हुई हो तो उसकी पूरे तथ्यों की रिपोर्ट तत्काल सहायक रिटर्निंग अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी को भेजनी चाहिए ताकि वह इस मामले की रिपोर्ट को जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (न0नि0) के माध्यम से निर्वाचन आयोग के निर्देशों के लिए भेज सके।

4.3 यदि आयोग समस्त तात्विक परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् किसी मतदान केन्द्र पर नया मतदान कराए जाने का निर्देश दें तो ऐसा नया मतदान उसी रीति से कराया जाएगा जैसे मूल मतदान हुआ है।

4.4 विवादास्पद मतदान स्थल पर मत देने के हकदार सभी निर्वाचक नए मतदान में पुनः मत देने के हकदार होंगे। मूल मतदान में लगाया गया अमिट स्याही का चिह्न नए मतदान के समय ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। नए मतदान के समय बनाए गए चिह्नों का, पहले से ही बनाए गए मूल मतदान के समय के चिह्नों से भेद करने के लिए आयोग ने निर्देश दिया है कि नए मतदान में अमिट स्याही का चिह्न मतदाता के बायें हाथ की मध्य अंगुलि पर लगाया जाना चाहिए।

5. बूथ पर कब्जे के मामले में बूथ पर मतदान मशीन का बन्द किया जाना :

5.1 जहाँ किसी मतदान स्थल के पीठासीन अधिकारी की यह राय हो कि मतदान स्थल के बूथ पर कब्जा किया जा रहा है तो वह यह सुनिश्चित करने के लिए कि आगे और मत रिकार्ड नहीं किए जा सकें, मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट को तत्काल बन्द कर देगा और वह नियंत्रण यूनिट से मतदान यूनिट (यूनिटों) को पृथक् कर देगा।

5.2 आपको ऊपर उल्लिखितानुसार मतदान मशीन बन्द किए जाने की रिपोर्ट केवल तब ही करनी चाहिए जब आपको यह निश्चित हो जाए कि बूथ पर कब्जा किया जा रहा है न कि केवल बूथ का कब्जा किए जाने की सम्भावना के बारे में आशंका या संदेह ही हो। यह इसलिए है क्योंकि जब एक बार "क्लोज" बटन दबाकर नियंत्रण यूनिट को बन्द कर दिया जाता है तो मतदान मशीन आगे और कोई मत रिकार्ड

नहीं करेगी और मतदान या तो उस दिन के लिए या अस्थायी रूप से, उस मतदान केन्द्र पर आगे मतदान कराने के लिए आपको नई मशीन उपलब्ध कराए जाने तक आवश्यक रूप से स्थगित करना होगा।

5.3 आप द्वारा मतदान मशीन बन्द करने के पश्चात् ज्यों ही सम्भव हो आपको पूरे तथ्यों सहित मामले की रिपोर्ट सहायक रिटर्निंग अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी को करनी चाहिए। सहायक रिटर्निंग अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी ऐसे मामले के पूरे तथ्यों की रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (न0नि0) के माध्यम से संसूचना के उपलब्ध सबसे तीव्र माध्यम द्वारा निर्वाचन आयोग को करेगा।

5.4 निर्वाचन आयोग, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (न0नि0) से रिपोर्ट के प्राप्त होने पर समस्त तात्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, –

(i) या तो नई मतदान मशीन उपलब्ध कराते हुए स्थगित मतदान को उस स्तर से जिस पर इसे स्थगित किया गया था, यदि यह समाधान हो जाए कि मतदान उस स्तर तक दूषित नहीं हआ था, पूर्ण कराने का निश्चय कर सकेगा, या

(ii) यदि यह समाधान हो जाए कि मतदान दूषित हो गया था तो उस मतदान केन्द्र पर के मतदान को शून्य घोषित कर सकेगा और उस मतदान केन्द्र पर नए मतदान का निर्देश दे सकेगा।

5.5 जहाँ मतदान, ऊपर पैरा 5.1 के अधीन मतदान मशीन बन्द करके उस दिन के लिए स्थगित/रोक दिया गया है, वहाँ मतदान मशीन और समस्त निर्वाचन पत्र उसी रीति से मुहर बन्द और सुरक्षित रखे जाएंगे जैसे मतदान के बन्द होने पर।

5.6 आयोग के निर्देशानुसार स्थगित मतदान को पूर्ण कराने या, यथास्थिति, नया मतदान कराने के लिए आगे कार्यवाही पहले से ही ऊपर लिखित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।

अध्याय–25

मतदान की समाप्ति

1. मतदान बंद होने के समय मतदान केन्द्र में उपस्थित व्यक्तियों द्वारा मतदान :

1.1 इस प्रयोजन के लिए नियत समय पर मतदान बन्द कर दिया जाना चाहिए चाहें यह किसी अपरिहार्य कारण से मतदान प्रारम्भ होने के नियत समय से कुछ समय पश्चात् ही क्यों न प्रारम्भ हुआ हो। तथापि, मतदान बन्द करने के लिए नियत समय पर मतदान केन्द्र में उपस्थित समस्त मतदाताओं को अपना मत देने के लिए अनुज्ञात किया जाना चाहिए चाहे मतदान नियत समय के बाद भी कुछ समय के लिए जारी रखना पड़े।

1.2 मतदान के लिए नियत समय समाप्त होने के कुछ मिनट पूर्व उन सभी व्यक्तियों के समक्ष जो मत देने के लिए मतदान केन्द्र की सीमा के अन्दर प्रतीक्षा कर रहे हों, आप यह घोषणा कर दें कि उन्हें बारी–बारी से अपना मत रिकार्ड करने की अनुज्ञा दी जाएगी। आप ऐसे समस्त निर्वाचकों को अपनी पूर्ण हस्ताक्षरित स्लिपें वितरित कर दें जो, उस समय पंक्ति में खड़े निर्वाचकों की संख्या के अनुसार क्रम सं0–1 से आगे तक क्रमवार संख्यांकित होनी चाहिए। मतदान समाप्ति के नियत समय के पश्चात् भी आप मतदान तब तक जारी रखें जब तक कि ऐसे समस्त मतदाता अपना मत न दे दें। नियत समय समाप्त होने के पश्चात् कोई भी व्यक्ति पंक्ति में सम्मिलित न हो जाए इस बात की देखरेख के लिए पुलिस या अन्य कर्मचारियों को नियुक्त कर दें। यह कार्य प्रभावी ढंग से तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जबकि उन समस्त निर्वाचकों को स्लिपें अंतिम छोर से बांटना प्रांरभ करते हुए पंक्ति के प्रांरभ तक बांट दी जाएं। आपको नंबर वाली पर्चियां (200 पर्चियां प्रत्येक मतदान केन्द्र हेतु) पहले ही दे दी जाएंगी, उदाहरण के लिए देखें (उपाबंध XIX)।

2. मतदान बन्द करना

मतदान बंद करने के लिए नियत समय की समाप्ति पर मतदान केन्द्र में उपस्थित समस्त निर्वाचकों द्वारा पूर्ववर्ती पैरा में उपबन्धितानुसार मत देने के पश्चात् आपको मतदान की समाप्ति की औपचारिक घोषणा कर देनी चाहिए और तत्पश्चात् किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति को मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए।

3. मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट का बन्द करना

3.1 अन्तिम मतदाता द्वारा अपना मत रिकार्ड करने के पश्चात् मतदान बन्द करने के लिए मतदान मशीन को बन्द किया जाना चाहिए ताकि मतदान मशीन में आगे और कोई मत रिकार्ड किया जाना सम्भव न हो। इस प्रयोजन के लिए, आपको निंयत्रण यूनिट पर के "क्लोज" बटन को दबाना चाहिए। जब "क्लोज" बटन दबाया जाता है तब नियंत्रण यूनिट पर का प्रदर्शन पैनल, मतदान के अन्त तक मतदान मशीन में रिकार्ड किए गए मतों की कुल संख्या प्रदर्शित करेगा। मतदान मशीन में रिकार्ड मतों की कुल संख्या प्ररूप 17ग के भाग–I के मद–5 में तत्काल नोट की जानी चाहिए। आप इसके बाद मतदान इकाई को नियंत्रण यूनिट से अलग कर पावर बटन को "आफ" की स्थिति में लाएं।

3.2 "क्लोज" बटन इसके बाहरी आवरण पर नीले रंग की रबड़ की कैप के नीचे परिणाम सेक्शन के कक्ष पर उपलब्ध है और रबड़ कैप को खींचने मात्र से इस तक पहुंचा जा सकता है। रबड़ कैप "क्लोज" बटन दबाए जाने और मतदान होने के पश्चात् बदल दिया जाना चाहिए।

3.3 "क्लोज" बटन को एक बार दबाए जाने के पश्चात् मतदान मशीन आगे और कोई मत स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए "क्लोज" बटन दबाने से पूर्व आपको इस बात से अत्यन्तिक रूप से सावधान और पूर्णतया निश्चित होना चाहिए कि मतदान बन्द करने के नियत समय पर उपस्थित कोई निर्वाचक मत देने से वंचित नहीं रहना चाहिए।

3.4 आपको यह भी नोट करना चाहिए कि "क्लोज" बटन केवल तब ही कार्य करेगा जब नियंत्रण यूनिट पर का "बिजी" लैम्प चालू न हो अर्थात् मत देने के लिए अनुज्ञात अन्तिम निर्वाचक के पश्चात् ही जब उसने अपना मत रिकार्ड कर दिया हो। अन्तिम निर्वाचक द्वारा अपना मत रिकार्ड करने के पश्चात् भूलवश "बैलेट" बटन दबाए जाने के कारण या ऐसे अंतिम निर्वाचक द्वारा "बैलेट" बटन दबाए जाने के पश्चात् अपना मत रिकार्ड कराने से इन्कार करने के कारण यदि "बिजी" लैम्प चालू हो जाता है तो "बिजी" लैम्प को नियंत्रण यूनिट के पिछले कक्ष के "पावर" स्विच को बन्द करके और नियंत्रण यूनिट से मतदान यूनिटों (यूनिट) का सम्बन्ध विच्छेद करके बन्द किया जा सकता है। नियंत्रण यूनिट से मतदान (यूनिटों) का सम्बन्ध विच्छेद करने के पश्चात् "पावर" को दुबारा चालू किया जाना चाहिए। अब "बिजी" लैम्प बुझ जाएगा और "क्लोज" बटन क्रियाशील हो जाएगा।

अध्याय–26

रिकार्ड किए गए मतों का लेखा

1. रिकार्ड किए गए मतों का लेखा तैयार करना

1.1 आपसे मतदान की समाप्ति के पश्चात् मतदान मशीन में रिकार्ड किए गए मतों का लेखा तैयार करने की अपेक्षा की जाती है। आप द्वारा ऐसे लेखे प्ररूप 17 ग के भाग 1 में तैयार किए जाएंगे।

1.2 जैसा कि पूर्व अध्याय में पहले से ही स्पष्ट किया जा चुका है कि मतदान की समाप्ति के समय मतदान मशीन में रिकार्ड किए गए मतों की कुल संख्या 'कलोज' बटन दबाकर अभिनिश्चित की जाएगी। यदि आवश्यक हो तो अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के लिए उस बटन को दुबारा दबाया जा सकता है।

1.3 आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि मतदान मशीन में रिकार्ड किए गए मतों की कुल संख्या, उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत न देने का निश्चय किया है (उस रजिस्टर के अभ्युक्ति स्तम्भ के अनुसार) को घटाकर और मतदान की गोपनयीतता का अतिक्रमण करने पर मत देने के लिए आप द्वारा अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या भी घटाकर (उक्त रजिस्टर के अभ्युक्ति स्तम्भ के अनुसार) मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप 17क) के स्तम्भ (I) के अनुसार रजिस्ट्रीकृत मतदाताओं की कुल संख्या के समतुल्य होनी चाहिए।

1.4 प्ररूप 17ग के भाग I में तैयार किए गए रिकार्डेड मतों के लेखे का एक नमूना उपाबंध 13 पर आपके मार्गदर्शनार्थ दिया गया है।

1.5 प्ररूप 17 ग में रिकार्ड किए गए मतों का लखा, इसमें वर्णित शब्दों 'रिकार्ड किए गए मतों का लेखा', के साथ आप द्वारा एक पृथक् आवरण में रखा जाना चाहिए।

2. मतदान अभिकर्ताओं को रिकार्ड किए गए मतों के लेखों की अनुप्रमाणित प्रतियों का दिया जाना

2.1 मतदान की समाप्ति के समय उपस्थित प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को, प्ररूप 17ग में आप द्वारा तैयार किए गए रिकार्डेड मतों के लेखों की अनुप्रमाणित सत्य प्रति, उन मतदान अभिकर्ताओं से प्राप्त रसीद अभिप्राप्त करने के पश्चात् उन्हें देने की भी आपसे अपेक्षा की जाती है। उपस्थित प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को यहाँ तक कि उसके बिना कहे जाने पर भी लेखों की प्रति दी जानी चाहिए। प्ररूप 17ग की मूल प्रति डुल्पीकेट प्रति के साथ स्ट्रांग रूप में जमा करें।

2.2 आपको प्ररूप 17 ग में रिकार्ड किए गए मतों के लेखों की प्रतियों की अपेक्षित संख्या हेतु समर्थ बनाने के लिए आपको मुद्रित प्ररूप (प्ररूप 17ग) की उतनी प्रतियाँ जितने निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या है, के साथ मूल लेखे के लिए एक या दो और प्रतियां जोड़कर दी जाएंगी। यदि संभव हो तो मूल लेखे में प्रविष्टियाँ करते समय आप द्वारा कार्बन पेपर की सहायता से अपेक्षित प्रतियों की संख्या तैयार की जानी चाहिए ताकि मतदान अभिकर्ताओं को दी गई ऐसी समस्त प्रतियाँ और मूल लेखे की प्रति हर तरह से पहचान योग्य हो।

2.3 चेयरपसरन तथा सदस्य/पार्षद के चुनाव साथ साथ होने पर प्रपत्र 17 ग को पृथक्–पृथक् रूप से बनाया जाए तथा प्ररूप 17 ग की प्रति सदस्य/पार्षद तथा चेयरपरसन के प्रत्याशी/अभिकर्ता को दी जाए।

3. मतदान की समाप्ति पर की जाने वाली घोषणा :

3.1 यह सुनिश्चित करने के लिए कि मतदान अभिकर्ताओं द्वारा रिकार्ड किये गये मतों के लेखे की प्रतियां देने के सम्बन्ध में ऊपर लिखित अपेक्षाएं आप द्वारा पूरी कर दी गई हैं, आयोग ने एक घोषणा (भाग III, उपाबंध 7) प्रकल्पित की है जो मतदान की समाप्ति पर आप द्वारा की जाएगी।

अध्याय–27

मतदान की समाप्ति के पश्चात् मतदान मशीन का मुहर बन्द किया जाना

1.1 मतदान की समाप्ति के पश्चात् और मतदान मशीन में रिकार्ड किए गए मतों का लेखा प्ररूप 17ग में तैयार करने तथा इसकी प्रतियाँ उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को देने के पश्चात् मतदान मशीन को मुहर बन्द किया जाना चाहिए और गणना/संग्रह केन्द्र तक परिवहन हेतु सुरक्षित रखना चाहिए।

1.2 मतदान मशीन को मुहरबन्द करने और सुरक्षित करने के लिए मतदान यूनिट (यूनिटों) और नियंत्रण यूनिट का सबसे पहले सम्बन्ध विच्छेद किया जाना चाहिए और नियंत्रण यूनिट के पावर स्विच को बन्द किया जाना चाहिए। मतदाता यूनिट (यूनिटों) और नियंत्रण यूनिट को सम्बन्धित वहन बक्सों में रख देना चाहिए।

1.3 तब प्रत्येक वहन बक्से को, ऐसे वहन बक्से के दोनों तरफ इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध करऐ गए दो छिद्रों में से एक धागा डालकर और निर्वाचन, मतदान स्थल तथा उसमें अन्तर्विष्ट यूनिट की विशिष्टियाँ दर्शाते हुए एड्रेस टैग पर पीठासीन अधिकारी की मुहर सहित धागे की सील लगाते हुए मुहर बन्द किया जाना चाहिए।

1.4 मतदान यूनिट के ऊपर एड्रेस टैग की विशिष्टियाँ वैसी ही होंगी जैसी अध्याय–3 के पैरा 2. 1 में वर्णित हैं। अभ्यर्थी या उनके मतदान अभिकर्ता जो उपस्थित हों और अपनी मुहर लगाने के इच्छुक हों तो उन्हें ऐसा करने के लिए भी अनुज्ञात करना चाहिए।

1.5 अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं, जिन्होंने मतदान यूनिट (यूनिटों) और नियंत्रण यूनिट के वहन बक्सों पर अपनी मुहर लगाई है, के नाम भी आप द्वारा उस घोषणा में नोट किया जाना चाहिए जिसे मतदान की समाप्ति पर उपाबंध 7 के भाग 4 द्वारा करनी है।

अध्याय–28

निर्वाचन से सम्बन्धित कागज पत्रों का मुहरबन्द किया जाना

1. निर्वाचन से सम्बन्धित कागज पत्रों का पैकेटों में मुहर बन्द किया जाना :

1.1 मतदान की समाप्ति के पश्चात् मतदान से संबंधित सभी निर्वाचन सम्बन्धी कागज पत्रों को पृथक् पृथक् पैकेटों में मुहरबन्द (उपाबंध–2) किया जाऐगा।

1.2 इस प्रकार मुहरबन्द किए गए सभी पैकेटों को नीचे पैरा 3 में स्पष्ट किए गए अनुसार चार बड़े पैकेटों में रखा जाना चाहिए और उन्हें रिटर्निंग अधिकारी को भेजवा देना चाहिए सिवाय उन पैकेटों के जिनमें निम्नलिखित वस्तुएं हों :–

(i) रिकार्ड किए गए मतों का लेखा और पेपर सील (प्ररूप 17ग);

(ii) पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व, मतदान के दौरान और मतदान की समाप्ति के पश्चात् की गई घोषणाएं (उपाबंध 7); और

(iii) पीठासीन अधिकारी की डायरी।

(iv) आगमन पेपर एवं प्रेक्षक की 16 बिन्दु की रिपोर्ट को चार बड़े पैकेट्स में रखा जाए जैसा कि नीचे पैरा 3 में दिया गया है तथा रिटर्निंग अधिकारी को भेजा जाए।

1.3 उन लिफाफों को, जिनमें निम्नलिखित वस्तुएं हों,–

(i) रिकार्ड किए गए मतों का लेखा और पेपर सील लेखा;

(ii) पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा; और

(iii) पीठासीन अधिकारी की डायरी।

(iv) दौरा शीट तथा प्रेक्षक की 12 बिन्दु का प्रतिवेदन प्राप्त करने वाले केन्द्र/स्थल पर मतदान मशीन के साथ अलग से भेजा जाए। मतदान मशीन के साथ पृथक् से प्राप्ति केन्द्र को भेजना चाहिए।

2. आपको ऐसे प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या उसके मतदान अभिकर्ता को, जो मतदान केन्द्र पर उपस्थित हों, निम्नलिखित दस्तावेजों से युक्त लिफाफों और पैकेटों पर मुहर लगाने के लिए अनुज्ञात करना चाहिए,–

(i) निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति;

(ii) मतदाताओं का रजिस्टर;

(iii) मतदाता पर्ची;

(iv) प्रयुक्त निविदत्त मतपत्र और प्ररूप 17 ख में निविदत्त मतों की सूची;

(v) अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्र;

(vi) चुनौती दिए गए मतों की सूची;

(viii) मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र;

(ix) कोई अन्य पत्र जिन्हें किसी मुहरबन्द पैकेट में रखने के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी ने निर्देश दिया हो।

3. 'सांविधिक लिफाफों' और असांविधिक लिफाफों तथा निर्वाचन सामग्री का बन्द किया जाना

सीलबन्द मतदान मशीन, निर्वाचन सम्बन्धी कागज पत्रों और समस्त अन्य सामग्री को जमा कराने के स्थान पर प्रतीक्षा में देरी और असुविधा से बचने के लिए आपको सलाह दी जाती है कि आप लिफाफों और अन्य सामग्री को नीचे स्पष्ट किए गए अनुसार चार पृथक् बड़े पैकेटों में रख लें और उन्हें उनकी प्राप्ति के लिए नियत स्थान पर सौंप दें।

(क) प्रथम पैकेट, जिसमें नीचे वर्णित मुहरबन्द लिफाफे होने चाहिए और उस पर "सांविधिक लिफाफे" लिखा होना चाहिए :–

(i) निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का मुहरबन्द लिफाफा;

(ii) मतदाताओं के रजिस्टर का मुहरबन्द लिफाफा;

(iii) मतदाता पर्चियों का मुहरबन्द लिफाफा;

(iv) अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों का मुहरबन्द लिफाफा;

(v) प्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों और प्ररूप 17 ख की सूची का मुहरबन्द लिफाफा।

यदि ऊपर वर्णित किसी लिफाफे में रखने के लिए कोई विवरण या अभिलेख शून्य है तो भी यह नोट करते हुए कि विवरण या अभिलेख "शून्य" है, लिफाफे में एक स्लिप शून्य लिखकर रखी जा सकती है और इस प्रकार तैयार किए गए लिफाफों की संख्या कुल पांच हो जाएगी ताकि प्राप्ति केन्द्र पर प्राप्तिकर्ता को मुहरबन्द लिफाफों में से किसी के भी प्रस्तुत नहीं किए जाने के बारे में जाँच करने की आवश्यकता न रहे।

(ख) द्वितीय पैकेट में निम्नलिखित लिफाफे होने चाहिए और उस पर "असांविधिक लिफाफे" लिखा होना चाहिए :–

(i) निर्वाचक नामावली (चिह्नित प्रति से भिन्न) की प्रति या प्रतियों से युक्त लिफाफा;

(ii) प्ररूप 10 में मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र से युक्त लिफाफा;

(iii) निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र से युक्त लिफाफा;

(iv) चुनौती दिए गए मतों की सूची से युक्त मुहर बन्द लिफाफा;

(v) दृष्टिबाधित और अशक्त निर्वाचकों की सूची और उनके साथियों की घोषणाओं से युक्त लिफाफा;

(vi) निर्वाचकों से उनकी आयु के बारे में अभिप्राप्त घोषणाओं और ऐसे निर्वाचकों की सूची (उपाबंध 11) से युक्त लिफाफा;

(vii) चुनौती दिए गए मतों के सम्बन्ध में प्राप्ति पुस्तिका और नकद, यदि कोई हो, से युक्त लिफाफा;

(viii) अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त पेपर सील से युक्त लिफाफा;

(ix) अप्रयुक्त मतदाता स्लिपों से युक्त लिफाफा;

(x) अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त विशेष टैग का लिफाफा; और

(xi) उपयोग में न लाई गई एवं क्षतिग्रस्त स्ट्रिप सील का लिफाफा।

(ग) तीसरे पैकेट में निम्नलिखित मदें होनी चाहिए :–

(i) पीठासीन अधिकारी के लिए पुस्तिका;

(ii) इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन की निर्देशिका;

(iii) अमिट स्याही सेट (रिसन या वाष्प को रोकने के लिए उस पर लगाई गई पिघली हुई मोमबत्ती या मोम के साथ प्रभावी रूप से प्रत्येक शीशी पर लगाए जाने वाले ढक्कन सहित);

(iv) बैंगनी रंग के स्टाम्प पैड;

(v) पीठासीन अधिकारी की धातु की मुहर;

(vi) निविदत्त मतपत्रों को चिह्नित करने के लिए एरोक्रास मार्क रबड़ स्टाम्प;

(vii) अमिट स्याही रखने के लिए कप;

(घ) अन्य समस्त मदें, यदि कोई हों, चौथे पैकेट में बन्द की जानी चाहिए। चिह्नित "सांविधिक लिफाफे" वाले प्रथम पैकेट में सम्मिलित किए जाने वाले पांच छोटे

लिफाफों/पैकेटों को मुहरबन्द किया जाना चाहिए। चिह्नित "असांविधिक लिफाफे" व दूसरे, तीसरे और चौथे पैकेटों में सम्मिलित किए जाने वाले विभिन्न असांविधिक पत्रों और निर्वाचन सामग्री की मदों से युक्त अन्य छोटे लिफाफों/पैकेटों को पृथक् रूप से तैयार किया जा सकेगा किन्तु जिन्हें (प्ररूप 14 में चुनौती दिए गए मतों की सूची से युक्त लिफाफे के सिवाय) समय बचाने के लिए मुहरबन्द किए जाने की आवश्यकता नहीं है। बिना मुहरबन्द लिफाफे और प्ररूप 14 में चुनौती दिए गए मतों की सूची से युक्त मुहरबन्द लिफाफा पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चेक मेमों के साथ सम्बन्धित बड़े लिफाफे में रखा जाना चाहिए। इन बड़े पैकेटों को मुहरबंद किए जाने की आवश्ययकता नहीं है लेकिन इन्हें आलपिन या डोरे से बांधकर अच्छी तरह से सुरक्षित किया जाना चाहिए ताकि प्राप्ति केन्द्र पर इनमें रखी गई सामग्री की जाँच की जा सके। प्रथम पैकेट जिस पर शब्द "सांविधिक लिफाफे" चिह्नित है उसमें अन्तर्विष्ट लिफाफों की प्राप्ति केन्द्र पर जाँच किए जाने के पश्चात् पीठासीन अधिकारी द्वारा मुहरबंद किया जाना चाहिए।

अध्याय–29

डायरी तैयार करना और संग्रह केन्द्रों पर मतदान मशीन तथा निर्वाचन सम्बन्धी कागज पत्रों को संग्रह केन्द्रों पर सुपुर्द करना।

1. डायरी तैयार करना

1.1 आपको मतदान केन्द्र में कराए गए मतदान से सम्बन्धित सारा कार्यवृत्त इस प्रयोजन के लिए रखी जाने वाली डायरी में लिखना चाहिए। डायरी का प्रोफार्मा उपाबंध 14 में उद्धत किया गया है। तथापि आपको डायरी का सम्यक् रूप से संख्यांकित प्रोफामा दिया जाएगा और केवल वह प्रोफार्मा ही आपको उपयोग में लाना चाहिए।

1.2 ज्यों ज्यों सुसंगत घटनाएं घटें, आप डायरी में लिखते जाएं। आपको सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का उसमें उल्लेख करना चाहिए। डायरी में घटनाएं लिखते समय आपको सावधान रहना चाहिए। यदि मतदान केन्द्र पर कोई घटना होती है जो आपके द्वारा सूचित नहीं की गई है। किन्तु अन्य स्त्रोत द्वारा सूचित की गई है। यह आपके लिए बहुत ही दुखद तथा गंभीर स्थिति होगी। निर्वाचन आयोग आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पर भी विचार कर सकता है।

1.3 बहुत से मामलों में यह देखा गया है कि पीठासीन अधिकारी, जैसी उनसे अपेक्षा की जाती है, नियमित अन्तरालों या समय समय पर डायरी के सुसंगत स्तम्भों में प्रविष्टियाँ नहीं करते हैं और समस्त प्रविष्टियाँ मतदान की समाप्ति पर भरी और पूरी की जाती हैं। यह आपत्तिजनक है। यह ध्यान रखें कि मतदान प्रक्रिया की समयावधि में समस्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में डायरी उचित रूप से भरी जाए। आपकी ओर से किसी भी चूक को आयोग द्वारा अति गम्भीरता से लिया जाएगा।

2. रिटर्निंग अधिकारी को मतदान मशीन और निर्वाचन पत्रों का सम्प्रेषण :

2.1 मतदान मशीन तथा मतदान पत्र सील करने के बाद तथा मतदान समाप्ति के पश्चात् कलेक्शन सेंटर पर जमा करना होगा जैसा कि सहायक रिटर्निंग अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी आदेश दें तथा ऐसी व्यवस्थाओं के अनुसार जैसा कि सहायक रिटर्निंग अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी बताएं।

2.2 मतदान मशीन और निर्वाचन पत्रों को संग्रह केन्द्र पर अविलम्ब सुपुर्द करना या करवाना चाहिए। इस निमित्त किए गए विलम्ब को आयोग द्वारा गम्भीरता से लिया जाएगा और समस्त सम्बन्धितों के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

3. आप संग्रह केन्द्र के प्रभारी अधिकारी को निर्वाचन अभिलेख और सामग्री से सम्बन्धित

निम्नलिखित बारह मदें सौंप दें :–

(i) अपने अपने वहन बक्सों में सम्यक्रूप से मुहरबंद मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट(यूनिटों);

(ii) रिकार्ड किए गए मतों का लेखा और पेपर सील लेखा से युक्त लिफाफा (प्रपत्र 17ग);

(iii) पीठासीन अधिकारी की घोषणाओं से युक्त लिफाफा;

(iv) पीठासीन अधिकारी की डायरी से युक्त लिफाफा;

(v) आगमन शीट;

(vi) सोलह बिन्दुओं की प्रेक्षक की रिपोर्ट;

(vii) "सांविधिक लिफाफे" लिखा गया दूसरा पैकेट (5 लिफाफों से युक्त);

(viii) "असांविधिक लिफाफे" लिखा गया दूसरा पैकेट (11 लिफाफों से युक्त);

(ix) निर्वाचन सामग्री की 7 मदों से युक्त तीसरा पैकेट;

(x) मतदान कक्ष के लिए सामग्री;

(xi) लालटेन, यदि दी गई हो;

(xii) बेकार कागजों के लिए टोकरी;

(xiii) मतदान सामग्री ले जाने के लिए पालीथीन का थैला/जूट का थैला; और

(xiv) अन्य समस्त मदों, यदि कोई हों, से युक्त चौथा पैकेट।

उपर्युक्त समस्त मदों की संग्रह केन्द्र के प्राप्ति अधिकारी (अधिकारियों) द्वारा आपकी उपस्थिति में जाँच की जाएगी और तत्पश्चात् आपको कार्यमुक्त किया जाएगा।

अध्याय–30

पीठासीन अधिकारियों / मतदान अधिकारियों के लिए संक्षिप्त मार्गदर्शन

1. अपने मतदान दल के सदस्यों से निकट सम्बन्ध बनाए रखें। जब तक टीम वर्क नहीं होगा, आपका कार्य अधिक कठिन हो जाएगा।

2.1 यह सुनिश्चित कर लें कि –

(क) आपको मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट और अपेक्षित संख्या में मतदान यूनिटें दे दी गई हैं और इनका आपके मतदान केन्द्र पर उपयोग किया जाना है;

(ख) प्रत्येक मतदान यूनिट पर समुचित मतपत्र सम्यक् रूप से लगा दिया गया है और उचित रूप से पंक्तिबद्ध कर दिया गया है;

(ग) प्रत्येक मतदान यूनिट पर "स्लाइड स्विच" समुचित स्थिति में लगा दिया गया है।

(घ) नियंत्रण यूनिट के कैण्डीडेट सेट सेक्शन को और प्रत्येक मतदान यूनिट को सम्यक् रूप से मुहरबंद कर दिया गया है और उनमें से प्रत्येक पर एड्रेस टैग अच्छी तरह से लगा दिए गए हैं।

2.2 यह सुनिश्चित कर लें कि आपको समस्त मतदान सामग्री दे दी गई है।

2.3 विशेष रूप से मतदाताओं का रजिस्टर, मतदाता स्लिप, निविदत्त मतों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मतपत्र, निविदत्त मतों के लिए एरोक्रास मार्क रबड़ की स्टाम्प, ग्रीन पेपर सील, मुहरबंद करने के लिए मोम, अमिट स्याही आदि की जाँच कर लें।

2.4 निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति से अन्य प्रतियों का मिलान करें और यह देख लें कि समस्त प्रतियां समरूप हैं और निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में कोई चिह्न न हो।

2.5 यह देख लें कि–

(i) हटाए गए नाम और अनुपूरक के अनुसार संशोधन निर्वाचक नामावली की समस्त प्रतियों से मिला लिए गए हैं;

(ii) काम में ली जा रही नामावली की वर्किंग प्रति के सभी पृष्ठ पाण्डुलिपि में क्रम से संख्यांकित हैं;

(iii) मतदाताओं की मुद्रित क्रम संख्या को शुद्ध नहीं किया गया है और नई संख्या प्रतिस्थापित नहीं की गई है।

3.1 मतदान स्थल पर मतदान प्रारम्भ करने के लिए नियत समय से कम से कम 2 घंटे पूर्व पहुंचें।

3.2 यथासाध्य, मॉडल ले आउट के अनुसार ही मतदान स्थल स्थापित करें।

3.3 मतदान स्थल पर मतदाताओं के आने जाने के लिए पृथक् पृथक् प्रवेश द्वार सुनिश्चित कर लें।

4. मतदान के दिन अपने मतदान स्थल के बाहर मतदान क्षेत्र को निर्दिष्ट करने वाला एक नोटिस, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की प्रति, प्रदर्शित करें।

5. यदि कोई मतदान अधिकारी अनुपस्थित है तो कोई स्थानीय मतदान अधिकारी नियुक्त कर लें।

6. मतदान प्रारम्भ होने के लिए नियत समय से कम से कम एक घण्टा पूर्व मतदान मशीन की तैयारी प्रारम्भ कर दें।

7.1 मतदान यूनिट और नियंत्रण यूनिट को जोड़ दें।

7.2 नियंत्रण यूनिट के पिछले कक्ष में "पावर स्विच" को चालू करा दें।

7.3 नियंत्रण यूनिट के पिछले कक्ष को एक पतले तार से बांधकर और कुछ गांठें लगाकर सुरक्षित कर लें।

7.4 उपस्थित समस्त मतदान अभिकर्ताओं को यह दिखा दें कि मतदान मशीन स्पष्ट है और उसमें पहले से ही कोई मत रिकार्ड नहीं किया गया है।

7.5 मतदान अभिकर्ताओं द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए कुछ मत रिकार्ड करवाकर दिखावटी मतदान का संचालन कराएं।

7.6 दिखावटी मतदान के संचालन के पश्चात् समस्त उपस्थित व्यक्तियों को ऐसे दिखावटी मतदान का परिणाम दिखाकर मतदान मशीन को साफ कर दें।

8.1 नियंत्रण यूनिट के रिजल्ट सेक्शन के आन्तरिक कक्ष के दरवाजे पर की चौखट में ग्रीन पेपर सील लगा दें।

8.2 रिजल्ट सेक्शन के आन्तरिक कक्ष को इस प्रकार बन्द करें कि पेपर सील के दोनों छोर आन्तरिक किनारों से बाहर की तरफ रहें।

8.3 मुद्रित क्रम संख्या के नीचे पेपर सील की सफेद सतह पर आप अपने पूर्ण हस्ताक्षर करें।

8.4 उन उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं से जो अपने हस्ताक्षर करने के इच्छुक हों पेपर सील पर हस्ताक्षर अभिप्राप्त कर लें। उन्हें पेपर सील की क्रम संख्या नोट करने के लिए अनुज्ञात करें।

8.5 नियंत्रण यूनिट के रिजल्ट सेक्शन के आन्तरिक कक्ष के दरवाजे को विशेष टैग से सील करें।

9.1 नियंत्रण यूनिट के रिजल्ट सेक्शन के बाहरी कवर को बन्द कर दें और सील कर दें। उस पर एक एड्रेस टैग अच्छी तरह लगा दें।

9.2 स्ट्रिप सील के साथ कंन्ट्रोल यूनिट बाहर से सुरक्षा के साथ सील कर दें।

9.3 मतदान अभिकर्ताओं को भी नियंत्रण यूनिट के परिणाम सेक्सन के बाहरी कवर पर अपनी सील लगाने के लिए अनुज्ञात करें।

10.1 मतदान कक्ष में मतदान यूनिट (यूनिटों) को रखें। नियंत्रण यूनिट को आप अपनी मेज पर रखें या तृतीय मतदान अधिकारी के पास रखें जिसे कन्ट्रोल यूनिट का प्रभार दिया गया हो, जैसी भी स्थिति हो।

10.2 परस्पर जुड़ी हुई केबिल को इस प्रकार से रखें कि मतदाता को, मतदान कक्ष में जाते और आते समय उसे लांघना न पड़ें, किन्तु केबिल की पूरी लंबाई दिखाई देनी चाहिए तथा किसी भी स्थिति में कपड़े या टेबल के नीचे छिपी नहीं होनी चाहिये।

11.1 उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को यह दिखाएं कि निर्वाचक नावावली की चिह्नित प्रति में कोई प्रविष्टि अन्तर्विष्ट नहीं है।

11.2 यह भी दिखाएं कि मतदाताओं के रजिस्टर (प्रारूप 17 क) में कोई प्रविष्टि नहीं है।

12. मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व घोषणा को पढ़ें और हस्ताक्षर करें।

13.1 नियत समय पर मतदान प्रारम्भ करें।

13.2 मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 को जोर से पढ़कर प्रत्येक उपस्थित व्यक्ति को चेतावनी दें।

14. दिए गए किसी भी समय में मतदान केन्द्र के भीतर किसी अभ्यर्थी के केवल एक मतदान अभिकर्ता को ही अनुज्ञात करें।

15. निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित कर लें।

16. आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक को सम्यक् शिष्टाचार दिखाएं और सम्मान दें तथा उसके द्वारा अपेक्षित जानकारी उसे दें।

17. मतदान केन्द्र के सौ मीटर की परिधि में चुनाव प्रचार करना एक अपराध है।

18. मतदान केन्द्र में धूम्रपान निषिद्ध है। यह ध्यान रखें कि आप या आपके मतदान अधिकारी या कोई भी जिनके मतदान अभिकर्ता सम्मिलित हैं, मतदान केन्द्र के अंदर धूम्रपान न करें।

19. किसी भी विशेष व्यक्ति या प्रसिद्ध व्यक्ति जो मतदान करने आए हैं, को विशेष व्यवहार या महत्व न दें।

20.1 जहाँ तीन मतदान अधिकारी हों वहां मतदान अधिकारियों के कर्तव्य निम्नलिखित हैं:–

पहला मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति रखेगा और निर्वाचक को पहचानेगा। नामावली में मुद्रण सम्बन्धित और लिपिकीय भूलों पर उसके द्वारा ध्यान नहीं दिया जाएगा।

दूसरा मतदान अधिकारी अमिट स्याही और मतदाताओं का रजिस्टर रखेगा। वह निर्वाचक की तर्जनी पर अमिट स्याही लगायगा। रजिस्टर के स्तम्भ (2) में मतदाताओं के रजिस्टर पर निर्वाचक की भाग संख्या और क्रम संख्या को दर्ज करेगा। वह आईडेंटिफिकेशन डाक्यूमेंट जैसे ई.पी.आई.सी. या अन्य डाक्यूमेंट जो कि चौथे कॉलम, जैसे कि रिमार्क कॉलम में ऐसे डाक्यूमेंट के अंतिम चार डिजिट्स के सीरियल क्रमांक को अंकित करेगा। उसके बाद मतदाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान मतदाता पर्ची देने के पश्चात् अभिप्राप्त करेगा।

तीसरा मतदान अधिकारी नियंत्रण यूनिट का प्रभारी होगा। वह निर्वाचक से मतदाता स्लिप लेगा। उसकी बायीं तर्जनी पर अमिट स्याही की जाँच करेगा और नियंत्रण यूनिट के "बैलेट" बटन को दबाकर मत देने के लिए उसे अनुज्ञात करेगा तथा मतदाता को निर्देशित करेगा कि वह मतदान कम्पार्टमेन्ट के अंदर आए तथा बैलेट यूनिट पर नीले बटन को दबाकर अपनी पसंद का मत डाले।

20.2 एक साथ चल रहे चुनावों में मतदान अधिकारियों की ड्यूटी जब मतदान पार्टियों में एक पीठासीन अधिकारी तथा पांच मतदान अधिकारी हों, जैसे निम्नानुसार :

प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता को पहचानने हेतु अधिकृत होगा तथा मतदान सूची की चिह्नित प्रति का प्रभारी होगा।

द्वितीय मतदान अधिकारी अमिट स्याही तथा मतदाता रजिस्टर का प्रभारी होगा।

तृतीय मतदान अधिकारी मतदाता पर्चियों का प्रभारी होगा।

चतुर्थ मतदान अधिकारी चेयरपरसन चुनावों के कन्ट्रोल यूनिट का प्रभारी होगा।

पांचवा मतदान अधिकारी सदस्य/पार्षद चुनाव की कन्ट्रोल यूनिट का प्रभारी होगा। निर्वाचक को अपना मत उसी क्रम में रिकार्ड करने को कहें जिसमें उन्हें मतदाता रजिस्टर में दर्ज किया गया है। उन्हें मत देने के लिए तब तक न कहें जब तक उन्होंने मतदाताओं के रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान न लगा दिया हो।

21.1 किसी निर्वाचक की पहचान के बारे में चुनौती को तब तक ग्रहण न करें जब तक कि चुनौती देने वाला पाँच रूपये की नकद चुनौती फीस संदत्त न कर दे। प्ररूप 14 में ऐसे चुनौती दिए गए मतों का रिकार्ड रखें।

21.2 यदि चुनौती स्थापित हो जाती है तो प्रतिरूपण करने वाले को लिखित शिकायत के साथ पुलिस को सौंप दें।

22. दृष्टिबाधित और अशक्त के साथी से अपेक्षित घोषणा अभिप्राप्त करें। प्ररूप 14क में ऐसे मतदाताओं का रिकार्ड रखें।

23. यदि आप किसी निर्वाचक को मतदान की आयु अर्थात् 18 वर्ष से बहुत कम मानते हैं किन्तु उसकी पहचान के बारे में अन्यथा समाधान हो जाता है तो उसकी आयु के सम्बन्ध में उससे एक घोषणा अभिप्राप्त कर लें। उसकी पात्रता के बारे में कोई प्रश्न न करें।

24.1 किसी भी निर्वाचक पर दबाव न डालें या उसे बाध्य नहीं करें। यदि मतदाताओं के रजिस्टर में उसकी विशिष्टियाँ नोट किए जाने के पश्चात् वह मत नही देने का

विनिश्चय करे, रजिस्टर में उस निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टि के सामने अभ्युक्ति स्तम्भ में इस आशय की एक प्रविष्टि करें।

24.2 किसी निर्वाचक के मत नहीं देने के विनिश्चय के कारण रजिस्टर के स्तम्भ 1 की किसी क्रम संख्या को परिवर्तित न करें।

25.1 किसी निर्वाचक को निविदत्त मतपत्र द्वारा मत देने के लिए अनुज्ञात करें। यदि उसके नाम से किसी अन्य द्वारा पहले से ही मत देने के पश्चात् वह उस मतदान केन्द्र पर आता है और उसकी पहचान के बारे में आपका समाधान हो जाता है, उसे मतदान मशीन मे मत रिकार्ड करने के लिए अनुज्ञात नहीं करें।

25.2 ऐसे निर्वाचक का रिकार्ड रखें जिन्हें निविदत्त मतपत्र (प्ररूप 17ख में) जारी किए गए हैं। निविदत्त मतपत्र और उसकी सूची पृथक् लिफाफे में रखें।

26.1 किसी निर्वाचक को मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं करें यदि आप द्वारा चेतावनी दिए जाने के पश्चात् भी वह मतदान की गोपनीयता बनाए रखने की विहित मतदान प्रक्रिया को मानने से इन्कार करें।

26.2 मतदाताओं के रजिस्टर में उससे सम्बन्धित प्रविष्टि के सामने अभ्युक्ति स्तम्भ में इस आशय की एक प्रतिष्टि करें। ऐसे निर्वाचक के कारण उस रजिस्टर के स्तम्भ 1 में कोई भी क्रम संख्या परिवर्तित न करें, यदि वे चाहें।

27.1 मतदान समाप्ति के नियत समय तक यदि मतदाता पंक्ति में हैं तो यह सुनिश्चित करने हेतु मतदान समाप्ति के कुछ मिनट पूर्व अपने हस्ताक्षररयुक्त पर्चियॉ सभी पंक्तिबद्ध मतदाताओं को पंक्ति के पीछे से आगे तक आते हुए दें।

27.2 ऐसे समस्त व्यक्तियों को मत देने के लिए अनुज्ञात करें जिन्हें ऐसी स्लिपें जारी की गई हैं चाहे मतदान को नियत समय के पश्चात् भी जारी क्यों न रखना पड़े।

28.1 ऐसे अन्तिम निर्वाचक के मत देने के पश्चात् मतदान बन्द किए जाने की औपचारिक घोषणा करें।

28.2 नियंत्रण यूनिट के "क्लोज" बटन को दबाकर मतदान मशीन बन्द कर दें। इसके इस प्रकार दबाए जाने के पश्चात् "क्लोज" बटन के ऊपर के नीले रंग की रबड़ की कैप को बंद कर दें।

29.1 प्ररूप 17ग में रिकार्ड किए गए मतों का लेखा तैयार करें।

29.2 अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं को रिकार्ड किए गए मतों के लेखे की अनुप्रमाणित प्रतियां दें। विहित घोषणा प्ररूप में इस इस आशय की घोषणा करें।

30.1 मतदान के बन्द करने के पश्चात् मतदान यूनिट (यूनिटों) और नियंत्रण यूनिट का सम्बन्ध विच्छेद कर दें।

30.2 नियंत्रण यूनिट के पिछले कक्ष में "पावर स्विच" को बन्द कर दें।

31.1 नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट (यूनिटों) को उनके अपने अपने वहन बक्सों में रखें।

31.2 वहन बक्सों को दोनों ओर से सील कर दें। प्रत्येक वहन बक्से पर एड्रेस टैग अच्छी तरह से लगा दें।

31.3 समस्त मतदान अभिकर्ताओं को इन वहन बक्सों पर, अपनी सील लगाने के लिए अनुज्ञात करें।

32.1 समस्त निर्वाचन पत्रों और सामग्री को पृथक् पैकेटों में सील करें।

32.2 निम्नलिखित से युक्त लिफाफों पर आप अपनी सील लगायेंः– (1) निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति, (2) मतदाताओं का रजिस्टर, (3) मतदाता पर्ची, (4) प्रयुक्त निविदत्त मतपत्र और प्ररूप 17 ख में सूची और (5) अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्र।

32.3 समस्त मतदान अभिकर्ताओं को इन लिफाफों पर अपनी सील लगाने के लिए अनुज्ञात करें।

33.1 निर्वाचन पत्रों और सामग्री के समस्त पैकेटों को चार बड़े पैकेटों में रखें।

33.2 "सांविधिक लिफाफे" लिखे गए पहले मुहरबंद पैकेट में पांच मुहरबंद लिफाफे होने चाहिए।

33.3 "असांविधिक लिफाफे" लिखे गए दूसरे पैकेट में ग्यारह लिफाफे होने चाहिए।

33.4 तीसरे पैकेट में सात मदें होनी चाहिए।

33.5 समस्त अन्य मदें चौथे पैकेट में बन्द करनी चाहिए।

34. निम्नलिखित को पृथक् पैकेट्स में रखें, उन्हें ऊपर उल्लिखित चार बड़े पैकेट्स में से किसी में भी नही रखना चाहिए।

(1) रिकार्ड किए गए मतों का लेखा (प्ररूप 17ग),

(2) मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व और मतदान समाप्त होने के पश्चात् आप द्वारा की गई घोषणाएं और

(3) पीठासीन अधिकारी की डायरी तीन अलग लिफाफों में रखी जाएंगी और ऊपर बताए गए चार बड़े लिफाफों में नहीं रखी जाएंगी।

(4) प्रेक्षक की 12 सूत्रीय रिपोर्ट,

(5) जब तक आप द्वारा विजिट शीट कलेक्शन सेन्टर पर जमा नहीं की जाएगी तक तक उस दिन आपको कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा।

35. मतदान मशीन, मद 34 में उल्लिखित तीन पैकेट एवं 12 बिन्दु की प्रेक्षक रिपोर्ट तथा आगमन शीट और मद 33 में उल्लिखित चार बड़े पैकेट को मतदान के तत्काल पश्चात् अविलम्ब संग्रह केन्द्र के सुपुर्द कर दें।

36. मतदान केन्द्र की घटनाओं का पूर्ण सही लेखा रखने हेतु पीठासीन अधिकारी की डायरी हर तरह से पूर्ण रखें। जब कभी भी कोई घटना घटित हो, उसमें प्रविष्टियां पूर्ण कर लें न कि मतदान की समाप्ति पर।

37. यदि मतदान केन्द्र पर कोई हिंसा या बलवा होता है तो मतदान स्थगित कर दें। सहायक रिटर्निंग अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी को पूरे तथ्यों की तत्काल रिपोर्ट करें।

38. यदि बूथ पर कब्जा किया गया है या कोई मतदान मशीन या निर्वाचन सामग्री जैसे मतदाताओं का रजिस्टर, निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति यदि आपकी अभिरक्षा से अप्राधिकृत रूप से ले जायी गई हैं या क्षतिग्रस्त कर दी गई हैं या उनमें गड़बड़ की गई है तो मतदान बन्द कर दें। सहायक रिटर्निंग अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी को पूरे तथ्यों की तत्काल रिपोर्ट करें।

उपाबंध–।

(अध्याय–1 पैरा 3)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 से उद्धरण

धारा 31. मिथ्या घोषणा करना :– यदि कोई व्यक्ति –

(क) किसी निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धि के, या

(ख) किसी प्रविष्टि के किसी निर्वाचक नामावली में सम्मिलित या उसमें उपवर्णित किए जाने के सम्बन्ध में ऐसा कथन या ऐसी घोषणा लिखित रूप में करेगा जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान है या विश्वास है या जिसके सत्य होने का विश्वास नहीं है, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 से उद्धरण :

धारा–128. मतदान की गोपनीयता को बनाए रखना–

(1) ऐसा हर अधिकारी, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति जो निर्वाचन में मतों को अभिलिखित करने या उनकी गणना करने से संसक्त किसी कर्तव्य का पालन करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा और बनाए रखने में सहायता करेगा तथा ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिये प्रकल्पित कोई जानकारी किसी व्यक्ति को (किसी विधि के द्वारा या अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिए संसूचित करने के सिवाय) संसूचित न करेगा।

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

धारा–129. निर्वाचनों में अधिकारी आदि अभ्यर्थियों के लिए कार्य न करेंगे और न मत दिए जाने में कोई असर डालेंगे–

(1) जो कोई जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी है या निर्वाचन में पीठासीन या मतदान अधिकारी है या ऐसा अधिकारी है या लिपिक है जिसे रिटर्निंग अधिकारी या पीठासीन अधिकारी ने निर्वाचन से संसक्त किसी कर्तव्य के पालन के लिए नियुक्त किया है, वह निर्वाचन के संचालन या प्रबंध में (मत देने से भिन्न) कोई कार्य अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए न करेगा।

(2) यथापूर्वोक्त कोई भी व्यक्ति और पुलिस बल का कोई भी सदस्य–

(क) न तो किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अपना मत देने के लिए मनाने का; और न

(ख) किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अपना मत न देने के लिए मनाने का; और न

(ग) निर्वाचन में किसी व्यक्ति के मत देने में किसी रीति से असर डालने का, प्रयास करेगा।

(3) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

धारा–130. मतदान केन्द्रों में या उनके निकट मत संयाचन का प्रतिषेध–

(1) कोई भी व्यक्ति उस दिनाँक को या उन दिनाँकों को, जिसको या जिनको किसी मतदान केन्द्र में मतदान होता है, मतदान केन्द्र के भीतर या मतदान केन्द्र से एक

सौ मीटर की दूरी के भीतर किसी लोक स्थान या प्राइवेट स्थान में निम्नलिखित कार्यो में से कोई कार्य न करेगा, अर्थात्:–

(क) मतों के लिए संयाचना;

(ख) किसी निर्वाचक के उनके मत की याचना करना;

(ग) किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मत न देने का को किसी निर्वाचक को मनाना;

(घ) निर्वाचन में मत न देने के लिए किसी निर्वाचक को मनाना, और

(ङ) निर्वाचन के सम्बन्ध में (शासकीय सूचना से भिन्न) कोई सूचना संकेत प्रदर्शित करना।

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह जुर्माने से, जो ढाई सौ रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा;

धारा–131. मतदान केन्द्रों मैं या उनके निकट विच्छृंखल आचरण के लिये शास्ति–

(1) कोई भी व्यक्ति उस दिनाँक या उन दिनाँकों को जिनको किसी मतदान केन्द्र में मतदान होता :–

(क) मानव ध्वनि के प्रवर्धन या प्रत्युपादन के लिए कोई मेगाफोन या ध्वनि विस्तारक जैसा साधित्र मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वारा पर या उसके पड़ोस में किसी लोक स्थान या प्राइवेट स्थान में ऐसे न तो उपयोग में लाएगा और न चलाएगा; और न

(ख) मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उसके पड़ोस के किसी लोक स्थान या प्राइवेट स्थान में ऐसे न तो चिल्लाएगा और न ही विच्छृंखलता से ऐसा कोई अन्य कार्य करेगा, कि मतदान के लिए मतदान केन्द्र में आने वाले किसी व्यक्ति को क्षोभ हो या मतदान केन्द्र में कर्तव्यारूढ़ अधिकारियों या अन्य व्यक्तियों के काम में हस्तक्षेप हो।

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन में जानबूझकर सहायता देगा या उसका दुष्प्रेरण करेगा वह कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(3) यदि मतदान केन्द्र में पीठासीन अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है तो वह किसी पुलिस अधिकारी को निर्देश दे सकेगा कि वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करे और पुलिस अधिकारी उस पर उसे गिरफ्तार करेगा।

(4) कोई पुलिस अधिकारी ऐसे कदम उठा सकेगा और ऐसा बल प्रयोग कर सकेगा जैसा उपधारा (1) के उपबन्धों में किसी उल्लंघन का निवारण करने के लिए युक्तियुक्त रूप से आवश्यक है और ऐसे उल्लंघन के लिए उपयोग में लाए गए किसी साधित्र को अभिगृहीत कर सकेगा।

धारा–132. मतदान केन्द्र में अवचार के लिए शास्ति–

(1) जो कोई व्यक्ति किसी मतदान केन्द्र में मतदान के लिए नियत घंटों के दौरान स्वयं अवचार करता है या पीठासीन अधिकारी के विधिपूर्ण निर्देशों के अनुपालन में असफल रहता है, उसे पीठासीन अधिकारी या कर्तव्यारूढ़ कोई पुलिस अधिकारी या ऐसे पीठासीन अधिकारी द्वारा एतन्निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति मतदान केन्द्र से हटा सकेगा।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ ऐसे प्रयुक्त न की जाएंगी जिससे कोई ऐसा निर्वाचक, जो मतदान केन्द्र में मत देने के लिए अन्यथा हकदार है, उस केन्द्र में मतदान करने का अवसर पाने से निवारित हो जाए।

(3) यदि कोई व्यक्ति, जो मतदान केन्द्र से ऐसे हटा दिया गया है, पीठासीन अधिकारी की अनुज्ञा के बिना मतदान केन्द्र में पुनः प्रवेश करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

धारा–132 क. मतदान करने के लिए प्रक्रिया का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति– यदि कोई व्यक्ति जिसे कोई मतपत्र जारी किया गया है, मतदान करने के लिए विहित प्रक्रिया का अनुपालन करने से इंकार करता है तो, उसको जारी किया गया मतपत्र रद्द किया जा सकेगा।

धारा–133. निर्वाचनों में प्रवहरण के अवैध रूप से भाड़े पर लेने या उपाप्त करने के लिए शास्ति– यदि कोई व्यक्ति, निर्वाचन में या निर्वाचन के सम्बन्ध में किसी ऐसे भ्रष्ट आचरण का दोषी है जो धारा 123 के खण्ड (5) में विनिर्दिष्ट है तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डनीय होगा।

धारा–134. निर्वाचनों से संसक्त पदीय कर्तव्य के भंग–

(1) यदि कोई व्यक्ति, जिसे यह धारा लागू है, अपने पदीय कर्तव्य के भंग में किसी कार्य का लोप या युक्तियुक्त हेतुक के बिना दोषी होगा तो वह जुर्माने से, जो पांच सौ रूपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(1क) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(2) यथापूर्वोक्त किसी कार्य या लोप की बाबत् नुकसानी के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही ऐसे किसी व्यक्ति के खिलाफ न होगी।

(3) वे व्यक्ति, जिन्हें यह धारा लागू है, ये हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी और अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन प्राप्त करने या अभ्यर्थियाएं वापस लेने या निर्वाचन मतों का अभिलेख करने या गणना करने से संसक्त किसी कर्तव्य के पालन के लिए नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति, तथा "पदीय कर्तव्य" पदावली का अर्थ इस धारा के प्रयोजनों के लिए तद्नुसार लगाया जाएगा किन्तु इसके अन्तर्गत वे कर्तव्य न होंगे जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिरोपित होने से अन्यथा अधिरोपित हैं।

धारा–134 क. निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य करने वाले सरकारी सेवकों के लिए शास्ति– यदि सरकार की सेवा में कार्यरत कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

धारा–134 ख. मतदान केन्द्र या उसके निकट आयुध लेकर जाने का प्रतिषेध.–

(1) रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी और किसी पुलिस अधिकारी से तथा मतदान केन्द्र पर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति से, जो मतदान केन्द्र पर कर्तव्यारूढ़ है, भिन्न कोई व्यक्ति मतदान के दिन मतदान केन्द्र के आस पास आयुध अधिनियम, 1959 में परिभाषित किसी प्रकार के आयुधों से सज्जित होकर नहीं जाएगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति, उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(3) आयुध अधिनियम, 1959 (54 ऑफ 1959) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है वहां उक्त अधिनियम में परिभाषित ऐसे आयुध, जो उसके कब्जे में पाए जाएं, अधिहरण के दायी होंगे और ऐसे आयुधों के सम्बन्ध में दी गई अनुज्ञप्ति उस अधिनियम की धारा 17 के अधीन प्रतिसंहत की गई समझी जाएगी।

(4) उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

धारा–135. मतदान केन्द्र से मतपत्रों को हटाना अपराध होगा.–

(1) जो कोई व्यक्ति निर्वाचन में मतदान केन्द्र से मतपत्र अप्राधिकृत रूप से बाहर ले जाने का प्रयत्न करेगा या ऐसे किसी कार्य के करने में जानबूझकर सहायता देगा या उसका दुष्प्रेरण करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) यदि मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है तो ऐसा अधिकारी ऐसे व्यक्ति द्वारा मतदान केन्द्र छोड़े जाने से पूर्व ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा या ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारी को निर्देश दे सकेगा और ऐसे व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा या पुलिस अधिकारी द्वारा उसकी तलाशी करवा सकेगा :

परन्तु जब कभी किसी स्त्री की तलाशी कराई जानी आवश्यक हो, तब वह अन्य स्त्री द्वारा, शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए, ली जाएगी।

(3) गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके पास कोई मिला मतपत्र अभिरक्षा में रखे जाने के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा पुलिस अधिकारी के हवाले कर दिया जाएगा या जब तलाशी पुलिस अधिकारी द्वारा ली गई हो तब उसे ऐसा अधिकारी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

धारा 135क. बूथ के बलात् ग्रहण का अपराध–

(1) जो कोई बूथ के बलात् ग्रहण का अपराध करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डनीय होगा और जहाँ ऐसा अपराध सरकार की सेवा में कार्यरत किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है वहां वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण– इस उपधारा आरै धारा 20 ख के प्रयोजनों के लिए "बूथ का बलात् ग्रहण" के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित सभी या उनमें से कोई क्रिया कलाप है, अर्थात्–

(क) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान का अभिग्रहण करना, मतदान प्राधिकारियों से मतपत्रों या मतदान मशीनों को अभ्यर्पित कराना और ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो निर्वाचनों के व्यवस्थित संचालन को प्रभावित करता है;

(ख) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा किसी मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत किसी स्थान को कब्जे में लेना और केवल उसके या उनके अपने समर्थकों को ही मत देने के अपने अधिकारी का प्रयोग करने देना और अन्यों को उनके मतदान करने के अधिकार का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने से निवारित करना;

(ग) किसी निर्वाचक को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रपीड़ित करना या अभित्रस्त करना या धमकी देना और उसे अपना मत देने के लिए मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान पर जाने से निवारित करना;

(घ) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा मतगणना करने के स्थान पर अभिग्रहण करना, मतगणना प्राधिकारियों को मतपत्रों या मतदान मशीनों को अभ्यर्पित कराना और ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो मतों की व्यवस्थित गणना को प्रभावित करता है;

(ङ) सरकार की सेवा के किसी व्यक्ति द्वारा किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए पूर्वोक्त सभी या किसी क्रिया कलाप

का किया जाना या किसी ऐसे क्रिया कलाप में सहायता करना या मौनानुमति देना।

(2) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

धारा 136. अन्य अपराध और उनके लिए शास्तियाँ– (1) यदि किसी निर्वाचन में कोई व्यक्ति–

(क) कोई नाम निर्देशित पत्र कपटपूर्वक विरूपित करेगा या कपटपूर्वक नष्ट करेगा; अथवा

(ख) रिटर्निंग अधिकारी के प्राधिकार के द्वारा या अधीन लगाई गई किसी सूची, सूचना या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक विरूपित करेगा, या नष्ट करेगा या हटाएगा; अथवा

(ग) किसी मतपत्र या किसी मतपत्र पर के शासकीय चिह्न या अनन्यता की किसी घोषणा या शासकीय लिफाफे को, जो डाक मतपत्र द्वारा मत देने के सम्बन्ध में उपयोग में लाया गया है, कपटपूर्वक विरूपित करेगा या नष्ट करेगा; अथवा

(घ) सम्यक् प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को कोई मतपत्र देगा या किसी व्यक्ति से कोई मतपत्र प्राप्त करेगा या सम्यक् प्राधिकार के बिना उसके कब्जे में कोई मतपत्र होगा); अथवा

(ङ) किसी मतपेटी में उस मतपत्र भिन्न जिसे वह उसमें डालने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत है, कोई चीज कपटपूर्वक डालेगा; अथवा

(च) सम्यक् प्राधिकार के बिना किसी मतपेटी या मतपत्रों को, जो निर्वाचक के प्रयोजनों के लिए तब उपयोग में है, नष्ट करेगा, लेगा, खोलेगा या अन्यथा उसमें हस्तक्षेप करेगा, अथवा

(छ) यथास्थिति, कपटपूर्वक या सम्यक् प्राधिकार के बिना पूर्ववर्ती कार्यों में से कोई कार्य करने का प्रयत्न करेगा या किन्हीं ऐसे कार्यों के करने में जानबूझकर सहायता देगा या उन कार्यों का दुष्प्रेरण करेगा तो वह व्यक्ति निर्वाचन अपराध का दोषी होगा।

(2) इस धारा के अधीन निर्वाचन अपराध का दोषी कोई व्यक्ति–

(क) यदि वह रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी या मतदान केन्द्र में पीठासीन अधिकारी या निर्वाचन से संसक्त पदीय कर्तव्य पर नियोक्ति कोई अन्य अधिकारी या लिपिक है तो कारावास, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(ख) यदि वह कोई अन्य व्यक्ति है तो कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति पदीय कर्तव्य पर समझा जाएगा जिसका यह कर्तव्य है कि वह निर्वाचन के जिसके अन्तर्गत मतों की गणना आती है, या निर्वाचन के भाग के संचालन में भाग ले या ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में उपयोग में लाए गए मतपत्रों और अन्य दस्तावेजों के लिए निर्वाचन के पश्चात् उत्तरदायी रहे किन्तु "पदीय कर्तव्य" पद के अन्तर्गत ऐसा कोई कर्तव्य न होगा जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिरोपित किए जाने के अन्यथा अधिरोपित है।

(4) उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

उपाबंध II

(अध्याय–1 पैरा 3)

मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति–

(1) हर ऐसी नियुक्ति प्ररूप 10 में की जाएगी और यथास्थिति, मतदान स्थल या मतदान के लिए नियत स्थान में पेश किए जाने के लिए मतदान अभिकर्ता को दे दी जाएगी।

(2) जब तक कि किसी मतदान अभिकर्ता ने पीठासीन अधिकारी को अपनी नियुक्ति की लिखित, उसमें अन्तर्विष्ट घोषणा पीठासीन अधिकारी के समक्ष सम्यक् रूप से पूर्ण हस्ताक्षरित करने के पश्चात् परिदत्त न कर दी हो उसे मतदान केन्द्र या मतदान के लिये नियत स्थान में प्रवेश न करने दिया जाएगा।

मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति का प्रतिसंहरण–

(1) मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण किए जाने की दशा में।

अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता नई नियुक्ति मतदान बन्द होने के पहले किसी भी समय कर सकेगा।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका (सदस्यों, प्रदेश, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन) नियमावली, 2010 से उद्धरण

नियम 14. **वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान केन्द्रों की व्यवस्था**– जिला निर्वाचन अधिकारी, आयोग के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे प्रत्येक वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र, जिसका सम्पूर्ण या अधिकांश भाग उसकी अधिकारिता के भीतर स्थित हो, के लिए पर्याप्त संख्या में मतदान केन्द्रों की व्यवस्था करेगा और वह, ऐसी रीति से जैसी आयोग निर्देशित करें, एक सूची प्रकाशित करेगा जिसमें इस प्रकार उपलब्ध कराए गए मतदान केन्द्र, मतदान क्षेत्र या मतदाताओं के समूह को प्रदर्शित किया गया होगा जिनके लिए उनकी क्रमशः व्यवस्था की गई है।

नियम 15. **मतदान केन्द्रों के लिए पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति**–

(1) जिला निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक निर्वाचन केन्द्र के लिए एक पीठासीन अधिकारी और ऐसे मतदान अधिकारी या अधिकारियों की नियुक्ति करेगा जिन्हें वह आवश्यक समझे, किन्तु वह किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति नहीं करेगा जिसे निर्वाचन से सम्बन्ध रखने वाले किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी तरफ से नियोजित किया गया हो या उसके लिए अन्य प्रकार से कार्यरत होः

परन्तु यह कि यदि कोई मतदान अधिकारी मतदान केन्द्र से अनुपस्थित हो तो पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र पर उपस्थित किसी ऐसे व्यक्ति को पूर्व अधिकारी की अनुपस्थिति के दौरान मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा जो ऐसे किसी व्यक्ति से भिन्न हो जिसे निर्वाचन से सम्बन्ध रखने वाले किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी तरफ से नियोजित किया गया हो या उसके लिए अन्यथा कार्यरत हो और वह तदनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचित करेगाः

परन्तु यह और भी कि इस उपनियम की कोई बात जिला निर्वाचन अधिकारी को एक ही व्यक्ति को एक ही परिसर में एक से अधिक मतदान केन्द्र के लिए पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने से नहीं रोकेगी।

(2) मतदान अधिकारी इस नियमावली या तदधीन दिए गए आदेशों के अधीन किसी पीठासीन अधिकारी के समस्त या किन्ही कृत्यों का सम्पादन, यदि उसे पीठासीन अधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए निदेशित किया गया हो, करेगा।

(3) यदि पीठासीन अधिकारी, बीमारी के कारण या अन्य अपरिहार्य कारणवश, मतदान केन्द्र से अनुपस्थित हो, तो उसके कृत्यों का सम्पादन ऐसे मतदान अधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसे किसी ऐसी अनुपस्थिति के दौरान ऐसे कृत्यों का सम्पादन करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पूर्व में प्राधिकृत किया गया हो।

(4) इस नियमावली में पीठासीन अधिकारी से सम्बन्धित सन्दर्भों से जब तक विषय से अन्यथा अपेक्षित न हो, यह समझा जाएगा कि उसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो किसी ऐसे कृत्य का सम्पादन कर रहा हो, जिसे वह यथास्थिति, उपनियम (2) या उपनियम (3) के अधीन सम्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो।

नियम 16. **पीठासीन अधिकारी के सामान्य कर्तव्य**– मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारी का यह सामान्य कर्तव्य होगा कि वह आदेश को प्रभावी बनाए रखे और इस बात पर ध्यान दे कि मतदान निष्पक्ष रूप से कराया जा रहा है।

नियम 17. **मतदान अधिकारी के कर्तव्य**– मतदान केन्द्र पर मतदान अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे मतदान केन्द्र के लिए पीठासीन अधिकारी की उसके कृत्यों के सम्पादन में सहायता करे।

नियम 18. **रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी आदि को आयोग की प्रतिनियुक्ति पर समझा जाना**– इस नियमावली के अधीन नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी और किसी अन्य अधिकारी तथा राज्य सरकार द्वारा किसी निर्वाचन के संचालन के लिए तत्समय पदाभिहित पुलिस अधिकारी को ऐसे निर्वाचन कराने से सम्बन्धित अधिसूचना के दिनांक को और से प्रारम्भ होने वाली और ऐसे निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के दिनाँक को समाप्त

होने वाली अवधि तक आयोग की प्रतिनियुक्ति पर समझा जाएगा और उक्त अवधि के दौरान ऐसे अधिकारी आयोग के नियन्त्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन रहेंगें।

नियम 28. **निर्वाचन अभिकर्ता**—निर्वाचन के समय अभ्यर्थी विहित रीति से स्वयं से भिन्न ऐसे व्यक्ति को अपना अभिकर्ता नियुक्त कर सकता/सकती है जो उससे सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होगा, जिसके लिए अभ्यर्थी निर्वाचन लड़ रहा है तथा जिसके विरूद्ध कोई आपराधिक आरोप किसी कानूनी न्यायालय द्वारा विरचित नहीं किए गए हैं और जब कोई ऐसी नियुक्ति की जाती है तब नियुक्ति का नोटिस विहित रीति से रिटर्निंग अधिकारी को दिया जाएगा।

नियम 29. **निर्वाचन अभिकर्ता होने के लिये अपात्रता**—कोई व्यक्ति इस नियमावली के अधीन राज्य में नगर पालिकाओं, यथास्थिति सदस्य या पार्षद या अध्यक्ष या महापौर का निर्वाचन में मत देने के लिए तत्समय अपात्र हो, उस समय तक जब तक अपात्रता रहती है, किसी निर्वाचन में निर्वाचन अभिकर्ता होने के लिये भी अपात्र होगा।

नियम 30. **निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण**—(1) निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति का कोई भी प्रतिसंहरण अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष दाखिल करने के दिनाँक से प्रवृत्त होगा।

(2) निर्वाचन अभिकर्ता के उक्त प्रतिसंहरण या मृत्यु की स्थिति में चाहे वह निर्वाचन के पूर्व या दौरान या चुनाव के पश्चात् पारित हो, लेकिन प्रावधानों के अनुसार अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने के पूर्व घटित हो, अभ्यर्थी विहित रीति से दूसरे व्यक्ति को अपनी/अपना निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्ति कर सकती/सकता है और जब ऐसी नियुक्ति की जाती है, तब नियुक्ति का नोटिस विहित रीति से दिया जाएगा।

नियम 31. **निर्वाचन अभिकर्ताओं के कृत्य**—कोई निर्वाचन अभिकर्ता निर्वाचन के सम्बन्ध में ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा जो किसी निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा सम्पादित किए जाने हेतु नियमावली द्वारा या तदधीन प्राधिकृत हो।

नियम 32. **मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति**—कोई निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता ऐसी संख्या में अभिकर्ताओं और अवमुक्ति अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकता है जैसा कि प्रत्येक मतदान केन्द्र पर या मतदान हेतु नियत स्थल पर ऐसे अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करने के लिए आयोग द्वारा अवधारित किया जाए।

नियम 33. **गणन अभिकर्ताओं की नियुक्ति**—कोई निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता, मतगणना के समय अपने गणन अभिकर्ता या अभिकर्ताओं के रूप में उपस्थित रहने के लिए एक या उससे अधिक किन्तु आयोग द्वारा यथा निर्धारित संख्या से अनधिक व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकता है और जब कोई ऐसी नियुक्ति की जाए तो उक्त नियुक्ति की सूचना निर्धारित समय के अन्तर्गत रिटर्निंग अधिकारी को दी जाएगी।

नियम 34. **मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण या उसकी मृत्यु—**

(1) किसी मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति के किसी प्रतिसंहरण पर अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा और वह उस दिनाँक से प्रवर्तित होगा जिस दिनाँक को इसे ऐसे अधिकारी जैसा कि रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाए, को सौंपा जाए और मतदान समाप्त होने के पूर्व किसी मतदान अभिकर्ता के ऐसे किसी प्रतिसंहरण या उसकी मृत्यु की स्थिति में अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतदान समाप्त होने के पूर्व किसी भी समय दूसरे मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकता है और ऐसी नियुक्ति के सम्बन्ध में सूचना तत्काल ऐसे अधिकारी को देगा जैसा कि रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाए।

(2) किसी गणन अभिकर्ता की नियुक्ति के किसी प्रतिसंहरण पर अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा और वह ऐसे दिनाँक से प्रवर्तित होगा जिस दिनाँक को इसे रिटर्निंग अधिकारी को सौंपा जाए और मतगणना प्रारम्भ होने के पूर्व इसकी गणन अभिकर्ता के ऐसे किसी प्रतिसंहरण या उसकी मृत्यु की स्थिति में अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतगणना प्रारम्भ होने के पूर्व किसी भी समय दूसरे गणन अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकता है और ऐसी नियुक्ति के सम्बन्ध में सूचना तत्काल रिटर्निंग अधिकारी को देगा।

नियम 35. मतदान अभिकर्ताओं और गणन अभिकर्ताओं के कृत्य–

(1) मतदान अभिकर्ता मतदान के सम्बन्ध में ऐसे कृत्यों का सम्पादन कर सकता है जैसा कि किसी मतदान अभिकर्ता द्वारा सम्पादित किए जाने हेतु इस नियमावली द्वारा या तदधीन प्राधिकृत हों।

(2) कोई गणन अभिकर्ता, मतगणना के सम्बन्ध में ऐसे कृत्यों का सम्पादन कर सकता है जैसा कि किसी गणन अभिकर्ता द्वारा सम्पादित किए जाने हेतु इस नियमावली द्वारा या तदधीन प्राधिकृत हों।

नियम 36. मतदान केन्द्रों पर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की उपस्थिति, और मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के कृत्यों का सम्पादन–

(1) प्रत्येक निर्वाचन में जहाँ मतदान किया जाता है, ऐसे निर्वाचन में प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी और उसके निर्वाचन अभिकर्ता के पास यह अधिकार होगा कि वह मतदान के निमित्त किसी भी मतदान केन्द्र पर या मतदान हेतु नियत स्थान पर उपस्थित रहें।

(2) कोई निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता स्वयं ऐसा कोई कार्य या बात कर सकता है जिसे करने के लिए ऐसे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का कोई मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता, यदि नियुक्त किया गया हो, इस नियमावली द्वारा या तदधीन प्राधिकृत किया गया हो।

नियम 37. मतदान या गणन अभिकर्ताओं की अनुपस्थिति–जहाँ मतदान या गणन अभिकर्ताओं की उपस्थिति में इस नियमावली द्वारा या तद्धीन कोई कार्य या कृत्य किया जाना अपेक्षित या प्राधिकृत हो वहाँ उक्त प्रयोजन हेतु नियत समय और स्थान पर ऐसे किसी अभिकर्ता या अभिकर्ताओं की अनुपस्थिति से कृत कार्य या कृत्य अविधिमान्य नहीं होगा, यदि उक्त कार्य या कृत्य अन्यथा सम्यक् रूप से किया गया हो।

नियम 38. सविरोध और अविरोध निर्वाचनों की प्रक्रिया–

(1) किसी सविरोध निर्वाचन के मामले में मतदान नियम 19 के अधीन उल्लिखित दिनांक को मतदान आयोजित किया जाएगा।

(2) किसी सीट हेतु नाम वापसी, यदि कोई हो, के पश्चात् यदि विधिमान्य नाम निर्देशन की संख्या मात्र एक हो तो इस प्रकार नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को निर्वाचित किया गया घोषित कर दिया जाएगा।

(3) यदि किसी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला कोई अभ्यर्थी न हो तो इस प्रकार रिक्ति को आयोग द्वारा नियम 60 के अनुसार भरा जाएगा।

नियम 39. अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों आदि के लिए ऐसी सीटों जो आरक्षित नहीं हैं, को धारण करने के लिए उन जातियों या जनजातियों आदि के सदस्यों की पात्रता–शंका को दूर करने के लिये यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गो के किसी महिला या किसी सदस्य को ऐसे किसी सीट को धारण करने के लिए निरर्हित नहीं किया जाएगा, जो ऐसी जातियों या वर्गों की महिलाओं या व्यक्तियों के लिये आरक्षित न हों।

नियम 40. आयोग ऐसी समयावधि नियत करेगा जिसके दौरान मतदान आयोजित किया जाएगा और इस प्रकार नियत समयावधि को प्रकाशित किया जाएगा;

परन्तु नगर पालिकाओं हेतु किसी निर्वाचन में मतदान करने के लिए किसी एक दिन के निमित्त आवंटित कुल अवधि आठ घंटे से कम नहीं होगी।

नियम 41. अपात स्थितियों में मतदान को स्थगित किया जाना–

(1) यदि किसी निर्वाचन में मतदान हेतु नियत स्थान पर किसी मतदान केन्द्र की कार्यवाही किसी दंगा या चालू हिंसा के द्वारा बाधित या विच्छिन्न की जाती है या यदि किसी निर्वाचन में किसी दैवी आपदा या अन्य किसी पर्याप्त कारण से किसी मतदान केन्द्र या ऐसे स्थान पर मतदान आयोजित करना संभव न हो तो यथास्थिति ऐसे मतदान केन्द्र का पीठासीन अधिकारी या ऐसे स्थान का रिटर्निंग अधिकारी ऐसे किसी दिनाँक, जिसे बाद में अधिसूचित किया जाएगा, तक के लिए मतदान स्थगन की घोषणा करेगा और जहाँ मतदान पीठासीन अधिकारी द्वारा इस प्रकार स्थगित किया जाए वहां वह तत्काल सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी को सूचित करेगा।

(2) जब कभी उपनियम (1) के अधीन कोई मतदान स्थगित किया जाए तो रिटिर्निंग अधिकारी तत्काल उक्त परिस्थितियों के सम्बन्ध में जिला निर्वाचन अधिकारी और आयोग को सूचित करेगा तथा यथाशक्य शीघ्र आयोग के पूर्वानुमोदन से ऐसा दिनाँक नियत करेगा जिस दिनाँक को मतदान होगा और ऐसा मतदान केन्द्र या स्थान जिस स्थान पर और ऐसी समयावधि जिस दौरान मतदान आयोजित किया जाएगा, नियत करेगा और ऐसे निर्वाचन में डाले गये मतों की गणना तब तक नहीं जाएगी जब तक ऐसे स्थगित मतदान को पूरा नहीं कर लिया जाएगा।

(3) यथा पूर्वोक्त ऐसे प्रत्येक मामले में रिटर्निंग अधिकारी ऐसी रीति से अधिसूचना जारी करेगा जैसा कि आयोग उपनियम (2) के अधीन नियत दिनाँक, स्थान और समय के सम्बन्ध में निदेश दे।

नियम 42. मतपेटिकाओं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों आदि के नष्ट किए जाने की स्थिति में नए सिरे से मतदान

(1) यदि किसी निर्वाचन में :–

(क) यदि किसी मतदान केन्द्र या मतदान हेतु नियत किसी स्थान पर प्रयुक्त किसी मतपेटिका या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को अविधिमान्य रूप से पीठासीन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी की अभिरक्षा से उठा लिया जाता है या उसे संयोगवश या जानबूझकर नष्ट कर दिया जाता है या खो दिया जाता है, या उसे इस हद तक क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है या उसके साथ छेड़छाड़ किया जाता है कि उस मतदान केन्द्र या उस स्थान पर मतदान के परिणाम को अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है, या

(ख) किसी वोटिंग मशीन में मत अभिलिखित किये जाने के दौरान कोई यांत्रिक विफलता आ जाती है, या

(ग) प्रक्रिया में कोई ऐसी त्रुटि या अनियमितता, जिससे मतदान के निष्फल होने की संभावना हो, किसी मतदान केन्द्र पर या मतदान हेतु नियत स्थान पर की जाती है, तो रिटर्निंग अधिकारी उक्त मामले में तत्काल आयोग को सूचित करेगा।

(2) उसके आधार पर आयोग, समस्त सारभूत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए या तो,

(क) उस मतदान केन्द्र या स्थान पर मतदान को शून्य घोषित कर देगा और उस मतदान केन्द्र या स्थान पर नए सिरे से मतदान कराने के लिए कोई दिवस और समयावधि नियत करेगा और इस प्रकार

नियत किए गए दिवस और नियत की गई समयावधि की अधिसूचना इस रीति से करेगा जैसा कि वह उचित समझे या

(ख) यदि इस बात का समाधान हो जाता है कि उस मतदान केन्द्र या स्थान पर नए सिरे से मतदान के परिणाम से किसी भी रूप में निर्वाचन का परिणाम प्रभावित नहीं होगा या यह कि वोटिंग मशीन की यांत्रिक विफलता या उक्त प्रक्रिया में त्रुटि की अनियमितता सारभूत नहीं है, रिटर्निंग अधिकारी को ऐसा निदेश जारी करेगा जैसा कि वह निर्वाचन के अग्रतर संचालन और उसे पूरा करने के लिए उचित समझे।

(3) इस नियम के उपबन्ध ऐसे प्रत्येक नए सिरे से मतदान के लिए लागू होगें जैसा कि वे मूल मतदान के लिए लागू होते हैं।

नियम 43. बूथ कैप्चरिंग के आधार पर मतदान स्थगित किया जाना या निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट किया जाना–

(1) यदि किसी निर्वाचन में,

(क) किसी मतदान केन्द्र या मतदान हेतु नियत स्थान (जिसे आगे उक्त स्थान कहा जाएगा) पर बूथ कैप्चरिंग इस रीति से किया गया हो कि उस मतदान केन्द्र या स्थल पर मतदान परिणाम को अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है, या

(ख) किसी मतगणना स्थल पर इस रीति से बूथ कैप्चरिंग होती हो कि उस स्थान पर गणना के परिणाम को अभिनिश्चत नहीं किया जा सकता है, तो रिटर्निंग अधिकारी तत्काल उक्त मामले में आयोग को सूचित करेगा।

(2) आयोग, उपनियम (1) के अधीन रिटर्निंग अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त करने पर और समस्त सारभूत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए या तो,

(क) उस मतदान केन्द्र या स्थान पर हुए मतदान को शून्य घोषित कर देगा और उस मतदान केन्द्र या स्थान पर नए सिरे से मतदान कराने के लिए कोई दिवस और समयावधि नियत करेगा और इस प्रकार नियत किए गए दिवस और समयावधि को इस रीति से अधिसूचित करेगा जैसा कि वह उचित समझे, या

(ख) यदि इस बात का समाधान हो जाता है कि वृहत्तर संख्या में मतदान केन्द्रों या स्थानों के बूथ कैप्चरिंग में लिप्त होने को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन का परिणाम प्रभावित होना संभाव्य हो या यह कि कैप्चर किए गए बूथ से मतगणना इस रूप में प्रभावित हुई हो कि इससे निर्वाचन का परिणाम प्रभावित होगा, उस वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन प्रत्यादिष्ट करेगा।

नियम 44. निर्वाचन के समय मतदान–प्रत्येक निर्वाचन में, जहाँ मतदान आयोजित किया जाता है वहां मतदान मतपत्र द्वारा या इस रीति से किया जाएगा जैसा कि आयोग द्वारा अवधारित किया जाए और कोई मत परोक्षी द्वारा प्राप्त नहीं किया जाएगा।

नियम 45. निर्वाचन में वोटिंग मशीन–इस नियमावली में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी वोटिंग मशीनों द्वारा इस रीति से जैसा कि विहित किया जाए मतदान किया जाना और उसे अभिलिखित किया जाना, ऐसे वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र या ऐसे वार्डों या निर्वाचन क्षेत्रों में अपनाया जा सकता है जैसाकि आयोग प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये विनिर्दिष्ट करे।

स्पष्टीकरणः–इस नियम के प्रयोजन के लिये ''वोटिंग मशीन'' का तात्पर्य मत डालने या उसे अभिलिखित करने के लिए प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक रूप में या अन्यथा रूप में संचालित किसी मशीन या साधित्र से है और इस नियमावली या आदेश में किसी मतपेटिका या मतपत्र के किसी संदर्भ में अन्यथा उपबंधित के

सिवाय, ऐसी वोटिंग मशीन का संदर्भ सम्मिलित हुआ समझा जाएगा जहाँ कहीं ऐसी वोटिंग मशीन का उपयोग किसी निर्वाचन में किया जाए।

नियम 46. मत देने का अधिकार–

(1) कोई व्यक्ति, जिसका नाम तत्समय किसी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट न हो उस वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र में मत देने का हकदार न होगा जैसा कि इस अधिनियम में स्पष्टतः उपबंधित है, उसके सिवाय प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम तत्समय किसी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट हो, उस वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र में मत देने का हकदार होगा।

(2) कोई व्यक्ति किसी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र में मत नहीं देगा, यदि वह उक्त अधिनियम में निर्दिष्ट किसी अनर्हता के अधीन हो।

(3) कोई व्यक्ति किसी सामान्य निर्वाचन में उसी श्रेणी के एक से अधिक वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र में मत नहीं देगा और यदि कोई व्यक्ति ऐसे एक से अधिक वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र में मत देता है तो ऐसे समस्त वार्डों या निर्वाचन क्षेत्रों में उसके दिए हुए मत शून्य हो जाऐंगे।

(4) कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन में एक ही वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार मत नहीं देगा भले ही उस वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में उसका नाम एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत किया गया हो, और यदि वह इस प्रकार मत देता/देती है तो उस वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र में उसके दिए गए सभी मत शून्य हो जाएंगे।

(5) कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन में मत नहीं देगा यदि वह कारागार में, चाहे कारावास के या निर्वाचन दण्डादेश के अधीन या अन्यथा परिरूद्ध हो, या पुलिस की विधिपूर्ण अभिरक्षा में होः

परन्तु इस उपधारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति पर लागू न होगी, जिसको तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन निवारक निरोध किया गया हो।

नियम–61 में निम्न व्यवस्था है:–ऐसा कोई व्यक्ति जुर्माने, जो दस हजार रूपये तक हो सकता है, से दण्डनीय होगा जो,–

(क) निर्वाचक नामावली या इसकी प्रति या उक्त नियम के उल्लघंन में अन्य दस्तावेजों से सम्बन्ध रखता हो या उनके साथ छेड़छाड़ करता हो, या,

(ख) इस नियमावली के प्रयोजनार्थ अपने कर्तव्यों के निष्पादन में नियुक्त या नियोजित किसी अधिकारी और सेवक को बाधा पहुंचाता हो या किसी भी रूप में उनके साथ हस्तक्षेप करता हो, या

(ग) इस नियमावली के अधीन किसी सार्वजनिक कार्यालय में या अन्यत्र लगाये गये या अन्यथा प्रकाशित किसी प्रति, नोटिस या अन्य दस्तावेजों को विकृत करता हो, नुकसान पहुंचाता हो, विक्षुब्ध करता हो, या उन्हें हटाता हो।

मतदान को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिये आयोग स्थानीय सुरक्षा बलों की तैनाती के सम्बन्ध में निर्देश देता है और तदनुसार जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी सुरक्षा बलों की सहायता से चुनाव सम्पन्न कराते हैं।

ई0वी0एम0 प्ररूप–10
मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति

मतदान अभिकर्ता की प्रमाणित फोटो

सेवा में,

रिटर्निंग अधिकारी,

जनपद ..... की नगरीय निकाय का नाम .....

वार्ड संख्या ..... मैं .....

.....*नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत .....

..... के *महापौर/अध्यक्ष या पार्षद/सदस्य के निर्वाचन के लिए वार्ड संख्या .....

..... से *उम्मीदवार/उम्मीदवार का निर्वाचन अभिकर्ता हूँ।

मैं ..... संख्या वाले मतदान केन्द्र/स्थल मतदान के लिए नियत स्थान .....

..... में हाजिर रहने के लिए एतद्द्वारा श्री .....

..... निवासी .....

जिसका फोटो चिपका है, को मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूँ।

स्थान .....

दिनाँक .....

*उम्मीदवार/उम्मीदवार के निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मैं ऐसे मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूँ।

स्थान .....

दिनाँक .....

मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित की जाने वाली मतदान अभिकर्ता की घोषणाः–

मैं, एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं उपरिवर्णित निर्वाचन में उत्तर प्रदेश नगर पालिका (सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन) नियमावली, 2010 के नियम 61 *जो मैंने पढ़ ही है/जो मुझे पढ़कर सुना दी गई है, द्वारा निषिद्ध कोई कार्य नहीं करूंगा।

दिनाँक

मेरे समक्ष हस्ताक्षरित की गई

मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान .....

दिनाँक .....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम .....

(मुहर)

ई0वी0एम0 प्ररूप 17 क

मतदाता रजिस्टर

जनपद ..... नगरीय निकाय .....

वार्ड संख्या .....के लिए निर्वाचन

मतदान केन्द्र का संख्यांक और नाम .....

निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक .....

क्रम संख्यांक	निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्यांक	निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान	टिप्पणियां
1.			
2.			
3.			
4.			
.....			
.....			
.....		पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर	

ई0वी0एम0 प्ररूप 17ख

निविदत्त मतों की सूची

जनपद ..... नगरीय निकाय .....

वार्ड संख्या .....के लिए निर्वाचन

मतदान केन्द्र का संख्यांक और नाम .....

निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक .....

क्रम संख्यांक	निर्वाचक का नाम	निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्यांक	उस व्यक्ति का मतदाता रजिस्टर (प्ररूप 17 क) के क्रम संख्यांक जिसने निर्वाचक के बदले में पहले ही मतदान कर दिया है।	निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

दिनाँक

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

ई0वी0एम0 प्ररूप 17 ग

भाग–1 रिकार्ड किए गए मतों का लेखा

जनपद ..... नगरीय निकाय .....

वार्ड संख्या .....के लिए निर्वाचन

मतदान केन्द्र का संख्यांक और नाम .....

मतदान केन्द्र में प्रयुक्त मतदान मशीन का पहचान संख्यांक — नियंत्रण यूनिट/मतदान यूनिट

1. मतदान स्थल में नियत निर्वाचकों की कुल संख्या
2. मतदाता रजिस्टर (प्ररूप 17क) में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या
3. मत रिकार्ड न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या
4. मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किए गए मतदाताओं की संख्या
5. मतदान मशीन के अनुसार रिकार्ड किए गये मतों की कुल संख्या
6. उन मतदाताओं की संख्या जिनको निविदत्त मतपत्र जारी किए गए।
7. निविदत्त मतपत्रों की संख्या

क्रम संख्या .....से .....तक

(क) प्रयोग के लिए प्राप्त .....

(ख) निर्वाचकों को जारी किए गए .....

(ग) प्रयुक्त न किए गए और वापस लिए गए .....

9. पेपर सीलों का लेखा

क्रम संख्यांक

.....से .....तक

मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

1.	प्रदाय की गई कागज की सीलों के क्रम संख्यांक से .....तक	1. ..... 2.....
2.	प्रदाय की गई सीलों की कुल संख्या	3. .....
3.	प्रयुक्त पेपर सीलों की संख्या	4.....
4.	रिटर्निंग अधिकारी को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सीलों की संख्या (मद 2 में से मद 3 घटाइए)	5..... 6.....
5.	नष्ट हुई पेपर सीलों का क्रम संख्यांक, यदि कोई है।	

दिनाँक .....

स्थान .....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

मतदान केन्द्र/स्थल संख्या–

भाग–2 मतगणना का परिणाम

क्रम संख्यांक	अभ्यर्थी का नाम	रिकार्ड किए गए मतों की संख्या
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
योग		

क्या ऊपर दर्शित मतों की कुल संख्या भाग 1 के मद 5 के सामने दर्शित मतों के कुल संख्या से मेल करती है या उनके दोनों में कोई फर्क दर्शित होता है।

स्थान .....

दिनाँक .....

गणन पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/
गणन अभिकर्ता का नाम
पूरे हस्ताक्षर

1.

2.

3.

4.

5.

6.

स्थान .....

दिनाँक .....

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

उपाबंध III

पीठासीन अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर सम्पन्न किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा

I. नियुक्ति होने पर।

II. मतदान के दिन से एक दिन पूर्व का दिन।

III. मतदान के दिन को मतदान केन्द्र पर पहुंचने पर।

IV. मतदान के समय के दौरान।

V. मतदान पूरा होने के पश्चात्।

I. नियुक्ति होने पर

1.1 जब आप अपना नियुक्ति आदेश प्राप्त कर लें, तब आप कृपया निम्नलिखित बातों की सावधानीपूर्वक जाँच और परीक्षण कर लें :–

(क) अपने मतदान केन्द्र/स्थल का नाम और उसका संख्यांक ;

(ख) उस नगरीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र का नाम जिसके भीतर वह मतदान स्थल स्थित है;

(ग) अपने मतदान केन्द्र/स्थल का सही स्थान।

यह सूचना आपको अपने नियुक्ति आदेश में ही मिल जाएगी। आपको अपने मतदान अधिकारियों के नाम भी उसी आदेश में मिल जाएंगे, आप उनसे संपर्क स्थापित करने का प्रयत्न करें और उनके घर के तथा कार्यालय के पते अपने पास रख लें और अपने घर का तथा कार्यालय का पता उनको दे दें।

आप अधिक से अधिक प्रशिक्षण कक्षाओं में उपस्थित हों ताकि आप मतदान मशीन के प्रचालन से पूर्ण सुपरिचित हो जाऐं। आप अपनी स्मरण शक्ति और पूर्व अनुभवों पर कदापि निर्भर न रहें क्योंकि इससे आपको धोखा हो सकता है। अनुदेशों में समय समय पर बहुत परिवर्तन होते रहते हैं।

1.2 निम्नलिखित पैम्फलेटों और पुस्तिकाओं को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ लें :–

(क) पीठासीन अधिकारियों के लिए निर्देश पुस्तिका;

(ख) इलेक्ट्रॅनिक मतदान मशीन से सम्बन्धित निर्देश;

(ग) पीठासीन अधिकारियों को सहायक रिटर्निंग अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण अनुदेश।

1.3 आप उपाबंध 5 में बताई गई मतदान सामग्री की मदों की जानकारी प्राप्त कर लें।

1.4 आप नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट को परस्पर जोड़ने और अलग करने तथा नियंत्रण यूनिट के बंद करने और मुहरबंद की रीति और विधि का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लें।

1.5 आप उपाबंधों में दिए गए विभिन्न प्रकार के सांविधिक और असांविधिक प्ररूपों को सावंधानी पूर्वक पढ़ लें।

1.6 आप उपाबंध I और उपाबंध II में दिए गए निर्वाचन सम्बन्धी निर्देशों को बहुत सावधानीपूर्वक पढ़ लें। यदि आपको कोई भी सन्देह हो तो आप अपने सहा0 रिटर्निंग अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी से सम्पर्क करें और अपने सन्देह का निराकरण कर लें। आप कभी किसी बात के बारे में संदिग्ध स्थिति में न रहें।

II. मतदान के दिन से एक दिन पूर्व का दिन

2.1 मतदान के दिन से एक दिन पूर्व के दिन को आपसे कहा जाएगा कि आप मतदान केन्द्र पर उपयोग में आने वाली सामग्री ले लें। कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि :–

(क) आपको दी गई नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट (यूनिटों) आपके मतदान केन्द्र से ही सम्बन्धित हैं;

(ख) नियंत्रण यूनिट का 'कैंड सेट सेक्शन' सम्यक् रूप से मुहरबंद है और एड्रेस टैग उससे मजबूती से लगा हुआ है;

(ग) नियंत्रण यूनिट की बैटरी पूर्ण रूप से परिचालित है;

(घ) मतदान यूनिट (यूनिटों) के शिखर और तल दोनों के दाहिने भाग को सम्यक् से सील कर दिया गया है और एड्रेस टैग मजबूती से लगा दिए गये हैं;

(ङ) समुचित मतपत्र प्रत्येक मतदान यूनिट पर चिपका दिया गया है और मतपत्र स्क्रीन के नीचे उचित रूप से पंक्तिबद्ध कर दिया गया है;

(च) स्लाइड स्विच को प्रत्येक मतदान यूनिट में समुचित स्थिति में सेट कर दिया गया है;

(छ) उपाबंध 5 में वर्णित मतदान सामग्री की सभी वस्तुएं अपेक्षित मात्रा में आपको दे दी गईं हैं;

(ज) पेपर सीलों की क्रम संख्याओं की जाँच कर लें;

(झ) निर्वाचक नामावली की जाँच यह सुनिश्चित करने के लिए कर लें कि :–

(i) अनुपूरक सूचियों की प्रतिंया दे दी गईं हैं ;

(ii) निर्वाचक नामावली और अनुपूरक सूचियों पर भाग संख्या सही है;

(iii) निर्वाचक नामावली की वर्किंग प्रतियों में पृष्ठ संख्या क्रमबद्ध रूप से दी गयी हैं;

(iv) मतदाताओं के मुद्रित क्रम संख्या में शुद्धियां नहीं की हुई हैं और न ही उनके स्थान पर नई संख्या दी गयी है;

(v) अनुपूरक सूचियों के अनुसार नामों को काट दिया गया है और लिपिकीय या अन्य की गलतियों को ठीक कर दिया गया है।

(ञ) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची जो प्रति आपको दी गई है उसकी जाँच कर लें/सूची में दिए गए अभ्यर्थियों के नामों और प्रतीकों का मिलान करना चाहिए और उनका क्रम भी वही होना चाहिए जो मतदान यूनिट के मतपत्र में है।

(ट) इस बात की जाँच लें कि आपको अमिट स्याही की जो शीशी दी गई है उसमें अमिट स्याही पर्याप्त मात्रा में है और उसकी डॉट ठीक तरह से सील की हुई है; यदि ऐसा न हो तो मोमबत्ती की मोम से उसे पुनः बंद कर दें।

(ठ) ऐरोक्रास मार्क रबड़ की मुहर और अपनी पीतल की मुहर की जाँच कर लें। यह भी सुनिश्चित कर लें ऐरोक्रास मार्क रबड़ की मुहर के दोनों तरफ मुहरें चिपकी हुई हैं और स्टाम्प पैड सूखे नहीं हैं। यदि आपके मतदान स्थल को किसी अस्थाई संरचना में अवस्थित होने का प्रस्ताव हो तो आप निर्वाचन पत्रों को रखने के लिए पर्याप्त आकार का लोहे का सन्दूक प्राप्त कर लें।

(ण) यदि आपको अपने आने जाने के कार्यक्रम, मतदान केन्द्र पर पहुंचने के मार्ग के बारे में किसी प्रकार का कोई संदेह हो तो आप उसको स्पष्ट कर लें और मतदान केन्द्र/स्थल पर पंहुचने का समय, प्रस्थान करने का स्थान और जाने के लिए वाहन के बारे में पूरी जानकारी कर लें।

2.2 (क) आप अपने मतदान केन्द्र पर मतदान के दिन से पूर्व के दिन, दिन को अधिक से अधिक 4 बजे सायं तक, पहुंच जाऐं और वह सुनिश्चित कर लें कि –

(i) मतदान केन्द्र के बाहर मतदाताओं को प्रतीक्षा करने के लिए और पुरूष तथा महिला मतदाताओं की अलग अलग पंक्तियाँ बनाने के लिए पर्याप्त स्थान है;

(ii) मतदाताओं के प्रवेश करने और बाहर जाने के लिए पृथक् पृथक् रास्ते हैं;

(iii) मतदाताओं के लिए अपना मत अभिलिखित करने के लिए पर्याप्त प्रकाश वाला मतदान कक्ष है ;

(vi) मतदान क्षेत्र और उनके मतदाताओं के बारे में ब्यौरे दर्शित करने वाली सूचना विशिष्ट रूप से प्रदर्शित कर दी गयी है ;

(v) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की प्रति विशिष्ट रूप से प्रदर्शित कर दी गई है;

(ख) महिला सहायक सहित ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करें जिनकी सहायता की जरूरत आपको मतदाताओं की पहचान करने के लिए होगी।

(ग) वह स्थान नियत कर लें जहाँ आप, आपका मतदान अधिकारी और अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ता बैठेंगे और मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट रखी जाएगी।

(घ) किसी उम्मीदवार या निर्वाचन अभिकर्ता अथवा राजनैतिक दल के किसी नेता का कोई भी फोटो मतदान केन्द्र पर टंगा हो तो हटा लें या पूर्णतया ढंक दें।

2.3 मतदान मशीन और मतदान सामग्री जो आपको दी गई है, वह मतदान की समाप्ति तक तथा मतदान मशीन और सामग्री द्वारा वापस कर दिए जाने तक बिल्कुल आपकी अभिरक्षा में रहनी चाहिए। मतदान केन्द्र पर आपके पहुंचने के क्षण से ही आप या आपके द्वारा चयनित मतदान अधिकारियों में से कोई एक मतदान केन्द्र पर मतदान मशीन और मतदान सामग्री का प्रभारी रहना चाहिए। मशीन और मतदान सामग्री की आप स्वयं या आपके द्वारा चयनित मतदान अधिकारी के अलावा मतदान केन्द्र पर कार्यरत पुलिस गार्ड या किसी अन्य व्यक्ति की अभिरक्षा में नहीं छोड़ी जानी चाहिए।

III. मतदान मशीन का जाँच

3.1 आप यह सुनिश्चित कर लें कि आप और आपके मतदान दल के अन्य सदस्य मतदान आरंभ होने के लिए नियत समय से पूर्व मतदान केन्द्र/स्थल पर पहुंच जाऐं। वहां पहुंचने पर आप मतदान मशीन और मतदान सामग्री की जाँच कर लें।

3.2 मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्रों की जाँच कर लें और उनको लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 के उपबंध समझा दें। उनकी बैठने की जगह नियत कर दें और उन्हें आने जाने के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दें।

3.3 यदि आपके मतदान दल का कोई मतदान अधिकारी नहीं आया हो तो आप उसके स्थान पर एक मतदान अधिकारी नियुक्त करने की व्यवस्था करें।

3.4 मतदान के प्रारंभ के लिए नियत समय से एक घंटे पूर्व मतदान मशीन तैयार करना प्रारंभ कर दें।

3.5 दिखावटी मतदान संचालित कर दें और मतदान मशीन में की बाधा दूर कर लें।

3.6 ग्रीन पेपर सील लगा दें और नियंत्रण यूनिट के परिणाम भाग को बंद तथा मुहरबंद कर दें।

3.7 अमिट स्याही की शीशी इस तरीके से रखें जिससे स्याही फैलने न पाये।

IV. मतदान के समय के दौरान

4.1 आप यह सुनिश्चित कर लें कि मतदान ठीक नियत समय पर ही प्रारंभ होता है। यद्यपि सारी औपचारिकताएं पूरी न भी हुई हो तो भी नियत समय पर कुछ मतदाताओं को मतदान केन्द्र के अन्दर आ जाने दें।

4.2 मतदान के दौरान असाधारण प्रकृति के अनेक जटिल मामले उत्पन्न होने की संभावना रहती है। आप ऐसे मामलों को स्वयं निपटाएं और मतदान अधिकारियों को अपना सामान्य कार्य करने दें। ऐसे मामले निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं :–

(क) किसी मतदाता के बारे में चुनौती (चैलेंज);

(ख) अवयस्कों द्वारा मतदान;

(ग) दृष्टिबाधित या अशक्त मतदाताओं द्वारा मतदान;

(घ) मत नहीं देने का विनिश्चय करने वाले मतदाता;

(ङ) निविदत्त मत;

(च) मतदान की गोपनीयता भंग करना;

(छ) बूथ पर उपद्रवी आचरण और उपद्रवी व्यक्तियों का वहाँ से हटाया जाना;

(ज) बलवे या किसी अन्य कारण से मतदान का स्थगन;

4.3 प्रत्येक दो घंटे के मतदान से संबंधित आंकड़ों की सूचना अपनी डायरी के मद 17 के संकलन के लिए इक्ट्ठी करें।

4.4 नियत समय पर ही मतदान बंद करा दें भले ही मतदान कुछ देर से प्रारंभ किया गया हो उस समय पर जो व्यक्ति पंकित में खड़े हों उनको आप अपने हस्ताक्षर करके पर्चियां बॅटवा दें। यह सुनिश्चित करलें कि नियत समय के पश्चात् कोई भी अतिरिक्त व्यक्ति उस पंक्ति में न आ पाए।

V. मतदान पूरा होने के पश्चात्

5.1 मतदान मशीन को बंद और मुहरबंद कर दें।

5.2 उन महिला मतदाताओं की संख्या अभिनिश्चित करें जिन्होंने मत दिया है।

5.3 प्ररूप 17 ग (रिकार्ड किए गए मतों का लेखा और पेपर सील लेखा) पूरा कर लें। मतदान के बंद होने पर वहां उपस्थित प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को प्ररूप 17ग की एक अनुप्रमाणित शुद्ध प्रति यथानिर्दिष्ट घोषणा प्ररूप पर उनसे उसकी रसीद प्राप्त करने के पश्चात् दे दें। उसके पश्चात् उस घोषणा के अन्य विवरणों को पूरा कर लें।

5.4 अपनी डायरी पूरी तरह से भर लें।

5.5 सभी निर्वाचन पत्रों को मुहरबंद कर दें।

5.6 पाँच सांविधिक लिफाफों का प्रथम पैकेट तैयार कर लें।

5.7 ग्यारह असांविधिक लिफाफों का द्वितीय पैकेट तैयार कर लें।

5.8 सात मदों (Item) का तृतीय पैकेट तैयार कर लें।

5.9 अन्य समस्त वस्तुओं का चतुर्थ पैकेट तैयार कर लें।

5.10 मुहर बंद मतदान मशीन और मुहरबंद निर्वाचन पत्रों के पैकेट संग्रह केन्द्र में जमा कराने के लिए वापसी यात्रा के कार्यक्रम का अनुसरण करें। संग्रह केन्द्र पर मतदान मशीन और अन्य पैकेटों को अधिकृत स्थिति में जमा कराने और उसकी रसीद प्राप्त करने की जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से आपकी है। यह विचार कर लें कि आपने आठ भिन्न भिन्न वस्तुऐं सौंप दी हैं, अर्थात् :–

1. मतदान मशीनें;
2. रिकार्ड किए गए मतों का लेखा और पेपर सील लेखों का लिफाफा;
3. पीठासीन अधिकारी की डायरी का लिफाफा;

4. आगमन की शीट;
5. प्रथम पैकेट लिखा ''सांविधिक लिफाफे'' जिसमें पांच लिफाफे हों;
6. द्वितीय पैकेट लिखा 'असांविधिक लिफाफे' जिसमें नौ लिफाफे हों;
7. तृतीय पैकेट जिसमें मतदान सामग्री की सात वस्तुएं हैं, और
8. चौथा पैकेट जिसमें अन्य समस्त वस्तुएं, यदि कोई हों।

उपाबंध 4

पीठासीन अधिकारियों के लिए चेक लिस्ट

मद सं0	कार्य जो किया जाना है	अभ्युक्ति
1.	रिटर्निंग अधिकारी से समस्त सुसंगत अनुदेशों को प्राप्त करना और कब्जे में रखना।	क्या प्राप्त कर रख ली है ?
2.	मतदान दल के अन्य सदस्यों से परिचय करना और उनके साथ निकट का सम्पर्क बनाये रखना।	क्या ऐसा कर लिया है ?
3.	निर्वाचन सामग्री एकत्रित करना।	क्या सुनिश्चित कर लिया है कि समस्त निर्वाचन सामग्री जो प्राप्त की गई है पर्याप्त मात्रा एवं संख्या में है ?
4.	मतदान मशीन की मतदान यूनिट और नियंत्रण यूनिट, निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रतियाँ, ऐरोक्रास मार्क रबड़ स्टाम्प, ग्रीन पेपर सील, मतदाताओं के रजिस्टर, मतदाताओं की पर्चियाँ, इत्यादि की जाँच करली है।	क्या ऐसा कर लिया है ?
5.	मतदान स्थल पर मतदाताओं के लिए प्रवेश और निकास अलग अलग हैं।	क्या ऐसा सुनिश्चित कर लिया है ?
6.	नोटिस में मतदान क्षेत्र और नियत निर्वाचकों की संख्या विनिर्दिष्ट कर प्रदर्शित करना तथा साथ में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की प्रति प्रदर्शित करना।	क्या नोटिस और सूची को प्रदर्शित कर दिया गया है ?
7.	नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिटों को आपस में जोड़ना तथा बैटरी चालू करना।	क्या ऐसा कर लिया है?
8.	दिखावटी मतदान का संचालन करना।	क्या संचालन कर दिया है ?
9.	नियंत्रण यूनिट के परिणाम भाग पर ग्रीन पेपर सील लगा दी है।	क्या ऐसा कर लिया है ?
10.	नियंत्रण यूनिट के परिणाम का मुहरबंद करना।	क्या ऐसा कर लिया है ?
11.	मतदान के प्रारंभ पर की गयी घोषणा।	क्या ऐसी की गयी है ?
12.	मतदान के प्रारंभ पर पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान की गोपनीयता के बारे में लो.प्र. अधिनियम, 1951 की धारा 128 के उपबंधों को पढ़ लिया है।	क्या ऐसा कर लिया है ?
13.	मतदान अभिकर्ताओं को मतदान यूनिट और नियंत्रण यूनिट तथा ग्रीन पेपर सील की क्रम संख्यांक नोट करने के लिए अनुज्ञात करना।	क्या अनुज्ञात किया है ?
14.	बांयी हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही से चिह्न लगाना और मतदाताओं के रजिस्टरों (प्ररूप 17 क) पर हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप प्राप्त करना।	क्या ऐसा उचित रूप से कर लिया है ?
15.	अप्राप्त वय निर्वाचकों से घोषणा	क्या प्राप्त कर ली है ?
16.	पीठासीन अधिकारी की डायरी का रख रखाव	क्या समय समय पर जो कि और जब हों उत्पन्न हुई घटनाओं का अभिलेखन कर लिया है ?
17.	आगंतुक पत्रक का रखरखाव	क्या रखरखाव किया है ?
18.	नियत समय पर मतदान का बंद करना	क्या ऐसा कर लिया है ?
19.	प्ररूप 17ग में रिकार्ड किए गए मतों का लेखा प्रदान कर दिया है।	क्या समस्त मतदान अभिकर्ताओं को अनुप्रमाणित प्रतियां दे दी गयी हैं ?
20.	मतदान के बंद करने पर की गई घोषणा	क्या ऐसे की गयी है ?
21.	मतदान मशीन और निर्वाचन पत्रों का मुहरबंद करना	क्या अनुदेशों के अनुसार ऐसा कर दिया है ?

उपाबंध 5

किसी मतदान स्थल के लिए मतदान सामग्रियों की सूची जहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को उपयोग में लाया जाना है

क्र.सं.	वस्तु का नाम	मात्रा प्रति किट
1	2	3
(क) आयोग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली मतदान सामग्री		
1.	नियन्त्रण यूनिट (कन्ट्रोल यूनिट)	1
2.	मतदान यूनिट (बैलेट यूनिट)	उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर
3.	अमिट स्याही (10 सी0सी0)	02
4.	EVM के लिए ग्रीन पेपर सील	4
5.	स्ट्रिप सील	3
6.	ऐड्रेस टैग नियन्त्रण यूनिट के लिए	5
7.	ऐड्रस टैग बैलेट यूनिट के लिए	4
8.	स्पेशल टैग	3
(ख) जनपद पर उपलब्ध एवं/स्थानीय स्तर पर प्रबन्ध की जाने वाली सामग्री		
9.	निर्वाचक नामावली की कार्यकारी प्रतियाँ	4
10.	मतपत्र (निविदत्त मतों के लिए)	20
11.	ऐरोक्रास मार्क रबर स्टैम्प	2
12.	पीठासीन अधिकारी के लिए धातु की मोहर	1
13.	सुभिन्नक सील	1
14.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची	1
(ग) जिले स्तर से क्रय की जाने वाली मतदान सामग्री (किट)		
15.	मतदाता रजिस्टर	1
16.	मतदाताओं की पर्चियाँ	1600
17.	बैगनी रंग का स्टाम्प पैड (1 छोटा व 1 बड़ा)	2
18.	माचिस	1
19.	पीठासीन अधिकारी की डायरी	1
प्ररूप		
20.	चुनौती दिये गये मतों की सूची (प्ररूप 14 अ)	2
21.	दृष्टिबाधित या अशक्त मतदाताओं की सूची	2
22.	निविदत्त मतों की सूची के लिए प्ररूप (प्ररूप 17 ब)	2
23.	रिकार्ड किए गए मतों का लेखा (17ग)	10
24.	उपयोग मे लाए गए पेपरसील का रिकार्ड	2
25.	चुनौती दिये गए मतपत्रों की रसीद बुक	1
26.	थाना प्रभारी को शिकायती पत्र का प्ररूप	4
27.	पीठासीन अधिकारी का घोषणा पत्र मतदान के पूर्व व पश्चात् (पार्ट 1–4)	2
28.	अपनी उम्र के बारे में निर्वाचक द्वारा घोषणा के लिए प्ररूप	10
29.	ऐसे निर्वाचकों की सूची जिन्होंने घोषणा के पश्चात् मत नहीं दिया/देने से इंकार कर दिया	4
30.	घोषणा पत्र दृष्टिबाधित या अशक्त मतदाताओं के साथी द्वारा	10
31.	मतदान अभिकर्ता के पास	10
32.	विजिट शीट	2
33.	पीठासीन अधिकारी का प्रपत्र–12 बिंदु रिपोर्ट के लिए, जिसे सहायक रिटर्निंग अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी को दिये जाने हेतु	2

34.	मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्ररूप	15
35.	मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति को रद्द करने सम्बन्धी प्ररूप	5
36.	दिखावटी मतदान प्रमाण प्रपत्र	1
37.	स्पेशल/स्ट्रिप सील लेखा	1
38.	मतदान के प्रबन्ध में पीठासीन अधिकारी द्वारा सेक्टर मजिस्ट्रेट को दी जाने वाली रिपोर्ट	1
39.	अवशेष सामग्री जो दूसरे काउण्टर पर जमा की जाएगी–प्ररूप	1
लिफाफे		
40.	छोटे लिफाफे के लिए (स्टेचुअरी कवर–9" x 11")	1
41.	निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति के लिए लिफाफा (9" x 11")	1
42.	निर्वाचक नामावली की अन्य प्रतियों के लिए लिफाफा (9" x 11")	1
43.	निविदत्त मतपत्र एवं उनकी सूची के लिए लिफाफा (9" x 4")	1
44.	पीठासीन अधिकारी के घोषणापत्र, मतदान के पूर्व व पश्चात् के लिए लिफाफा (4" x 10")	1
45.	रिकार्ड किये गये मतों का लेखा के लिए लिफाफा (प्ररूप 17ग) (9" x 4")	1
46.	चैलेंज्ड मतपत्रों के लिए (9" x 4")	1
47.	अप्रयुक्त और अनुपयोगी पेपर सील का लिफाफा (9" x 4")	1
48.	मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र का लिफाफा (9" x 4")	1
49.	दृष्टिबाधित व अशक्त मतदाताओं की सूची के लिए लिफाफा (9" x 4")	1
50.	पीठासीन अधिकारी की डायरी/रिपोर्ट का लिफाफा (9" x 16")	1
51.	निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र के लिए लिफाफा (9" x 4")	1
52.	रसीद पुस्तक व कैश जब्ती के लिए लिफाफा (11" x 16")	1
53.	तुलनात्मक घोषणापत्र के लिए लिफाफा (9" x 4")	1
54.	छोटे लिफाफों के लिए लिफाफा (अन्य) (9" x 11")	1
55.	मतदाता रजिस्टर जिसमें मतदाताओं के हस्ताक्षर हों (फार्म 17–क) (9" x 11")	1
56.	अन्य जरूरी जानकारी के लिए लिफाफा (9" x 4")	1
57.	छोटे लिफाफों के लिए लिफाफा (9" x 11")	1
58.	पीठासीन अधिकारी के रिकार्ड हेतु लिफाफा (9" x 4")	1
59.	सादा लिफाफा (4" x 10")–2 (9" x 16")–3	5
60.	अप्रयुक्त मतपत्र रखने हेतु (11" x 16")	5
61.	अन्य कागजों के लिए जिसे रिटर्निंग अधिकारी ने रखने का निश्चय किया है।	1
62.	अप्रयुक्त व क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग के कवर के लिए (4" x 10")	1
63.	अप्रयुक्त व क्षतिग्रस्त स्ट्रिप सील के लिए लिफाफा (4" x 10") (लिफाफे छोटे होने की दशा में पैकिंग पेपर का उपयोग व जहां उपयुक्त लिफाफा उपलब्ध न हो तो सादा लिफाफा उपयोग कर उस पर जरूरी जानकारी लाल स्याही से अंकित करें।)	1
साइन बोर्ड		
64.	पीठासीन अधिकारी	01
65.	मतदान अधिकारी	01
66.	प्रवेश	01
67.	निर्गमन (निकास)	01
68.	मतदान अभिकर्ता	01
लेखन सामग्री		
69.	सामान्य पेंसिल	1
70.	बाल पेन	3 नीले+1लाल
71.	कोरा कागज	8 पन्ने
72.	पिनें	25
73.	मुहरबंद मोम (सीलिंग वैक्स)	6 नग
74.	लेई	1 बोतल

75.	ब्लेड	1
76.	मोमबत्ती–एक पैकेट अर्थात 250 ग्राम	4
77.	पतला ट्विन धागा	20 मीटर
78.	धातु की पट्टी	1
79.	कार्बन पेपर	3
80.	तेल पोंछने के लिए कपड़ा	3
81.	पैकिंग पेपर	2 पन्ने
82.	अमिट स्याही की बोतल रखने के लिए कप या खाली डिब्बा	1
83.	ड्राइंग पिन	24 नग
84.	चेक लिस्ट	2
85.	रबर बैंड	20 नग
86.	सेलो टेप	1

टिप्पणी– ऐसी आवश्यक वस्तुएँ जो प्रारम्भ में प्रदान न की गई हों या जिनकी बाद में अभाव स्थिति में आवश्यकता पड़े, पीठासीन अधिकारी द्वारा स्थानीय रूप से खरीदी जा सकती है, उनका खर्च सरकार उठाएगी।

2– आवश्यकता को देखते हुए उक्त सामग्री में जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरीय निकाय) घट/बढ़ कर सकते हैं।

नोट– उपर्युक्त में से निम्नलिखित मदें व्यय नहीं होंगी अतः इन्हें प्राप्ति केन्द्र पर कर्मचारी/कर्मचारियों को वापस कर दिया जाना चाहिए।

1. सेल्फ इंकिग पैड
2. पीठासीन अधिकारी के लिए मेटल सील
3. पीठासीन अधिकारियों के उपयोग हेतु निर्देश पुस्तिका

उपाबंध 6

इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन के लिए माडल मतदान स्थल
एक साथ हो रहे मतदान स्थल का ले–आउट

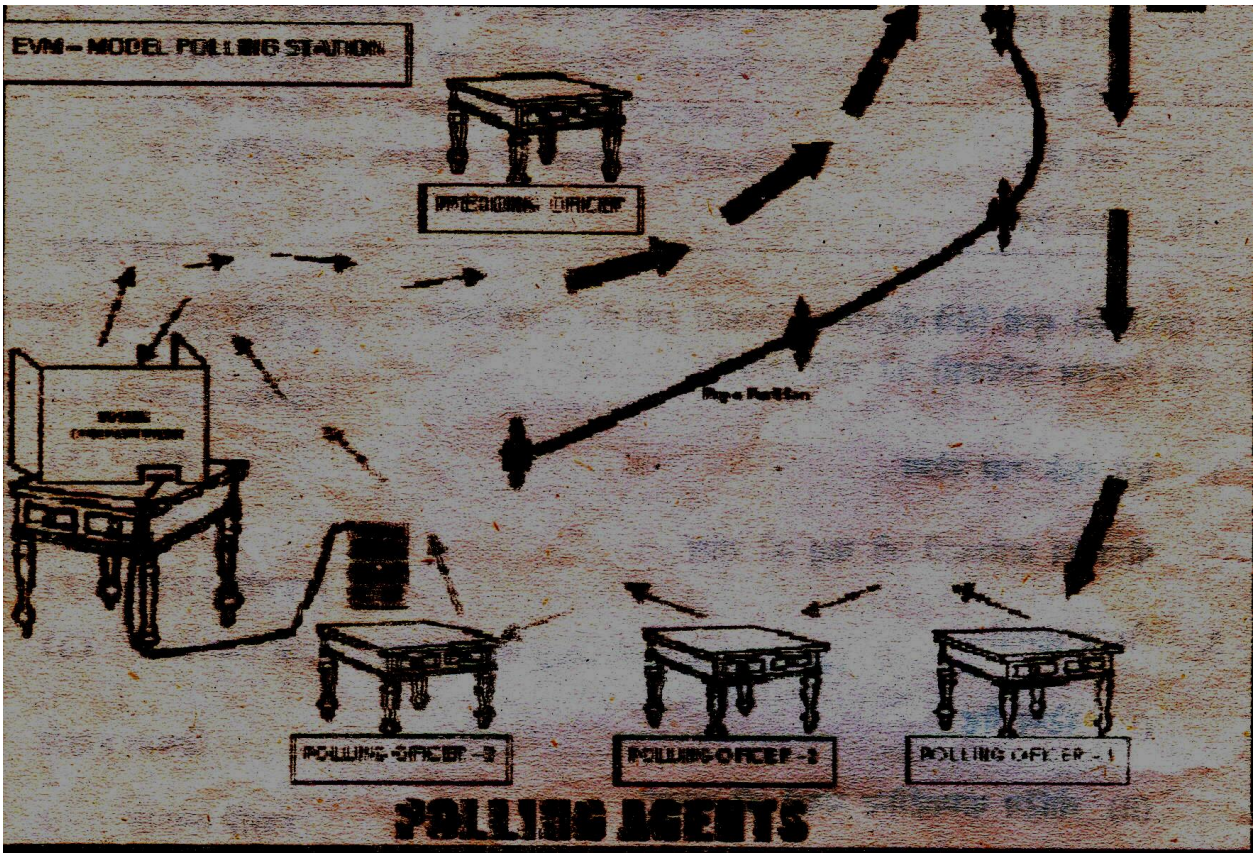

टिप्पणीः– मतदान यूनिट से सम्बद्ध केबिल, मतदान केबिल, मतदान कक्ष के पीछे के भाग पर छेद के माध्यम से बाहर आनी चाहिए और इस छेद के माध्यम से पीठासीन अधिकारी अपनी सीट से मतदान इकाई के साथ उसके संयोजन तक केबिल की पूरी लम्बाई को ठीक तरह से देखने के लिए समर्थ हो सके ताकि कोई भी निर्वाचक, पीठासीन अधिकारी द्वारा पता लगे बिना मतदान कक्ष के भीतर केबिल से छेड़छाड़ करने में समर्थ न हो। तथापि मतदान कक्ष में यह छेद इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए जिससे मतदान यूनिट के शिखर पर के किसी भी भाग को प्रकट कर दे।

उपाबंध 6क

इलेक्टॉनिक वोटिंग मशीन के लिए
आदर्श मतदान स्थल
दो पदों के निर्वाचन के लिए मतदान स्थल ले–आउट

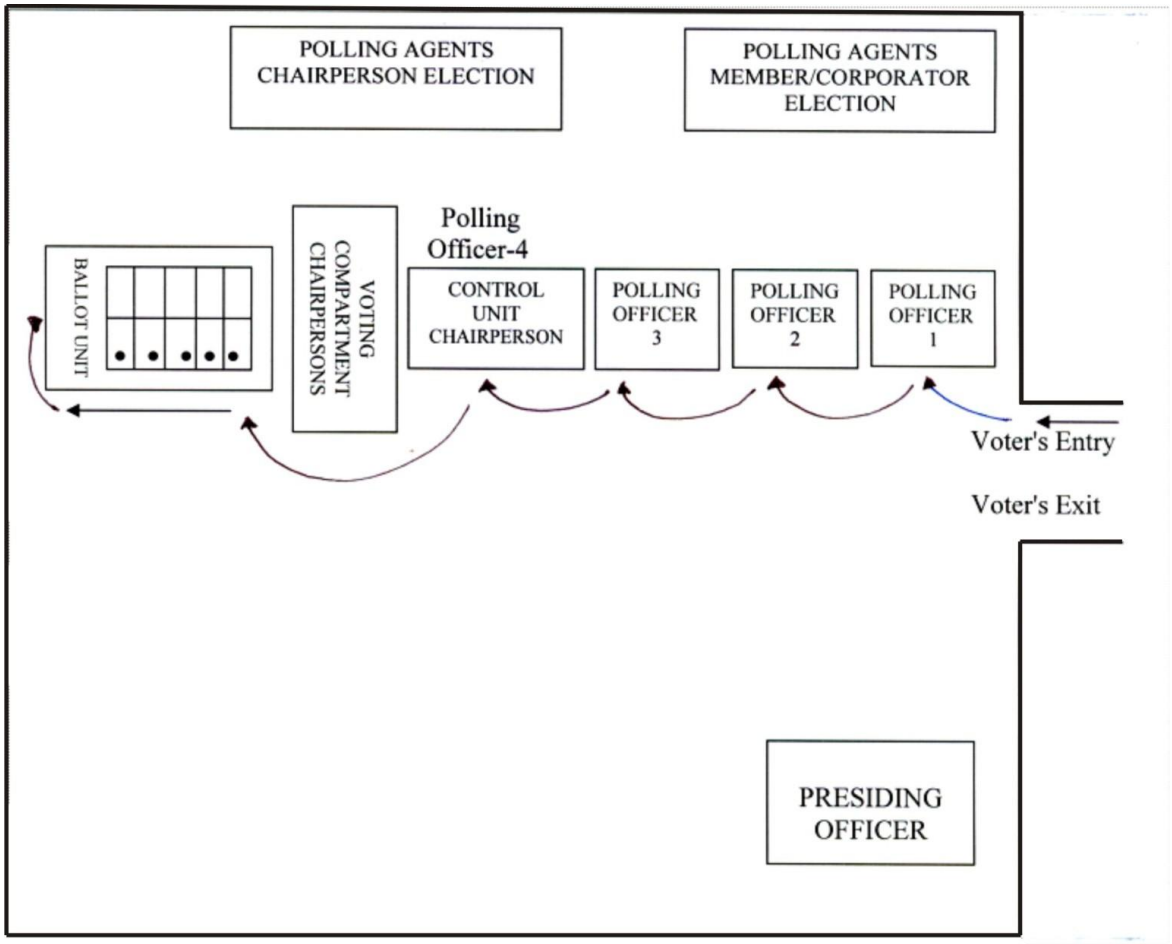

उपाबंध 7

पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा

भाग–1

मतदान आरम्भ होने के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा.....

जनपद ..... नगरीय निकाय .....से महापौर/अध्यक्ष या

वार्ड संख्या .....से पार्षद/सदस्य के लिए निर्वाचन

मतदान केन्द्र/स्थल का क्रम सं0 और नाम.....

मतदान की दिनाँक.....

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ :–

(1) कि मैंने मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को, –

(क) नकली मतदान आयोजित करके यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान मशीन पूर्णतया चालू हालत में है और उसमें पहले से कोई मत रिकार्ड नहीं किया गया है ;

(ख) यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान के दौरान उपयोग में ली जाने वाली निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में कोई भी चिन्ह नहीं हो,

(ग) यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान के दौरान प्रयुक्त किये जाने वाले मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप 17क) पर किसी भी निर्वाचक के सम्बन्ध में कोई भी प्रविष्टि नहीं है।

(2) कि मैंने मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट के परिणाम अनुभाग की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त सील (सीलों) पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और उस पर ऐसे मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करवा लिए हैं जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं।

(3) यह कि मैंने स्पेशल टैग पर नियंत्रण यूनिट की क्रम संख्या लिख दी है और मैंने स्पेशल टैग के पीछे की तरफ अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी प्राप्त कर लिए हैं, जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं।

(4) मैंने स्ट्रिप सील पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं तथा उस पर ऐसे उपस्थित अभ्यर्थियों तथा एजेंन्ट के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए हैं जो हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं।

(5) यह कि मैंने स्पेशल टैग पर पूर्व से छपी क्रम संख्या पढ़ दी है तथा उपस्थित अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं से क्रम संख्या नोट करने के लिए कह दिया है।

हस्ताक्षर.....

पीठासीन अधिकारी

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर :

1.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)
2.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)
3.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)
4.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)
5.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)
6.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)
7.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)
8.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)
9.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर अपने हस्ताक्षर करने से इन्कार किया :

1.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)
2.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)
3.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)
4.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

दिनाँक.....

समय.....

हस्ताक्षर.....

पीठासीन अधिकारी

भाग–II

पीठासीन अधिकारी द्वारा पश्चात्वर्ती मतदान मशीन के उपयोग, यदि कोई हो, के समय घोषणा

जनपद ..... नगरीय निकाय .....से महापौर/अध्यक्ष या

वार्ड संख्या .....से पार्षद/सदस्य के लिए निर्वाचन

मतदान केन्द्र/स्थल की क्रम सं ..... और नाम .....

मतदान की दिनाँक .....

मैं, इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि :–

(1) मैंने मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को प्रदर्शित कर दिया है कि :–

(क) नकली मतदान करके दिखा दिया है कि मशीन पूर्णतया चालू हालत में हैं और उसमें पहले से कोई मत रिकार्ड नहीं है।

(ख) यह कि मतदान के दौरान उपयोग में ली जाने वाली निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में कोई और अन्य चिह्न नहीं है।

(ग) यह कि मतदान के समय उपयोग में लाए जाने वाले मतदाता रजिस्टर (प्ररूप 17क) पर किसी अन्य मतदाता के सम्बन्ध में प्रविष्टि नहीं है।

(3) यह कि मैंने स्पेशल टैग पर नियंत्रण यूनिट का क्रम संख्या लिख दी है और मैंने स्पेशल टैग के पीछे की तरफ अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी प्राप्त कर लिए हैं, जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं।

(4) मैंने स्ट्रिप सील पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं तथा उस पर ऐसे उपस्थित अभ्यर्थियों तथा एजेन्ट के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए हैं जो हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं।

(5) यह कि मैंने स्पेशल टैग पर पूर्व से छपी क्रम संख्या पढ़ दी है तथा उपस्थित अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं से क्रम संख्या नोट करने के लिए कह दिया है।

हस्ताक्षर.....
पीठासीन अधिकारी

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर :

1.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)
2.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)
3.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)
4.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)
5.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)
6.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)
7.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)
8.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)
9.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर अपने हस्ताक्षर करने से इन्कार किया :

1.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)
2.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)
3.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)
4.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

हस्ताक्षर.....
पीठासीन अधिकारी

दिनाँक.....

भाग–III

मतदान के अन्त में घोषणा

मैंने उन मतदान अभिकर्ताओं को, जो मतदान बन्द होने के समय मतदान केन्द्र/स्थल में उपस्थित थे और जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर किये हैं, प्ररूप 17 (ग) के भाग–1 रिकार्ड किए गए मतों का लेखा में प्रत्येक प्रविष्टि की एक–एक अनुप्रमाणित प्रति दे दी है।

हस्ताक्षर.....
पीठासीन अधिकारी

दिनाँक.....

समय.....

रिकार्ड किए गए मतों के लेखों (प्ररूप 17 ग का भाग–1) में की गयी प्रविष्टियों की एक अनुप्रमाणित प्रति प्राप्त की।

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर :

1.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)
2.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)
3.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता
4.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)
5.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)
6.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)
7.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)
8.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)
9.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने, जो मतदान बन्द होने के समय उपस्थित थे, प्ररूप 17 ग के भाग–1 की एक अनुप्राणित प्रति प्राप्त करने और उसकी रसीद देने से इन्कार कर दिया है। अतः उन्हें उक्त प्ररूप की एक अनुप्रमाणित प्रति नहीं दी गई है।

1.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)
2.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)
3.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)
4.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)
5.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)
6.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)
7.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)
8.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)
9.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

हस्ताक्षर.....
पीठासीन अधिकारी

दिनाँक.....

समय.....

भाग –IV

मतदान मशीन को मुहरबन्द करने के पश्चात् घोषणा

मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट के कैरिंग केसों पर मैंने अपनी मुद्रा लगा दी है, और उन मतदान अभिकर्ताओं को, जो मतदान के अन्त में मतदान केन्द्र/स्थल में उपस्थित थे, उनको मुद्रा लगाने की अनुज्ञा दे दी है।

हस्ताक्षर.....
पीठासीन अधिकारी

दिनाँक.....

समय.....

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने अपनी मुद्रा लगा दी है।

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर :

1.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता) 2.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

3.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता) 4.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

5.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता) 6.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने मुद्रा लगाने से इन्कार कर दिया या मुद्रा लगानी नहीं चाही :

1.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता) 2.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

3.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता) 4.....(अभ्यर्थी.....का मतदान अभिकर्ता)

हस्ताक्षर.....
पीठासीन अधिकारी

दिनाँक.....

समय.....

उपाबंध 8

आपत्ति शुल्क (चैलेंज फीस) के लिए रसीद	आपत्ति शुल्क (चैलेंज फीस) के लिए रसीद	आपत्ति शुल्क (चैलेंज फीस) के लिए रसीद
बुक नं..... पृष्ठ सं	बुक नं..... पृष्ठ सं	बुक नं..... पृष्ठ सं .....
जनपद का नाम ..... नगरीय निकाय का नाम ....पद .....वार्ड सं0 (यदि आवश्यक हो)..... के मतदान केन्द्र/स्थल संख्या के लिए श्री	जनपद का नाम ..... .नगरीय निकाय का नाम ..... .पद ..... वार्ड सं0 (यदि आवश्यक हो)..... के मतदान केन्द्र/स्थल संख्या के लिए श्री	जनपद का नाम ..... .नगरीय निकाय का नाम ..... .पद ..... वार्ड सं0 (यदि आवश्यक हो)..... के मतदान केन्द्र/स्थल संख्या के लिए श्री .....
अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/मतदान अभिकर्ता	अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/मतदान अभिकर्ता	अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/मतदान अभिकर्ता
से 5 (पाँच रूपए मात्र) रूपए नकद आपत्ति शुल्क के रूप में प्राप्त किए।	से 5 (पाँच रूपए मात्र) रूपए नकद आपत्ति शुल्क के रूप में प्राप्त किए।	से 5 (पाँच रूपए मात्र) रूपए नकद आपत्ति शुल्क के रूप में प्राप्त किए।
दिनाँक..... पीठासीन अधिकारी	दिनाँक..... पीठासीन अधिकारी	दिनाँक..... पीठासीन अधिकारी

उपाबंध 9

थाना अधिकारी को शिकायती पत्र

सेवा में,

थाना अधिकारी

.....

.....

विषयः– ..... नगरीय निकाय .....के महापौर/अध्यक्ष या वार्ड सं0 ..... से पार्षद/सदस्य के लिए निर्वाचन में मतदान केन्द्र/स्थल सं0 और नाम ..... में प्रतिरूपण, मतदान की दिनाँक .....

महोदय,

मुझे यह सूचित करना है कि श्री ..... पुत्र श्री ..... और ..... निवासी ने उस व्यक्ति की पहचान के बारे में आक्षेप किया है जिसे श्री ..... के सुपुर्द किया जा रहा है। इस व्यक्ति ने श्री ..... होने का दावा किया है जिसका नाम .... निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं0 ..... में क्रम सं0 .....पर दर्शित है। यह व्यक्ति यह साबित नहीं कर सका है कि वही उक्त निर्वाचक है। मेरे विचार में वह छद्मवेशी है। अतः आपसे निवेदन है कि आप भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 171 च के अधीन यथा–अपेक्षित कार्रवाई करें।

भवदीय

स्थान .....
दिनाँक .....

हस्ताक्षर .....
पीठासीन अधिकारी

1. प्रति ..... नगरीय निकाय ..... के चेयरपरसन पद के ..... रिटर्निंग आफिसर ..... को प्रेषित।

2. नगरीय निकाय के पार्षद/सदस्य पद के रिटर्निंग अधिकारी ..... को प्रेषित।

हस्ताक्षर
पीठासीन अधिकारी

रसीद

उक्त पत्र तथा उसमें निर्दिष्ट व्यक्ति उपर्युक्त पीठासीन अधिकारी द्वारा (दिनाँक) ..... को ..... बजे (समय) मेरे सुपुर्द किए गए।

हस्ताक्षर
थानाधिकारी

.....

.....

उपाबंध 10

निर्वाचक द्वारा उनकी आयु के सम्बन्ध में घोषणा का प्ररूप

मै, सत्यनिष्ठा से यह घोषणा और प्रतिज्ञान करता हूँ कि सन् ..... की प्रथम जनवरी को अर्थात् अर्हता की उस दिनाँक के जिसके प्रतिनिर्देश से इस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली तैयार/पुनरीक्षित की गई थी, मेरी आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक की थी।

मुझे, निर्वाचक नामावली या निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धि में किसी नाम के सम्मिलिति किये जाने सम्बन्ध किसी मिथ्या घोषणा के बारे में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के दण्डात्मक उपबंधों के बारे में जानकारी है।

निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप

.....

पिता/माता/पति का नाम .....

.....

निर्वाचक नामावली की भाग संख्या .....

दिनाँक ..... निर्वाचक की क्रम संख्या .....

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त नामधारी निर्वाचक ने मेरे सामने उपर्युक्त सत्यनिष्ठा की घोषणा की और उस पर हस्ताक्षर किए।

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

.....

दिनाँक ..... मतदान केन्द्र/स्थल की संख्या और नाम

.....

उपाबंध 11

..... (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) से ..... के लिए निर्वाचन, मतदान केन्द्र/स्थल की संख्या तथा नाम .....

भाग–I

उन मतदाताओं की सूची, जिनसे उनकी आयु के सम्बन्ध में घोषणाएं प्राप्त की गई हैं।

क्र0सं0	मतदाता का नाम	निर्वाचक नामावली में भाग संख्या तथा क्रम संख्या	निर्वाचक नामावली में दर्ज आयु	पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा निर्धारित आयु
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				
आदि				

भाग–II

उन मतदाताओं की सूची, जिन्होंने आयु के सम्बन्ध में घोषणाएं करने से इन्कार कर दिया है।

क्र0सं0	मतदाता का नाम	निर्वाचक नामावली में भाग संख्या तथा क्रम संख्या	निर्वाचक नामावली में दर्ज आयु	पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा निर्धारित आयु
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				
आदि				

दिनाँक .....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

उपाबंध 12

दृष्टिबाधित या अशक्त निर्वाचक के साथी द्वारा घोषणा

मतदान केन्द्र/स्थल का संख्यांक और नाम ..... मैं, ... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... आयु ..... वर्ष ..... निवासी ..... घोषणा करता हूँ कि :–

(क) मैंने आज दिनाँक ..... को किसी भी मतदान केन्द्र/स्थल पर किसी अन्य निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है।

(ख) मैं, ... की ओर से अपने द्वारा अभिलिखित किए गए मत को गुप्त रखूंगा।

साथी के हस्ताक्षर

यहाँ पूरा पता लिखा जाए।

उपाबंध 13

प्ररूप 17 ग

भाग–I रिकार्ड किए गए मतों का लेखा

जनपद .....की नगरीय निकाय ..... से महापौर/अध्यक्ष या वार्ड संख्या ..... पार्षद/सदस्य पद लिए निर्वाचन .....

निर्वाचन क्षेत्र .....

मतदान केन्द्र/स्थल की संख्या और नाम .....

मतदान केन्द्र/स्थल पर प्रयुक्त मतदान मशीन की पहचान सं0 नियंत्रण यूनिट–
मतदान यूनिट–

1. मतदान केन्द्र/स्थल में नियत निर्वाचकों की कुल संख्या
2. मतदाताओं के लिए रजिस्टर (प्ररूप 17 क) में यथा प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या।
3. मत रिकार्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या
4. मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किए गए मतदाताओं की संख्या
5. मतदान मशीन के अनुसार रिकार्ड किए गए मतों की कुल संख्या
6. क्या मद 3,4 और 5 के सामने दर्शित मतदाताओं की कुल संख्या का योग मद सं0 2 के सामने अंकित मतदाताओं की संख्या से मेल खाती है या अन्तर आता है
7. उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें निविदत्त मत पत्र जारी किए गए
8. निविदत्त मतपत्रें की संख्या क्रम संख्यांक से तक

	क्रम संख्यांक से	तक
(क) प्रयोग के लिए प्राप्त	.....	.....
(ख) निर्वाचकों को जारी किए गए	.....	.....
(ग) अप्रयुक्त और वापस किए गए	.....	.....

9. पेपर सीलों का लेखा क्रम संख्यांक ..... से .....तक
   1. प्रदाय की गई पेपर सीलों की क्रम संख्यांक ..... से .....तक
   2. प्रदाय किए गए ग्रीन पेपर सील की संख्या .....
   3. प्रयुक्त पेपर सील की संख्या .....
   4. रिटर्निंग अधिकारी को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सीलों की संख्या (मद 2 में से मद 3 को घटाएं)
   5. क्षतिग्रस्त पेपर सील की क्रम संख्या, यदि कोई हो .....

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर
1.
2.
3.
4.

दिनाँक .....
स्थान .....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर
मतदान केन्द्र/स्थल संख्या

भाग–II

गणना का परिणाम

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	रिकार्ड किए गए मतों की संख्या
1.	.....	.....
2.	.....	.....
3.	.....	.....
4.	.....	.....
5.	.....	.....
6.	.....	.....
7.	.....	.....
8.	.....	.....
9.	.....	.....
	कुल	

क्या उपर्युक्त दर्शित मतों की कुल संख्या भाग–1 की मद 5 के सामने दर्शित मतों की कुल संख्या से मेल करती है या दोनों के बीच कोई अन्तर देखने में आया है– .....

दिनाँक .....

स्थान .....

गणना सुरपरवाइजर के हस्ताक्षर
मतदान केन्द्र/स्थल संख्या
अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/
गणन अभिकर्ता का नाम
पूर्ण हस्ताक्षर

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

दिनाँक .....

स्थान .....

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

उपाबंध 14

पीठासीन अधिकारी की डायरी

1. निर्वाचन क्षेत्र का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :

2. मतदान की दिनाँक :

3. मतदान केन्द्र/स्थल की संख्या :

मतदान केन्द्र/स्थल निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है–

(i) शासकीय या अर्द्धशासकीय भवन

(ii) निजी भवन

(iii) अस्थाई संरचना

4. स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या, यदि कोई होः

5. सम्यक् रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी, यदि कोई हो, और ऐसी नियुक्ति के कारण :

6. मतदान मशीन–

(i) उपयोग में लाई गई नियंत्रण यूनिट की संख्या :

(ii) उपयोग में लाई गई नियंत्रण यूनिट की क्रम संख्या :

(iii) उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की संख्या :

(iv) उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की क्रम संख्या :

7. (i) उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की संख्या :

(ii) उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की क्रम संख्या :

7. (अ) (i) प्रदाय किए गए विशेष टैग की संख्या;

(ii) प्रदाय किए गए विशेष टैग की क्रम संख्या;

(iii) उपयोग में लाए गए विशेष टैग की संख्या;

(iv) उपयोग में लाए गए विशेष टेग की क्रम संख्या;

(v) उपयोग में न लाए गए वापस किये गये विशेष टैग की क्रम संख्या;

7. (ब) (1) प्रदाय की गई स्ट्रिप सील की संख्या;

(2) प्रदाय की गई स्ट्रिप सील की क्रम संख्या;

(3) उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सील की संख्या;

(4) उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सील की क्रम संख्या;

(5) उपयोग में न लाई गई/वापस की गई स्ट्रिप सील की क्रम संख्या।

8. मतदान अभिकर्ताओं की संख्या और जो विलम्ब से आए हों, उनकी संख्या।

9. ऐसे अभ्यर्थी की संख्या जिन्होंने मतदान केन्द्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए हैं।

10. (i) मतदान केन्द्र/स्थल पर नियत मतदाताओं कुल संख्या

(ii) निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या

(iii) ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने वास्तव में मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप 17क) के अनुसार मत दिया है

(iv) मतदान मशीन के अनुसार रिकार्ड किए गए मतों की संख्या।

प्रथम मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर

मतदाताओं के रजिस्टर के प्रभारी मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर

11. निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए– पुरूष .....महिला .....कुल .....

12. आक्षेपित (चैलेंज्ड) मत–

अनुज्ञात संख्या

अस्वीकृत संख्या

जब्त की गई रकम

13. उन निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिए :

14. निविदत्त मतों की संख्या।

15. निर्वाचकों की संख्या–

(क) जिनसे उनकी उम्र के बारे में घोषणाएं प्राप्त की–

(ख) जिन्होंने ऐसी घोषणाएं करने से इन्कार किया–

16. क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था, यदि ऐसा था, तो ऐसे स्थगन के कारण :

17. डाले गए मतों की संख्या–

7 बजे पूर्वाह्न से 9 बजे पूर्वाह्न तक

9 बजे पूर्वाह्न से 11 बजे पूर्वाह्न तक

11 बजे पूर्वान्ह से 1 बजे अपराह्न तक

1 बजे अपराह्न से 3 बजे अपराह्न तक

3 बजे अपराह्न से 5 बजे अपराह्न तक

18. मतदान समाप्त होने के समय पर दी गई पर्चियों की संख्याः

19. ब्यौरों सहित निर्वाचन अपराध :

मामलों की संख्या–

(क) मतदान केन्द्र/स्थल से एक सौ मीटर की दूरी के भीतर मत संयाचना :

(ख) मतदाताओं द्वारा प्रतिरूपण करना :

(ग) मतदान केन्द्र/स्थल पर किसी सूचना की सूची को या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक बिगाड़ना, नष्ट करना या हटाना :

(घ) मतदाताअें को रिश्वत देना :

(ङ) मतदाताओं और अन्य व्यक्तियों को भयभीत करना :

(च) मतदान केन्द्र पर कब्जा करना :

20. क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न या बाधा उपस्थित हुई :–

(1) बलवा :

(2) खुली हिंसा :

(3) प्राकृतिक विपत्ति :

(4) बूथ पर कब्जा :

(5) मतदान मशीन का विफल होना :

(6) अन्य कोई कारण :

कृपया उपर्युक्त के बारे में ब्यौरा दें।

21. क्या मतदान केन्द्र/स्थल पर उपयोग में लाई गई किसी भी मतदान मशीन को :–

(क) पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में से अवैधानिक रूप से छीनकर :

(ख) आकस्मिक या जानबूझकर गुम या नष्ट करके :

(ग) नुकसान पहुँचाकर या छेड़छाड़ करके मतदान को दूषित किया गया।

कृपया ब्यौरा दें।

22. अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं द्वारा की गयी गम्भीर शिकायतें, यदि कोई हों :

23. विधि तथा व्यवस्था को भंग करने सम्बन्ध मामलों की संख्या :

24. मतदान केन्द्र/स्थल पर की गई त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट, यदि कोई हो :

25. क्या आपने मतदान के प्रारम्भ के पूर्व, और यदि आवश्यक हो, मतदान के बीच जब किसी नई मतदान मशीन का उपयोग किया गया हो तो उसके उपयोग में लाने के पूर्व तथा मतदान की समाप्ति पर जो आवश्यक हो, घोषणाएं कीं।

स्थान .....

दिनाँक..... पीठासीन अधिकारी

यह डायरी, मतदान मशीन और अन्य मुहरबंद पत्रों के साथ रिटर्निंग अधिकारी को भेजनी चाहिए।

उपाबंध 15

	(1)	मतदान केन्द्र/स्थल क्रमांक	पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्वाचन क्षेत्र के प्रेक्षकों/रिटर्निंग अधिकारी को सौंपने के लिये प्रपत्र
	(2)	वीडियो कैमरा व्यवस्था	
	(3)	कुल मतदाता	
	(4)	कुल मत डाला गया	
	(5)	मतों का प्रतिशत	
	(6)	कुल उम्मीदवार की संख्या	
	(7)	नकली मतदान अभिकर्ताओं के सामने किया गया? हां/नहीं	
	(8)	नकली मतदान किया? हां/नहीं	
	(9)	क्या मशीन को उपयुक्त प्रकार से बंद एवं मुहरबंद किया गया?	
	(10)	क्या 17–ग मत अभिकर्ताओं को उनके दस्तखत लेने के बाद दिया गया?	
	(11)	ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्होंने 5 बजे के बाद मतदान टोकन प्राप्त कर मतदान किया	
	(12)	क्या मतदान के समय कोई अप्रत्याशित घटना हुई? हां/नहीं	

यह मात्र उदाहरण है।

उपाबंध–16

दिखावटी मतदान प्रमाण पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मैं ..... पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र/स्थल क्रमांक ..... नगरीय निकाय ..... महापौर/अध्यक्ष या वार्ड सं0 ..... से पार्षद/सदस्य पद के निर्वाचन में आज दिनाँक ..... बजे दिखावटी मतदान का संचालन किया।

दिखावटी मतदान में कुल ..... मतदाताओं ने मत दिया एवं मतदान के पश्चात् मैंने सावधानी से ई.वी.एम. की मेमोरी को साफ किया तब मत संख्या '0' दिखाया

(क) दिखावटी मतदान के समय निम्न उम्मीदवारों के अभिकर्ता, जिनके नाम अधोलिखित हैं, उपस्थित थे. मैंने उनके हस्ताक्षर ले लिए हैं.

(ख) दिखावटी मतदान के समय केवल एक ही उम्मीदवार का अभिकर्ता उपस्थित था। 90 मिनट इन्तजार के बाद अन्य मतदान अधिकारियों के साथ ..... बजे उम्मीदवार के नाम के साथ अभिकर्ता का नाम दर्ज किया.

(यदि कोई भी अभिकर्ता उपस्थित न हो तो कोई भी अभिकर्ता उपस्थित नहीं था लिखें)

इस प्रकार दिखावटी मतदान प्रमाण पत्र में उपस्थित उम्मीदवारों के अभिकर्ताओं की संख्या वास्तविक दर्ज की जाएगी तथा उनके हस्ताक्षर कराए जाएंगे)

.....	.....	.....
अभिकर्ता का नाम	उम्मीदवार का नाम	अभिकर्ता के हस्ताक्षर
1.		
2.		
3.		

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रपत्र संख्या–

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने अपने सेक्टर ....(संख्या) वार्ड .... का भ्रमण कर लिया है।

रूट चार्ट के अनुसार मतदान केन्द्रों पर मतदान दल पहुॅचने हेतु कोई व्यवधान नहीं है।

हस्ताक्षर .....

नाम .....

सेक्टर .....

दिनाँक .....

प्रतिलिपिः– जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी/जोनल मजिस्ट्रेट वार्ड संख्या.....

प्ररूप

स्पेशल टैग/स्ट्रिप सील लेखा

नगरीय निकाय ..... वार्ड संख्या .....

वार्ड संख्या .....

मतदान केन्द्र की संख्या व नाम .....

मतदान स्थल की संख्या व नाम .....

स्पेशल टैग

प्राप्त किए गए स्पेशल टैगों की संख्या .....

प्राप्त किए गए स्पेशल टैगों की क्रं0सं0 .....

प्रयुक्त किए गए स्पेशल टैगों की सं0 .....

प्रयुक्त किए गए स्पेशल टैगों की क्रं0सं0 .....

अप्रयुक्त स्पेशल टैगों की सं0 .....

अप्रयुक्त स्पेशल टैगों की क्रं0सं0 .....

स्ट्रिप सील

प्राप्त किए गए स्ट्रिप सील की संख्या .....

प्राप्त किए गए स्ट्रिप सील की क्रं0सं0 .....

प्रयुक्त किए गए स्ट्रिप सील की सं0 .....

प्रयुक्त किए गए स्ट्रिप सील की क्रं0सं0 .....

अप्रयुक्त स्ट्रिप सील की सं0 .....

अप्रयुक्त स्ट्रिप सील की क्रं0सं0 .....

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

1.

2.

3.

4.

दिनांक .....

स्थान .....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर .....
पोलिंग पार्टी की संख्या .....
मतदान केन्द्र संख्या.....

भ्रमण आख्या

मतदान का दिनाँक .....

वार्ड का संख्या व नाम .....

मतदेय स्थल की संख्या व नाम .....

क्र0 सं0	भ्रमण करने वाले अधिकारी का नाम तथा पदनाम (प्रेक्षक / मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी / रिटर्निंग अधिकारी / निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सेक्टर मजिस्ट्रेट / जोनल मजिस्ट्रेट)	भ्रमण समय	भ्रमण के समय डाले गए मतों की संख्या	भ्रमण के समय डाले गए मतों का प्रतिशत	अभ्युक्ति–मतदान प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण (शान्तिपूर्ण / घटना यदि कोई हो)	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7

दिनाँक .....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

नगरीय निकाय निर्वाचन 2022

मतदान के प्रबन्ध में पीठासीन अधिकारी द्वारा सेक्टर मजिस्ट्रेट को दी जाने वाली रिपोर्ट

1. मतदान स्थल बनकर मतदान हेतु तैयार है।
2. मतदान स्थल पर नियुक्त पुलिस फोर्स मौजूद है।
3. पोलिंग पार्टी के सभी सदस्य मौजूद हैं। अनुपस्थित होने पर उनके नाम–

   (क) ..... (ख)..... (ग) .....
4. मतदान करने हेतु मतपत्र, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, सूची पेपर सील, सुभिन्नक चिह्न की मोहर, रजिस्टर 17 क, वोटर स्लिप आदि सभी निर्वाचन सामग्रियाँ उपलब्ध हैं।
5. जिस वस्तु की कमी हो, उसका नीचे उल्लेख करें–

   (क) ..... (ख)..... (ग) .....

अन्य विवरण –

दिनाँक .....

मतदान स्थल संख्या.....

मतदान स्थल का नाम .....

पोलिंग पार्टी नं0 .....

हस्ताक्षर

पीठासीन अधिकारी

(अवशेष निर्वाचन सामग्री जो दूसरे काउन्टर पर जमा की जाएगी)

1. निर्वाचन सामग्री वापस करने की बैग

   (क) पीठासीन अधिकारी के लिए अनुदेश हस्त पुस्तिका

   (ख) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन निर्देशिका

   (ग) अमिट स्याही की शीशी के डाट के ऊपर पिघले हुए मोम या लाख लगाकर उसे अच्छी तरह बन्द कर दिया जाए ताकि स्याही न तो निकलने पाये और न उड़ सके।

   (घ) स्याही युक्त स्टाम्प पैड

   (ङ) पीठासीन अधिकारी की धातु की मुहर

   (च) मतदान केन्द्र की सुभिन्नक चिह्न वाली रबर की मुहर

   (छ) मतपत्रें पर चिह्न लगाने की एरोक्रास चिह्न की रबर की मुहर

   (ज) स्टेशनरी बैग

   (झ) डमी वैलेट यूनिट

2. चौथा पैकेट जिसमें अन्य सभी वस्तुएं (यदि) कोई हो, रखी जानी चाहिए।

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

टिप्पणीः–

1. पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रत्येक लिफाफे की अन्तर्वस्तु का विवरण अवश्य लिया जाए। सूचना शून्य होने पर भी लिफाफा अवश्य बनाया जाए।

2. प्ररूप 17ग रिकार्ड किए गए मतों का लेखा तथा पीठासीन अधिकारी की डायरी का लिफाफा सील नहीं किया जाएगा।

3. संग्रह केन्द्र पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राप्ति के लिए प्राधिकृत कर्मचारी प्रत्येक पैकेट की अन्तर्वस्तु की जाँच करने के बाद (सील बन्द लिफाफा या बन्द लिफाफा को बिना खोले ही उन्हें प्राप्त करेगा)

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

मतदाताओं की पर्चियाँ (बी0एल0ओ0 द्वारा वितरित की जाने वाली)

नगरीय निकाय का नाम : ..... जनपद .....

वार्ड संख्या : .....

निर्वाचक नामावली की भाग संख्या : .....

निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की क्रम संख्या : .....

मतदाता का नाम : .....

नगरीय निकाय निर्वाचन प्ररूप–14

चुनौती दिए गए गए मतों की सूची

जनपद ..... की नगर निगम ..... के महापौर/पार्षद का निर्वाचन

वार्ड संख्या .....मतदान केन्द्र/स्थल संख्या और नाम .....

क्र. सं.	निर्वाचक का नाम	मतदाता सूची में प्रविष्टि ——— भाग क्रमांक	आपत्तिकृत व्यक्ति के ब्यौरे			यदि कोई पहचानने वाला है	आपत्तिकर्ता का नाम	पीठासीन अधिकारी का आदेश	धनराशि वापस करने पर आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर
			मतदाता का क्रमांक	नाम व पता	हस्ताक्षर / अंगूठा निशान				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									

दिनांक.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप–14क

दृष्टिबाधित या अशक्त मतदाताओं की सूची

जनपद.....की नगर निगम .....से महापौर के (वार्ड) कक्ष क्रमांक.....से पार्षद के लिये निर्वाचन मतदान केन्द्र/स्थल की संख्या..... .....नाम.....

क्र.सं.	निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का ब्यौरा		निर्वाचक का पूरा नाम	साथी का पूरा नाम	साथी का पूरा पता	साथी के हस्ताक्षर
	भाग क्रमांक	क्रमांक				
1	2	3	4	5	6	7

दिनाँक.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम.....

नगरीय निकाय निर्वाचन

उपयोग में लाए गए पेपर सील का रिकार्ड

जनपद .....की नगर निगम .....महापौर के वार्ड संख्या.....
से पार्षद का निर्वाचन मतदान केन्द्र/स्थल का संख्या व नाम.....

1— उपलब्ध कराए गए पत्र मुद्रा के क्रमांक..... से.....तक

2— कुल प्राप्त कराई पत्र मुद्राओं की संख्या.....

3— प्रयुक्त किए गए पत्र मुद्राओं की संख्या.....

4— वापस की गई अप्रयुक्त पत्र मुद्राओं.....की संख्या (क्रमांक 2—क्रमांक 3)

5— खराब हुई पत्र मुद्राओं का क्रमांक, यदि कोई हो.....

पीठासीन अधिकारी
के हस्ताक्षर
मतदान केन्द्र/स्थल की संख्या

दिनाँक.....

स्थान.....

नगरीय निकाय निर्वाचन

ऐसे निर्वाचकों की सूची जिन्होंने घोषणा के पश्चात मत नहीं दिया/देने से इन्कार कर दिया।

नगरीय निकाय का नाम .....जनपद ..... वार्ड संख्या .....

क्रम संख्या	मतदाता का नाम	मतदाता रजिस्टर क्रमांक	निर्वाचक नामावली की भाग संख्या	निर्वाचक नामावली की क्रम संख्या
1	2	3	4	5

दिनाँकः

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम .....

नगरीय निकाय निर्वाचन

मतदान अभिकर्ताओं के लिए प्रवेश–पत्र

नगरीय निकाय का नाम ..... जनपद.....

वार्ड संख्या .....

पद नाम .....

मतदान केन्द्र एवं मतदान स्थल संख्या व नाम .....

उम्मीदवार का नाम .....

मतदान अभिकर्ता का नाम .....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम.....

नगरीय निकाय निर्वाचन

प्ररूप–11

मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति को रद्द करना

जनपद ..... की नगर निगम .....
से महापौर या के वार्ड संख्या .....से पार्षद का निर्वाचन।

प्रेषिति–

पीठासीन अधिकारी.....

मैं,.....जो उपरिवर्णित निर्वाचन में उम्मीदवार/उम्मीदवार का निर्वाचन अभिकर्ता हूँ ..... अपने मतदान अभिकर्ता/अभिकर्ताओं..... .....की नियुक्ति एतद्द्वारा रद्द करता/करती हूँ।

स्थान.....

दिनाँक.....

*उम्मीदवार/उम्मीदवार के
निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

---

*जो लागू न हो उसे काट दें।